लोक सभा वाद-विवाद
(हिन्दी संस्करण)

शनिवार, 28 मार्च, 1998/7 चैत्र, 1920 (शक)

का
शुद्धि-पत्र

....

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
71	नीचे से 6	कपृया	कृपया
138	21	देलकर, श्री मोहन एम॰	देलकर, श्री मोहन एस॰

द्वादश माला, खंड 1, अंक 6

शनिवार, 28 मार्च, 1998
7 चैत्र, 1920 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

पहला सत्र

(बारहवीं लोक सभा)

(खण्ड 1 में अंक 1 से 8 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्यः पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

श्री एस. गोपालन
महासचिव
लोक सभा

डा॰ अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री एम॰आर॰ खोसला
संयुक्त सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री सुरेन्द्र कौशिक
निदेशक
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्री राम लाल गुलाटी
सम्पादक

श्री पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उसका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[द्वादश माला, खंड 1, पहला सत्र, 1998/1920 (शक)]

अंक 6, शनिवार, 28 मार्च, 1998/7 चैत्र, 1920 (शक)

विषय	**कालम**
अध्यक्ष द्वारा घोषणा	
सभापति तालिका के लिए नामनिर्देशन	1
आचार, सार्वजनिक जीवन में मानक, विशेषाधिकार, सदस्यों की सुविधाएं और अन्य संबंधित मामलों पर विशेषाधिकार समिति (ग्यारहवीं लोक सभा) का प्रतिवेदन—*सभा पटल पर रखा गया*	2
मंत्रि-परिषद में विश्वास का प्रस्ताव—*जारी—स्वीकृत*	3—154
श्री पी॰ शिव शंकर	3—11
श्री रामकृष्ण हेगड़े	11—21
श्री लालू प्रसाद	21—35
डा॰ मुरली मनोहर जोशी	36—55
श्री एस॰ जयपाल रेड्डी	55—64
श्री चन्द्रशेखर	64—71
श्री के॰ येरननायडू	71—80
श्री इन्द्रजीत गुप्त	81—86
श्री टी॰आर॰ बालू	86—90
श्री नवीन पटनायक	90—93
श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद	93—97
श्री जी॰एम॰ बनातवाला	98—101
श्री पूर्णो ए॰ संगमा	101—110
श्री अमर राय प्रधान	113—114
डा॰ जयंत रंगपी	114—115
श्री एस॰एस॰ ओवेसी	116
श्री आनंद मोहन	116—118
प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़	118—122
श्री पी॰सी॰ थामस	122—123
श्री सुरेन्द्र सिंह	123—124
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	124—134

लोक सभा

शनिवार, 28 मार्च, 1998/7 चैत्र, 1920 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.02 बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

अध्यक्ष महोदय : एक घोषणा करनी है।

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : अध्यक्ष महोदय, हम विश्वास मत के प्रस्ताव संबंधी चर्चा आरम्भ करने वाले हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि मतदान के समय की घोषणा की जाए। हम इससे पहले अस्थायी तौर पर सहमत हुए थे कि प्रधान मंत्री द्वारा चर्चा का उत्तर शाम 4 बजे निर्धारित किया जाए ताकि 5 बजे या उसके बाद हम उस पर मतदान करा सकें क्योंकि कई सदस्य अपने निर्वाचन-क्षेत्रों में वापस जाना चाहते हैं वहां उन्हें अपनी रिटर्न आदि भरने हैं। अन्यथा हमें देर तक बैठने में आपत्ति नहीं है। व्यावहारिक कारणों में भी यह उचित होगा यदि हम सभी निश्चित समय सीमा के लिए सहमत हो जाएं।

श्री शरद पवार (बारामती) : बाहर से भी अनुरोध आया है कि काफी सदस्य अपने लेखों को जमा कराने के लिए अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में वापस जाना चाहते हैं और कुल कुछ धार्मिक समारोह भी हैं। यदि हम मतदान सहित सभी कार्यवाही 5 बजे अथवा 5.30 बजे तक समाप्त कर लेंगे तो यह अच्छा होगा। अतः प्रधान मंत्री का उत्तर 4 बजे और 4.30 बजे के बीच आरंभ हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो कृपया इसके लिए सहयोग दें।

[हिन्दी]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : अध्यक्ष जी, इसमें एक और बात महत्व की है, वह यह है कि आज वर्ष प्रतिपदा है, नये साल का शुभारंभ हो रहा है, उस दृष्टि से भी हम सबको शुभकामनायें देते हैं। यदि इस प्रकार से एड्रेस हो तो बहुत अच्छा होगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया कार्यवाही को 5.30 बजे से पहले समाप्त करने में सहयोग दें।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

अध्यक्ष द्वारा घोषणा

सभापति तालिका के लिए नामनिर्देशन

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, एक घोषणा करनी है। मुझे सभा को सूचित करना है कि लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 9 के अंतर्गत मैंने निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के सदस्यों के रूप में नामनिर्दिष्ट किया है :—

1. श्री पी॰एम॰ सईद
2. श्री के॰ प्रधानी
3. डा॰ लक्ष्मी नारायण पांडेय
4. प्रो॰ रीता वर्मा
5. श्री के॰ येरननायडू
6. श्री वी॰ सत्यमूर्ति
7. श्री बसुदेव आचार्य

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम) : यह उचित होगा यदि उनका सभा में परिचय कराया जाए।

एक माननीय सदस्य : यह आवश्यक नहीं है।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

[अनुवाद]

आचार, सार्वजनिक जीवन में मानक, विशेषाधिकार, सदस्यों की सुविधाएं और अन्य सम्बन्धित मामलों पर विशेषाधिकार समिति (ग्यारहवीं लोक सभा) का प्रतिवेदन

महासचिव : विशेषाधिकार समिति (ग्यारहवीं लोक सभा) के सभापति ने लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 280 के साथ पठित अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 71क के खंड (1) के अनुसार सदस्यों के लिए आचार, सार्वजनिक जीवन में मानक, विशेषाधिकार, सुविधाएं और अन्य संबंधित मामलों पर समिति का प्रतिवेदन 27 नवम्बर, 1997 को ग्यारहवीं लोक सभा के अध्यक्ष को प्रस्तुत किया। तथापि इसके पहले कि यह प्रतिवेदन सभा को प्रस्तुत किया जाता ग्यारहवीं लोक सभा 4 दिसम्बर, को भंग कर दी गई थी। मुझे सदन को यह भी सूचित करना है कि ग्यारहवीं-लोक सभा के अध्यक्ष के आदेश के अनुसार, अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 71क के खण्ड (2) के अंतर्गत इस प्रतिवेदन की प्रतियां ग्यारहवीं लोक सभा के सभी सदस्यों को भेज दी गई थी।

महोदय, अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 71क के खण्ड (6) के अनुसार यथाअपेक्षित मैं इस प्रतिवेदन की प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

पूर्वाह्न 11.05 बजे

[अनुवाद]

मंत्रि-परिषद में विश्वास का प्रस्ताव—जारी

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विश्वास के प्रस्ताव पर चर्चा जारी रखेगी। श्री पी॰ शिवशंकर अब आप बोलिये।

श्री पी॰ शिव शंकर (तेनाली) : अध्यक्ष महोदय, कल पूरे दिन मैंने सभी सदस्यों द्वारा विशेषकर सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा दिये गए भाषणों को अत्यंत ध्यान लगाकर सुना। मैं अवश्य कहूंगा कि राष्ट्र विश्वास मत प्रस्ताव के प्रश्न पर सत्ता पक्ष द्वारा दिये गये भाषण पर आश्चर्य करेगा।

मैं प्रधान मंत्री की बात बाद में करूंगा। सत्ता पक्ष से बोल रहे सभी माननीय सदस्यों, चाहे वे मंत्री हैं या अन्य सदस्य हैं, ने केवल पिछली सरकार के कार्यकरण में कुछ कमियों अथवा यहां बैठे विभिन्न दलों के घोषणा पत्रों की कुछ कमियों को बताने का प्रयास ही किया है। लेकिन सत्ता पक्ष का विश्वास मत प्रस्ताव पर बोलने का कोई तरीका नहीं है। जब वह विश्वास मत के प्रस्ताव पर बोल रहे हैं तो उन्हें अपनी विश्वसनीयता के बारे में हमें अवश्य बताना चाहिए। उन्हें हमें अपने कार्यक्रम के बारे में बताना चाहिए। उन्हें हमें वे कारण बताने चाहिए कि उन्हें इस सभा से विश्वास मत प्राप्त करने की क्यों आवश्यकता हुई है। सत्ता पक्ष के किसी भी व्यक्ति ने इन मुद्दों पर एक शब्द तक नहीं कहा है।

हमारे मित्रों ने विविध मामलों को उठाया है। हमने भी कई मामले उठाए हैं। हमने कहा "आपको मत विभाजन द्वारा क्यों नहीं हटा दिया जाना चाहिए।" लेकिन इसका उत्तर क्या था? वे हमारे घोषणा पत्रों में अथवा हमारे कार्य करने के तरीके में कमियां ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। क्या यह विश्वास मत जीतने का तरीका है?

प्रधान मंत्री के बारे में क्या कहें? प्रधान मंत्री ने केवल एक ही पहलू का वर्णन किया है जहां उन्होंने पूर्व में सरकारों ने क्या किया है केवल उसी का वर्णन किया है। उन्होंने केवल यही कहा है कि लोगों का जनादेश उनके पक्ष में है। मैं उस जनादेश का जिक्र बाद में करूंगा। आपने उससे अधिक क्यों नहीं कहा? आखिरकार आप हमारा विश्वास चाहते हैं। आप सभा का विश्वास चाहते हैं।

आप हमसे भी सहयोग चाहते हैं। यदि आपने हमें लिखा होता तो वह दूसरी ही बात होती। हमारी ओर से प्रत्येक सदस्य ने मुद्दे उठाए हैं। हमारे प्रत्येक सदस्य ने जो कुछ घटित हो रहा है उस ओर आपका ध्यान आकर्षित किया है। आपकी विश्वसनीयता कहां है? आपकी ईमानदारी कहां है? आपका क्या कार्यक्रम है? इन सब प्रश्नों का उठाया या है। मंत्रियों ने भी सम्बोधित किया है। यदि आप भारतीय जनता और सभा से अपने भाषणों को हिन्दी भाषा के साहित्यिक वाक्यांशों से सुसज्जित करने के लिए शाबाशी पाना चाहते हैं तो हम आपको पूरे अंक देते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं है।

परन्तु मुख्य बात तो यह है आपने वस्तुतः क्या कहा है। उसका सार क्या है? क्या आप सत्ता पक्ष के किसी एक सदस्य का भी नाम गिना सकते हैं जिन्होंने हमारे मुद्दों पर बात की है? किसी ने भी कोई मुद्दा नहीं उठाया है। हममें से प्रत्येक ने अपनी आशंकाओं को प्रकट किया था कि हमें क्यों आपके पक्ष में मतदान नहीं करना है और आपके पक्ष में मतदान करने के प्रति हमारी क्या आशंकाएं हैं। यह अत्यधिक आश्चर्यजनक है कि भाषणों की प्रवृत्ति कुछ इस तरह थी वे कतिपय वाक्यांशों को अपने भाषणों में पिरोकर वाद-विवाद में आगे जाना चाहते थे। इसके अतिरिक्त मुझे और कुछ दिखाई नहीं दिया।

प्रधान मंत्री सभा में मंत्रि-परिषद में विश्वास का मत प्राप्त करना चाहते हैं। अब यह प्रश्न उठता है : यह बात सही है कि उनके पास कोई रिकार्ड नहीं है क्योंकि वे अभी-अभी सत्ता में आए हैं। इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उनकी क्या विश्वसनीयता है? प्रधानमंत्री ने कहा, "लोग एक ईमानदार सरकार चाहते हैं।" मैं बाद में इस 'ईमानदार सरकार' की चर्चा करूंगा। उन्होंने इसकी अपने भाषण में चर्चा की है।

हमारे द्वारा उठायी गई वास्तविक आशंकाओं पर इनके निराकरण संबंधी किसी प्रकार का कोई ठोस रवैया अख्तियार नहीं किया गया। मुझे पूरा भरोसा है कि प्रधानमंत्री – जब उत्तर देंगे तब वे इस सरकार की विश्वासप्रवणता और विश्वसनीयता एवं भविष्य में सत्ताच्युत होने, जो कि होना ही है, और उसके पहले जिस प्रकार उन्होंने आचरण किया है इन सब बातों पर हमारे द्वारा व्यक्त की गई सभी आशंकाओं का उत्तर देंगे।

महोदय, प्रधान मंत्री ने अपने भाषण में इस बात का उल्लेख किया है कि कांग्रेस ने अपनी तालिका में मात्र एक सीट बढ़ायी है उन्होंने यह भी कहा कि जनादेश भाजपा और इसके सहयोगी दलों के पक्ष में है। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा ने चुनावों के पूर्व ही अपने सहयोगी दलों से तालमेल किया था। ये तीन बातें हैं जो कि प्रधानमंत्री ने अपनी मंत्रिपरिषद में विश्वास का मत प्राप्त करते समय अपने भाषण में कही थी।

महोदय, मैं जनादेश के प्रश्न पर साफ-साफ यह कहना चाहता हूं कि पिछली लोक सभा में भाजपा के 161 या 164 स्थान थे। वर्तमान लोकसभा में भाजपा के कितने सदस्य हैं? यह 179 है। उनके पास मात्र 15 स्थान ही पिछली लोक सभा से ज्यादा है। तब भी, मात्र 15 स्थानों की बढ़ोत्तरी के साथ क्या प्रधानमंत्री को यह कहना चाहिए था कि जनादेश भाजपा के पक्ष में है?

श्री वैको (शिवकाशी) : कांग्रेस ने अपनी तालिका में केवल एक स्थान की बढ़ोत्तरी की है।

श्री पी॰ शिव शंकर : कांग्रेस की बात छोड़िए। एक सीट की बढ़ोत्तरी या कोई भी बढ़ोत्तरी नहीं, यह बात महत्वहीन है। भाजपा के नेतृत्व में सरकार अपनी तालिका में 15 स्थानों को बढ़ाकर विश्वासमत प्राप्त कर रही है।

श्री वैको : 1991 में कांग्रेस ने क्या किया था?

श्री पी॰ शिव शंकर : उस बारे में भूल जाइए। मेरे प्रिय मित्र हम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं कि हम खोटे सिक्के हैं और इसी कारण हम विपक्ष में बैठे हुए हैं। मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। मुझे विश्वासमत नहीं प्राप्त करना है। आपकी सरकार विश्वासमत प्राप्त कर रही है।

महोदय, राष्ट्रीय एजेण्डे पर हस्ताक्षर करने वाले 13 दलों का कोई एक संयुक्त घोषणापत्र नहीं रहा है। इनमें से प्रत्येक दल का अपना अलग घोषणापत्र था। इनमें से प्रत्येक का विभिन्न मुद्दों पर परस्पर विरोधी मत थे। मै। उन पर सरसरी तौर से विचार करूंगा। जब वे एक-दूसरे के विरूद्ध चुनाव लड़ते हैं और ऐसे खंडित और परस्पर-विरोधी घोषणा पत्रों पर यहां आते हैं तो वह यह कैसे कह सकते हैं कि उन्हें देश पर शासन करने का जनादेश मिला है?

अब, यह सब क्या हुआ है? लगभग 55 प्रतिशत, जैसाकि विपक्ष के नेता ने उचित कहा, लोगों ने भाजपा और इसके सहयोगी दलों के विरूद्ध मत दिया है।

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूड़ी ए॰वी॰एस॰एम॰ (गढ़वाल) : आपके साथ क्या हुआ है?

श्री पी॰ शिव शंकर : आपकी सरकार विश्वासमत प्राप्त कर रही है। हम विश्वासमत प्राप्त नहीं कर रहे हैं...(*व्यवधान*) भाजपा को कुल मतों का मात्र 25 प्रतिशत मिला है और अपने सहयोगियों के साथ इसे कुल मतों का 37 प्रतिशत भाग मिला है। इसके बावजूद भी वे दावा करते हैं कि उन्हें देश पर शासन करने का जनादेश मिला है। चुनावों से पहले क्या हुआ था।

मैं मानता हूं कि सत्ता पक्ष के सदस्य ईमानदारी से यह स्वीकार करेंगे कि यह केवल सीटों के तालमेल का मामला था। उन्होंने पूरे देश में सीटों के लिए तालमेल किया था।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक) : आप भी कर लेते।

[अनुवाद]

श्री पी॰ शिव शंकर : मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हमने कोई सीटों का तालमेल नहीं किया है। परन्तु इस समय आप विश्वास मत प्राप्त कर रहे हैं...(*व्यवधान*) इसीलिए तो मैं आपसे रहा हूं इस सरकार ने क्या किया है। वे चाहते थे कि किसी भी तरह मतदाता या तो भाजपा को मत दे या उन्हें जिसके साथ भाजपा ने सीटों का तालमेल कर रखा है जिससे भाजपा को सभा में बहुमत प्राप्त हो सके। परन्तु राष्ट्र ने आपके पक्ष में जनादेश नहीं दिया है। इस तरह भी, राष्ट्र ने केवल, यदि ऐसा माना जाय तब भी, लगभग 240 सीटों पर ही आपको बहुमत दिया है। इसलिए यह तालमेल केवल मत बटोरने मात्र के लिए है। इसके अतिरिक्त, और कोई आधार नहीं है। यह भी उन क्षेत्रों में बढ़त हासिल करने के लिए किया गया जहां पर ये पराजित हो चुके थे। जो कुछ घटित हुआ वह यह है कि जिनके साथ इन्होंने सीटों का तालमेल कर रखा था और चुनावों के बाद किसी तरह जो उनकी सरकार में शामिल होना चाहते थे—कुछ क्षेत्रीय पार्टियां और कुछ व्यक्ति भी—उनको उन्होंने मंत्री-पदों का प्रलोभन दिया और इस प्रकार उन्होंने थोड़ा-बहुत समर्थन जुटाया। यदि ऐसी स्थिति है तो मैं पहला प्रश्न यह पूछना चाहता हूं क्या प्रधानमंत्री ईमानदारी से यह कह सकते हैं कि जनादेश उनके पक्ष में है? क्या भारत के लोग चाहते थे कि वे सत्ता में आएं? हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि यह एक खण्डित जनादेश है।

जब हम भाजपा के घोषणापत्र को देखते हैं जिसके आधार पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। उन्होंने कहा कि :

> "कांग्रेस और संयुक्त मोर्चा सरकार के विघटनकारी ताकतों का सामना करने में असफल रहने के अलावा दृढ़ निश्चय करने एवं कड़े विकल्पों का चयन करने में अदाय रहने से भारतीय राज्य की शासन-सत्ता निर्बल हुई है।"

दुर्भाग्यवश, प्रधान मंत्री के भाषण में केवल स्थितियों का सामान्यीकरण किया गया है। वे सभी को खुश करना चाह रहे थे। उन्होंने देवदूत के समान अपनी बात कहने का प्रयास किया। मैं आगे और कुछ नहीं कहना चाहता हूं। परन्तु सत्य यही है कि उनकी कथनी और करनी में बहुत अन्तर है। यह सामान्यीकरण और दृढ़ निश्चयों को करने की अक्षमता ने भारतीय राज्य सत्ता को कमजोर ही किया है।

संवैधानिक सुधारों के मामले में वे कहते हैं कि भाजपा संविधान के अनुच्छेद 370 को हटायेगी। मैं इस समय इस सबंध में सरकार की मंशा जानना चाहता हूं। एजेण्डे में भी उन्होंने इस बारे में अपने दृष्टिकोण का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया है। वे क्या कहना चाहते हैं? क्या वे संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाना चाहते हैं? ऐसी बात, यदि है तो उन्हें स्पष्टतः स्वीकार करना चाहिए। राष्ट्रीय एजेण्डे में इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। उनका क्या मानना है?

अभी मेरे सहयोगी ने मुझे एक पेपर की फोटोस्टेट प्रतिलिपि सौंपी हैं जिसमें एक विभाग के उच्चाधिकारी विभाग के सचिव ने, निर्देश दिए हैं कि सरकार को भाजपा का चुनाव घोषणा पत्र लागू करना चाहिए। मुझे यह रिपोर्ट मिली है और मैं इसे सभापटल पर रखने के लिए तैयार हूं। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है; "मैं घोषणापत्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना चाहूंगा और 10 अप्रैल, 1998 तक टिप्पणियां और कार्रवाई किए जाने योग्य विषयों को प्रस्तुत करूंगा।"

वे वस्तुतः चाहते क्या हैं? मैं उनसे अपेक्षा रखूंगा कि वे यह कहने में पूरी स्पष्टता रखें क्या वे वास्तव में अनुच्छेद 370 को हटाना चाहते हैं। संवैधानिक सुधारों के बारे में, उन्होंने यहां तक कहा है कि वे संविधान की व्यापक समीक्षा के लिए एक आयोग की नियुक्ति करेंगे।

दूसरे पक्ष के हमारे मित्र जानते हैं मैं इस सभा में, राज्य सभा में और बाहर भी यह कहता रहा हूं हमने एक ऐसे संविधान की कल्पना

[श्री पी॰ शिव शंकर]

की और तैयार किया जोकि सर्वोत्तम हैं। यदि इसके बारे में कुछ कमी रही है तो वह यह है कि इसका उपयोग सही तरीके से नहीं किया गया। वस्तुतः संविधान में कभी भी कुछ भी कमी नहीं रही। मैंने यह इस सभा, दूसरी सभा और बाहर भी कहा है। वे संविधान की समीक्षा करना चाहते हैं। उनका इरादा क्या है?

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूड़ी ए॰वी॰एस॰एम॰ : आपकी सरकार ने कितनी बार की?...*(व्यवधान)*

श्री पी॰ शिव शंकर : वे उससे अधिक कुछ भी कहना नहीं चाहते हैं। वे केवल प्रशामक बनना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, वे केवल दृष्टान्त देते हैं। उन्हें हमें हमारे संविधान के उन अनुच्छेदों के बारे में बताना चाहिए जिनमें वे परिवर्तन करना चाहते हैं। सम्पूर्ण संविधान को क्यों बदला जाए? क्या उनका इरादा यही है। यदि उनका इरादा ऐसा है तो क्या इससे संविधान के मूल ढ़ांचे को ठेस नहीं पहुंचेगी? क्या वे इसे पूरी तरह अस्वीकार करना चाहते हैं? यदि वे कुछ पहलुओं को बदलना चाहते हैं तो मैं राज्यों को कुछ वित्तीय शक्तियां देने के मामले में संविधान में संशोधन किए जाने की आवश्यकता को स्वीकार करता है...*(व्यवधान)*

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूड़ी ए॰वी॰एस॰एम॰ : महोदय, वे शब्दों की गलत व्याख्या कर रहे हैं। समीक्षा का तात्पर्य आमूल-चूल परिवर्तन करना नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

श्री पी॰ शिव शंकर : मैं अपनी बात कहता हूं। मेरे विचार बहुत स्पष्ट रहे हैं कि अब तक संविधान में जितने भी संशोधन किए गए हैं उनमें से आधे से अधिक संशोधनों को टाला जा सकता था। किन्तु यह कहना कोई उत्तर नहीं है कि एक आयोग गठित किया जाना चाहिए, वे यह कह सकते थे कि संविधान के फलां-फलां पहलुओं में संशोधन किया जाना चाहिए जैसा कि हमने 1975 में कहा था, 1975 में जब हमने इस कार्य के लिए एक समिति गठित की थी तो उसका कार्य केवल कुछ बिन्दुओं पर विचार करना था।

उनके एजेंडा की दूसरी बात जो मुझे चिंतित करती है वह यह है। मैं इस राज्य का प्रतिनिधित्व करता हूं और इसीलिए मैं इस बात को उठा रहा हूं, यह करने का प्रयास करके कि वे कुछ छोटे राज्यों की स्थापना करना चाहते हैं उन्होंने विभिन्न राज्यों में छोटे राज्यों की मांग करने के लिए जनता को आन्दोलन का अवसर दिया है। हो सकता है वे मांगें वास्तविक हैं मैं उस बात में नहीं जाना चाहता हूं। ऐसी स्थिति में क्या वे एक और राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन करना चाहेंगे? क्या वे यही करने जा रहे हैं? उन्होंने अपने दस्तावेज में इसे स्पष्ट नहीं किया है, मैं जानता हूं कि संबंधित राज्य विधान सभाओं को अलग राज्य की स्थापना के लिए संकल्प पारित करने होंगें। किन्तु मुख्य बात यह है कि उन्होंने छोटे राज्यों के आन्दोलनों के लिए एक मौका दिया। उन्होंने देश के विभिन्न भागों में जनता को प्रोत्साहित किया है कि उन्हें छोटे राज्यों की स्थापना के लिए आन्दोलन करना चाहिए। क्या उनका इरादा यह है कि वर्तमान राज्यों का खंडित किया जाए? इस मामले को स्पष्टतः इस सभा के ध्यान में लाया जाना चाहिए कि इससे उनका सही तात्पर्य क्या है।

भारतीय जनता पार्टी के चुनाव घोषणापत्र में कहा गया है और कल माननीय प्रधानमंत्री ने भी कहा कि वे एक स्थिर सरकार और सुयोग्य नेतृत्व चाहते हैं। यदि प्रधान मंत्री सुयोग्य नेतृत्व के प्रश्न पर स्वयं अपने लिए हमारा मत चाहते हैं तो हो सकता है हम लोगों में से कई लोग उनके पक्ष में मत दें किन्तु सुयोग्य नेतृत्व मंत्री परिषद का है। यह यहां पर और भी अधिक महत्वपूर्ण है। केवल एक अकेले प्रधानमंत्री के प्रति विश्वास मत व्यक्त करने की बात नहीं है विश्वास मत मंत्री परिषद के लिए है। क्या कोई पार्टियों को तोड़कर बनाई गई ऐसी स्थिर सरकार चाहेगा?

मैं केवल उस बात को याद दिलाना चाहता हूं जो पिछली लोक सभा के बारे में भाजपा के कुछ जिम्मेदार नेताओं ने कही थी। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के चालीस सदस्य उनके साथ आने के लिए तैयार थे। मैं नहीं जानता कि सत्य क्या था किन्तु मैंने भी सुना है कि वे पार्टियों को तोड़ने के प्रयास में पहले ही लगे हुए हैं। क्या वे ऐसी नींव पर स्थिर सरकार बनाना चाहते हैं? क्या वे उस तरीके से स्थिर सरकार बनाना चाहते हैं जिस तरीके से यह सरकार बनाई गई, एक ऐसी सरकार जिसमें वे विभिन्न पार्टियों का समर्थन पहले सीटों के तालमेल से और बाद में मंत्री पद का प्रलोभन देकर प्राप्त किया गया। मैं केवल "मंत्री पद" कह रहा हूं, मैं कुछ और नहीं कह रहा हूं और उसके बाद उन सदस्यों को मनाने का प्रयास कर समर्थन जुटाया गया जिनका अतीत संदेहास्पद रहा है?

फिर वे कहते हैं कि वे उस प्रकार की स्थिर सरकार चाहते हैं। अपनी ओर से हम उसके लिए खेद व्यक्त करते हैं। मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि यहां उपस्थित हम लोगों में से कई लोग उनके अनुरोध पर निष्पक्षता से विचार करते किन्तु यह सरकार किस तरीके से बनाई गई और किस तरीके से वे हमारे मन में गहन आशंकाए पैदा कर रहे हैं इसीलिए हम यह प्रश्न उठा रहे हैं।

राष्ट्रीय एजेंडा की प्रस्तावना में पुनः स्थिर सरकार और सुयोग्य नेतृत्व की बात की गई है। इसीलिए मुझे इसका उल्लेख करना पड़ा है। राष्ट्रीय एजेंडा के पृष्ठ 4 पर भी इसका उल्लेख किया गया है। उस बात पर विस्तार में नहीं जाऊंगा किन्तु वे कहते हैं कि वे एक ईमानदार और कुशल सरकार की स्थापना करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी क्या सभी प्रकार के संदेहास्पद व्यक्तियों के साथ यह सम्भव है जिन्हें आपने मंत्री नियुक्त किया है? और उनकी कार्यकुशलता के बारे में क्या कहना है? कि उनमें से कुछ व्यक्ति इस पक्ष से गए हैं और उनमें शामिल हो गए हैं? जैसा कि मेरे मित्र कहने का प्रयास कर रहे हैं और प्रत्येक बार मैं उन्हें उत्तर देना चाहता हूं कि क्या वे अपने मंत्री पद के कार्यों के निष्पादन के बारे में केवल इस आधार पर डींग हांकेंगे कि वे इस पक्ष से वहां गए हैं और मंत्री बन गए हैं? इसलिए वे हमसे अपेक्षा करते हैं कि हमें मंत्री परिषद के पक्ष में मतदान करना

चाहिए। बड़े शर्म की बात है; और वे इसकी शेखी बघार रहे हैं। यदि इस पक्ष से कुछ लोग उनकी पार्टी में जाते हैं तो उन्हें उनको प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए था, वे यह कहने का प्रयास कर रहे हैं कि वे उनकी ओर से हैं और इस प्रकार शेखी बघार रहे हैं। क्या वे अपने ही मंत्रियों पर लांछन नहीं लगा रहे हैं? बड़े शर्म की बात है कि सत्ता पक्ष में बैठकर वे उस भाषा का प्रयोग करते हैं?

महोदय, भ्रष्टाचार के संबंध में...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री शिव शंकर जी अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री पी॰ शिव शंकर : मेरी पार्टी का कुछ समय बचा है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : जब युनाइटेड फ्रंट ने सरकार बनाई थी और चिदम्बरम साहब को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया तब तो आपने आबजेक्शन नहीं किया...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी॰ शिव शंकर : भ्रष्टाचार के मामलों के लिए लोकपाल की नियुक्ति करने के सिवाय कुछ भी नहीं कहा गया है, इस संबंध में वे क्या उपाय करना चाहते हैं?

महोदय, दुर्भाग्यवश भाजपा के घोषणापत्र में अनेक बार महात्मा गांधी के नाम का उल्लेख किया गया है और इस प्रकार उनकी विचारधारा और उनके द्वारा किए गए कार्यकलापों का सहारा लेने का प्रयास किया गया है। मैं प्रधान मंत्री से एक प्रश्न पूछता हूं उनके मूल संगठन, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख श्री राजेन्द्र सिंह ने मार्च 1998 में 'आउटलुक' को एक साक्षात्कार दिया। मेरे पास उसकी कतरन है। जब उनसे यह प्रश्न पूछा गया कि नाथू राम गोडसे, जिन्होंने गांधी जी की हत्या की, थी उनके बारे में आपकी राय क्या है। उन्होंने कहा गोडसे अखंड भारत के दर्शन से प्रेरित थे। उसका मंतव्य भी अच्छा था। आपको बोलना पड़ेगा...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही वृतान्त को देखूंगा। यदि कुछ आपत्तिजनक होगा तो मैं उसे कार्यवाही वृतान्त से निकाल दूंगा।

(व्यवधान)

श्री पी॰ शिव शंकर : व्यवधान डालने की नीति उनकी है न कि हमारी।

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपना भाषण समाप्त कीजिए। आपने पहले ही आधे घंटे का समय ले लिया है।

श्री पी॰ शिव शंकर : महोदय, हमने अपनी पार्टी का समय लिया है।

अध्यक्ष महोदय : आपकी पार्टी के तीन सदस्य पहले ही बोल चुके हैं; और तीन सदस्यों को अभी बोलना है। इसलिए कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री पी॰ शिव शंकर : मैं पांच मिनट के भीतर अपना भाषण समाप्त कर दूंगा।

उन्होंने कहा है कि वे आम सहमति के द्वारा शासन करना चाहते हैं। जिस तरीके से उन्होंने अध्यक्ष का निर्वाचन किया वह आम सहमति द्वारा शासन करने के संबंध में एक धब्बा है।

महोदय, मैं अन्य बातों की तरफ नहीं जाना चाहता हूं लेकिन मैं एक विशेष प्रश्न पूछना चाहूंगा। क्या हमारे कुछ भूतपूर्व मित्रों के उनके पक्ष में चले जाने के कारण वे चाहते हैं कि हम उनके विश्वासमत के प्रस्ताव के पक्ष में मत दें? क्या यह इसलिए है कि उनमें से कुछ को आपने मंत्री बना दिया है और कुछ जिनके खिलाफ दस्तावेज में आपराधिक मामले चल रहे हैं आप चाहते हैं कि हम उनमें विश्वास व्यक्त करें? क्या यह इसलिए है कि एक भलेमानस जिन्होंने अपने ससुर को पदच्युत कर दिया जो कभी आपके साथी थे, जिसके सदमें से उनकी मृत्यु हो गई, और जो आपको गुपचुप रूप से समर्थन दे रहे हैं, इसलिए आप चाहते हैं हम आपमें विश्वास व्यक्त करें? क्या इसलिए कि आपने छोटे राज्य बनवाने के लिए विभिन्न राज्यों में चल रहे आन्दोलनों को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा दिया है? अथवा इसलिए कि...*(व्यवधान)*

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूड़ी ए॰वी॰एस॰एम॰ : श्री मुत्तेमवार ही वह व्यक्ति हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण में बाधा डाली थी। आप कृपया उनसे पूछिए...*(व्यवधान)*

श्री पी॰ शिव शंकर (तेनाली) : क्या इसलिए कि आपके एजेन्डा में मथुरा, वाराणसी और अयोध्या हैं इसलिए हम आपके पक्ष में मत दें?

अध्यक्ष महोदय : कृपया, समाप्त करें। आपके दल के तीन और सदस्य हैं जो बोलना चाहते हैं अन्यथा उन्हें बोलने का अवसर नहीं मिल पाएगा।

श्री पी॰ शिव शंकर : हमारे पास 22 मार्च के **'आब्जर्वर'** में प्रकाशित श्री सिंघल का साक्षात्कार है। एक अन्य साक्षात्कार श्री विनय कटियार का है। हमारे पास बंगलौर में आर एस एस के महासचिव को प्रोत को दिया गया वक्तव्य भी है जो 23 मार्च, 1998 के **'आब्जर्वर'** में छपा था...*(व्यवधान)*

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खन्डूड़ी ए॰वी॰एस॰एम॰ : श्री शिव शंकर जी आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं यह उचित नहीं है...*(व्यवधान)*

श्री पी॰ शिव शंकर : क्या वे इस आधार पर हमसे विश्वास मत के प्रस्ताव पर समर्थन चाहते हैं? उत्तर प्रदेश का नाटक देखिए जहां इन सभी 103 सदस्यों को जिन्होंने उन्हें समर्थन दिया है और जिनके विरूद्ध आपराधिक मामले चल रहे हैं, मन्त्री बना दिया गया। क्या अब वे यह चाहते हैं कि हम इस विश्वास मत के प्रस्ताव में उनका समर्थन करें।

[श्री पी॰ शिव शंकर]

तत्पश्चात् इसी प्रकार महोदय, हिमाचल प्रदेश में भी इस सरकार ने अपने दावपेंच से एक निर्दलीय विधायक श्री रमेश चन्द चौधरी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए राजी कर लिया। उन्होंने उस व्यक्ति को मंत्री बना दिया। इस तरीके से क्या वे यह उम्मीद करते हैं कि हम उनके पक्ष में मतदान करें? प्रत्येक मंत्री अपनी-अपनी नीति की घोषणा कर रहा है।

किसी ने कहा है कि हम...(*व्यवधान*) मैं सब कुछ कह रहा हूं। श्री रमेश चन्द्र चौधरी को मन्त्री बना दिया गया। मैं उन पर आरोप लगा रहा हूं...(*व्यवधान*) प्रत्येक मंत्री अपना-अपना नीतिगत निर्णय ले रहा है। यहां तक कि गुजरात में, इन्होंने एक ऐसा मन्त्री बनाया है जिस पर मुकदमा चल रहा है।

मैं अधिक विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन समयाभाव के कारण मैं अधिक नहीं बोल सकता। इतना कहकर मैं आशा करता हूं कि सत्ता पक्ष यदि वह हमारा समर्थन चाहता है तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर देगा। उन्हें हमें यकीन दिलाना होगा कि वे ठीक है और उनमें विश्वसनीयता व्यक्त की जा सकती है। अन्यथा यह प्रश्न ही नहीं उठता कि यह सभा उनके विश्वास मत के प्रस्ताव के समर्थन में मतदान करे।

कल सन्दर्भ से हटकर एक उर्दू की पंक्तियां उद्धृत की गई थी लेकिन मैं उन्हीं पंक्तियों को उद्धृत कर सीधे प्रधानमंत्री जी को सम्बोधित करता हूं :—

[हिन्दी]

"खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले
खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री रामकृष्ण हेगड़े को बोलने के लिए बुलाता हूं।

(*व्यवधान*)

श्री खारबेल स्वाईन (बालासोर) : अध्यक्ष महोदय, श्री शिव शंकर ने वह मुद्दा उठाया है कि किसी ने भी उनकी बातों का खंडन नहीं किया है। लेकिन जब श्रीमती सुषमा स्वराज ने मुद्दों के आधार पर उनका खण्डन किया तो उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं था। छः बजे के बाद उनके पक्ष से कोई भी उपस्थित नहीं था...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(*व्यवधान*)

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : अध्यक्ष महोदय, मैं कोई भाषण नहीं देना चाहता हूं लेकिन मैं अपने मित्र श्री शिवशंकर द्वारा उठाए गए कुछ प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा। मुझे प्रसन्नता है कि वह इस सभा में वापस आ गए हैं।

मैं कल यहां नहीं था और इसलिए मैं कई भाषणों को सुनने से वंचित रह गया जिनमें कई बहुत अच्छे भाषण थे।

महोदय, मेरा पहला प्रश्न यह है कि क्या विश्वास प्राप्त करने के लिए बहस कराना नितान्त आवश्यक है। यह केवल इस बात का परीक्षण नहीं है कि इस सरकार के पास सदन में बहुमत का समर्थन है अथवा नहीं। यदि यही बात होती तो अध्यक्ष पद के चुनाव से यह पूरी तरह साबित हो जाता। लेकिन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा लगाई गई शर्तों को पूरा करना आवश्यक था कि यह सरकार इस सदन में अपना बहुमत साबित करे। हालांकि यह अनिवार्य था फिर भी मेरा अनुरोध है कि बिना किसी चर्चा के भी मतदान कराया जा सकता था।

लोकतन्त्र में चर्चा आवश्यक है वास्तव में लोकतान्त्रिक सरकार ऐसी सरकार होती है जो चर्चा ही जिसका आधार होता है। लेकिन हम इस पर दो दिन लगा रहे हैं? किस पर? मैं समझ सकता हूं यदि विषय इस सरकार के कार्यनिष्पादन का होता, यह सरकार क्या कर पाई है अथवा किस मोर्चे पर असफल रही है, इस बात का आलोचनात्मक परीक्षण होता। लेकिन इस सरकार के सत्ता में आये मुश्किल से दस दिन हुए हैं इसलिए अप्रासंगिक मुद्दों पर चर्चा हो रही है कि आपने दस या बीस वर्ष पहले क्या किया था और उसी प्रकार इस तरफ से भी कई सदस्य विपक्षी के नेता सहित विपक्षी सदस्यों से पूछ सकते हैं कि पिछले 50 वर्षों में उन्होंने क्या किया।

इसलिये मैं समझता हूं कि यह प्रयास निरर्थक है लेकिन मैं चर्चाओं के महत्व को कम नहीं कर रहा हूं। जैसाकि मैंने कहा कल कई सदस्यों ने अच्छे भाषण दिये थे। लेकिन श्री शिव शंकर जी की कही बात के बारे में मैं कुछ कहूं इसे पहले, मैं एक कदम पीछे हटकर पूछना चाहूंगा कि क्या वर्तमान चुनाव वास्तव में आवश्यक थे? क्या हम बार-बार चुनाव का बोझ वहन कर सकते हैं?...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : कृपया जारी रखें।

(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : कृपया सभा में व्यवस्था बनाये रखे।

श्री रामकृष्ण हेगड़े : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था क्या 1998 के चुनाव अनिवार्य थे। आप तो जानते हैं कि ढाई वर्ष पहले ही चुनाव हुए थे और अब लोगों पर यह चुनाव किसने थोपे? क्या कांग्रेस पार्टी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? मैंने इससे पहले कई बार कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष से भेंट की थी। मैंने उन्हें कहा था कि बारम्बार के चुनाव ठीक नहीं होते हैं। यह न केवल सर्वोदये मंहगे होते हैं बल्कि इससे भ्रष्टाचार भी बढ़ता है। मैंने उन्हें सुझाव भी दिया था कि उन्हें अपनी नीतियां अत्यन्त स्पष्ट बनानी चाहिए और यदि संभव हो तो उन्हें सरकार में शामिल होना चाहिए। श्री देवगौड़ा की सरकार क्यों गिराई गई? क्या इसके लिए कोई उचित कारण था और इसके बाद छः महीनों के भीतर श्री गुजराल सरकार को क्यों गिराया गया? मैं तो

कहूंगा कि जैन आयोग की रिपोर्ट में उल्लिखित वाक्यांशों को आधार बनाना एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण मुद्दा था। यदि मेरे कांग्रेस दल ने सदस्यों के विस्तार से जैन आयोग की रिपोर्ट पढ़ी होती तो वह शायद यह प्रश्न ही नहीं उठाते।

मेरे विचार में बाहर से समर्थन देना न केवल अलोकतांत्रिक है बल्कि अनैतिक भी है। यह कार्य तब शुरू हुआ जब श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कांग्रेस पार्टी में अपना बहुमत खो दिया जिसके परिणामस्वरूप लोकसभा में भी अल्पमत में आ गई। तभी तो वामदलों ने उन्हें बाहर से समर्थन दिया उसी दिन से आज तक यह प्रथा हमारी राजनीति में चली आ रही है।

जो सरकार को समर्थन देते हैं उनकी सरकार में भागीदारी होनी चाहिए अथवा उन्हें समर्थन नहीं देना चाहिए। दूसरी भ्रमपूर्ण स्थिति मुद्दा आधारित समर्थन के सम्बन्ध में है। मैं आशा करता हूं कि मेरे मित्र, जिन्होंने यह कहा कि वे मुद्दों के आधार पर समर्थन देंगे। अपना नजरिया बदल देंगे।

अब मैं माननीय सदस्य द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों को वापस आता हूं...*(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य : तृणमूल कांग्रेस के बारे में क्या स्थिति है?

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : मुद्दों पर आधारित समर्थन एक बहुत मजबूत समर्थन है।...*(व्यवधान)*

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : यह अनैतिक है। यह असंगत है।

कुमारी ममता बनर्जी : यह अनैतिक है, तथा आपके लिए असंगत है। हमें अपनी सलाह मत दीजिए।...*(व्यवधान)*

श्री अनिल बसु : श्री रामकृष्ण हेगड़े का नाम कार्यवाई वृत्तांत में शामिल किया गया है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामकृष्ण हेगड़े : इसके बारे में यहां डिसकशन की जरूरत नहीं है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री ई॰ अहमद (मंजेरी) : माननीय मंत्री जी अपना पहला भाषण दे रहे हैं। कृपया माननीय सदस्यों को निर्देश दें कि वे व्यवधान न डालें।...*(व्यवधान)*

श्री रामकृष्ण हेगड़े : श्री पी॰ शिव शंकर द्वारा उठाया गया पहला प्रश्न इस सरकार की विश्वसनीयता के बारे में है।...*(व्यवधान)* मैं यह तथ्य सामने रखना चाहूंगा कि भाजपा नेतृत्व वाला गठबंधन चुनाव से पूर्व का है और इसलिए यह सरकार विश्वसनीय है।

1966 में क्या हुआ था? 1996 में भाजपा एकमात्र बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई थी।...*(व्यवधान)*

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : यह 1996 की बात है।

श्री रामकृष्ण हेगड़े : मैं क्षमा चाहता हूं। यह 1996 की बात है। यह केवल 30 वर्ष पुरानी बात है। 1996 में भाजपा एकमात्र अकेली सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर सामने आई थी और संविधान की भावना के अनुरूप तथा परम्परा के अनुसार राष्ट्रपति ने सरकार बनाने के लिए इसके नेता को आमंत्रित करने के लिए बाध्य थे।

मैं उस समय को याद करना चाहता हूं कि उस समय क्या हुआ था। मैं जनता दल में था और जो काम मैंने किया था संभवतः उसी के कारण मुझे दल से निकाल दिया गया था। मैंने उस समय कहा था कि "कोई भी राष्ट्रपति के प्राधिकार को चुनौती नहीं दे सकता; कोई भी उस समय राष्ट्रपति के प्राधिकार को चुनौती नहीं दे सकता जब वह संविधान की भावना और परम्परा के अनुकूल कार्य कर रहे हों। परन्तु मेरे साथियों और कुछ अन्य दलों ने रातोंरात तथाकथित गठबंधन बना लिया। उस समय मुझे लगा, यहां तक कि चुनाव हुए भी नहीं थे, मैंने कहा था, अगर आपके अनुसार कुछ दल साम्प्रदायिक हैं, तो हमें लोगों के समक्ष जाकर यह बताना चाहिए कि हमने यह धर्मनिरपेक्ष मोर्चा बनाया है।" ये बातें अब अपना अर्थ खो चुकी है या कोई भी अन्य मोर्चा ऐसा नहीं है तथा हम लोगों से यह नहीं कह सकते कि वे इस पार्टी को वोट न दें। हमने ऐसा नहीं किया था तथा सभी दल एक दूसरे के विरूद्ध लड़े, एक दूसरे को अपमानित किया तथा वे लगभग एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। अगले दिन वे एक साथ आए थे किसलिए? इसका उद्देश्य केवल एक विशेष पार्टी, जो एकमात्र अकेली सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई है, को सत्ता से बाहर रखना था। यह प्रजातंत्र नहीं है।

आज भी श्री पी॰ शिव शंकर ने जनादेश का प्रश्न उठाया है। मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि स्वतंत्रता के बाद कोई भी सत्ताधारी दल, इस देश को चलाने के लिए पर्याप्त या पूरा जनादेश नहीं पा सका।...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : 1984 को छोड़कर।

श्री रामकृष्ण हेगड़े : नहीं, स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के समय भी यह केवल 49.6 प्रतिशत था। सत्ताधारी दल को 50 प्रतिशत से अधिक जनादेश नहीं मिला। हम जनादेश की क्या बात करते हैं। इसलिए, हमें लोगों के विचार का ध्यान रखना चाहिए जो वे व्यक्त करते हैं। मेरे विचार में अनेक दलों ने मिलकर चुनाव लड़ा है। जी हां, श्री शिव शंकर का एक प्रश्न है कि उस समय हमारा घोषणापत्र कहां था। उस समय पर्याप्त समय नहीं था। मैं सहमत था और मैंने सुझाव दिया था कि हम लोगों के समक्ष जाकर एक सर्वसम्मत कार्यसूची, एक साझा कार्यक्रम, एक राष्ट्रीय कार्यसूची लेकर जाएं। परन्तु यह इस समय संभव नहीं था।...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : क्यों?

श्री रामकृष्ण हेगड़े : क्योंकि पर्याप्त समय नहीं था।... *(व्यवधान)*

[श्री रामकृष्ण हेगड़े]

मुझे दुख है। यह रातोंरात गठबंधन बनने से तो अच्छा है। मैं पूरी तरह सहमत हूं कि एक साझा कार्यक्रम होना चाहिए था परन्तु यह कोई दूसरी सबसे अच्छी बात होती। परन्तु हम यही बात अगली बार क्यों दुहराते हैं? मैं किसी तरह खुश हूं। कि स्वतंत्रता के पचास वर्ष बाद भारतीय राजनीति का धीरे-धीरे ध्रुवीकरण हो रहा है। आज दो समूह है : एक भाजपा के नेतृत्व वाला दूसरा कांग्रेस के नेतृत्व वाला। मैं अपने कांग्रेस के साथियों को यह याद करवाना चाहूंगा कि मैं यह कहने वाला पहला व्यक्ति होऊंगा—यह लगभग दो वर्ष पहले की बात है और मैंने तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष श्री नरसिम्हा राव और श्री केसरी जी को सम्बोधित किया था—कि कांग्रेस का विभाजन नहीं होना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कहूंगा? मैं कांग्रेस का व्यक्ति नहीं हूं। ऐसा मैंने देश के हित में कहा था। कांग्रेस आजादी से पहले तथा आजादी के दो दशक बाद इस देश को एकत्र करने, राष्ट्रीय अखण्डता को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेवार थी इसलिए अगर यह बड़ी पार्टी—उस समय यह एक बड़ी और संगठित राजनैतिक पार्टी थी—विभाजित हो जाती है तो यह कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। मेरे प्यारे साथियों, यह विभाजित होने वाली थी...(*व्यवधान*)

वे महात्मा गांधी, मूल गांधी इस देश में एक ही गांधी पैदा हुए हैं। उन्हें भुला दिया गया है। उन्हें केवल ऐसे मौकों पर ही याद किया जाता है। परन्तु आज ऐसे दूसरे गांधी भी हैं जिनमें से ने आपका संगठन बचाया था। अन्यथा आप विभाजित हो जाते। परन्तु श्री केसरी जी का क्या हुआ? क्या आपको पार्टी के अध्यक्ष से ऐसा बर्ताव करना चाहिए। संभवतः आज वे इस देश में सबसे वृद्ध जीवित कांग्रेसी हैं। राजनीति में दया नाम की चीज नहीं बची। राजनीति में भद्रता नहीं बची। इस बारे में जरा सोचिए।

इसलिए, जनादेश के संबंध में मैं कहता हूं कि इस स्थिति में इस गठबंधन को यथासंभव जनादेश मिला है। इस पर प्रश्न नहीं किया जा सकता। आप कहते हैं कि आप वोट नहीं देंगे और आप विश्वास व्यक्त नहीं करेंगे। परन्तु माननीय शिव शंकर को यह जानना चाहिए कि इस देश के लोगों ने इस गठबंधन में विश्वास व्यक्त कर दिया है और इसलिए आज व्यक्त किया जाने वाला विश्वास उठाना संगत नहीं है जितना दो महीने पहले लोगों ने व्यक्त किया था। और उन्होंने केवल एक ही मामला उठाया है कि सचिव ने कोई परिपत्र जारी किया था। मैं नहीं जानता। मैंने इसे देखा भी नहीं है। फिर सब कुछ ठीक है। मैं इस स्थान से यह कहता हूं कि यदि कोई सचिव या सरकार का कोई अधिकारी किसी एक दल का घोषणा पत्र लाकर कहता है कि यह सरकार की नीति है, तो वह गलत कहता है। उसने अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन किया है। उसका कोई समर्थन नहीं करेगा। केवल एक ही कार्यसूची है और वह राष्ट्रीय कार्यसूची है तथा उसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है तथा उस कार्यसूची में शामिल प्रत्येक मद, प्रत्येक कार्यक्रम सरकार की कार्यसूची है और सचिव और अन्य अधिकारियों का यह कर्त्तव्य है कि इसे लागू करे।

श्री शरद पवार (बारामती) : मेरी इच्छा है कि प्रधानमंत्री यह कहें कि आप नहीं...(*व्यवधान*)

श्री रामकृष्ण हेगड़े : हम सामूहिक जिम्मेवारी के आधार पर काम करते हैं।...(*व्यवधान*)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मुझे यह स्पष्ट करना है कि यह सरकार उन दलों के गठबंधन से बनी है, जिन्होंने शासन के लिए राष्ट्रीय कार्यसूची स्वीकार की है। भाजपा का घोषणापत्र इस सरकार पर लागू नहीं होता तथापि घोषणापत्र का कुछ भाग शासन की कार्यसूची में शामिल किया गया है।

भाजपा अध्यक्ष के रूप में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह वह घोषणा पत्र नहीं है जिसके आधार पर सरकार चलती है। सरकार की कार्यसूची को राष्ट्रीय कार्यसूची घोषित किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : जरा रूकिए। श्री राजेश पायलट जी बोलना चाहते हैं।

श्री राजेश पायलट (दौसा) : अगर आप केवल थोड़ी देर के लिए अनुमति देने पर सहमत हों, तो मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं। हम सरकार में रहे हैं। सचिव स्तर का कोई भी अधिकारी मंत्री के अनुदेशों के बिना इस तरह के निर्देश जारी नहीं कर सकता। अगर मंत्री ने ये अनुदेश दिए हैं, तो क्या आप सदन को बताएंगे कि आप उस विशेष मंत्री पर क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं? क्या आप हमें आश्वासन देंगे?...(*व्यवधान*)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : हम इस पर विचार करेंगे।

श्री रामकृष्ण हेगड़े : जी हां।...(*व्यवधान*) महोदय, माननीय गृह मंत्री ने यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी थी।...(*व्यवधान*)

माननीय सदस्य श्री शिव शंकर द्वारा एक मद्दा उठाया गया था। वे एक बहुत अच्छे और बहुत सक्षम वकील रहे हैं। वे न्यायाधीश और संसद सदस्य भी रहे हैं। अतः उनमें इस चर्चा में प्रभावशाली ढंग से भाग लेने की सभी योग्यताएं हैं। जी हां, संविधान की पुनरीक्षा के बारे में हमने राष्ट्रीय कार्यक्रम में ऐसा कहा था। क्या मैं एक बात पूछूं? आप विधि मंत्री हैं। इस संविधान में कितनी बार संशोधन हुआ है और महोदय यदि मैं ऐसा कहूं तो क्या आप मुझे माफ करेंगें—इसे बिगाड़ दिया गया है?...(*व्यवधान*)

श्री पी॰ शिव शंकर : मैंने स्वयं ऐसा कहा है...(*व्यवधान*)

श्री रामकृष्ण हेगड़े : कृपया इन सब मुद्दों पर चर्चा करें। ...(*व्यवधान*) संविधान एक पवित्र दस्तावेज है। इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन यह पूज्य नहीं है। यह गीता नहीं है। यह बाईबल नहीं है। हम इसे उतना ही उच्च सम्मान देते हैं, जितना कि बाईबल, गीता अथवा कुरान को देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। इस देश के लोग इसे बदल सकते हैं यदि वे ऐसा सोचें कि संविधान के कार्यकरण के पिछले पचास वर्षों में उसका कार्य उनके हिसाब से संतोषजनक नहीं रहा है। भ्रष्टाचार के बारे में आप क्या कहेंगे? खरीद फरोख्त के बारे में आप

क्या कहेंगे? आज इस देश की कार्यपालिका और लोगों के बीच कोई प्रत्यक्ष संबंध हैं? मुख्य मंत्री बदल गए हैं, लोगों को पता चले बिना प्रधानमंत्री बदल जाते हैं। जनता का जनादेश कहां है? एक ही झटके में हम जनादेश को अस्वीकार कर देते हैं। हम इसे रद्द कर देते हैं। हम इसकी उपेक्षा करते हैं और हम इसे बिगाड़ देते हैं। अतः ऐसा कहना अपराध नहीं है...*(व्यवधान)*

श्री आर॰एस॰ गवई (अमरावती) : महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने अपना भाषण देते हुए संविधान के संबंध में एक अपमानजनक बात कही है कि यह पवित्र नहीं है। संविधान बाईबल अथवा कुरान की तरह पवित्र दस्तावेज है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय मंत्री महोदय आपकी बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं।

श्री रामकृष्ण हेगड़े : महोदय, यह कहना अपराध नहीं है कि संविधान में संशोधन किया जाएगा। हमने यह नहीं कहा है कि संविधान को बदला जा रहा है। मेरे विचार में यह एक अच्छा समय है कि इस देश के प्रमुख लोग एक साथ बैठें और बातचीत करें कि संविधान में किस तरह के संशोधन, और किस तरह के परिवर्तन किए जाने चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री गवई जी, वे आपकी बात नहीं सुन रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

मध्याह्न 12.00 बजे

श्री ई॰ अहमद : महोदय, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यह प्रश्न काल नहीं है। अब कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा जा सकता है।

श्री ई॰ अहमद : महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने मेरी बात मान ली है। मैं श्री हेगड़े से यह पूछना चाहूंगा कि क्या उनका विचार संविधान के मूल ढांचे को बदलने का है? कृपया उन्हें स्पष्टीकरण दीजिए...*(व्यवधान)*

श्री आर॰एस॰ गवई : महोदय, कृपया श्री हेगड़े के उस वक्तव्य को सभा के कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित न किया जाए क्योंकि संविधान एक पवित्र दस्तावेज है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री गवई, मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री रामकृष्ण हेगड़े : मैं संविधान के मूल तत्वों के संबंध में निर्णय जानता हूं। उन्हें नहीं बदला जा सकता है। लेकिन क्या मैं एक बात कहूं? कृपया मुझे गलत न समझें। इस देश के लोग न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा इस संसद से ऊपर हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न काल नहीं है। कृपया बात समझिए।

श्री रामकृष्ण हेगड़े : यदि वे संविधान में कुछ परिवर्तन चाहते हैं, तो उन्हें करने दीजिए। इस संबंध में कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ...*(व्यवधान)* व्यक्तिगत राय भिन्न है। मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि देश में राष्ट्रपति प्रणाली लागू होनी चाहिए। मैं इस राय पर कायम हूं। लेकिन मैं यहां इस मुद्दे चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन इस पर पुनर्विचार करना बहुत आवश्यक है, संविधान पर आलोचनात्मक दृष्टि से विचार करना आवश्यक है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री हेगड़े जी, कृपया एक मिनट।

माननीय सदस्यो, समय नहीं है। कृपया स्थान ग्रहण करें। मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। श्री हेगड़े को बोलने दीजिए।

श्री रामकृष्ण हेगड़े : महोदय, स्थिरता के संबंध में श्री शिव शंकर और अनेक अन्य सदस्यों ने उल्लेख किया है। मैं विपक्ष के नेता अपने मित्र श्री शरद पवार की इस बात से सहमत हूं कि जब तक सामाजिक स्थिरता नहीं आएगी तब तक राजनीतिक स्थिरता नहीं आ सकती है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री रामकृष्ण हेगड़े के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री रामकृष्ण हेगड़े : लेकिन सामाजिक अस्थिरता किसने उत्पन्न की है?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैं बोल रहा हूं। यह ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। यह ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया पहले स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है। कृपया पहले अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं बोल रहा हूं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री रामकृष्ण हेगड़े, कृपया अपना वक्तव्य जारी रखे।

श्री रामकृष्ण हेगड़े : मैं अधिक समय नहीं लूंगा।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

श्री आर॰एस॰ गवई : महोदय, मेरा व्यवस्था संबंधी प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न किस नियम के अन्तर्गत है? कृपया पहले नियम बताइए।

श्री आर॰एस॰ गवई : माननीय अध्यक्ष महोदय,...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : किस नियम के अंतर्गत?

श्री आर॰एस॰ गवई : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप सदन के संरक्षक हैं। कृपया मुझे अपना मुद्दा उठाने की अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय : आप पहले नियम उद्धरित करें।

(व्यवधान)

श्री आर॰एस॰ गवई : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रिमंडल के माननीय सदस्य श्री रामकृष्ण हेगड़े ने अपने भाषण में एक टिप्पणी की है कि संविधान...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री टी॰आर॰ बालू जी, पहले कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री आर॰एस॰ गवई : माननीय अध्यक्ष महोदय,...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे अपना व्यवस्था का प्रश्न बतायें और पहले नियम उद्धरित करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया नियम बतायें। आप किस नियम के अंतर्गत अपना मुद्दा उठा रहे हैं?

श्री आर॰एस॰ गवई : श्री रामकृष्ण हेगड़े ने एक अपमानजनक बात कही है जिसमें कहा है कि हमारा संविधान कुरान, बाईबल की तरह पवित्र नहीं है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न किस नियम के अन्तर्गत है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया पहले अपनी सीट पर बैठिए।

श्री रामकृष्ण हेगड़े : महोदय, मैं अपने मित्र विपक्ष के नेता श्री शरद पवार जी द्वारा कल रखे गए विचार का समर्थन करता हूं। उन्होंने कहा था कि "सर्वप्रथम समाज में स्थायित्व होना चाहिए, केवल तभी राजनैतिक स्थिरता आ सकती है।" मैं उनके इस मत से सहमत हूं। लेकिन इस देश में राजनैतिक अस्थिरता, सामाजिक अस्थिरता कौन पैदा करता है? एक बात यह भी है कि राजनैतिक अस्थिरता इसलिए भी पैदा होती है क्योंकि हम स्वयं को राजनैतिक आचरण के कतिपय मानदण्डों के अनुरूप नहीं ढाल पाते। यदि एक बार किसी दल को शासन चलाने के लिए लिया जाता है तो उसे पूरे कार्यकाल तक शासन करने देना चाहिए। इस देश में ऐसा नहीं होता है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री रामकृष्ण हेगड़े के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। यह अच्छी बात नहीं है।

श्री रामकृष्ण हेगड़े : यदि कोई ऐसा है जो अपराधबोध महसूस कर रहा है तो उस ओर बैठे मेरे कांग्रेसी मित्र हैं।...*(व्यवधान)*

श्री आर॰एस॰ गवई : महोदय, आपने मेरे मुद्दे पर अपना विनिर्णय नहीं दिया है। इसलिए मैं सभा भवन से बाहर जा रहा हूं।

अपराह्न 12.04 बजे

श्री आर॰एस॰ गवई और कुछ अन्य सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए

---

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री रामकृष्ण हेगड़े : मैं इस बात का आश्वासन दे सकता हूं कि इस सरकार की अस्थिरता पर अंगुली नहीं उठाई जा सकती। यह सरकार मजबूत रहेगी और आगामी 5 वर्षों तक चलती रहेगी।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपको बिना सुझाव मांगे सुझाव देना चाहता हूं कि आप अपनी ताकत को पहचानिये। आप प्रतिपक्ष की तरफ ध्यान दीजिए। जिस दिन आपको अध्यक्ष बनाया जा रहा था, उस दिन माननीय वाजपेयी जी ने कहा कि आजादी के 50 साल के बाद एक दलित के बेटे को स्पीकर की कुर्सी पर बिठाया गया। मैं इस बात को मानता हूं। इसके पहले संगमा जी को, ट्राइबल के बेटे को इस सदन का अध्यक्ष बनाया गया था। देश की सर्वोच्च कुर्सी राष्ट्रपति की है। के॰आर॰ नारायणन साहब को पक्ष और प्रतिपक्ष सब लोगों ने राष्ट्रपति बनाया। उसमें आप लोग भी शामिल हैं, शिव सेना को छोड़कर। यह आपकी लाचारी थी, आपके सामने कोई उपाय नहीं था।...(*व्यवधान*) हमने क्या किया, क्या नहीं किया, वह तो बाद में देखा जायेगा।...(*व्यवधान*) बैठिये न भाई, बोलते-बोलते लोढा जी चले गये, अब आप यहां दूसरा लोढा जी मत बनिये।...(*व्यवधान*) बैठिये, बोलने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय, आपको इन्होंने कोई कृपा करके नहीं बनाया है, आपके वोट से इन्होंने अपना काम बनाया है। इसलिए ठीक है, हम लोगों ने आपको मान लिया। अब आप सजग रहिये, वहां पर दृढ़ रहिये और यहां पर ध्यान दीजिए।

श्री रामेश्वर पाटीदार (खरगोन) : आप गरिमा का ध्यान रखिये।

श्री लालू प्रसाद : आप हमें गरिमा का पाठ मत पढ़ाइये, मुझे मालूम है, गरिमा क्या होती है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने... (*व्यवधान*) अभी नहीं बोलने देंगे तो मैं वहां बैठूंगा और एक मिनट नहीं बोलने दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : इस तरह नहीं करें।

श्री लालू प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, जो विश्वास मत पेश किया गया है, भारतीय जनता पार्टी और उनके पीछे जो छोटी-छोटी पार्टियां हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी एजेंसी का काम कर रही है और उसमें कई कमीशन वेंडर हैं। मैं किन्हीं का अनादर नहीं करता, मैं सबका सम्मान करता हूं। ममता जी, जयललिता जी का और समता पार्टी के नेता, महान समाजवादी नेता जार्ज साहब का, जो यहां बैठे हुए नहीं हैं, जो कल सब पार्टियों का मैनीफेस्टो पढ़ रहे थे। इतना बैस्ट पोलिटिकल ब्लैकस्मिथ बेस दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, जार्ज साहब, जैसा, लोहे पर कैसे कब हथौड़ा, कब छैनी चलाना है, वे इस हुनर में बड़े जगजाहिर हैं।

श्री कृष्ण लाल शर्मा (बाहरी दिल्ली) : आप उनकी एबसेंस में मत कहिये।

श्री लालू प्रसाद : एबसेंस में क्यों, वे फिर बोलेंगे न। यह तो रिकार्ड की बात है। मैं उनको कोई गाली तो नहीं दे रहा हूं, मैं उनकी तारीफ कर रहा हूं, क्योंकि हम लोगों के भी वे नेता थे, हम लोग उनको बिहार से भेजते थे। अभी भी वे बिहार से आते हैं। ...(*व्यवधान*) छोड़ देता हूं।

महोदय, हम हेगड़े साहब का बहुत सम्मान करते हैं।

एक माननीय सदस्य : आपने ही उनको निकाल दिया था।

श्री लालू प्रसाद : जिन्होंने निकाल दिया था, वे देवेगौड़ा साहब पीछे बैठे हैं।...(*व्यवधान*) अध्यक्ष महोदय, आप समय देखते रहें कि मेरा कितना समय ये लोग खराब कर रहे हैं। मैं हेगड़े साहब का भाषण बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहा था। उन्होंने कहा कि सरकार को काम सम्भाले अभी जुम्मा-जुम्मा सात-आठ दिन ही हुए हैं इसलिए उसके कार्यों की पूरी तरह समीक्षा नहीं की जा सकती। ये समीक्षा करने में बड़े माहिर हैं। हाल ही के चुनावों के समय ये हमारे चाचा केसरी जी के पास गए। इन्होंने कहा कि हमें 17 सीटें दे दीजिए। उनको पटाने की कोशिश की, वे नहीं पटे, फिर ये समीक्षा करके बी॰जे॰पी॰ के पास चले गए। अब ये किसे पाठ पढ़ा रहे हैं?...(*व्यवधान*) मैं इनका बड़ा आदर करता हूं। हमारी भूल हो सकती है कि हमने इनको निकाल दिया। इसको मैं मानता हूं।...(*व्यवधान*) अध्यक्ष महोदय, आसन से ही इनको नियंत्रित करना पड़ेगा।

मैं जब जेल में बंद था...(*व्यवधान*) जरा सुनिए तो सही। इसी सदन में राजनीति में अपराधीकरण और भ्रष्टाचार की बहुत बातें हुई थीं। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका मैं अनादर नहीं करना चाहूंगा, सही हो कि उनके नाम के लिए कुंवारा भी डाल देना चाहिए। इन्होंने कहा था कि राजनीति में अपराधियों की पैठ हमारी पार्टी नहीं होने देगी। करीब दो साल पहले जब ये 13 दिन के लिए प्रधान मंत्री बने, उस समय इन्होंने कहा था कि प्रधान मंत्री की कुर्सी पर बने रहने के लिए और सरकार बनाने के लिए हमारी पार्टी कोई सौदा नहीं करेगी, खरीद-फरोख्त नहीं करेगी। इसी के साथ उन्होंने कहा था कि मैं अपना इस्तीफा देने के लिए राष्ट्रपति भवन जा रहा हूं। और उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उस समय देशवासियों के मन में उनके प्रति बड़े आदर का, त्याग का, तपस्या का और ईमानदारी का इम्प्रेशन बना था, मैं उसको कबूल करता हूं। लेकिन अभी क्या हुआ। जयललिता जी का मैं बहुत आदर करता हूं, अपनी बहन कहता हूं, चाहे लोग कुछ भी कहें। उनके पुत्र की शादी में मैं और केसरी जी गए थे। उनकी आलोचना उस समय भी हो रही थी। लेकिन जब वाजपेयी जी ने अपनी पार्टी और छोटी-छोटी एजेंसीज को साथ मिलाकर 240 सांसदों की लिस्ट राष्ट्रपति जी को दी, तो उस समय इनका चेहरा धूमिल, उदासी और परेशानी लिए हुए था। यह पूरे देश ने और दुनिया ने मीडिया के माध्यम से देखा था। इनके चेहरे पर कोई रौनक नहीं थी। एक साथी जो हमेशा इनके साथ रहते थे, अब चुनाव हार गए हैं, महाजन जी, वे मीडिया के सामने नहीं आ रहे थे, पीछे की तरफ सरक रहे थे। उस वक्त वाजपेयी जी ने कहा कि अब राष्ट्रपति महादेय तय करेंगे कि प्रधान मंत्री के लिए किसे बुलाएं। कौन सी वह स्थिति थी, कौन सी परिस्थिति उत्पन्न हुई, क्या डील हुई, ममता जी के साथ,

[श्री लालू प्रसाद]

जिससे इन्होंने कहा कि हमारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के लोग मंत्रिमंडल में नहीं हैं।

इनकी पार्टी चाहती है कि बंगाल का विकास होना चाहिए। जयललिता जी ने कहा कि हमने कोई मंत्री पद नहीं मांगा। जयललिता जी ने कहा कि हमारी पार्टी इसलिए समर्थन नहीं दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनका अपमान किया है, बेइज्जती की है। यह बात लालू यादव ही नहीं बोलता, इसे सारी दुनिया के लोगों ने देखा है। अपमानित करने और अफवाह फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी के जो बाप और मां, आर॰एस॰एस॰ है, उसका है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि यह आपत्तिजनक है तो मैं इसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि यह आपत्तिजनक है तो मैं इसे कार्यवाही वृतान्त से हटा दूंगा।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : यह कोई अपशब्द नहीं है। यह शब्द अपमानजनक नहीं है।...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : लालू यादव जी का बिहार के भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर होने के नाते हम लोग बहुत आदर करते हैं। लालू यादव जी बहुत सीनियर मैम्बर हैं। मैं उनके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहती।...*(व्यवधान)*

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : आर॰एस॰एस॰ के मेम्बर हों या बी॰जे॰पी॰ के मेम्बर हों...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वह नहीं मान रहे हैं। कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए।

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी : लालू प्रसाद यादव जी बिहार के बहुत दिन तक चीफ मिनिस्टर रहे, इसलिए हम लोग उनकी इज्जत करते हैं।...*(व्यवधान)* एक सैकेंड...*(व्यवधान)* बोलने क्यों नहीं देते?...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद : ममता जी को बोलने दो।...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी : हम उनको मुबारकबाद देना चाहते हैं कि वह संसद में चुनकर आए हैं।...*(व्यवधान)* डील जो हुआ है, उन्होंने जो बोला है, मुझे ऑब्जेक्शन डील वर्ड पर है।...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद : विकास के लिए बोला तो?...*(व्यवधान)* मैं वहीं आ रहा हूं।

कुमारी ममता बनर्जी : मुझे बोलने तो दें।...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद : महोदय, मैं वही आ रहा हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूड़ी ए॰वी॰एस॰एम॰ : महोदय, मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : किस नियम के तहत।

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूड़ी ए॰वी॰एस॰एम॰ : मेरा व्यवस्था का प्रश्न नियम 388 के अन्तर्गत आता है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

यह आप क्या बात कर रहे हैं? पार्लियामेंट में कैसी बात करते हैं?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही कह चुका हूं यदि इसमें कुछ आपत्तिजनक हुआ तो उसे कार्यवाही वृतान्त से निकलवा दूंगा।

[हिन्दी]

श्री अजीत जोगी (रायगढ़) : कहां से इन्हें यहां पकड़ लाए हो?...*(व्यवधान)*

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूड़ी ए॰वी॰एस॰एम॰ : भारत की जनता चुनकर सदन में भेजती है।...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद : इसमें कोई अपशब्द नहीं है।...*(व्यवधान)* महोदय, मैं कहता हूं कि ममता जी ने मेरी बात को, मेरी भावना को नहीं समझा। इन्होंने कहा कि हमारे बंगाल का विकास होना चाहिए। कलकत्ता का नाम है, बंगाल को आप छोड़िए।...*(व्यवधान)* हमारे सी॰पी॰एम॰ के साथी यहां बैठे हुए हैं। मैं इनकी आलोचना नहीं करना चाहता। ज्योति बाबू का बड़ा सम्मान है। ममता बैनर्जी जी ज्योति बाबू की बेटी के समान हैं। देश के सब लोग उनका आदर करते हैं। कल ममता जी ने कहा कि ये लोग ज्योति बाबू को प्रधान मंत्री बनाना चाहते थे। मैं ज्योति बसु जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, अगर ज्योति बाबू कबूल कर लिए होते और उनकी पार्टी ने कबूल कर लिया होता, तो हमारे पीछे बैठे हुए श्री देवेगौड़ा जी प्रधान मंत्री नहीं बनते।...*(व्यवधान)* उन्होंने इन्कार कर दिया, लेकिन हमारे सीपीएम के साथी मूल रास्ते से भटक गए। कलकत्ता में उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि गाय हटायेंगे, भैंस हटायेंगे, रिक्सा को हटाओ, ठेले को हटाओ। पश्चिम बंगाल में कलकत्ता की खूबसूरती है कि आम आदमी, जहां से आप और हम आते हैं, जिसको रोजगार नहीं मिला, चलो कलकत्ता, हावड़ा पुल देखिए और एक रुपए या दो रुपए में गरीब आदमी को खाना मिल जाता है तथा कोई खैनी बेचता है, पान बेचता है, ठेला

चलाता है। और कलकत्ता के लिए क्या चाहते हैं, क्या स्वरूप है—ममता बहन? क्या सीपीएम साथियों का सिंगापुर बनाना चाहते हैं?...(*व्यवधान*)

कुमारी ममता बनर्जी : आप लोगों का कितना मदद किया है, देखिए।...(*व्यवधान*)

श्री लालू प्रसाद : हमारा आदमी आपको बहुत दे दिया। ...(*व्यवधान*)

कुमारी ममता बनर्जी : चुनाव में आपका भी कैंडिडेट था, इसको आप पता कर लीजिए।...(*व्यवधान*)

श्री लालू प्रसाद : दे दिया, तो इधर आ जाने से सब ठीक हो जाएगा।...(*व्यवधान*) महोदय, मेरे हाथ में यह किताब है—इन इट्स ऑउन मिरर...(*व्यवधान*) मिरर का मतलब है—आइना। मैं इसमें से आपको पढ़ कर सुनाना चाहता हूं।...(*व्यवधान*) वाजपेयी जी धर्म निरपेक्षता की बात कहते हैं। वाजपेयी जी और आडवाणी जी को देश को समझना पड़ेगा, जैसे बापू जी ने देश को समझा। देश की खूबसूरती है हिन्दू-मुस्लिम-सिख-ईसाई। नार्थ-ईस्ट के साथियों को आप समर्थन ले रहे हैं और इस तरह के लोगों को वर्चस्व है तथा जम्मू-कश्मीर के फारूख अब्दुल्ला का पता नहीं कि उन्होंने क्या फैसला किया है या नहीं किया है, मैं नहीं जानता।...(*व्यवधान*)

कुछ माननीय सदस्य : हो गया।...(*व्यवधान*)

श्री लालू प्रसाद : कुछ हो गया होगा। इस देश में मुस्लिम लोग 20 करोड़ के करीब वास करते हैं।...(*व्यवधान*) ये इतने...* हैं, इन्होंने कहा कि हम भगवान रामचन्द्र का मंदिर वहीं बनायेंगे ...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि यह असंसदीय बात है तो मैं इसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकलवा दूंगा।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मंदिर का इन्होंने वायदा किया...(*व्यवधान*) देश के मतदाताओं, भाइयों और बहनों से मंदिर बनाने का इन्होंने वायदा...(*व्यवधान*)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी उमा भारती) : महोदय, नियम 380 के अधीन किसी के लिए भी अपशब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। माननीय सदस्य ने असंसदीय शब्द का प्रयोग किया है। आप कृपा कर इसको प्रोसीडिंग्स से निकाल दें। ...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही कह चुका हूं कि यदि यह असंसदीय बात है तो मैं इसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकलवा दूंगा।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, पुरूषोत्तम राम के साथ इन्होंने विश्वासघात किया है। ये 20वीं, 21वीं सदी में ले जाने की बात करते हैं और कहते हैं कि ईंट की पूजा करो, शिला पूजा करो। ये मथुरा, कृष्ण की बात करते हैं। आपको कृष्ण से क्या मतलब है? हमारे कृष्ण कैद नहीं हैं। वोटों के लिए, गद्दी के लिए, क्या कमाल है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह से देश के फंडामेंटलिस्ट फ्यूडल को, जिन लोगों ने इनको वोट दिया, जिसके लिए इनको मेंडेट मिला, जहां हिन्दुओं के सर्वश्रेष्ठ देवता शंकर, कैलाश और मानसरोवर में कैद हैं, हमारी हजारों एकड़ जमीन चीन ने दबा रखी है। भारतीय जनता पार्टी के वाजपेयी जी देश की अखंडता की दुहाई देते हैं, देश की संस्कृति और सरहदों की रक्षा की बात करते हैं। किस ने क्या-क्या किया, आपको फैसला लेना चाहिए था। महामहिम राष्ट्रपति जी के मुंह से जो आपने भाषण पढ़वाया, क्या उसमें आपने एक बात का भी उल्लेख किया? आप बिहारियों की बात करते हैं। जहां भी युद्ध होता है वहां हमारे बिहार रेजीमेंट के सिपाही पहली कतार में जाकर देश की सरहदों की रक्षा करते हैं, दुश्मनों के छक्के छुड़ाते हैं और शहीद होते हैं।

आज देश आपसे पूछना चाहता है, हिन्दुस्तान की जनता जानना चाहती है कि जहां शंकर कैद हैं क्या उनके लिए आपकी सारी ताकत लगेगी या मुसलमानों के ऊपर गिरेगी। आप देश को बोलते हैं कि भारतीय ही भारत की रक्षा करेगा-यह फैसला होना चाहिए। हमारे अरुणाचल पर संकट है, उसके लिए भी आपको सोचना चाहिए। जार्ज साहब यहां नहीं हैं।...(*व्यवधान*) हम आप समझ लेंगे, देख लेंगे, उसकी चिन्ता आप मत करिए। आप तबला बजाना छोड़ो, ढोल बजाना सीखो। मानसरोवर, जहां कैलाश पर्वत है, वहां लोग परमिट लेकर जाते हैं। आप लोग पुरुषोतम राम जी की ठेकेदारी ले लेते हैं, जैसे आप ही भगवान राम के ठेकेदार हैं। आपने कृष्ण जी को क्या कह दिया "माखन चोर।"...(*व्यवधान*) कृष्ण जी चिल्लाते रहे, मैया, आप मेरी बात तो सुनो, मैं नहीं माखन खायो।

मैया, मैं नहीं माखन खायो,...(*व्यवधान*) अध्यक्ष महोदय, कृष्ण चिल्लाते रहे कि मैया, मैं नहीं माखन खायो।...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अपने स्थान पर बैठिए।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : मैं डेढ़ साल तक गुहार करता रहा। ...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

एक माननीय सदस्य : अगर आप लोग बीच में टोकेंगे तो हम लोग भी बीच में बोलेंगे और हाउस को चलने नहीं देंगे।

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, इसी सदन में मैं डेढ़ साल तक गुहार करता रहा कि मेरी बातों को समझो और मेरे कागज को पढ़ो। इस देश में आज क्या हो गया है। जो एफ॰आई॰आर॰ करता है, जो मुकदमा करता है, जिनको घरों से एक पैसा नहीं मिलता। महोदय, यह सब रैकेट की बात है। अब मेरे खिलाफ कह दिया कि लालू प्रसाद ग्वाला कांड,...(*व्यवधान*) चारा कांड...(*व्यवधान*) जब हमसे मीडिया के लोगों ने हवाला के बारे में पूछा था कि उसमें आडवाणी जी और देश के बहुत उच्यकोटि के लोगों का नाम आ गया है, तो मैंने कहा था कि आरोप लगने से कोई दोषी नहीं हो जाता। अब इसकी कहां फरियाद हो, कहां चर्चा हो जो भारत की राजनीति में लैग-पुलिंग हो रही है, एक दूसरे को फंसाने का काम हो रहा है। महोदय, मैंने बयान दिया था कि न्यायपालिका एक सर्वोच्च संस्था है। न्यायपालिका से जो भी दोषी हो उसे सजा मिलनी चाहिए। यहां पर भी बहुत से भारतीय जनता पार्टी के आरोपी लोग, चार्ज-शीटिड लोग बैठे हुए हैं। मैं धन्यवाद देता हूं।...(*व्यवधान*) जिनके मामले न्यायालय में हैं।...(*व्यवधान*) अब न्यायालय फैसला करे। ...(*व्यवधान*) मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि सी॰बी॰आई॰ ने आडवाणी जी को छू दिया तो ये गृहमंत्री बन गये।...(*व्यवधान*) यशवंत बाबू को छू दिया तो वे वित्त मंत्री बन गये हैं।...(*व्यवधान*) हमारे खुराना जी तो कलपते रहे। कहने लगे कि गजब हो गया। मैंने कहा, क्या हो गया भैया। कहने लगे कि मात्र दो लाख में हमको फंसा दिया। अब कौन पैसा कहां लिया, कौन नहीं लिया, इसने खाया, उसने खाया, अब खा गया तो खा गया।...(*व्यवधान*) लेकिन आदरणीय प्रधान मंत्री जी, मैं जानता हूं। मैं आपके अनादर की बात नहीं करना चाहता हूं।

महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक था जिसका बड़ा भारी कंट्रीब्यूशन रहा है। ये इनकी सवारी करके उन्हें जुतवा रहे हैं, आप इनसे सावधान रहिए। सरकार चलेगी या नहीं चलेगी लेकिन पांच बजे के बाद पटकायेंगे...(*व्यवधान*) कैसे नहीं पटकाएंगे हम देख लेंगे। मैं और मुलायम सिंह यादव दोनों साथ हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री लालू प्रसाद जी, अपना भाषण समाप्त कीजिए। इधर-उधर की चर्चा मत कीजिए।

(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, हमारा समय बहुत खराब हो गया है...(*व्यवधान*) मैं कहां डैविएट कर रहा हूं? मैंने शुरू में ही कहा था कि इन लोगों की छाती पर राज करेंगे। हम इन्हें बोलने नहीं देंगे। प्रधान मंत्री जी, मुझे मालूम है कि होम डिपार्टमैंट और जो लोग आपके साथ हैं, वे प्रतीक्षा कर रहे हैं कि किसी तरह हमें कॉनफिडैंस वोट मिल जाए, शाम को सर्टिफिकेट मिल जाए।

महोदय, झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथी कितने दोषी हैं और कितने नहीं, मैं नहीं जानता? इस बारे में न्यायालय जानती है। इस देश के एक विद्वान आदमी श्री पी॰वी॰ नरसिंह राव हैं। मैं उन्हें कोई सर्टिफिकेट नहीं देना चाहता और न ही उनकी कोई आलोचना करना चाहता हूं। वह बेचारे झोला लेकर कचहरी के दरवाजे के चक्कर लगा रहे हैं। उनके ऊपर क्या आरोप है? उन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी सरकार बचाने के लिए रिश्वत दी, रिश्वत ली, और यह दिया, वह लिया। आज क्या हो रहा है? वाजपेयी जी ईश्वर के नाम पर सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप इन चीजों से बचिए। इससे गैसिंग हो रहा है। गैसिंग का मतलब गैसिंग होता है। इसका मतलब है माल लगाओ, माल पाओ, एम॰पी॰ लाओ, मंत्री पद ले जाओ। ...(*व्यवधान*) आप इन चीजों से बचिए। यहां कोई परमानैंट नहीं है ...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाइए। मैंने बोलने की अनुमति नहीं दी है।

(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : मेरा इसमें क्या कसूर है? मेरे समय का जो नुकसान हुआ है, उसे आप पूरा करें। अगर आप माननीय सदस्यों को कंट्रोल नहीं करेंगे तो यही हाल होता रहेगा और कोई बोल नहीं पाएगा। महोदय, मुझे बोलते हुए अभी पांच मिनट हुए हैं। मुझे और बोलने का समय दिया जाए।...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री लालू प्रसाद जी, कृपया इस पर गौर करें। आपकी पार्टी को 17 मिनट का समय आंवटित किया गया था और आपने 35 मिनट से अधिक समय ले लिया है। कृपया समाप्त कीजिए ताकि दूसरों को भी बोलने का समय मिले।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी कठिनाई को समझता हूं...(*व्यवधान*) बिहार, आन्ध्र प्रदेश से मछली लेता है, अंडे लेता है। हम उनसे मुर्गा-मुर्गी लेकर खाते हैं। इसलिए आपको हमारा ध्यान रखना पड़ेगा। माननीय प्रधान मंत्री जी इस पर बाद में भी बोलेंगे। हम चाहते हैं कि आज आप जीत जाएं और यहां बैठ जाएं। ...(*व्यवधान*)

एक चीज और है। मेरे पास सैकुलरिज्म एलर्ट है। आप इसे देखें। मैं कोई आरोप नहीं लगाना चाहता। मैंने जब इसे पढ़ा तो दंग रह गया।

मैं आपको महान स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जानता हूं। प्रधान मंत्री जी, अगर इसमें कुछ गलत लिखा है तो उस पर कंटैम्प्ट का केस किया जाना चाहिए।

इसमें लिखा है जिसको मैं पढ़कर सुनाता हूं—"[illegible] ऐलर्ट—ब्रिटिश सरकार से क्षमा याचना।" किनके प्रति? प्रधान मंत्री जी के प्रति। मैं पढ़ देता हूं—

> "भारत के अब तक जितने प्रधान मंत्री हुए हैं उन पर यह आरोप नहीं लगाया गया कि उन्होंने कभी ब्रिटिश सरकार से क्षमा मांगी थी...।"...*(व्यवधान)*

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : सोर्स क्या है? ये कहां से पढ़ रहे हैं?

[अनुवाद]

यह एकदम गलत है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे स्पष्ट करूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय कुछ समाचार पत्रों में पहले भी तथा पिछले कई वर्षों से इस तरह के निन्दात्मक, एकदम निरर्थक, आधारहीन आरोप छपते रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद : मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष जी, ये पत्र-पत्रिकाओं में छपी चीजें हैं और उनका खंडन प्रभावी रूप से अनेक बार किया गया है। यह कोई आज की बात नहीं है। वर्षों से इस असत्य को बार-बार दोहराने से सच नहीं हो जाता।...*(व्यवधान)* लेकिन इस समय इस सदन का महत्व इसलिए है कि...*(व्यवधान)*

डा॰ शकील अहमद (मधुबनी) : सुब्रह्मणियन स्वामी जी यहां बैठे हैं। इन्होंने आरोप लगाया है। प्रधान मंत्री की तरफ से यह साफ हो जाना चाहिए कि यह बात गलत है। हम लोग और कुछ नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि प्रधान मंत्री जी कहें कि यह बात गलत है। ...*(व्यवधान)*

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : गृह मंत्री खड़े हैं। आप कृपया बैठ जाइए। मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : उनका भाषण कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : क्या मैं आपका ध्यान नियम 353 की ओर दिला सकता हूं?

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : व्यवस्था देने से पहले आप मेरी बात सुन लीजिए। हम ऐलेज नहीं कर रहे हैं, हम उनकी सहायता कर रहे हैं। अगर ये असत्य है तो अखबार छापने वालों के हाथ में हथकड़ी लगनी चाहिए। मैं आपके साथ में हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह अच्छी बात नहीं है। आप अपने स्थान पर हर बार खड़े हो जाते हैं। यह क्या है? कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय गृह मंत्री व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं, कृपया पहले उनकी बात सुनें।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं सम्बद्ध नियम को पढूंगा और उसके औचित्य को भी स्पष्ट करूंगा। नियम 353 में बताया गया है "किसी सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध मानहानिकारक या अपराधारोपक स्वरूप का आरोप नहीं लगाया जाएगा...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : वे यह समाचार पत्रों से उद्धृत कर रहे हैं। वे आरोप नहीं लगा रहे हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, जब तक खंडन नहीं करेंगे ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय गृह मंत्री जी व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : श्री रामचन्द्र डोम, कृपया अपनी सीट पर बैठिए। मैंने माननीय गृह मंत्री जी को बोलने की अनुमति दी है। मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अब मैं नियम 353 से उद्धृत करता हूं :

> "किसी सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति के विरूद्ध मानहानिकारक या अपराधारोपक स्वरूप का आरोप नहीं लगाया जाएगा जब तक कि सदस्य ने अध्यक्ष को तथा सम्बन्धित मंत्री को भी पर्याप्त अग्रिम सूचना न दे दी हो जिससे कि मंत्री उत्तर के प्रयोजन के लिए विषय की जांच कर सके।" ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वे नहीं मान रहे हैं। कृपया इस बात को समझिए कि यह रवैया अच्छा नहीं है। वह व्यवस्था का प्रश्न उठाने के लिए खड़े हुए हैं। पहले हम उनका व्यवस्था का प्रश्न सुनें।

(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अब मैं इस नियम के शर्त वाले पहलु पर आता हूं जो इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। मैं उद्धृत करता हूं :

> "परन्तु अध्यक्ष किस भी समय किसी सदस्य को ऐसा आरोप लगाने से प्रतिषिद्ध कर सकेगा...*(व्यवधान)* मैं नहीं मानता...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। वह नहीं मान रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, आप इसको देख लीजिए ...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष जी ये सब के सब रूल्स को फ्लाउट कर रहे हैं, क्या आपने अनुमति दी है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी सीट पर बैठिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री चन्द्रशेखर का नाम पुकारा है। हमें उन्हें सुनना चाहिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर (बलिया) : अध्यक्ष जी, मैं लालू प्रसाद यादव जी से एक निवेदन करूंगा कि यदि वह इस अप्रिय प्रसंग को छोड़ दें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हम लोगों को ऐसे विवादों में नहीं पड़ना चाहिए।

श्री लालू प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, बात ठीक है। लेकिन मैं बोलता हूं कि उन लोगों को जेल में बंद करो जिन्होंने हमारे प्रधान मंत्री जी के विषय में गलत लिखा है।...*(व्यवधान)*

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : आपने कितने लोगों को जेल में बंद किया है...*(व्यवधान)* आपने उस विषय को यहां सिर्फ छू दिया, मेंशन कर दिया...*(व्यवधान)* आपने असेम्बली में खड़े होकर प्रेस को गाली दी थी। आपने यही काम किया है...*(व्यवधान)* आपको विधान सभा से सरपट दौड़ा दिया गया था, अब बोलने चले हैं।...*(व्यवधान)* बिहार विधान सभा में आपका मुंह बंद हो गया था, आप वही कर रहे हैं।...*(व्यवधान)* मैं एक-एक आदमी को जानता हूं। आप क्या बोलते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री चन्द्रशेखर जी का नाम पुकारा है। मैंने आपका नाम नहीं पुकारा है।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री लाल मुनि चौबे, मैंने केवल श्री चन्द्रशेखर जी का नाम पुकारा है, आप कृपया अपनी सीट पर बैठिए। कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री चन्द्रशेखर : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह स्पष्ट कर दूं कि जब मैं श्री लालू प्रसाद जी से अपील कर रहा था तो यह अपील केवल लालू प्रसाद जी के लिए ही नहीं थी बल्कि यह अपील समूची सभा के लिए थी। यह बड़े ही खेद की बात है कि श्री यशवंत सिन्हा जैसे वरिष्ठ सदस्य ने पुनः वही बात शुरू कर दी है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी सीट पर बैठिए।

श्री चन्द्रशेखर : अध्यक्ष महोदय, यदि आप चाहते हैं कि सभा की कार्यवाही सुचारू रूप से चले तो प्रधान मंत्री जी को हस्तक्षेप करना चाहिए तथा वे अपने मंत्रियों और अपने अन्य सदस्यों से सभा में उचित आचरण करने को कहें।

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : अध्यक्ष महोदय, मेरे खिलाफ आरोप है कि 1942 के आंदोलन में मैंने अंग्रेजों का साथ दिया था,...*(व्यवधान)* यह आरोप कोई पहली बार नहीं लगाया गया है। यह सारा मामला बटेश्वर कांड से संबंधित है। बटेश्वर कांड की अदालती जांच हुई थी। जस्टिस वांचू का वह फैसला है। उसमें एक एप्रूवर के नाते मैं गवाह था और न सरकारी गवाही के रूप में मुझे

---

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

पेश किया गया था। माफी मांगने का तो सवाल ही नहीं है। मैंने किसी से कोई माफी नहीं मांगी न मैंने सरकार की कोई मदद की। लगातार चुनाव के समय यह मामला उठ जाता है जो जनता में भ्रम पैदा करता है। मैं इसका खंडन कर चुका हूं।

अध्यक्ष महोदय, आप लालू प्रसाद जी से सारे कागज मंगा लें, मैं अपनी सफाई आपके सामने पेश करूंगा। जो आपका निर्णय होगा वह मुझे मान्य होगा।...(*व्यवधान*)

श्री लालू प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा हूं कि जिसके खिलाफ उसमें आरोप है, जिसने खिलाफ लिखा है, उसको हथकड़ी लगनी चाहिए।

गरीबी, बेकारी हटाओ यह इनके राष्ट्रीय एजेंडे में है। इनके राष्ट्रीय एजेंडे में यह भी है कि किसी तरह से जोड़तोड़ करके सरकार चलाओ। ये रोज प्रचारित करते हैं कि आर॰जे॰डी॰ टूट रही है, कभी कहते हैं कि कुछ लोग समाजवादी पार्टी से तोड़कर ला रहे हैं। मैं कहता हूं कि समाजवादी पार्टी, यू॰एफ॰ और कांग्रेस पार्टी की भूल की वजह से ही यह बेमेल गठजोड़ हुआ है। यह गठजोड़ चलने वाला नहीं है। देहात में एक कहावत है,...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री लालू प्रसाद यादव, कृपया अपनी बात समाप्त करें। आप पहले ही एक घंटे का समय ले चुके हैं।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : बेमेल शादी और बाल्टी भर सिंदूर। सिंदूर लगाकर घूमते रहो। मैं प्रधान मंत्री जी को चेतावनी देना चाहता हूं कि जैसा जार्ज साहब ने पहले कहा था कि पैप्सी कोला को हटाओ—कहां गया पैप्सी और कोला? आज दोनों चल रहे हैं या नहीं?

जार्ज साहब जब मंत्री नहीं बने थे पहले उन्होंने कहा था कि हमें मंत्री नहीं बनना है।...(*व्यवधान*) अभी समता पार्टी के कुछ लोग प्रतीक्षा में बैठे हैं। आप लोग इसी तरह गाल बजाते रह जायेंगे। ...(*व्यवधान*) श्री वाजपेयी जी खुद देख रहे हैं, नोट कर रहे हैं कि आदमी जब मंत्री बन जायेगा, तो गाल कौन बजायेगा।...(*व्यवधान*) श्री यशवंत सिन्हा जी ने क्या बोल दिया? उन्होंने कहा कि पटना की सीट हम उपहार में दे देंगे। क्या वह आपकी जेब में है?...(*व्यवधान*)

श्री यशवंत सिन्हा : आपने हमसे कहा कि प्रचार के लिए पटना मत जाइये लेकिन आप खुद पटना चले गये।...(*व्यवधान*) आप हमारा रेफरेंस क्यों देते हैं?...(*व्यवधान*)

श्री लालू प्रसाद : मैंने तय किया है कि बिहार के मंत्रियों के ऊपर अभी कुछ नहीं बोलूंगा।...(*व्यवधान*)

श्री यशवंत सिन्हा : आपके पास बोलने के लिए है ही क्या? ...(*व्यवधान*)*

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

श्री लालू प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, आसन से अगर नहीं समझाएगा।...(*व्यवधान*)

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : अध्यक्ष महोदय, आप उनसे कहिए कि वे अपने अल्फाज वापिस लें।...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है?

(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : आपके नेता बोल रहे हैं। आप उनके बोलने पर आपत्ति कैसे कर सकते हैं।

(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : आप अपने नेता के भाषण में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रधानमंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं।...(*व्यवधान*) आपने महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में लिखा है कि राज भवनों को पोलिटिकल इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी जायेगी। मेरा सुझाव है और हमारी सहमति है कि राज्यपाल के जितने पद हैं, उन सबको आप समाप्त करिये ...(*व्यवधान*) केन्द्र का राजदूत हर जगह क्यों रहेगा? राज्यों को जब स्वायत्तता देने की बात है, तो कितने मुख्यमंत्री राज्य में रहेंगे। ...(*व्यवधान*) मैं नहीं घबराता।...(*व्यवधान*) इस समय मेरा नौवां साल है और मैं आपकी छाती पर चढ़कर अपना राज चलाता रहूंगा।. ..(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप पहले ही एक घंटे का समय ले चुके हैं।

[हिन्दी]

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, संसद में क्या यह भाषा बोली जाती है।...(*व्यवधान*) क्या संसद की यही भाषा है? ...(*व्यवधान*) संसद की गरिमा गिराई जा रही है।...(*व्यवधान*) सारे नेता यहां बैठे हैं।...(*व्यवधान*) आप मना नहीं कर सकते? ...(*व्यवधान*)

श्री लालू प्रसाद : मेरी सहमति है।...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब कृपया समाप्त करें। आपको पर्याप्त समय दिया गया है।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : जब सभी राज्य सरकारों को...*(व्यवधान)* अस्थिरता पैदा करना...*(व्यवधान)* आप मेरी बात सुनिये। सभी राज्यों में अस्थिरता पैदा करने, अराजकता पैदा करने...*(व्यवधान)* की बात को हम नहीं होने देंगे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : हमने फैसला ले लिया है।...*(व्यवधान)* इन्होंने सोनिया गांधी, जो कि कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, उनको कह दिया कि वह विदेशी हैं। क्या इस तरह से अपमानित करेंगे? भारत की अगर कोई बहू है, कांग्रेस की प्रेजीडैंट है, तो उसके बारे में कहा जाता है कि वह विदेशी है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब समाप्त करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : इस जुबान को वापिस लेना चाहिए। देश को आप कहां ले जाना चाहते हैं।...*(व्यवधान)* इस विश्वास मत का हम विरोध करते हैं और हमारा आपसे भी आग्रह है कि आप इनकी बातों में न आयें और इस सरकार को विश्वास मत न दें।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर पश्चिम) : महोदय, आपत्तिजनक शब्दों को कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही इस बारे में कह चुका हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया, सभा में व्यवस्था बनाए रखें।

---

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 1.00 बजे

[हिन्दी]

डा॰ मुरली मनोहर जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं श्री वाजपेयी जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मैंने बहुत ध्यानपूर्वक अभी श्री लालू प्रसाद जी के वक्तव्यों को सुना। बिहार की जो आज दशा है, उसका मूल कारण आज सदन के सामने स्पष्ट हो गया। बहुत पहले जब पहली बार इन्होंने बिहार के मुख्य मंत्री का पद संभाला था, तब इन्होंने एक बयान दिया था और वह बयान सिर्फ यही दे सकते हैं, दूसरा कोई मुख्य मंत्री नहीं दे सकता।...*(व्यवधान)* इन्होंने बयान दिया था कि मैं बिहार का बहुत विकास करूंगा और बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी के गाल की तरह चिकना बना दूंगा। आज इनके स्वयं के गाल देख लीजिए। बिहार की सड़कें तो इन्होंने ओम पुरी के गाल की तरह बना दी।...*(व्यवधान)* आज सारे हिन्दुस्तान में नहीं, सारे विश्व में, बिहार की क्या स्थिति है, उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है कृपया उनकी बात सुनिए।

[हिन्दी]

डा॰ मुरली मनोहर जोशी : सच्चाई बहुत कड़वी होती है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अपराह्न 1.02 बजे

[श्री पी॰ एम॰ सईद *पीठासीन हुए]*

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अब बैठ जाइए। मैं खड़ा हूं। माननीय सदस्यों, मैं आप सभी सदस्यों को सावधान करना चाहूंगा। सारा देश हमें देख रहा है। कल सभा की कार्यवाही बहुत ही अच्छे ढंग से चली। आज भी सभा की कार्यवाही उसी प्रकार चलनी चाहिए। यदि कोई असंसदीय उक्ति या शब्द कहा गया है तो उसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकालने के लिए माननीय अध्यक्ष से अनुरोध किया जा सकता है। यदि कोई आपत्तिजनक बात कही गई है तो मैं उसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दूंगा। भगवान के लिए कृपया व्यवधान उत्पन्न न करें। कृपया अपराह्न 1.30 बजे तक डा॰ मुरली मनोहर जोशी को सुनें।

श्री एस॰ जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मेरे मन में डा॰ जोशी जी के लिए अत्यधिक सम्मान है। लेकिन मैं इसे ठीक नहीं समझता कि उन्हें श्री ओम पुरी की गालों का उल्लेख करना चाहिए।

डा॰ मुरली मनोहर जोशी : तब मुझे उल्लेख...*(व्यवधान)*

महोदय, मैं इससे सहमत नहीं हूं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष जी, मैंने किसी के भाषण में टोका नहीं और मैं आशा करता हूं कि आप मेरे साथ भी वैसा ही व्यवहार करें।...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद : इन्होंने मेरा नाम लेकर स्टेटमैंट की चर्चा की है।...*(व्यवधान)*

श्री कान्तिलाल भूरिया (झाबुआ) : जोशी जी अपने शब्द वापिस लें।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप कृपया बैठिए।

(व्यवधान)

डा॰ मुरली मनोहर जोशी : अध्यक्ष महोदय, मुझे आशा है कि हमारी चर्चा प्रस्ताव तक सीमित रहे। मैंने इसीलिए इस बात का उदाहरण दिया कि प्रस्ताव के बाहर एक घंटे तक भाषण देकर सदन का ध्यान मुख्य विषयों से दूर ले जाने की चेष्टा की गई, वह गलत है। केवल यह...*(व्यवधान)*

श्री कान्तिलाल भूरिया : इसमें हेमा मालिनी के गाल कहां से आ गये और ओम पुरी के गाल कहां से आ गये?...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपा करके बैठिये। आप घड़ी-घड़ी खड़े हो रहे हैं।

डा॰ मुरली मनोहर जोशी : मुख्य विषय श्री वाजपेयी जी के द्वारा रखे गये प्रस्ताव का समर्थन या उसका विरोध है। हमें उसी तक सीमित रहना चाहिए। इसकी ओर बड़ी विनम्रतापूर्वक मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं...*(व्यवधान)* मैं श्री चन्द्रशेखर जी की भावना से सहमत हूं और सभापति महोदय, आपकी भावना से भी सहमत हूं। सारा देश इस चर्चा को बड़ी गम्भीरता से सुन रहा है। मेरा अनुरोध होगा कि हम सब इस चर्चा को उसी गम्भीरता के स्तर पर रखें और जो मुख्य बिन्दु हैं, उन्हीं तक चर्चा को सीमित रखें।

यहां बात उठाई गई, बहुत से प्रश्न हमारे प्रतिपक्ष के लोगों ने कहे। अब श्री शिवशंकर जी यहां नहीं है। उन्होंने एक यह बात कही कि इस पार्टी का एक छिपा हुआ एजेण्डा है, इस गठबन्धन के अलावा भारतीय जनता पार्टी का कोई अलग से छिपा एजेण्डा है। मैं बहुत साफ करना चाहता हूं कि केवल यही एक एजेण्डा नेशनल एजेण्डा फॉर गवर्नेन्स व बी॰जे॰पी॰ एंड एलाएंस पार्टनरस्, बी॰जे॰पी॰ और एलायंस पार्टनर्स का यही एकमात्र एजेण्डा है, जो सरकार के सामने है, इसके अलावा कोई दूसरा हिडेन एजेण्डा नहीं है। इस बात को बिल्कुल स्पष्ट रूप से, मंत्रिपरिषद् का सदस्य होने के नाते और सभी एलायंस पार्टनर्स की तरफ से मैं बहुत स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं कि हमारा कोई हिडेन एजेण्डा नहीं है।

श्री कान्तिलाल भूरिया : माननीय जोशी जी, इस सरकार में आने के पहले कोई एजेण्डा नहीं था।...*(व्यवधान)*

श्री मुरली मनोहर जोशी : देखिये, मैं प्रतिपक्ष के नेता से और श्री चन्द्रशेखर से, दोनों से...*(व्यवधान)* अपनी तरफ हम भी देखेंगे, लेकिन जितनी देर तक आप बोल रहे थे, मैंने नहीं टोका। मैंने किसी को नहीं टोका, गलत बात है।...*(व्यवधान)* सभापति जी, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।...*(व्यवधान)* मैं सही बात बोल रहा हूं, मैंने किसी को नहीं टोका। कृपा करके इसकी तरफ ध्यान दें। हमारा कोई हिडेन एजेण्डा नहीं है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : जी नहीं, यह तरीका ठीक नहीं है।

[हिन्दी]

डा॰ मुरली मनोहर जोशी : मैं शिवशंकर जी की बात का जवाब दे रहा हूं। अगर आपको बोलने का मौका मिलेगा तो आप प्रश्न करेंगे। तब तक तो सदन की मर्यादा का कुछ ध्यान रखिये। मर्यादा के बारे में बहुत बात कही जा रही है, थोड़ा सा ध्यान रखिये।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप बैठिये। सदन की मर्यादा के लिए बैठिये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : जी नहीं, आपको बैठना होगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं बोल रहा हूं। कृपया आप बैठ जाइए।

[हिन्दी]

डा॰ मुरली मनोहर जोशी : श्री हेगड़े जी ने बहुत स्पष्टता के साथ यह बात कही थी और मैं उसे फिर दोहराना चाहूंगा कि यह सारा एजेण्डा सभी पार्टियों की राय से बना है।

यह तो सब जानते हैं कि किसी एक पार्टी का बहुमत इस सदन में नहीं है। सबसे अधिक शक्तिशाली संगठन के रूप में और सबसे अधिक शक्तिशाली समूह के रूप में बी॰जे॰पी॰ और उसके एलायंस हैं। राष्ट्रपति महोदय ने सरकार बनाने की जिम्मेदारी श्री वाजपेयी जी को दी और सरकार बनाने से पहले यह एजेण्डा बन गया। मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि पिछली बार तो सरकार बनाने के हफ्तों बाद एजेण्डा बना था। श्री हेगड़े जी ने स्पष्ट बताया था कि समय के अभाव के कारण लोगों में परस्पर चर्चा के कारण इस नेशनल एजेण्डा को बनाने में कुछ विलम्ब हुआ था। यह स्वाभाविक बात है, व्यावहारिक बात है, लेकिन नीयत बहुत साफ थी कि सरकार बनने से पहले ही सरकार का कार्यक्रम घोषित किया जाये।

इस कार्यक्रम में बहुत स्पष्टरूप से लिखा गया है, यूं तो जब तक आप इस कार्यक्रम को अंजाम देने या क्रियान्विति का अवसर नहीं देंगे, तब तक इसकी नीयत ठीक है या नहीं, जैसा यहां कहा गया, इसका पता लगाना मुश्किल होगा।

[अनुवाद]

किसी खाद्य पदार्थ का स्वाद उसे खाने के बाद ही पता लगता है।

[हिन्दी]

आप इसका मौका दीजिए कि इस कार्यक्रम को कैसे क्रियान्वित करते हैं। हमने बहुत साफ लिखा है।

[डा॰ मुरली मनोहर जोशी]

[अनुवाद]

"यह हमारी साझी वचनबद्धता है..."

[हिन्दी]

यह सबका साझा कमिटमेंट है, किसी एक पार्टी का आरोपण नहीं है, सबने मिलकर बनाया है।

[अनुवाद]

"एक आश्वासन जो कि हमने संयुक्त रूप से सम्पूर्ण देश को दिया है।"

[हिन्दी]

सारे देश को हमने इसमें एशोरेंस दिया है।

[अनुवाद]

"हम देश की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत के लिए इस एजेंडा की प्रासंगिकता और महत्व के प्रति सजग हैं।

[हिन्दी]

एजेंडा फार ए पार्टी नहीं है, एजेंडा फार सम पार्टी नहीं है, एजेंडा फार इंडिया रखने की कोशिश की है।

[अनुवाद]

"इस अवसर पर संसद के दोनों सदनों द्वारा इसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया है।"

[हिन्दी]

उसकी सिग्नीफेंस को समझकर हमने इसको रखा है।

[अनुवाद]

"निकट भविष्य में 20वीं शताब्दी का अंत हो रहा है और नई सहस्राब्दी शुरू होने जा रही है।"

[हिन्दी]

एक महान भारत को अगली शताब्दी में ले जाने के संकल्प को हमने देश के सामने रखने की चेष्टा की है और वह संकल्प दोनों सदनों के द्वारा जो प्रस्ताव और संकल्प लिया गया था, उसके आधार पर उसकी गम्भीरता को समझकर रखने की कोशिश की गई है। मैं सदन के सभी सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि इस बात को गम्भीरता से लें।

[अनुवाद]

"इस अवसर पर, हम सामंजस्य और समझौते, गतिशील आर्थिक विकास के नए राजनीतिक युग के आगमन की कामना करते हैं जिसमें मानव मूल्यों को सर्वोपरि बनाए रखने और उससे भी बढ़कर अपने महान देश और उसके लोगों की नियति में अटूट विश्वास को कायम रखने की अपील करते हैं।"

[हिन्दी]

इस देश की महान जनता के महान भविष्य के प्रति अपनी आस्था प्रकट करते हुए अपना विश्वास प्रकट करते हुए देशवासियों से और सभी सदस्यों तथा सभी दलों से हम इस राष्ट्रीय एजेंडा के रूप में काम करने के लिए विश्वासमत चाहते हैं।

हमें बताया गया कि आपका कोई कार्यक्रम नहीं है, इसमें सारा कार्यक्रम लिखा हुआ है। मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। अभी स्वदेशी के बारे में मजाक उड़ाया गया। हमारे प्रतिपक्ष के नेता ने बहुत कुछ कहा और यह भी कहा कि स्वदेशी का मतलब क्या है। वे समझते नहीं हैं, वे शायद समझते हैं स्वदेशी से देश को नुकसान होगा, हम इससे हिन्दुस्तान को दुनिया से अलग रखने का काम करेंगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा मतलब नहीं है। हमने बहुत साफ लिखा है :

[अनुवाद]

"हम सुधार प्रक्रिया जारी रखेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का विकास इस सिद्धान्त पर हो कि भारत का निर्माण भारतवासी करें जिसमें स्वदेशी पर अधिक बल दिया जाए।"

[हिन्दी]

भारत का निर्माण भारतवासी करेंगे। भारत की समस्याओं का निवारण कोई बाहर की शक्ति, बाहर की संस्था कभी नहीं करेगी। मैं शरद पवार जी से कहना चाहता हूं कि क्या वे इस सिद्धांत से असहमत हैं? क्या भारत का निर्माण भारतवासियों के अलावा दुनिया के और लोगों के द्वारा करना चाहते हैं? समस्याएं भारत की सरकारें पैदा करें, सरकारें भारत की पार्टियां पैदा करें और निवारण करने के लिए बाहर से शक्ति आए, यह सोच ठीक नहीं है। इसी सोच के कारण आपको आज उधर बैठना पड़ा है...(*व्यवधान*)

श्री दत्ता मेघे (रामटेक) : ये हाउस को मिसलीड कर रहे हैं।

[अनुवाद]

डा॰ मुरली मनोहर जोशी : भारत का निर्माण भारतवासियों के द्वारा होगा।

[हिन्दी]

भारत का निर्माण भारतवासियों के द्वारा होगा, भारत की शक्ति से होगा, भारत की सामर्थ्य से होगा और श्री अटल बिहारी वाजपेयी के कुशल नेतृत्व में भारत की महान जनता भारत के महान भविष्य का निर्माण करेगी।...(*व्यवधान*) अभी कहा गया कि भारतीय जनता

पार्टी के नेता के रूप में और सरकार के नेता के रूप में श्री अटल बिहारी वाजपेयी एक मुखौटा हैं, मैं नहीं जानता...*(व्यवधान)*

श्री शरद पवार : हमने नहीं कहा।

डा॰ मुरली मनोहर जोशी : किसी ने भी कहा, आपने तो यहां कहा। मैं बहुत स्पष्ट बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे प्रमुख, सबके एक दिल से, एक सहमति से सबसे बड़े नेता श्री वाजपेयी हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक है। सबसे वरिष्ठ नेता हैं और श्री आडवाणी ने पार्टी के अध्यक्ष होते हुए भी उनको पार्टी की तरफ से भारत के प्रधान मंत्री के पद के लिए घोषित किया था। यह इस बात का सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी में श्री वाजपेयी का स्थान अक्षुण्ण है। हमारे यहां ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति सारी शक्ति को अपने हाथ में केन्द्रित कर ले, चाहे वह सदन का सदस्य हो या न हो, लेकिन संसदीय दल का नेता भी बन जाए। इस प्रकार की प्रणाली हमारे दल में नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्री सत्यपाल जैन : यह सज्जन हाउस में नए आए हैं। इनसे कहिए कि हाउस में जरा ठीक से बिहेव करें।...*(व्यवधान)* हर वक्ता को इंट्रप्ट करते हैं।...*(व्यवधान)*

डा॰ शकील अहमद : सोनिया जी कांग्रेस की नेता हैं। ...*(व्यवधान)* सोनिया जी इस देश की एक सम्मानित नागरिक हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : यह कोई तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : डा॰ शकील अहमद, आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : क्या आप बैठेंगे?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया व्यवधान उत्पन्न न करें। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अजीत जोगी : सोनिया गांधी जी कांग्रेस की नेता हैं। इनसे कह दीजिए।...*(व्यवधान)* वह विदेशी नहीं हैं।

डा॰ मुरली मनोहर जोशी : सभापति जी, आप रिकार्ड देख लीजिए। मैंने किसी का नाम नहीं लिया।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं बोल रहा हूं। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री अजीत जोगी, कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय : इसमें आपको क्या ऑब्जेक्शन है? क्या आपका प्वॉइंट ऑफ ऑर्डर है?

(व्यवधान)

डा॰ शकील अहमद : हां है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : क्या है?

डा॰ शकील अहमद : सभापति जी, सोनिया गांधी जी के बारे हम मुरली मनोहर जोशी जी से नहीं पूछेंगे।...*(व्यवधान)* सोनिया गांधी जी इस देश की एक सम्मानित नागरिक हैं, वह कांग्रेस की अध्यक्षा हैं।...*(व्यवधान)* सोनिया गांधी जी भारत की बहू हैं।...*(व्यवधान)* हम उनके बारे में गलत बात बिल्कुल नहीं सुनेंगे।...*(व्यवधान)* वह कांग्रेस की नेता हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सत्यपाल जैन (चंडीगढ़) : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : यह कोई प्वाइंट ऑफ ऑर्डर नहीं हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : उन्होंने श्रीमती सोनिया गांधी के बारे में उल्लेख नहीं किया है।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

सभापति महोदय : अगर कोई बात होगी तो हम कार्यवाही से निकलवा देंगे।

डा॰ मुरली मनोहर जोशी : मैं अपने सभी कांग्रेस के मित्रों की बातों से सहमत हूं। यह उनका अधिकार है। वे जिसको चाहें, अध्यक्ष बनाएं, मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है। मैंने किसी का नाम नहीं लिया।...*(व्यवधान)* मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया।... *(व्यवधान)* मैंने तो एक परम्परा का जिक्र किया था जो किसी भी पार्टी मे हो सकती है।...*(व्यवधान)*

श्री अजीत जोगी : आपने सीधा इशारा किया था।...*(व्यवधान)*

---

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

डा॰ मुरली मनोहर जोशी : मैंने कोई इशारा नहीं किया। आपने कहां देखा?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : डा॰ जोशी, क्या आपने इसके बारे में उल्लेख किया है।

डा॰ मुरली मनोहर जोशी : जैसा कि आपने कहा...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री जोगी, उन्होंने साधारण भाव में कहा है। उन्होंने इसका उल्लेख तक नहीं किया। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से संकेत भी नहीं किया है। आप क्यों खड़े हो रहे हैं? उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है।

[हिन्दी]

डा॰ मुरली मनोहर जोशी : मैंने तो इतना ही कहा कि भारत का निर्माण भारतवासियों द्वारा होगा। भारत की समस्याओं का निवारण भारतवासी ही करेंगे और कल श्री शरद पवार जी ने जो विदेशी पूंजी के संदर्भ में कहा था, मैंने उसी के संदर्भ में बात कही थी। कल स्वदेशी के बारे में कहा गया था, उसकी संदर्भ में बात हो रही थी और इसीलिए आर्थिक नीतियों से संबंधित मैंने यह कहा था कि भारत की समस्याओं का निवारण भारतवासी ही करेंगे, कोई विदेशी नहीं करेंगे। ...*(व्यवधान)* आपकी पार्टी के बारे में आपका अधिकार है, इस पर मैं आपसे सहमत हूं। यह आपका अधिकार है। आप जो चाहे सो करें। आप पार्टी को रखें, पार्टी को तोड़ें, पार्टी को बनाएं, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। आप जो चाहें सो करें। ...*(व्यवधान)*

श्री भजनलाल (करनाल) : जोशी जी, आप तो बड़े विद्वान हैं।. ..*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : डा॰ जोशी, क्या आप इससे सहमत हैं?

डा॰ मुरली मनोहर जोशी : मैं इससे सहमत नहीं हूं।

[हिन्दी]

श्री भजनलाल : महोदय, मैं एक मिनट लूंगा।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : भाषण करने वाले यिल्ड नहीं कर रहे हैं। आप भाषण करने वाले के बारे में कहना चाहते हैं, तो उनको यिल्ड करना चाहिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

डा॰ मुरली मनोहर जोशी : मैं इससे सहमत नहीं हूं।

[हिन्दी]

श्री भजनलाल : मैं ऐसी कोई बात नहीं कहूंगा। मैं ऐसी बात करूंगा, जो आपको जंचेगी।...*(व्यवधान)* आप एक मिनट मेरी बात सुन लें। मैं आपकी इजाजत से कहना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मेरी आपत्ति यह है कि भाषण करने वाले डाक्टर साहब यिल्ड नहीं कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री भजनलाल : एक मिनट में क्या फर्क पड़ता है। ये बहुत बड़े विद्वान है। परमात्मा का वास हर घर में है—वसुदेव कुटुम्बकम्-सारा संसार, सारा देश एक परिवार है। सोनिया जी के बारे में ऐसा कहना, इससे बुरी बात और क्या हो सकती है...*(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य : सोनिया जी का नाम नहीं लिया है। ..*(व्यवधान)* आप सीनियर सदस्य हैं और बार-बार बीच में खड़े हो जाते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

डा॰ मुरली मनोहर जोशी : हम सकल घरेलू उत्पाद की दर को 7.8 प्रतिशत तक ले आएंगे।

[हिन्दी]

हम इसलिए विश्वास का मत प्राप्त करना चाहते हैं कि देश से बेरोजगारी हटाई जाए। इन कार्यक्रमों के लिए हम सदन का विश्वास चाहते हैं। विश्वास मत हम इसलिए चाहते हैं कि ये कार्यक्रम सबकी सहमति, सबके सहयोग और सबके सहकार से चले। देश का विकास हो, देश आगे बढ़े। इसके लिए हमने यह भी कहा है —

[अनुवाद]

सहमति द्वारा शासन का नया स्वरूप

[हिन्दी]

इस बात का उद्धरण वाजपेयी जी ने अनेक बार किया है। हम सब यह कहना चाहते हैं कि

[अनुवाद]

इसलिए हम राष्ट्र के सम्मुख सभी प्रमुख मामलों पर राष्ट्रीय सहमति बनाने के लिए विरोधी दलों और समाज के सभी वर्गों के साथ बातचीत कर हल निकालने का प्रयत्न करेंगे। हम व्यवहार्य कुशल और सहमति से शासन चलाने का प्रयास करेंगे।

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। आम सहमति बनाने की हमारी पूरी चेष्टा रहेगी। आप काम करने का अवसर दीजिए और फिर देखिए कि आम सहमति बनती है या नहीं बनती है। वाजपेयी जी आम सहमति बनाने के लिए बहुत ही कुशल नेता है। केवल देश में ही नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी आम सहमति के आधार पर काम किया है। आम सहमति के आधार पर काम करने का अवसर मिलना चाहिए। मान लीजिए जैसा शिव शंकर जी ने कहा कि हम आपको क्यों विश्वास मत प्रदान करें, तो यह आपका अधिकार है कि आप हमें विश्वास मत पर वोट दें या न दें। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने हमें मत नहीं दिया और हमारी सरकार गिर गई, तो क्या आप सरकार बनायेंगे? राष्ट्रपति जी ने आपसे पहले ही पूछा था—क्या आप सरकार बना सकते हैं? आप वहां जाकर कह आए हैं कि आप नहीं बना सकेंगे...(*व्यवधान*) आप सरकार बनाने की स्थिति में नहीं हैं और विश्वास मत पर मत नहीं देंगे, तो क्या चुनाव करायेंगे? सरकार इस देश में रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए, यह निर्णय भी आपको करना है। संविधान में यह व्यवस्था नहीं है कि यहां राष्ट्रपति का शासन लागू कर दिया जाए। इसलिए सरकार बननी चाहिए और सरकार बनाने के लिए एक व्यक्तिगत आधार पर बहुमत बनाने की चेष्टा करनी चाहिए और इसी आधार पर हमने यह कार्यक्रम बनाया है। हम चाहते हैं कि इसी कार्यक्रम के आधार पर...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(*व्यवधान*)*

[हिन्दी]

डा॰ मुरली मनोहर जोशी : आप अपने साथियों की बातें यहां करना चाहेंगे। आपने जितने सौदे किए हैं, उन सबको यहां पर कहा जाए। आप चाहते हैं कि उस पर डिबेट लाई जाए या आप इस देश में सरकार देना चाहते हैं। आप कृपा करके सोचिए, देश में आप अस्थिरता लाना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि देश में अन्न का उत्पादन घटता रहे? आप चाहते हैं कि देश में बेरोजगारी बढ़ती रहे? आप चाहते हैं कि देश में आतंकवाद बढ़ता रहे? आप क्या चाहते हैं? आपने पिछली कई सरकारों को तोड़ा है। चौधरी चरण सिंह की सरकार को तोड़ा है...(*व्यवधान*)

आपने चौधरी चरण सिंह जी की सरकार को तोड़ा। हमारे मित्र आदरणीय चन्द्रशेखर जी यहां बैठे हैं, उनकी सरकार को आपने तोड़ा और केवल दो सिपाहियों के नाम पर तोड़ा। आपने श्री देवेगौड़ा की सरकार को तोड़ा, श्री गुजराल साहब की सरकार को तोड़ा। आप सरकारें तोड़ना ही चाहते हैं, सरकार बनाने के हक में नहीं हैं। आप सरकारें तोड़ कर देश को तोड़ रहे हैं।...(*व्यवधान*)

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : सभा में बहुत शोर हो रहा है। कृपया शान्ति बनाए रखें।

[हिन्दी]

डा॰ मुरली मनोहर जोशी : सभापति महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। प्रतिपक्ष नेता से अनुरोध है।...(*व्यवधान*) महोदय, यह क्या हो रहा है।...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : आप बैठिए, इस तरह से आप खड़े नहीं हो सकते।

डा॰ मुरली मनोहर जोशी : सभापति महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : डॉ॰ मुरली मनोहर जोशी। कृपया प्रतीक्षा करें। यह माननीय सदस्य क्या कर रहे हैं? कृपया उनसे कहिए कहीं बैठ जाएं; उनसे कहें इधर-उधर घूमे नहीं।

(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : महोदय, माननीय घासी राम यादव बुजुर्ग सांसद हैं। यह हमसे पूछ रहे हैं कि हम कब प्रधान मंत्री बनेंगे। आप इनको बताइए।...(*व्यवधान*)

डा॰ मुरली मनोहर जोशी : वे शायद समर्थन मांगने आए होंगे। ...(*व्यवधान*) इसी तरह से आप बनाएंगे, यह साफ हो गया।

सभापति महोदय, हमारे मित्र जोगी जी यहां बैठे हैं। इन्होंने कल यह कहा कि पाप कई प्रकार के होते हैं। उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जिनका प्रक्षालन बड़े-बड़े तीर्थों में भी स्नान करके नहीं मिल सकता। उसमें से एक है जैसा इन्होंने बताया कि अगर राजा का दिया हुआ वचन भंग हो जाए तो वह बड़ा भारी पाप है। ये राज कर रहे थे, संयुक्त मोर्चे की सरकार के साथ मिले हुए थे। राष्ट्रपति महोदय के सामने लिखित वचन देकर आए थे कि इस सरकार को पूरा समर्थन देंगे, को-आर्डीनेशन कमेटी बनाएंगे, सरकार चलाएंगे, लेकिन क्या किया?...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : सभा में बहुत शोर हो रहा है। कृपया शान्ति बनाए रखें।

[हिन्दी]

डा॰ मुरली मनोहर जोशी : आप जब बोल रहे थे तो मैंने नहीं टोका था।...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : देखिए, आप बार-बार उठते हैं, यह ठीक नहीं है।

[अनुवाद]

कृपया मुझे आपका नाम लेने पर विवश मत कीजिए।

[हिन्दी]

डा॰ मुरली मनोहर जोशी : सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि अब आप किसी भी तीर्थ में, समुद्र में जाकर स्नार करें और केवल आप ही नहीं आपकी सारी पार्टी भी जाकर स्नान करे तब, भी आप इस पाप का प्रक्षालन नहीं कर सकते। क्योंकि आपके पाप की वजह से इस देश में दोबारा चुनाव हुए हैं।...*(व्यवधान)* राजनैतिक अस्थिरता आई।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप हर बात पर खड़े हो जाते हैं, यह ठीक नहीं है।

डा॰ मुरली मनोहर जोशी : आप कृपा करके ध्यान से सुनिए। मैंने यह कहा है कि आपके इस पाप की वजह से चुनाव हुए और हम यहां आए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री आरिफ मोहम्मद खां (बहराइच) : सभापति महोदय, मैं एक मुद्दे पर स्पष्टीकरण चाहता हूं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं क्या कर सकता हूं? क्या आपका व्यवस्था का प्रश्न है? या वह क्या है?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : इनका व्यवस्था का प्रश्न है।

डा॰ मुरली मनोहर जोशी : किस नियम के तहत?

सभापति महोदय : किस नियम के तहत?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : यदि वह मेरी बात मानेंगे तो निश्चित रूप से यह उनकी महानता ही होगी। आपके माध्यम से मेरी उनसे अपील है कि वे मेरे तर्क को स्वीकार करें।

सभापति महोदय : नहीं, श्री आरिफ मोहम्मद खां, आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। यह तो आप पर है कि आप व्यवस्था का प्रश्न उठाएं या कोई जानकारी हासिल करें। तभी माननीय सदस्य या अध्यक्ष महोदय आपकी बात का जवाब दे सकते हैं। इन दो बातों में से आप कुछ भी कर सकते हैं। आप क्या करना चाहते हैं।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : महोदय, मैं आपके माध्यम से अपील कर रहा हूं। मैं एक मुद्दे पर स्पष्टीकरण चाहता हूं। मैं माननीय मंत्री जी से अपील कर रहा हूं।

डा॰ मुरली मनोहर जोशी : मुझे यह स्वीकार्य नहीं है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : जोशी जी, आप 30 मिनट ले चुके हैं।

डा॰ मुरली मनोहर जोशी : इसका कारण ये व्यवधान हैं।

सभापति महोदय : आप 25 मिनट ले चुके हैं। आप मध्याह्न भोजन के पश्चात भी अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

डा॰ मुरली मनोहर जोशी : ठीक है। मुझे कोई आपत्ति नहीं।

अपराह्न 1.30 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.31 बजे

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.31 बजे पुनः समवेत हुई।

[डा॰ लक्ष्मी नारायण पांडेय *पीठासीन हुए*]

मंत्रि-परिषद में विश्वास का प्रस्ताव—जारी

[अनुवाद]

सभापति महोदय : डा॰ मुरली मनोहर जोशी अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : सभापति महोदय, मुझे अपनी एक बात कहनी है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : उन्होंने अभी अपनी बात खत्म नहीं की है।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : इससे पहले मुझे एक मिनट का मौका दिया जाए। मेरी बात जोशी जी से रीलेटिड नहीं है, बल्कि यशवंत सिन्हा जी से रीलेटिड है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : वह नहीं मान रहे है। उन्होंने अभी अपना भाषण समाप्त नहीं किया है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय : अभी जोशी जी बोल रहे हैं। उन्होंने अपनी बात खत्म नहीं की है।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : मैं चाहता हूं कि उनकी बात को रिकॉर्ड से निकाला जाए...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप बिना अनुमति के बोल रहे हैं। आपकी बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : जोशी जी को पहले अपनी बात समाप्त करने दीजिए।

डा॰ मुरली मनोहर जोशी : सभापति महोदय, समय बहुत ही कम है। इनकी बात बाद में भी उठाई जा सकती है।...*(व्यवधान)*

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : मुझे एक छोटी सी बात कहनी है। इसके बाद वह अपनी बात कह लें।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट (दौसा) : महोदय, यशवंत जी गुस्से में कुछ ऐसी बात कह गए हैं जिन्हें कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। आप कृपया कार्यवाही वृतान्त को देखें।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : हम इनकी बात को स्पीकर साहब के पास पहुंचा देंगे। वह रिकॉर्ड देख लेंगे। अगर कोई ऑब्जैक्शनेबल बात होगी तो उसे कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया जाएगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : रिकॉर्ड देखने के बाद ही कुछ हो सकता है।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : अगर कोई वित्त मंत्री सदन में ऐसी बात बोलता है तो उन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : रिकॉर्ड देखने के बाद अगर कोई ऐसी बात होगी तो वह निकाल दी जाएगी।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : हम चाहते हैं कि यह बात डीलीट हो और वे यहां आकर माफी मांगें।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपने अपनी बात कह दी, अब आप बैठ जाएं।

(व्यवधान)

डा॰ मुरली मनोहर जोशी : सभापति महोदय, क्या यह रिकॉर्ड में जा रहा है?...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपकी बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही। मैंने पहले ही बता दिया है कि रिकॉर्ड देखने के बाद अगर कोई ऐसी बात लगेगी तो उसे देखा जाएगा। आपने बात ध्यान में ला दी है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपकी कोई बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है। जोशी जी, आप अपना भाषण प्रारम्भ करें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : बहुत ज्यादा हो गया है। रिकॉर्ड देखने के बाद बात होगी।

डा॰ मुरली मनोहर जोशी : सभापति जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने यह उल्लेख किया था कि सरकारी पक्ष की नीतियां बहुत गलत हैं और ऐसा लगता है कि जैसे हिन्दुस्तान को दुनिया से अलग-थलग कर दिया जाएगा, हम विदेशों से कोई सम्बन्ध नहीं रखेंगे, विदेशी पूंजी से कोई सम्बन्ध नहीं रखेंगे। यहां इसी तरह के आरोप लगाए गए थे। मैं इसे बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं। नेशनल एजेंडे में बहुत साफ लिखा है :

[अनुवाद]

> "हम समुचित प्रोत्साहन और अभिप्रेरण के माध्यम से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सीधे विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देकर आगामी पांच वर्षों में राष्ट्रीय बचत में वृद्धि कर इसे सकल घरेलू उत्पाद को 30 प्रतिशत तक कर देंगे। ताकि यह राष्ट्रीय प्रयासों में और अधिक फायदेमंद साबित हो।"

[हिन्दी]

अर्थात् हम फौरन डायरेक्ट इनवेस्टमेंट के जरिये कोर एरियाज में, जो राष्ट्रीय हित में है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे—हमने इसमें साफ लिखा है। अगर सोमनाथ जी यहां उपस्थित होते तो मैं उनसे पूछता। प्रतिदिन के साथ बैठने वाले चिदम्बरम जी भी इत्तफाक से यहां नहीं हैं। लेकिन उन्होंने लन्दन में एक भाषण दिया था। वह 'टेरिस्कोप' जुलाई 96 के अंक में छपा है जो 'टेरी' का पब्लिकेशन विदेशी उद्योगपतियों के सामने भाषण करते हुए उन्होंने कहा कि

[अनुवाद]

> "इसलिए, आप लोगों के लिए जो भारत आना चाहते हैं मैं कहता हूं कि वहां लम्बे समय के लिए आइए। पिछली बार आप भारत देखने आए थे और यहां 200 वर्ष तक रहे।"

[हिन्दी]

क्या आप चाहते हैं कि फिर से वे 200 साल के लिए यहां आएं और यहां रहें?

[अनुवाद]

इसलिए यदि इस समय आप आएं तो आप अगले 200 साल तक रहने के लिए तैयार होकर आएं।

---

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[डा॰ मुरली मनोहर जोशी]

[हिन्दी]

बात अब साफ है कि वे आएं और 200 साल तक यहां फिर रहें।

[अनुवाद]

श्री एस॰ जयपाल रेड्डी : एक मिनट रुकिए, महोदय।

सभापति महोदय : वे नहीं मान रहे हैं।

डा॰ मुरली मनोहर जोशी : महोदय, मैं उनकी बात मान रहा हूं।

श्री एस॰ जयपाल रेड्डी : मैं रिकार्ड को सही तरीके से प्रस्तुत करना चाहूंगा। भूतपूर्व वित्त मंत्री श्री चिदबंरम जी ने कई अवसरों पर कहा कि वह रिपोर्ट तोड़मरोड़ कर पेश की गई थी।

डा॰ मुरली मनोहर जोशी : महोदय, इस प्रकाशन के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है। संसद में श्री चिदम्बरम जी ने कहा कि उन्होंने यह बात मजाक में कही। उन्होंने ऐसा ही वक्तव्य दिया था। अतः मेरा तो कहना है कि इसमें जो भी मनगठन्त हो, लेकिन विचार तो एकदम स्पष्ट है कि दोबारा यहां आएं और 200 वर्ष तक रहें।

[हिन्दी]

क्या आप सब लोग यह चाहते हैं कि वे लोग फिर यहां आएं और पहले की तरह 200 साल यहां रहें? यानी, हमारी अर्थव्यवस्था और विदेशियों से संबंध में कुछ स्वाधीनता की बात है।

[अनुवाद]

भारत का निर्माण भारतीयों द्वारा ही किया जाएगा।

[हिन्दी]

इसमें हमें जहां से मदद की जरूरत पड़ेगी हम जरूर लेंगे। हम खिड़कियां बन्द नहीं करेंगे। हमने अपने ऐजेन्डा में मोस्ट मौडर्न टेक्नोलौजी की बात कही है और राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी जो आपने सुना होगा, हमने लगभग जितनी भी फ्रंट हैंड टेक्नोलौजीज हैं, उन सबको बहुत साफ-साफ सरकार अंजाम देगी, इसका साफ-साफ जिक्र किया है। इसमें हमने कहा है—

[अनुवाद]

एक नई क्रान्ति अर्थात् सूचना प्रौद्योगिकी की क्रान्ति की आंधी समूचे विश्व में आई है...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : कृपया नियम बताएं कि किस नियम के अंतर्गत पौइंट आफ ऑर्डर है?

श्री लालू प्रसाद : ये न्यू टैक्नोलौजी की बात करते हैं और गरीब जनता से ईंटों की पूजा करवाते हैं। ये देश को कहां ले जाना चाहते हैं? यह है नियम।

[अनुवाद]

वह सभा को गुमराह कर रहे हैं।

सभापति महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं हुआ।

डा॰ मुरली मनोहर जोशी : अतः महोदय हमने कहा है :

> "विश्व में एक नई क्रान्ति अर्थात् सूचना प्रौद्योगिकी की क्रान्ति की आंधी समूचे विश्व में आ गई है और मैं चाहता हूं कि हमारे सभी सदस्यों को इसकी पूरी जानकारी दी जानी चाहिए। हमारा विश्वास है कि सूचना प्रौद्योगिकी भावी विकास का महत्वपूर्ण वाहक है। हम इस आश्वासन पर प्रतिबद्ध हैं कि भारत विश्व प्रगति में पूरा और बराबर का भागीदार है।

हमने कभी आइसोलेशन की बात नहीं कही।

आगे हमने कहा :—

> "वास्तव में भारत एक सॉफ्टवेयर सुपरपावर बन सकता है। इस प्रयोजन के लिए हम लघु, मझौली एवं दीर्घकालिक संदर्भ में एक राष्ट्रीय सूचना नीति लाएंगे।"

[हिन्दी]

हम इसलिए विश्वास का मत चाहते हैं ताकि भारत को तकनीकी क्षेत्र में विश्व में क्रमांक एक पर ले जाएं। हमारे अंतरिक्ष विज्ञानियों ने जो कुछ किया है, हम उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे सैटेलाइट हमारे ही लौञ्चिंग पैड से और हमारे द्वारा बनाए गए इंजन से छोड़े जाएं। हम चाहते हैं कि हिन्दुस्तान मिसाइल टैक्नोलौजी में चीन से आगे बढ़ जाए, अमेरिका से टक्कर लेने लग जाए। हम चाहेंगे कि हिन्दुस्तान सौफ्टवेयर में, कंप्यूटर्स में दुनिया में सबसे आगे हो जाए। और इसलिए हम विश्वास का मत चाहते हैं। हम चाहेंगे कि परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत विश्व में जितना स्थान प्राप्त कर सका है, हम टैक्नोलोजी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हम स्पेस टैक्नोलोजी से भारत को एनरिच करना चाहते हैं, डालर कमाना चाहते हैं, विदेशी मुद्रा कमाना चाहते हैं। मुझे पता नहीं, इन्द्रजीत बाबू वहां बैठे हुए हैं, जिन नीतियों का आपने पिछली बार समर्थन किया, जिनके कारण आप यहां बैठे हुए हैं, उनका क्या नतीजा हुआ? आजादी के बाद पहली बार स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया घाटे में चला गया, टाटा आयरन एंड स्टील कम्पनी घाटे में चली गई, विशाखापटनम स्टील घाटे में चला गया, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कागज की सौ मिलें बंद हैं तथा सीमेंट उद्योग लड़खड़ा रहा है।...*(व्यवधान)* हम इन नीतियों के विरोधी हैं। अन्न का उत्पादन घट गया। आज हिन्दुस्तान फूड इम्पोर्ट कर रहा है, चीनी इम्पोर्ट कर रहा है। यह इनकी नीतियों का ही नतीजा है। हम भारत को अन्न के मामले में सक्षम और आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। ऐसी पैदावार करना चाहते हैं कि हिन्दुस्तान का अनाज विदेशों में एक्सपोर्ट हो ताकि हिन्दुस्तान के

किसान को ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले। हम इन तमाम प्रवृत्तियों, प्रकृति के प्रकोपों और गलत कृषि नीतियों को बंद करना चाहते हैं जिनके वशीभूत होकर हिन्दुस्तान के किसान को आत्महत्या करने को मजबूर होना पड़ता है। उसे हम बदलना चाहते हैं और इसीलिए विश्वास का मत चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आज एक नई कृषि नीति, नई अर्थ नीति, नये प्रकार का वातावरण बनायें। आइये आपस में मिलजुलकर इस देश को महान बनायें। आप भी हमारा सहयोग करें और सब मिलकर भारत को विश्व के मानचित्र पर आगे ले जाएं। यही हमारा उद्देश्य है। हम आम सहमति की नीति के आधार पर भारत बनाना चाहते हैं। मैं प्रतिपक्ष के नेता महोदय से बहुत विनम्रता से निवेदन करूंगा कि वह हमारी आर्थिक नीति का ठीक से एक बार अध्ययन कर लें। वह पायेंगे कि हम बहुत अधिक मात्रा में भारत का विकास चाहते हैं। आपने एक बात बहुत बार कही है कि भारतीय जनता पार्टी हिन्दुत्व के आधार पर पता नहीं इस देश को कहां ले जायेगी। अब भारत की सुप्रीम कोर्ट ने हिन्दुत्व की व्याख्या साफ कर दी है...*(व्यवधान)* क्या आपने कल सुन ली, क्या आपको मान्य है। अब और सुन लीजिए जैसा सर सैयद अहमद ने 27 जनवरी, 1884 को कहा था, मैं उसे कोट कर रहा हूं।...*(व्यवधान)*

डा॰ शकील अहमद : इसमें और बहुत सी बातें लिखी हैं, वे भी बताइये।

डा॰ मुरली मनोहर जोशी : जी हां, और भी लिखी हैं, वे भी बताते हैं। पहले जो इससे संबंधित है, वही आपको बताते हैं।

[अनुवाद]

मैं वली खान द्वारा लिखित पुस्तक, "फैक्ट्स आर फैक्ट्स : दि अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इन्डियास पार्टिशन" से उद्धृत कर रहा हूं।

> "साम्प्रदायिक सद्भाव के प्रवर्तक माने जाने वाले सर सैयद अहमद खान ने 27 जनवरी, 1884 को गुरूदासपुर में हुए एक सम्मेलन में अपने भाषण में कहा था :
>
> हमें (अर्थात हिन्दू और मुसलमान) दिल और दिमाग से एकजुट होकर रहने, एकजुट होकर कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। पुरानी ऐतिहासिक पुस्तकों और परम्पराओं में आपने पढ़ा होगा, और सुना होगा, और हम अब भी देखते हैं कि एक देश में रहने वाले सभी लोग एक राष्ट्र के रूप में जाने जाते हैं। अफगानिस्तान की विभिन्न जनजातियों को एक राष्ट्र की ही संज्ञा दी जाती है और इस प्रकार इरान में रहने वाले विविध कबीलों को जिन्हें पारसी कहकर पुकारा जाता है, अलग-अलग विचारों और धर्मों को मानने के बावजूद, अभी तक एक राष्ट्र के सदस्य के रूप में जाना जाता है। ...याद रहे कि हिन्दू और मुसलमान शब्दों से अभिप्राय केवल धार्मिक भेदभाव से है—अन्यथा सभी लोग चाहे हिन्दू हो-या मुसलमान हो, चाहे इसाई ही क्यों न हो, जो इस देश में रहते हैं वे विशेषकर इस सन्दर्भ में एक राष्ट्र अर्थात एक ही राष्ट्र के लोग है।
>
> शायद वे अपनी भावनाओं का सही प्रतिबिम्ब नहीं समझ पाए। इसलिए उस वर्ष के उत्तरार्ध में लाहोर में इन्डियन एशोसिएशन की एक सभा को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा :—
>
> तहे दिल से मेरी यह कामना थी कि मैं ईमानदारी से अपने देश की, अपने राष्ट्र की सेवा करूं। राष्ट्र शब्द में मैं हिन्दू और मुसलमान दोनों को सम्मिलित करता हूं क्योंकि मैं इसका केवल यही अर्थ निकाल सकता हूं... वे अलग आधार हैं कि मैं भारत में रहने वाली इन दोनों जातियों को एक शब्द अर्थात 'हिन्दू' से सम्बोधित करूं जिसका आशय है कि वे सभी हिन्दुस्तान के वासी हैं।"...*(व्यवधान)*

यही सही अर्थ है।

[हिन्दी]

यही सही अर्थ है। एक राष्ट्र के रूप में इसका प्रयोग है और उस रूप की बहुत पुराने समय से लेकर सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय तक यह परिभाषा मान्य हैं। इसलिए बराये मेहरबानी अब इस शब्द के आधार पर राष्ट्र में गलतफहमियां फलाने की कोशिश मत करिए। यह बात बंद होनी चाहिए। हिन्दू शब्द को साम्प्रदायिक रूप में व्याख्या करने की चेष्टाएं, सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के पश्चात, इस देश को राष्ट्रीयता के ऊपर आघात करती हैं, देश की एकता पर चोट पहुंचाती हैं।...*(व्यवधान)*

इसलिए मेरा अनुरोध है कि यह बात बंद होनी चाहिए और एक सर्वसम्मति, सर्वसहमति की राजनीति हो जिसमें सबको शामिल करके चलने की जरूरत है, सारे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने की व्यवस्था हो, यह हम चाहते हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय जोशी जी, समाप्त कीजिए।

(व्यवधान)

श्री मुरली मनोहर जोशी : सभापति महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं।...*(व्यवधान)*

श्री ओमप्रकाश (गाजीपुर) : सभापति महोदय, जोशी जी, बोलते चले जा रहे हैं। क्या इनके लिए कोई समय-सीमा नहीं है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया आप बैठिए। जोशी समाप्त कर रहे हैं।

(व्यवधान)

डा॰ मुरली मनोहर जोशी : सभापति महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

श्री अकबर अहमद (आजमगढ़) : सभापति महोदय, जोशी जी, जिस किताब से यह कोट कर रहे हैं, उस किताब में यह कहां लिखा है कि मस्जिद को तोड़ दो?...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : नहीं, नहीं। आप बैठिए।

श्री मुरली मनोहर जोशी : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस माननीय सदन के नेताओं से निवेदन करता हूं कि इस राष्ट्रीय एजेंडे के लिए हम आपसे, इस संपूर्ण सदन से वोट आफ कान्फीडेंस मांगते हैं।

[अनुवाद]

यह राष्ट्रीय एजेण्डा एक निश्छल और सच्चा प्रतिज्ञापत्र है जिसका उद्देश्य इस महान राष्ट्र की शासन पद्धति की प्रकृति और संस्कृति में परिवर्तन लाना है और इसे एक नये भारत में रूपान्तरित करना है जो कि एक सम्पन्न, शक्तिशाली, आत्म निर्भर भारत हो, जहां शान्तिमय वातावरण हो और इसके साथ-साथ वह विश्वशान्ति के लिए भी अग्रसर रहे। हम सभी दलों और समाज के सभी वर्गों से इस महान प्रयास में सहयोग करने की अपील करते हैं।

[अनुवाद]

इस भारत को महान बनाने के लिए, इसकी सर्वांगीण उन्नति के लिए, एक आम सहमति के आधार पर, इस सदन से हम अपील करते हैं कि आप इस सरकार को काम करने का अवसर दें। वाजपेयी जी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त करें और एक नए राजनीतिक युग का श्रीगणेश करें अन्यथा यह देश फिर से अस्थिरता के भंवर में जा फंसेगा जिससे इस देश का भारी नुकसान होगा और उसकी जिम्मेदारी देश जानेगा कि किस पर होगी।

मैं आपसे फिर अपील करता हूं कि इस देश को अस्थिरता में मत झोंकिए, स्थिरता का वातावरण पैदा कीजिए, आम सहमति का वातावरण पैदा कीजिए, जो देश की जनता की भावनाएं हैं, उनका आदर कीजिए और सबके साथ मिलकर इस महान देश को महान प्रगति के रास्ते पर ले जाने के लिए पूरा-पूरा सहयोग कीजिए।

[अनुवाद]

श्री एस॰ जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : सभापति महोदय, मैं आज इस प्रस्ताव के विरोध में खड़ा हुआ हूं क्योंकि मेरे विचार में स्वतंत्र भारत के इतिहास में कभी भी भिन्न विचारधारा वाले ऐसे राजनीतिक अवसरवादी घटकों द्वारा इस तरह के गम्भीर नैतिक समझौते करके सरकार नहीं बनाई गई। सत्ता पक्ष के मेरे सभी मित्र राष्ट्रीय एजेण्डे में से उद्धरण दे रहे थे। क्या यह राष्ट्रीय एजेण्डा है या काल्पनिक एजेण्डा है? क्या यह राष्ट्रीय एजेण्डा है या नाममात्र का एजेण्डा है? इसमें मुलम्मा चढ़ी सामान्य बातें, एजेण्डा बेकार बातें भरी पड़ी हैं। यह सुनने में अच्छी लगती हैं लेकिन अस्पष्टता से भरी पड़ी हैं। यह अस्पष्टता खुद व खुद मुखर हो उठती हैं। यह किसी भी रचनात्मक समावेश के लिए महत्वपूर्ण न होकर षड्यंत्रकारी बहिष्कार के लिए महत्वपूर्ण है। डॉ॰ मुरली मनोहर जोशी द्वारा व्याख्यायित हिंदुत्व सहित इसमें किसी भी विवादास्पद मुद्दों का उल्लेख नहीं है।

इसकी शुरूआत ही दो भ्रामक बातों से होती है। मैं उन दो भ्रामक बातों का उल्लेख करना चाहूंगा। इसमें कहा गया है : "भाजपा और इसके सहयोगी दल एक टीम के रूप में जनता के समक्ष गए थे और उन्होंने नई सरकार के गठन हेतु समर्थन मांगा था। मतदाताओं ने अपना फैसला दिया। भाजपा और इसके सहयोगी दल संयुक्त रूप से एक जीते हैं और हमारे पास शासन करने हेतु जनादेश है।

महोदय, सबसे पहली बात यह है कि वे सहयोगी दलों के रूप में जनता के समक्ष नहीं गए, क्योंकि उनके पास संयुक्त एजेंडा नहीं था— मेरे मित्र श्री रामकृष्ण हेगड़े इस समय उपस्थित नहीं है—ऐसा समयाभाव के कारण नहीं था बल्कि यह सब एक समझौते के तहत चल रहा था।

मेरे मित्र श्री जार्ज फर्नान्डीज भी यहां उपस्थित नहीं है। वे दूसरों को उद्धृत करने में विश्वास रखते हैं। मैं उनको उद्धृत करना चाहता हूं। महोदय, वे कहां है? समता पार्टी ने, चुनावों से पूर्व, स्पष्ट रूप से कहा था कि वे उस सरकार में शामिल नहीं होंगे जिसमें अन्नाद्रमुक भागीदार हो।

मैं सभा का समय व्यर्थ नहीं होने देना चाहता हूं इसलिए मैं समाचार-पत्रों में छपी खबरों को शब्दशः उद्धृत नहीं करना चाहता हूं—श्री जार्ज फर्नान्डीज ने यह भी कहा था कि वे अनुच्छेद 370, हिन्दुत्व और मन्दिर जैसे अन्य मुद्दों पर समझौता नहीं करेंगे। इसलिए वे संयुक्त एजेण्डा नहीं बना पाए थे।

महोदय, वे जनता के समक्ष दो चेहरे लेकर ढोंगी के रूप में उपस्थित हुए थे। वे दो मुंही बातें कर दिखावे का सहारा ले रहे है। यदि वे एक संयुक्त एजेण्डा के साथ जनता के समक्ष गए होते तो चुनाव होने के बाद एक पत्र के इन्तजार में कई दिन, घण्टे और पलों तक दम साधे इन्तजार करने वाला तमाशा नहीं होता। अतः ऐसा कहना सही नहीं हैं कि वे सहयोगी दलों के रूप में जनता के समक्ष गए थे।

दूसरी बात, उन्हें जनादेश नहीं मिला है। श्री रामकृष्ण हेगड़े आज सुबह कह रहे थे कि अध्यक्ष के चुनाव के साथ ही उनका बहुमत सिद्ध हो चुका हैं। इसका अर्थ है कि अध्यक्ष के निर्वाचन तक उनके पास जनादेश नहीं था। क्या यह बात सही नहीं है? इसीलिए वे राष्ट्रीय एजेण्डे में यह कैसे कह सकते हैं कि उन्हें शासन चलाने के लिए जनादेश मिला है? वे ऐसा तो कह सकते हैं कि उन्हें दल-बदल को प्रेरित करने और दल-बदलुओं को प्रलोभन देने का जनादेश मिला है। वे ऐसा कह सकते हैं कि उन्हें सभा में अपने पक्ष में सदस्यों की संख्या को बढ़ाने का लाइसेंस मिला है। परन्तु उन्हें शासन करने के लिए जनादेश प्राप्त नहीं हुआ है। उन्हें इस बात को याद रखना चाहिए। उनकी घोर निराशा तो देखिए। यहां तक कि विश्वास मत के प्रस्ताव के पूर्व ही आंग्लो-इण्डियन सदस्यों को नाम-निर्देशित कर लिया गया।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका मैं व्यक्तिगत रूप से अत्यधिक सम्मान करता हूं, ने किसी भी बात का अवसर नहीं छोड़ा : उन्होंने भाग्य के भरोसे कुछ भी नहीं छोड़ा। वे 1996 में एक बार धोखा खा चुके थे इसलिए अब वे फूंक-फूंक कर कदम रख रहे हैं। मैं उनकी उत्कण्ठा को समझता हूं जो कि अत्यधिक रचनात्मक उत्कण्ठा है।

परन्तु इस डांवाडोल सिंहासन को बनाए रखने के लिए श्री अटल बिहारी वाजपेयी को उन स्तरों से सावधान रहना चाहिए जिसके सम्मुख वे झुक रहे हैं। विजय के लिए झुकने का यह प्रयास...(*व्यवधान*)

श्री तथागत सत्पथी (ढेंकानल) : यह तो महान खिलाड़ी के लक्षण है। इससे आपको परेशानी क्यों होती है।

श्री एस॰ जयपाल रेड्डी : हमें तो किसी भी कीमत पर स्वयं को सत्तासीन बनाए रखने वाली बात आतंकित करती है। लखनऊ में घटित जो कुछ हमने देखा इसके पीछे वही कारण है। उस समय श्री वाजपेयी ने इसका बचाव जमीनी राजनीति की एक घटना कहकर किया था। श्री वाजपेयी जी, हममें से कुछ दुर्भाग्यवश राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी रहे हैं। हमने प्लूटो से लास्की तक राजनीतिज्ञों की पुस्तकों का अध्ययन किया है। जमीनी राजनीति की परिभाषा केवल मैकियावेली द्वारा ही प्रस्तुत की गई है। यदि आप भारतीय राजनीति के मैकियावेली के रूप में जाने जाना चाहते हैं तो यह मैं आप पर छोड़ता हूं।

कल, प्रधानमंत्री ने विश्वास से भरकर कहा था :

> "देखिए, मैं आज उस स्थिति में नहीं हूं जैसाकि 1996 में था। आज की स्थिति में मुझे विश्वास मत प्राप्त होने का पूरा भरोसा है।

हे भगवान! केवल एक सप्ताह के भीतर ही आपकी अलपमत सरकार बहुमत में बदल गयी है। मेरे विचार से आपने स्वयं को श्री पी॰वी॰ नरसिम्हा राव से कई गुना ज्यादा सक्षम सिद्ध किया है जिन्होंने इस काम में ढाई वर्ष का समय लगाया था। इस समय मैं नहीं जानता कि आपको आगे सहयोगी दलों की आवश्यकता होगी भी या नहीं। आप उन्हें भी भविष्य में ठुकरा देंगे।

महोदय, आप बेहतर जानते हैं, हममें से कइयों को आप दशकों से जानते हैं और मैं आपका प्रशंसक रहा हूं। परन्तु हम भयभीत हो जाते हैं जब हमसे कहा जाता है कि आप केवल मुखौटे हैं जो राजनीतिक बागडली में सरसरी तौर पर रूचि लेते हैं। हम क्या करें? हम में से कई गम्भीर कष्टप्रद राजनीतिक दुविधा से घिरे हैं।

इस समय, मेरे मित्र श्री हेगड़े और श्री जार्ज फर्नान्डीज उपस्थित नहीं है। मैंने श्री नीतीश कुमार को नहीं सुना था। परन्तु मुझे पूरा विश्वास है कि वे भी यही बात कहेंगे। वे कहेंगे : "ओह! देखिए, वे बातें इसमें नहीं है; वे विवादास्पद बातें इसमें नहीं है।" महोदय, वो विवादास्पद विषय 1977 में भी नहीं थे; वे 1979 में भी नहीं थे और 1989 में भी नहीं थे। उन्हें हमेशा ठण्डे बस्ते में रखा गया। वास्तव में उन्हें इंक्यूबेस्टर में रखा गया था। उनकी जब कभी भी आवश्यकता पड़ी तब उन्हें उठाया गया।

मैं व्यक्तिगत रूप से श्री आडवाणी का सम्मान करता हूं। मैं उनके शब्दों को सत्य समझूंगा यदि वो अपने स्थान पर खड़े हों और कहें कि भाजपा ने इन मुद्दों को हमेशा के लिए छोड़ दिया है, मैं यह विश्वास करने के लिए तैयार हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि वे अपने स्थान पर खड़े होकर ऐसा नहीं कहेंगे। इसलिए, इस राष्ट्रीय एजेण्डे पर कौन विश्वास करेगा और इस राष्ट्रीय एजेण्डे से कौनसी पवित्रता जोड़ी गई है? क्या प्रधानमंत्री कह सकते हैं कि अनुच्छेद 370, विवादित क्षेत्र पर राम मन्दिर का निर्माण और समान नागरिक संहिता को जनहित के लिए अथवा हमेशा के लिए छोड़ा जा रहा है? नहीं, वे ऐसा नहीं कह सकते। क्या श्री आडवाणी भाजपा के अध्यक्ष के रूप में कह सकते हैं कि भविष्य में भाजपा काशी और मथुरा जैसे मुद्दों को नहीं उठायेगी? जब कभी भी काशी और मथुरा का प्रश्न उठाया गया सदैव यह रहस्यमय उत्तर होता है; "वर्तमान में ये विश्व हिन्दू परिषद की कार्य सूची में हैं।"

अपराह्न 3.00 बजे

किन्तु वे भाजपा के एजेण्डा में नहीं है। वे बड़ी चतुराई से इस बात को टाल रहे हैं कि वे भाजपा के एजेंडे में कभी नहीं थे। रहे मैं जानता हूं 1989 से पूर्व भी राम मन्दिर कभी भी भाजपा के एजेण्डे में नहीं था। किन्तु उसके पश्चात यह उनके एजेंडे में शामिल किया गया। सभापति महोदय, 1990 में यह भाजपा के एजेण्डे में क्यों शामिल किया गया? यह उचित या अनुचित कारण से इसलिए शामिल किया गया —मैं इसे इतिहासकारों के निर्णय पर छोड़ देता हूं। हमें इस घटना की इतनी जानकारी नहीं है कि हम इसके बारे में महत्वपूर्ण निर्णय नहीं दे सकते हैं। तत्कालीन सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। यह राम मंदिर का मुद्दा उनकी कार्य सूची में भगवान राम के प्रति श्रद्धा के कारण शामिल नहीं किया गया।

सभापति महोदय : रेड्डी जी, कृपया संक्षेप में बोलिए। कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए, समय बहुत सीमित है और अन्य वक्ता भी बोलने वाले हैं।

श्री एस॰ जयपाल रेड्डी : यह तत्कालीन सरकार के मंडल कार्यक्रम के प्रति सोच-विचार कर की गई प्रतिक्रिया के कारण शामिल किया गया। उस बारे में मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं।

6 दिसम्बर, 1992 को जब बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया था तो स्वामी नामदेव, जो इस आन्दोलन के प्रमुख थे, ने एक वक्तव्य दिया था जो स्मरणीय है। उन्होंने कहा था, "भारत के संविधान को रद्द किया जाना चाहिए और एक नया संविधान लिखा जाना चाहिए तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए।" उन्होंने यह वक्तव्य 6 दिसम्बर, 1992 को अयोध्या में दिया। मैं केवल उस आन्दोलन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का वर्णन कर रहा हूं।

महोदय, अब भाजपा को देखिए, भाजपा को मिला...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री रामचन्द्र बैंदा (फरीदाबाद) : सिवाय मंदिर के और कोई बात ही आपके पास नहीं है क्या? सिर्फ मंदिर ही हिन्दुस्तान है क्या?

[अनुवाद]

श्री चिन्मयानन्द स्वामी (मछलीशहर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री एस॰ जयपाल रेड्डी : मैं नहीं मानता।

सभापति महोदय : उनका व्यवस्था का प्रश्न है, आप किस नियम के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं?

श्री एस॰ जयपाल रेड्डी : वे इस बारे में एक विशेषाधिकार प्रस्ताव रख सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री चिन्मयानन्द स्वामी : नियम 380 के अन्तर्गत छह दिसम्बर, 1992 को स्वामी वामदेव जी ने यह कहा है क्या? क्या ये इसको ओथेन्टिकेट करते हैं? वे सदन के सदस्य भी नहीं हैं। वहां उन्होंने जो कहा है, क्या ये उसको ओथेण्टिकेट करेंगे। वे अपने बचाव के लिए यहां नहीं हैं। जब वे न अपने बचाव के लिए यहां है, न उन्होंने यह कहा है, क्या जो ये कह रहे हैं, उसको ओथेण्टिकेट करेंगे? इसलिए इसको रिकार्ड से निकाला जाये।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह नियम 380 के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

आप कृपया बैठिये।

[अनुवाद]

श्री सत्यपाल जैन : मैं नियम 353 के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

श्री एस॰ जयपाल रेड्डी : मैंने कभी भी किसी सदस्य के बोलने में व्यवधान नहीं डाला है और मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे बोलने में बाधा न डालें...*(व्यवधान)*

श्री सत्यपाल जैन : महोदय नियम 353 में कहा गया है :

> "किसी सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध मानहानिकारक या अपराधारोपक स्वरूप का आरोप नहीं लगाया जायेगा जब तक कि सदस्य ने अध्यक्ष को तथा संबंधित मंत्री को भी पर्याप्त अग्रिम सूचना न दे दी हो जिससे कि..।"

श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण (कराड़) : महोदय इसमें कुछ भी मानहानिकारक नहीं है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : यदि श्री जयपाल रेड्डी बात मानें तो मैं इस बारे में स्पष्टीकरण देना चाहता हूं।

[हिन्दी]

जयपाल जी ने किसी का वक्तव्य उद्धृत किया है, जिसका कि स्वामी जी ने प्रतिवाद किया है। मैं नहीं जानता हूं कि स्वामी वामदेव जी ने ऐसी बात कभी कही कि संविधान को समाप्त करना चाहिए और अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण को समाप्त करना चाहिए, मैं नहीं जानता।...*(व्यवधान)* मेरी बात सुनिये। अगर उन्होंने कहा है तो मैं और मेरी पार्टी और यह सरकार उससे पूरी तरह से असहमत हैं, उसे अस्वीकार करते हैं।

[अनुवाद]

श्री एस॰ जयपाल रेड्डी : सभापति महोदय, मैं श्री आडवाणी जी के स्पष्टीकरण का स्वागत करता हूं किन्तु मैं अपनी बात पर दृढ़ हूं, मैं इस बात को प्रमाणित करने के लिए तैयार हूं। 7 दिसम्बर, 1992 को यह सभी समाचार पत्रों में था।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : माननीय आडवाणी जी ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि उनकी पार्टी इससे सहमत नहीं है।

[अनुवाद]

श्री एस॰ जयपाल रेड्डी : मैं इसका स्वागत करता हूं ...*(व्यवधान)* भाजपा के तीन-चौथाई सदस्य-भाजपा के 177 सदस्यों में से लगभग 128 से 130 सदस्य हिन्दी भाषी क्षेत्रों से हैं...*(व्यवधान)*. मुझे अपनी बात स्पष्ट करनी है...*(व्यवधान)* यह उल्लेखनीय है कि हिन्दी भाषी क्षेत्रों से अन्य पिछड़े वर्ग का एक भी भाजपा सदस्य मंत्रीमंडल में नहीं है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : उन्हें बोलने दें जब आपकी पार्टी की तरफ से आपको समय मिले तो आप उत्तर दे सकते हैं।

[अनुवाद]

मैं जानता हूं और मेरी जानकारी के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों के बारे में आपकी जानकारी सही नहीं है।

श्री एस॰ जयपाल रेड्डी : मैं सही हूं। मुझे तथ्यों को बताने दें ...*(व्यवधान)* मैं मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अन्तर कर रहा हूं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : क्या आप एक मिनट बात सुनेंगे?

श्री एस॰ जयपाल रेड्डी : जी हां।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : यद्यपि आपके तथ्य सही भी हैं। तो भी मुझे आपसे यह अपेक्षा नहीं थी, किन्तु क्योंकि यह तथ्य सही नहीं है इसलिए मैं श्री संतोष के नाम का उल्लेख करना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

श्री एस॰ जयपाल रेड्डी : वे राज्य मंत्री है।

श्रीमती सुषमा स्वराज (दक्षिण दिल्ली) : वे एक कैबिनेट मंत्री है। गुजरात से भी काशीराम राणा कैबिनेट मंत्री हैं।

श्री एस॰ जयपाल रेड्डी : मैं अपने तथ्यों पर दृढ़ हूं... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप बैठिये। रेड्डी जी को बोलने दीजिए।

[अनुवाद]

कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : जयपाल जी यह पूर्णतः भाजपा सरकार नहीं है। यह भाजपा और उसके सहयोगी दलों की सरकार है। हिन्दी भाषी क्षेत्रों से हमने समता पार्टी के एक अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्य श्री नीतीश कुमार को लिया है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

मैं जरा फैक्ट्स सामने रख दूं।

[अनुवाद]

यह पूर्णतः भाजपा सरकार नहीं है, यह भाजपा और उसके सहयोगी दलों की सरकार है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : यह प्रश्न काल नहीं है, हर बात का उत्तर देना ठीक नहीं है।

श्रीमती सुषमा स्वराज : कोई भी सदस्य यहां मिसलीड करे तो उसको ठीक करना हमारा काम है। भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों की सरकार केन्द्र में है। हिन्दी बोलने वाले क्षेत्र से ओ॰बी॰सी॰ के श्री नीतीश कुमार मंत्री हैं और काशीराम राणा जी भी मंत्री हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब रेड्डी जी को बोलने दें, सुषमा जी ने बता दिया है।

[अनुवाद]

श्री एस॰ जयपाल रेड्डी : सभापति महोदय, मैं अब दूसरे विषय पर आ रहा हूं, अब मैं इस विषय पर नहीं बोल रहा हूं। मैं जानता हूं कि उन्हें अपने स्थानों पर बैठे कितनी परेशानी हो रही है। मैं इस विषय को यहीं पर छोड़ता हूं...*(व्यवधान)*

भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो मूल्य आधारित राजनीति में विश्वास रखती है क्योंकि यह प्रत्येक चीज को मूल्य जोड़ती है। ...*(व्यवधान)* मुझे अपने अच्छे पुराने मित्र सरदार बूटा सिंह की ईमानदारी पर संदेह नहीं है। मैं प्रत्येक व्यक्ति को निर्दोष मानता हूं चाहे वह भी लालू प्रसाद यादव हों या डा॰ (सुश्री) जयललिता हों या सरदार बूटा सिंह हों या श्री मुथैया हों...*(व्यवधान)* किन्तु मैं इस ईमानदार प्रधान मंत्री को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में केवल उन्होंने ही आरोपित व्यक्तियों को मंत्रिपरिषद में लिया है...*(व्यवधान)*। पिछले पचास वर्षों में किसी अन्य सरकार ने ऐसा नहीं किया। किन्तु इस मूल्य आधारित सरकार, इस ईमानदार प्रधानमंत्री ने आरोपित व्यक्ति को मंत्रीमंडल में लिया है, मैं समझ सकता हूं कि यद्यपि दिल्ली में अस्थिर गद्दी को प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री और भाजपा सरकार झुक गई है। किन्तु यह हिमाचल प्रदेश नामक शक्तिशाली राज्य में सर्वोच्च सत्ता के बारे में इतनी परेशान हैं।

उन्होंने श्री सुखराम के साथ भी समझौता किया है। उस अपवित्र समझौते के कारण ही श्री सुखराम के पुत्र राज्य सभा के लिए चुने गए हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : वे आपकी बात से सहमत नहीं है।

श्री एस॰ जयपाल रेड्डी : क्या प्रधानमंत्री कम से कम अब से अपनी छवि का ध्यान रखेगें? मुझे उनकी छवि की चिन्ता है। जबकि हमारे बीच सैद्धान्तिक अन्तर थे, फिर भी मैं हमेशा उनका प्रशंसक रहा हूं। महोदय, मुझे उनकी छवि की चिन्ता है। यदि उनको इसकी चिन्ता नहीं है, तो मुझे इस बात की चिन्ता है...*(व्यवधान)*

महोदय, मेरे मित्र श्री जार्ज फर्नान्डीज यहां उपस्थित नहीं है। मैं यह बताना चाहता हूं कि उनके गठबंधन के साथी डा॰ स्वामी उनके बारे में कुछ भी कहें। क्या विगत में उनके पास श्री फर्नांडीज के बारे में कुछ कहने के लिए था। लेकिन श्री जार्ज फर्नान्डीज के रक्षा मंत्री बनने के बाद, डा॰ सुब्रहमण्यण स्वामी ने कहा कि वे एल॰टी॰टी॰ई॰ के समर्थक हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह सही है।

मैं भी उनमें से एक हूं जो कि श्री जार्ज फर्नान्डीज की अति प्रशंसात्मक देश-भक्ति में विश्वास रखते हैं। मुझे बहुत निराशा हुई है क्योंकि वे इस भा॰ज॰पा॰ ब्रिगेड के असानी से शिकार बन गए हैं। लेकिन डा॰ स्वामी और श्री जार्ज फर्नान्डीज दोनों गठबंधन में शामिल हैं। निश्चय ही, मुझे समाचार-पत्र से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि डा॰ स्वामी को मेरे एक अन्य मित्र श्री हेगड़े के बारे में क्या कहना था। यह समाचार-पत्रों में दिया हुआ है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपना वक्तव्य समाप्त कीजिए। समय बहुत कम है। अनेक अन्य माननीय सदस्यों ने अभी बोलना है।

श्री एस॰ जयपाल रेड्डी : मेरा समता, ममता और जयललिता में पूरा विश्वास है। मुझे विश्वास है कि वे इस सरकार के धर्म निरपेक्ष चरित्र की रक्षा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे डर है कि उनको बचाने के लिए कोई नहीं होगा।

कुमारी ममता बनर्जी : हमें आपके परामर्श की आवश्यकता नहीं है।

श्री एस॰ जयपाल रेड्डी : बहन, मेरा आपके प्रति अत्यधिक स्नेह है। अतः मैं अपना स्नेह प्रकट कर रहा हूं। वे शेर की सवारी

[श्री एस॰ जयपाल रेड्डी]

कर रहे हैं। शेर की सवारी करने वाले का अंत निश्चित है। क्या आपने बी॰एस॰पी॰ का उदाहरण नहीं देखा है? क्या आपको कुमारी मायावती की नीयत से कुछ स्पष्ट नहीं हुआ? क्या आप यह नहीं सोचते कि शीघ्र या देर से, यही आपके साथ भी होने वाला है? हमारा भा॰ज॰पा॰ के साथ कोई संबंध नहीं है। भा॰ज॰पा॰ तो हिमखंड का रंच मात्र है। इस हिमखंड का अधिकांश भाग अदृश्य है। यह दानवीर-वृत्ति वाला दल है, जिसे संघ परिवार कहा जाता है, जो कि जानबूझ कर भिन्न-भिन्न विचारों को व्यक्त करते हैं। हम उसके साथ क्या करें? आप उनसे कैसे संबंध रखेंगे? मैं जानना चाहूंगा। संघ परिवार एक राजनीतिक आर्केस्ट्रा है।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री एस॰ जयपाल रेड्डी : मैं सभी को, जो यहां उपस्थित नहीं हैं, शामिल करते हुए, अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। यह एक राजनीतिक आर्केस्ट्रा है जिसका मास्टर इस सभा में नहीं है। इसका रिमोट कन्ट्रोल नागपुर में है। यह यहां नहीं है। हम केवल कठपुतलियों से बात कर रहे हैं। कौन कहता है कि संघ परिवार उग्रवादियों से भरा हुआ है। मैं इससे सहमत नहीं हूं।

सभापति महोदय : श्री रेड्डी, मैं श्री चन्द्रशेखर जी का नाम पुकारने जा रहा हूं। समय बहुत कम है जबकि बोलने वाले अनेक हैं।

श्री एस॰ जयपाल रेड्डी : मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा।

संघ परिवार में नरमपंथी और गरमपंथी दोनों है। श्री एल॰के॰ आडवाणी की तुलना में श्री अटल बिहारी वाजपेयी नरम हैं, डा॰ मुरली मनोहर जोशी की तुलना में श्री एल॰के॰ आडवाणी नरम हैं, कुमारी उमा भारती की तुलना में डा॰ मुरली मनोहर जोशी नरम हैं, श्री राजु भैया की तुलना में कुमारी उमा भारती नरम है, श्री विनय कटियार की तुलना में श्री राजु भैया उदार हैं। इसलिए इस दल में नरमपंथियों की बहुतायत है...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। बहुत हो गया।

श्री एस॰ जयपाल रेड्डी : मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। जो कुछ मैं कह रहा हूं, उससे चोट पहुंचती है। मैं कभी चोट नहीं पहुंचाता बशर्ते कि मेरा चोट पहुंचाने का इरादा न हो। मैंने यह राष्ट्रपति का अभिभाषण पढ़ा है। इसमें कहा गया है कि महात्मा गांधी को स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार इस शताब्दी का महान् व्यक्ति माना गया है। महात्मा गांधी को इस शताब्दी का केवल महानतम् व्यक्ति माना गया है। उन्हें राष्ट्रपिता नहीं माना गया।

महोदय, कितनी शर्मनाक बात है, क्या मैं इस सरकार में अपना विश्वास रखूं? महोदय, अन्य महान व्यक्ति कौन हैं?

सभापति महोदय : मैं श्रीचन्द्रशेखर को बुला रहा हूं। अब आप कृपया बैठ जाइए।

श्री एस॰ जयपाल रेड्डी : मैं इस सरकार का विरोध कर रहा हूं...(*व्यवधान*) मुझे इस सरकार में विश्वास नहीं है...(*व्यवधान*) इनका राष्ट्रीय एजेण्डा केवल एक सुव्यक्त एजेण्डा है। पर मुझे शंका है कि उनका एक गुप्त एजेण्डा भी है। यह एक विघटनकारी विस्फोटक एजेंडा है...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : इन्होंने 6 मिनट के स्थान पर 30 मिनट ले लिए हैं।

(*व्यवधान*)

श्री एस॰ जयपाल रेड्डी : इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर : सभापति महोदय, कल से यहां जो बहस चल रही है, उस बहस का प्रारम्भ भारत के प्रधान मंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेजी ने किया। उन्होंने जो भाषण दिया उनसे असहमत होते हुए भी मैं कहना चाहूंगा कि उनके भाषण में देश के बारे में चिन्ता थी। उन्होंने हमारी चुनौतियों को समझने का प्रयास किया था। उन्होंने देश को एक दिशा में ले जाने के लिए हमें संकेत दिया था। यह बात दूसरी है कि उसके बारे में विभिन्न विचार हों और मैं उनसे सहमत न हूं लेकिन उसके बाद जो बहस चल रही है उससे मुझे ऐसा लगता है कि उनके निवेदन का कोई असर इस सदन पर नहीं पड़ा। दोनों तरफ से केवल एक-दूसरे की आलोचना, एक-दूसरे पर कटाक्ष, पुराने गीत दोहराने की बातें, पुरानी कुरीतियों का, पुराने कुकृत्यों का बखान इस सदन में हुआ है, भविष्य की चिन्ता कम दिखाई पड़ती है।

महोदय, मैं नहीं जानता, कोई भी राष्ट्र, जो केवल अतीत पर रोता रहेगा वह नया भविष्य कैसे बना सकेगा? मैं इस सदन के सामने बड़े विनम्र शब्दों में कहना चाहता हूं कि आज सारा देश और सारी दुनिया इस सदन की ओर देख रही है और यह समझती है कि भारत इस कठिन समय में, संकट की घड़ी में कुछ निर्णायक कदम उठाएगा। मैं मानता हूं कि सदन में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। यह बात दुनिया में निराली नहीं है। दुनिया के अनेक देशों में यह परिस्थिति पैदा हुई लेकिन उन लोगों ने देश को बचाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए अपने अन्तर विरोधों को भुला कर मिल कर, सहयोग के रास्ते पर काम करने का प्रयास किया और उन्हें उसमें सफलता भी मिली।

महोदय, प्रधान मंत्री जी ने अपने भाषण का प्रारम्भ यहीं से किया। मैं बड़े विनम्र शब्दों में कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी, अगर आपने अपनी सरकार का प्रारम्भ उसी तरीके से किया होता तो शायद उतनी कटुता इस सदन में आज न होती, जो कुछ इन पिछले 20 दिनों में हुआ। उससे देश का मानस और कम से कम इस सदन के सदस्यों के मानस में कटुता ही बढ़ी है, आपस में टकराव की भावना ही बढ़ी

है। यह बात सही है कि जजबातों को उभार कर वोट पाए जा सकते हैं, सरकार बनाई जा सकती है लेकिन देश की समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता। जजबातों को उभारने का जो पुराना काम हुआ, उसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा। वे घाव अभी भी हरे हैं। उन हरे घावों पर नमक डालने से देश में कोई अच्छी बात नहीं बनेगी। मैं अपने वाणिज्य मंत्री से कहना चाहता हूं, जो हमारे मित्र हैं, मैं उनकी सलाह पर ही चलना चाहूंगा, उन्होंने कहा है कि अभी सरकार को कोई कदम उठाने का मौका नहीं मिला, अभी सरकार थोड़े दिन पहले बनी है, उस पर अगर चर्चा होती तो हम समझते कि कोई सार्थक चर्चा हो रही है।

सभापति जी, आपकी आज्ञा से मैं प्रधान मंत्री जी का ध्यान उन बातों की ओर खींचना चाहूंगा जो सरकार बनने के बाद हुई हैं। मैं अध्यक्ष के चुनाव की चर्चा नहीं करूंगा। कैसे सरकार बनी, कौन लोग सरकार में आए, किस तरह से एकता हुई और उस एकता के लिए कोई पृथक एजेंडा है या नहीं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। इससे भी मुझे कोई मतलब नहीं कि भारतीय जनता पार्टी आगे क्या करेगी। भारतीय जनता पार्टी के बारे में अपने विचार मैंने एक बार नहीं अनेकों बार प्रकट किए हैं। हमारे इन मित्रों में से बहुतों को यह आशा रही होगी, हमें तो कोई आशा नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी अचानक ही बदल जाएगी। चाहे जो कुछ भी आप कहें, लेकिन आप बदलने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार का एक सदस्य है और यह जानती है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से हमारा चाहे जितना भी विरोध हो, वह संघठित, निष्ठावान, संकल्प वाले नवयुवकों का संगठन है। मैं यह बात आज से नहीं कह रहा हूं। आज से कई वर्ष पहले हमारे बहुत से मित्रों ने इस बात के लिए आलोचना की। जब उन्होंने कहा कि स्वदेशी का आंदोलन चलाएंगे तो मैंने कहा कि हम उनका साथ देंगे। हमारे मित्र मुरली मनोहर जोशी जी आज जो स्वदेशी की परिभाषा कर रहे थे तो मैं सोच रहा था कि इंसान कितना बदल जाता है, सरकार में आने के पहले और सरकार में आने के बाद। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी बदलेगी नहीं और बदलना भी नहीं चाहिए और हमें ऐसी आशा भी नहीं है लेकिन प्रधान मंत्री जी यह कह रहे हैं कि सहमति का रास्ता ढूंढना चाहिए, मिल करके काम करना चाहिए। मैं कुछ सवाल आपके सामने रखना चाहूंगा। समझौते क्या हुए, किसके कितने मंत्री होंगे, ये बातें अलग हैं। मंत्री आते हैं चले जाते हैं, प्रधान मंत्री आएंगे, चले जाएंगे लेकिन यह देश रहेगा। कुछ बुनियादी सवालों का जवाब मैं प्रधान मंत्री से जरूर चाहूंगा कि वे किस रास्ते पर इस देश को ले जाना चाहते हैं। क्या सहमति का रास्ता उसी तरह से बनेगा जो तरीका आपने पिछले 20 दिनों में अपनाया है। क्या आप समझते हैं कि विरोधी पार्टियां आपके बहुमत पा जाने से आपके पीछे लग जाएंगी। क्या आप समझते हैं कि विरोधी पार्टियां आपका विरोध करना छोड़ देंगी। मैंने पिछली बार एक बात कही थी जिससे आपके लोग बहुत नाराज हुए थे तब मैंने कहा था कि आपको बहुमत नहीं मिलेगा, आप त्यागपत्र दे दीजिए। आज वह बात मैं नहीं कहता क्योंकि मैं नहीं जानता कि आपको बहुमत मिलेगा या नहीं। लेकिन प्रधान मंत्री जी आप विदेश मंत्री रहे हैं। आपके निकट सम्पर्क में रह करके मुझे कुछ काम करने का मौका मिला है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप चीन के बारे में अपनी नीति बदलने वाले हैं? क्या तिब्बत के ऊपर भारत का दृष्टिकोण बदला है? अगर नहीं बदला है तो जब आपकी कैबिनेट का, मंत्रिमंडल का एक सदस्य इन सवालों पर ऐसा बयान देता है तो आपकी उस पर क्या प्रतिक्रिया है। क्या देश को चलाने का यही रास्ता है? क्या देश इस रास्ते पर चलेगा। क्या संसदीय जनतंत्र को चलाने में कैबिनेट की, मंत्रिमंडल की संयुक्त जिम्मेदारी होती है या नहीं?

सभापति जी, मैं एक-दो बुनियादी सवालों को कुछ मिनटों में कहकर अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मैं जानता हूं और यह एक सिद्धांत है कि सेना का उपयोग आंतरिक मामलों में नहीं होना चाहिए। इसे हम सभी जानते हैं लेकिन क्या मंत्रिमंडल के किसी सदस्य को यह स्वतंत्रता है कि किसी भी हालत में वह कहे कि किसी भी स्थिति में सेना आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। अगर सेना में ही विद्रोह हो जाए, मैं कल्पना नहीं कर रहा हूं, 1984 में एक समय हुआ था। आपके मंत्रिमंडल के एक सदस्य ने बयान दिया है, अखबारों में मैंने पढ़ा है, मैं नहीं जानता। उस समय कौन जाएगा? क्या कोई वालेंटियर कोर वहां जाएगी। अगर पुलिस की कोई टुकड़ी विद्रोह कर दे, तब उस परिस्थिति में क्या होगा, जैसा दिल्ली में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, बिहार में हुआ। जब ऐसे सवालों पर मंत्रिमंडल के सदस्य बयान देते हैं तो क्या हमारे मन में यह शंका पैदा नहीं होती, क्या हमारे मन में यह नहीं आता है कि यह सरकार किसी भी हालत में देश को चलाने के लिए न तो गंभीर कदम उठा सकती है न इसमें कोई मानसिकता है, सिवाए इसके कि यह सरकार किसी तरह से कुर्सियों पर बैठे रहना चाहती है। अगर भविष्य के बारे में चिंता है तो इन बुनियादी सवालों पर आपका संकेत जाना चाहिए।

मैं नहीं जानता कि कोई भ्रष्टाचार का दोषी है या नहीं? मैं उन लोगों में से हूं जिन्होंने बार-बार इस सदन में और उसके बाहर यह बात कही है कि जब तक कोई भ्रष्ट न्यायालय से साबित न हो जाए, उसको भ्रष्ट कह कर उसकी मर्यादा को मत गिराओ। मैंने एक व्यक्ति के लिए नहीं कहा। मुझे आज भी इस बात को कहने में गौरव है कि आडवाणी जी पर जब आरोप लगा था मैंने अखबारों के जरिए कहा कि मैं विश्वास नहीं करता कि आडवाणी जी कोई ऐसा काम करेंगे। इसके लिए मेरी आलोचना हुई। मैंने लालू प्रसाद यादव, माधवराव सिंधिया और सुखराम के लिए जब ऐसा कहा तो उस समय मेरी बड़ी आलोचना हुई। हमारे इस तरफ के बैठे मित्रों ने हमारी कटु आलोचना की, व्यंग्य के शब्द कहे। हम नहीं जानते कब किस से जनतंत्र में मदद लेनी पड़ जाए? किसी के चरित्र को गिरा देना आसान है, किसी के व्यक्तित्व को तोड़ देना आसान है। आडवाणी के व्यक्तितत्व को तोड़ सकते हो, लालू को मिटा सकते हो, मुलायम सिंह को गिरा सकते हो, कल्पनाथ राय को जनता की नजर से हटा सकते हो लेकिन हम और आप में समर्थ्य नहीं है कि हम दूसरा आडवाणी या दूसरा लालू प्रसाद यादव या मुलायम सिंह या कल्पनाथ बना दें। इस बात को हमें याद रखना चाहिए। आज हम किस तरह से एक दूसरे से मुंह छुपा रहे हैं? उन नामों को लेकर बार-बार चर्चा होती है तो मुझे लगता है कि क्या अतीत की वही कटु स्मृतियां जगाते हुए हम भारत के नए

[श्री चन्द्रशेखर]

भविष्य को बनाना चाहते हैं? आप इस बात पर फिर से गौर कीजिए। भ्रष्टाचार मिटना चाहिए क्योंकि वह आपके एजेंडे का एक अंग है। लेकिन भ्रष्टाचार केवल पैसे का लेन-देन नहीं है, भ्रष्टाचार के साथ एक शब्द है हिन्दी में जिसको सत्यनिष्ठा कहा जाता है जिसको अंग्रेजी में इंटीग्रिटी कहा जाता है। अगर सत्यनिष्ठा नहीं है तो सरकार नहीं चलायी जा सकती और सत्यनिष्ठा का पहला प्रमाण है कि जो जिस पद पर है, जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व को निभाने के लिए आप उस पर नियंत्रण रखें और कम से कम अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें।

अपराह्न 3.31 बजे

[**श्री के॰ प्रधानी** *पीठासीन हुए*]

आपने स्वदेशी का जिक्र किया। मुरली मनोहर जी होते तो बहुत अच्छा होता। वित्त मंत्री जी हमारे मित्र हैं। वह बुद्धिमान व्यक्ति हैं। कल उन्होंने बहुत सोच-समझ कर शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि लिबरलाइजेशन चलता रहेगा, उदारीकरण चलेगा लेकिन स्वदेशी भी चलेगा। अभी मुरली मनोहर जी कह रहे थे कि हिन्दुस्तान हिन्दुस्तानियों के हाथ से बनेगा, यह हमारे एजेंडे में लिखा है। क्या दुनिया में यही स्वदेशी की अवधारणा है। क्या गांधी जी की यही अवधारणा है? पता नहीं किस ने कहा था, मैंने उनसे सुना कि शरद पवार जी को गांधी जी के स्वदेशी की याद नहीं है। जिस सज्जन ने कहा था, उनको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि गांधी जी ने 1930 में विदेशी कपड़ों की होली जलायी थी। उन्होंने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार की बात की थी। हमारे एक मित्र इस तरफ से कह रहे थे कि स्टील एथॉरिटी आफ इंडिया बंद होने को है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या बाहर से आने वाले स्टील पर आप रोक लगाने के लिए तैयार हैं? इसमें स्टील एथॉलिटी के अफसरों का कोई दोष नहीं। वहां कोई कमी नहीं आई है। जिस तरह से बाहरी दुनिया से स्टील का आयात हो रहा है, स्टील ही नहीं, फर्टिलाइजर का आयात हो रहा है, उसके कारण हमारी कम्पनियां बंद हो रही हैं। आप बेरोजगारी मिटाने का वायदा एजेंडे में करते हो और चाहते हो कि देश इस पर विश्वास करे। क्या यह देश चलाने का रास्ता है? ये सब काम सरकार बनने के बाद हुए हैं।

मैं खास तौर से प्रधान मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस तरह के असत्य वायदे करके, लोगों को भ्रम में डाल कर बहुत आशा दिलायी जा चुकी है, बहुत लोगों के दिलों में विश्वास दिलाया गया है, बहुत बार विश्वास टूटे, एक बार फिर उस विश्वास को तोड़ेंगे तो शायद यह जनतंत्र टूट जाएगा। इसलिए हम आपके इस विश्वास तोड़ने की कला का विरोध करते हैं।

अभी हमारे वाणिज्य मंत्री जो कि मेरे मित्र हैं और विश्वज्ञ हैं, उन्होंने कहा कि हमने केवल इतना कहा है कि कॉन्स्टीट्यूशन रिव्यू होगा। हमने उसे कितनी बार अमैंड किया है? मैं ऐसा समझता हूं कि हम से ज्यादा उनको अंग्रेजी आती है। अमैंड करने और रिव्यू करने में अन्तर होता है।

यहां पर संविधान के बहुत से ज्ञाता बैठे हुए हैं। जब आप कांस्टीट्यशन रेव्यू करने की बात करते हैं अपने ऐजेण्डा में, क्या इस पर आपने न्यायविदों से चर्चा की है? क्या दूसरी पार्टियों की सहमति ली है, क्या इस पर कोई चर्चा हुई है? किस दिशा में आप संविधान का रेव्यू करने जा रहे हैं? याद रखिये कि जब-जब डेमोक्रेसी टूटी है, जब-जब संसदीय जनतंत्र टूटा है, वहां के नेताओं ने यह कहा है कि संविधान कमजोर है, इसको बदलने की जरूरत है। मैं जो संकेत देखता हूं, यह खतरनाक संकेत है। मैं नहीं जानता कि इरादे क्या हैं लेकिन भाषा का इस्तेमाल करते हुए दुनिया के इतिहास को नजर में रखिये। अगर दुनिया के इतिहास पर नजर नहीं रखेंगे तो याद रखिये यहां के कुछ सदस्य ही आपकी बातें नहीं सुन रहे हैं, इस ऐजेण्डा को केवल हम ही नहीं पढ़ रहे हैं, सारी दुनिया के लोग इस ऐजेण्डा को देख रहे हैं। आपने जो ऐजेण्डा बनाया है वह एक भंयकर दिशा में संकेत करता है और एक भयंकर दिशा में संकेत करने के लिए मैं नहीं जानता आपने जान-बूझकर यह किया है या अनजाने में किया है। मुझे हैरानी होती है।

यहां हमारी सूचना एवं प्रसारण मंत्री बैठी हुई हैं। कल उन्होंने हिन्दुत्व की परिभाषा सदन में सुनायी। मैं भी उनका भाषण कहीं बैठा सुन रहा था क्योंकि उस समय मैं सदन में उपस्थित नहीं था। वही हिन्दुत्व की परिभाषा श्री मुरली मनोहर जोशी जी ने आज बताने की कोशिश की। आप उच्चतम न्यायालय की बात बार-बार हमारे सामने दोहराते हैं। मैंने प्रधान मंत्री की हैसियत से कहा है कि मुझे इस बात का अभिमान है कि मैं हिन्दू हूं लेकिन मेरी दृष्टि में हिन्दुत्व क्या है यह भी मैंने उसमें कहा था। मैं आपसे जानना चाहूंगा खास तौर से प्रधान मंत्री जी से कि अभी उन्होंने सर सैयद अहमद की एक किताब पढ़कर सुनायी। मैं इसका जिक्र नहीं करता लेकिन इस तरह की किताबों को पढ़कर किसको भ्रम में रखना चाहते हैं? 1939 में इसी देश में एक किताब छपी थी 'द इंडियन नेशनहुड डिफाइन्ड।' उसमें लिखा है कि एक चैरिटी ऑफ रेस का रास्ता हमको हिटलर ने बताया है। भारत के लिए वह रास्ता देखने और समझने योग्य है। उसमें लिखा है कि माइनौरिटी को नागरिकों का अधिकार नहीं होगा। उसमें लिखा है कि हमारे देश में ये केवल अतिथि के रूप में है। चाहें तो रहें, नहीं तो उनको इस देश से बाहर जाना पड़ेगा और मैं समझता हूं कि इसमें बैठे हुए सब लोग बीजेपी के लोग जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग हैं, उन्होंने उस किताब को पढ़ा होगा। 1939 में लिखी गई उस किताब का क्या आपने कभी खंडन किया? क्या कभी आपने कहा कि उसमें हिन्दुत्व की जो परिभाषा दी गई है उससे राष्ट्रीय स्वयंसेयक संघ या बीजेपी सहमत नहीं है? आडवाणी जी, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं। यह कह देना आसान है कि आपकी सरकार, आपकी पार्टी इस बात से सहमत नहीं है आप में यह शक्ति है कि आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से असहमति जाहिर कर सकते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : जिस पुस्तक का उल्लेख आदरणीय चन्द्रशेखर जी ने किया, उसके लेखक ने ही उससे अपने को असम्बद्ध किया। गुरूजी ने कहा कि मैं उससे सहमत नहीं हूं।

श्री चन्द्रशेखर : अगर यह बात है तो फिर आर॰एस॰एस॰ को कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि वह कहे कि उस पुस्तक में जो विचार व्यक्त किये गए हैं, उससे आर॰एस॰एस॰ असहमत है और उससे बीजेपी का कोई संबंध नहीं है। अगर ऐसा हो जाए तो यह बात बहुत अच्छी है।

मैं आपसे एक दूसरी बात पूछना चाहता हूं। आप राष्ट्र को नयी दिशा देने वाले हैं, नयी राजनैतिक संस्कृति है। क्या राजनैतिक संस्कृति है मुझे मालूम नहीं लेकिन उसमें लिखा गया है कि एक नयी राजनैतिक संस्कृति बनेगी। क्या वह संस्कृति वही होगी जिसका प्रदर्शन दो दिनों से इस सदन में हो रहा है? एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से और इस संस्कृति को बदलने का क्या यही रास्ता है?

मैं एक और सवाल आपके सामने रखना चाहूंगा। विदेश मंत्री जी और प्रधान मंत्री जी ने दुनिया की बहुत सी संस्थाओं में भारत का नेतृत्व किया है। आपको बड़ा अनुभव है। मुझे याद नहीं शायद आपको ज्यादा याद होगा। ईदी अमीन के अलावा दुनिया में कोई दूसरा राष्ट्रनायक हुआ जिसने बयान देकर कहा हो कि हम ऐटम बम बनाएंगे। आपके मंत्रिमंडल का एक सदस्य प्रेस कौनफ्रेन्स करके कहता है कि मैं ऐटम बम बनाऊंगा और दूसरे ही दिन पाकिस्तान से मांग आती है कि इंडिया पर सैंक्शन लगाई जाए। क्या अपने पड़ोसियों के साथ रिश्ते सुधारने का ये पहला कदम है जो आपकी सरकार उठा रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इन सवालों का जवाब यह देश आपसे चाहता है। इन सवालों का जवाब देश ही नहीं, दुनिया जानना चाहती है।

इन सवालों का जवाब दिये बिना हम कहां जायेंगे। मैं नहीं चाहता कि विवादास्पद सवालों को उठाया जाए। लेकिन इस देश में हमें अंग्रेजी और हिन्दी में सारे काम करना तय किया था। हमने यह कहा था कि सब भाषाओं को समान आदर दिया जायेगा। आपने लिखा है कमीशन बनेगा। 19 भाषाओं को वही दर्जा दिया जायेगा जो अंग्रेजी और हिन्दी को दिया जायेगा। इसी सदन में नीतीश जी बैठे हुए हैं। सैकड़ों बार तो इनके मुंह से मैंने सुना है कि हिन्दी का अनुवाद कहां है। अगर आपका यह एजेंडा लागू हो गया तो 19 भाषाओं का अनुवाद अब नीतीश जी आपको करना पड़ेगा। क्या एजेंडा लागू करते समय आपने सोचा कि इसका क्या दूरगामी परिणाम होगा। कुछ लोगों को प्रसन्न करने के लिए भारत के भविष्य के साथ और सारी कार्य पद्धति के साथ खिलवाड़ किया जा सकता है। क्या इस तरह की बातें हमारी गैरजिम्मेदाराना हरकतों की परिचायक नहीं हैं। इन सवालों पर हमें और आपको गौर करना पड़ेगा। मैं कहता हूं जज्बातों के साथ हम सब लोग बहुत खेल चुके हैं। जाति का सवाल हो, धर्म का सवाल हो, भाषा का सवाल हो, क्षेत्रीय सवालों के ऊपर हम एक दूसरे को भड़काकर साथ लेकर बहुत कुछ कर सके। आप चार राज्य बना रहे हैं। मैं समझता हूं आप अवगत हैं। यहां नेता विरोधी दल बैठे हुए हैं। क्या उनके राज्य में चार और राज्य बनाने की मांग नहीं चल रही है। विदर्भ का क्या होगा, मराठवाड़ा का क्या होगा, सौराष्ट्र का क्या होगा, तेलंगाना का क्या होगा। एक जगह ही नहीं कोई राज्य ऐसा नहीं है जहां इस तरह की मांग न हो। उस दिन बोडो के हमारे साथी सवाल उठा रहे थे। क्या आप यह काम कर सकते हो। प्रधान मंत्री जी, क्या वह दिन आपको याद है जब पहली बार जनता पार्टी की सरकार बनी थी और उस दिन जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में यह कहा गया था कि हम छोटे राज्य बनायेंगे। पहली पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग में हमारे वरिष्ट नेताओं ने यह कहा था कि छोटे राज्य बनाने का काम हाथ में ले लो। मैंने हाथ जोड़कर निवेदन किया था, मेरी एक प्रार्थना सुन लीजिए। गांधी जी का नेतृत्व था, राष्ट्रीय आंदोलन की सहमति थी, राजेन्द्र बाबू राष्ट्रपति थे, पंडित जवाहर लाल नेहरू प्रधान मंत्री थे, सरकार पटेल गृह मंत्री थे। उस समय सिद्धांतों के आधार पर जो भाषावार राज्य बनाने की बात की, हमने उसको स्वीकार किया था। इस देश में कितना खून बहा था। उस समय का देश हिन्दुस्तान ऐसा नहीं था, जो आज है। 1977 में हमने अपने नेताओं से कहा था कि कुछ और काम कर लीजिए, उसके बाद छोटे-छोटे राज्य बनाने का काम कीजिए। श्रीमन्, छोटे राज्य की कल्पना से हमारा कोई विरोध नहीं है। लेकिन क्या यही अवसर है, जब चारों तरफ तूफान खड़ा हो रहा है। छोटे-छोटे मुद्दों पर आतंकवाद जैसी स्थिति पैदा हो रही है। अगर चार राज्य बनेंगे तो क्या 12-14 जगहों से इनकी मांग नहीं उठेगी? क्या उसके बारे में आपने सोचा है। क्या उन चार राज्यों का ज्यादा दवाब था। चाहे असेम्बली का प्रस्ताव हो, यह काम मत कीजिए। देश की राजनीति से अगर यह खिलवाड़ होगा तो यह देश के भविष्य के साथ बड़ा भारी विश्वासघात होगा। मैं इसीलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इस सवाल पर...*(व्यवधान)*

मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी ए॰वी॰एस॰एम॰ : चंद्रशेखर जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया आप यह बताइये अगर भौगोलिक परिस्थितियों में विकास की दृष्टि से किसी छोटे राज्य को बनाना हो तो आपको एतराज क्यों है।...*(व्यवधान)* भौगोलिक परिस्थिति और विकास की दृष्टि से आवश्यक विकास को क्या आप रोकना चाहत हैं।...*(व्यवधान)*

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर) **:** सबके लिए समान न्याय चाहिए...*(व्यवधान)*

श्री चंद्रशेखर : सभापति महोदय, खंडूड़ी साहब ने जो सवाल उठाया है...*(व्यवधान)* मैं इस माहौल में नहीं बोल सकता, पहले आप बोल लीजिए, तब मैं बोलूंगा। मैंने खंडूड़ी साहब की बात सुनी, उनका जो सवाल है, उसको मैं समझता हूं कि हमारे देश में अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर विकास का काम नहीं हुआ है और उस बात को मैं जानता हूं। लेकिन खंडूड़ी साहब उसके लिए हमारे संविधान में प्रोविजन है। जितने अविकसित इलाके हैं वहां पर विकास परिषदें बनाई जाएं। उनके लिए विशेष योजनाएं चलाकर वहां विकास का काम किया जा सकता है। यह कदम पहले ही नहीं उठाया गया, अगर वह कदम उठाया गया होता तो आज उत्तराखंड, उत्तरांचल, वनांचल की मांग इतनी जोर नहीं पकड़ती। यह बात आज से नहीं 1967-68 से मैं अपने राजनेताओं से बार-बार कहता रहा हूं। मैं ही नहीं कह रहा हूं 1950 में प्लानिंग कमीशन का उद्घाटन करते हुए पंडित नेहरू ने कहा था—आंचलिक विषमता हमारे लिए अभिशाप बन जायेगी।

[श्री चन्द्रशेखर]

अगर हम आंचलिक विषमता को नहीं मिटा सके, अगर हम पिछड़े इलाकों के लिए विशेष योजनाएं नहीं बना सके, तो देश टूट जाएगा। हमें दुख है कि पं॰ जवाहर लाल नहेरू की राय के बावजूद, 50 वर्षों के प्रजातंत्र के प्रयोग के बाद भी हम उस काम को नहीं कर सके। लेकिन मैं चाहता हूं कि छोटे राज्य बनने चाहिए, परन्तु आज जब चारों तरफ खून-खराबा, आपसी विग्रह, घृणा और नफरत का समां है, तब यह नहीं होना चाहिए। यहां हमारे सोमनाथ दादा बैठे हैं। क्या होगा, आपके यहां भी वनांचल बनेगा, आपके यहां भी गोरखालैंड बनेगा, कोई राज्य बचा नहीं रहेगा। प्रधान मंत्री जी और खासतौर से गृह मंत्री जी, क्या आप उस स्थिति को पैदा करना चाहते हैं? ...*(व्यवधान)*

सभापति जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बुनियादी सवाल है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इन बुनियादी सवालों पर जो देश के भविष्य से जुड़े हुए हैं, जो किसी के मान-सम्मान से नहीं जुड़े हैं, किसी पार्टी की एकता के टूटने से नहीं जुड़े हैं, इन पर ध्यान नहीं दिया गया है। देश में जो पार्टियों को जोड़ने और तोड़ने का काम हो रहा है उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। उस पर बोलने के लिए बहुत से पारंगत लोग यहां बैठे हैं, ये विचार व्यक्त करेंगे।

प्रधान मंत्री जी, आप जानते हैं, मैंने आपसे आज नहीं, 1967 में कहा था गुरुदेव आप रास्त से भटक रहे हो और आपका रास्ते से जो भटकाव होगा, वह देश के लिए बहुत कीमती होंगा और इसीलिए आज मैं आपको चेतावनी देने के लिए खड़ा हुआ हूं और देश की जनता से यह कहना चाहता हूं कि यह नैशनल एजेंडा और कुछ नहीं, केवल विश्वासघात का एक दूसरा दस्तावेज है जिससे देश की बरबादी होगी। इसलिए मैं इस विश्वास मत के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब, श्री किंजारप्पू येरननायडू।

श्री पी॰सी॰ थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, कुछ छोटे-छोटे दल है। मुझे बताया गया था कि प्रधानमंत्री महादेय ने चार बजे उत्तर देना था। कृपया छोटे-छोटे दलों को भी कुछ समय दीजिए...*(व्यवधान)*

श्री जी॰एम॰ बनातवाला (पोन्नानी) : कृपया मुझे कुछ मिनट का समय दीजिए...*(व्यवधान)*

श्री अमर राय प्रधान (कूचबिहार) : महोदय, कृपया समय बढ़ा दीजिए...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कपृया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : क्या हम समय बढ़ाएं?

श्री के॰ येरननायडू (श्रीकाकुलम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने माननीय सदस्यों से अनुरोध कर रहा हूं...*(व्यवधान)* महोदय, सभा में व्यवस्था नहीं है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं संसदीय कार्य मंत्री से इस बारे में जानना चाहूंगा। अन्य अनेक वक्ता हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सभा समय बढ़ाने के लिए सहमत है अथवा नहीं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : समय एक घंटे के लिए बढ़ाया जा सकता है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अनेक दलों के माननीय सदस्यों ने अभी तक नहीं बोला है।

श्री ई॰ अहमद : छोटे-छोटे दलों को भी समय देना चाहिए ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : क्या हम एक घंटे के लिए सभा का समय बढ़ा दें?

अनेक माननीय सदस्य : नहीं...*(व्यवधान)*

श्री ई॰ अहमद : महोदय, हम बोलना चाहते हैं...*(व्यवधान)* महोदय, हमें बोलने का अवसर देना चाहिए...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : सभापति जी, अभी बहुत से माननीय सदस्य और बोलना चाहते हैं। इसलिए मेरा आपसे यह कहना है कि एक घंटा और बढ़ा दीजिए। इसके साथ-साथ मेरा माननीय सदस्यों से यह भी निवेदन है कि वह थोड़े समय में अपना भाषण समाप्त करें।. ..*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : सभा का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया गया है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : सभापति जी, आप एक घंटा और बढ़ा दीजिए...*(व्यवधान)* मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि वह अपना भाषण छोटा करें।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : ठीक है। सभा का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया जाता है और प्रत्येक सदस्य केवल दो मिनट के लिए बोलेगा।

(व्यवधान)

श्री ई॰ अहमद : महोदय, हम अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं आपको समय दूंगा। अब, श्री येरननायडू आप अपना भाषण आरम्भ करें।

श्री के॰ येरननायडू : महोदय, आपके माध्यम से मेरा इस सदन के सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया मेरे भाषण के दौरान मुझे सहयोग दें...*(व्यवधान)* महोदय, मै टी॰डी॰पी॰ की ओर से बोल रहा हूं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री एस॰एस॰ ओवेसी (हैदराबाद) : सभापति जी, सबको मौका मिलना चाहिए।...*(व्यवधान)* यह कोई तरीका नहीं है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री येरननायडू, आप कृपया प्रथम पंक्ति में आ जाइये।

(व्यवधान)

श्री के॰ येरननायडू : महोदय, मैं यहां से बोलूंगा। इसमें कोई समस्या नहीं है...*(व्यवधान)* सभापति महोदय, पहले सदन को व्यवस्थित करें, तभी मैं बोल पाऊंगा।

(व्यवधान)

महोदय, मैं तेलुगु देशम पार्टी की ओर से बोल रहा हूं जो कि क्षेत्रीय भावनाओं व जनता की आशाओं की सुरक्षा के प्रति वचनबद्ध है। कांग्रेस का साढ़े चार दशक का शासनकाल, कुशासन, भ्रष्टाचार, पक्षपात, समूहवाद, जातीवाद और कुप्रशासन, भाई–भतीजावाद, से भरा रहा है। क्षेत्रीय भावनाओं व जन आशाओं पर कांग्रेस शासन काल के दौरान संकट छाया रहा है। हाल ही के चुनावों में...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री येरननायडू, कृपया आगे की सीट पर आ जाइये।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखें।

श्री के॰ येरननायडू : मैं एक युवा सदस्य हूं। एक नए सदस्य के लिए...*(व्यवधान)* मैं यहां तेलुगु देशम पार्टी की ओर से बोल रहा हूं। यह पार्टी क्षेत्रीय भावनाओं तथा आशाओं को सुरक्षित रखने के लिए वचनबद्ध है। कांग्रेस शासन के साढ़े चार दशक कुशासन, भाई–भतीजावाद, पक्षपात, समूहवाद, जातिवाद और कुप्रशासन के रहे हैं। क्षेत्रीय भावनाऐं तथा जनता की आशाएं...*(व्यवधान)*

श्री अजीत जोगी (रायगढ़) : महोदय नियम 352 के अन्तर्गत मैं एक मुद्दा उठाना चाहता हूं। मैं नियम 352 पढ़ रहा हूं जो कि कहता है कि :

> "एक सदस्य बोलते समय ऐसा नहीं करेगा –
>
> कि पीठासीन अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना एक लिखित भाषण को पढ़ेगा।"

माननीय सदस्य एक लिखित भाषण से पढ़कर बोल रहे हैं ...*(व्यवधान)* उन्हें विनिर्देश देने दें...*(व्यवधान)*

श्री के॰ येरननायडू : मैं एक नया सदस्य हूं। मैं अपने दल के प्रस्ताव में से पढ़ रहा हूं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री नायडू जी आपको इसे नहीं पढ़ना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री के॰ येरननायडू : यह कोई मुद्दा नही है। मैं एक नया सदस्य हूं। आप कृपया मेरा पक्ष लें।

श्री मदन लाल खुराना : वह अपनी पार्टी का प्रस्ताव पढ़ रहे हैं।

अपराह्न 3.57 बजे

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।)

श्री अजित कुमार पांजा (कलकत्ता उत्तर–पूर्व) : यह उनका प्रथम भाषण है। वह सदन में पहली बार बोल रहे हैं।

श्री पी॰ शिव शंकर : वह पिछली सरकार में कैबीनेट मंत्री थे।

श्री अजीत जोगी : नियम बिल्कुल स्पष्ट है। इसमें कहा गया है कि सदस्य एक लिखित भाषण को नहीं पढेंगे।

कुमारी ममता बनर्जी : वह संकल्प के एक भाग को पढ रहे हैं।

श्री के॰ येरननायडू : महोदय, मुझे आपका संरक्षण चाहिए। सम्माननीय सभा में बहुत से ऐसे पूर्वोधारण हैं। मैंने कई वरिष्ठ माननीय संसद सदस्यों को पढकर भाषण देते हुए तथा कुछ पुस्तकों से उद्धरण देते हुए देखा है। मैं दूसरी बार संसद सदस्य चुन कर आया हूं। ग्याहरवीं लोक सभा अपने गठन के दो वर्ष के भीतर ही भंग हो गई थी। इसलिए, हम बिल्कुल नये संसद सदस्य हैं। मैं अपने दल के संकल्प से पढकर सुना रहा हूं। यह चर्चा विश्वास–प्रस्ताव पर हो रही है। मुझे आपका संरक्षण चाहिए। कृपया आप मेरी सहायता करें।

श्री अजीत जोगी : कोई भी सदस्य उद्धरण तो दें सकता है लेकिन एक लिखित भाषण से नहीं पढ़ सकता है। हम इस बारे में आपका विनिर्णय चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह केवल उद्धृत कर रहे थे। वह पढकर भाषण नहीं दे रहे थे।

(व्यवधान)

प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन (मवेलीकारा) : कृपया विनिर्णय दीजिए चाहे कैसा भी हो।

श्री अजीत जोगी : महोदय, मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। कृपया अपना विनिर्णय दीजिए...*(व्यवधान)*

अपराह्न 4.00 बजे

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं।

(व्यवधान)

श्री के॰ येरननायडू : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने दल के संकल्प से उद्धृत कर रहा हूं। इसमें गलत क्या है? कल तो वरिष्ठ सदस्य के चुनाव-घोषणा पत्रों से उद्धृत किया था।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री येरननायडू जी, आप किसी दस्तावेज से उद्धृत देकर सकते हैं लेकिन अपना भाषण पढ़ नहीं सकते हैं।

कुमारी ममता बनर्जी : यदि यह बात है तो आपको अन्य सदस्यों को भी पढ़ने देना नहीं चाहिए।

श्री के॰ येरननायडू : महोदय, कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने हाल में हुए चुनाव प्रचार में स्पष्ट रूप से यह कहा था कि क्षेत्रीय दलों में राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य का अभाव है। उन्होंने इसी तरह की कई और टिप्पणियां भी की हैं।...*(व्यवधान)* कांग्रेस पार्टी ने हमेशा यही सोचा है कि इंदिरा भारत है और कांग्रेस एक देश। तेलगू देशम पार्टी लोगों की पार्टी है।...*(व्यवधान)*

अनेक माननीय सदस्य : वह पढ़ कर बोल रहे हैं।

श्री के॰ येरननायडू : बिल्कुल नहीं, मैं तो केवल उद्धृत कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री येरननायडू जी, कृपया पीठ को सम्बोधित करें।

श्री के॰ येरननायडू : अध्यक्ष महोदय, आंध्र प्रदेश की जनता ने कांग्रेस के कुशासन को दशकों तक सहा। आंध्र प्रदेश में तेलगू देशम पार्टी को श्री एन॰टी॰ रामाराव ने कांग्रेस पार्टी के पैंतीस वर्षों के कुशासन के बाद बनाया था।

श्री तारिक अनवर (कटिहार) : अध्यक्ष महोदय, इनका मुख्य मंत्री कांग्रेस पार्टी में था।

श्री के॰ येरननायडू : स्वतंत्रता से पूर्व, सभी कांग्रेस पार्टी में थे। आज इसके बावजूद अनेक दल हैं। लोकतंत्र में हरेक को पार्टी बनाने का अधिकार होता है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री येरननायडू, कृपया पीठ को सम्बोधित करें।

श्री के॰ येरननायडू : तेलगु लोगों के दुःखों से ही तेलुगु देशम पार्टी निकली है जो लोगों की पार्टी है और एक ऐसी पार्टी है जो तेलुगु लोगों के स्वाभिमान को पुनः बहाल करने और आंध्र प्रदेश राज्य में बहु-मुखी विकास करने के लिए वचनबद्ध है। हमारे संस्थापक अध्यक्ष श्री एन॰टी॰ रामाराव के स्वप्नों को साकार रूप दिया जा रहा है।

हमारे गतिशील भविष्यद्रष्टा तथा अत्यन्त सक्षम मुख्यमंत्री श्री नारा चन्द्रबाबू नायडू इस राज्य को एक आधुनिक राज्य में परिवर्तित कर रहे हैं। उनकी एक स्पष्ट दृष्टि है। वह आंध्र प्रदेश में सन् 2020 का विकास करना चाहते हैं। यही कारण है कि तेलुगु देशम पार्टी ने राज्यों को और अधिक शक्तियां प्रदान करने के लिए सदैव संघर्ष किया है। हमने सरकारी आयोग की रिपोर्ट को कार्यान्वित करने के लिया सदैव संघर्ष किया।

अब तेलुगु देशम पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र को भारतीय जनता पार्टी के नेशनल एजेन्डा में शामिल कर लिया गया है। हम पहले दो बार आंध्र प्रदेश विधान सभा में एक संकल्प पारित किया और इसे केन्द्रीय सरकार के पास नेशनल एजेण्डा में शामिल करने के लिए भेज दिया।

इसमें गलत क्या है?...*(व्यवधान)* तेलुगु देशम पार्टी सहकारी संघ, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, विकेन्द्रीकरण और विकास का समर्थन करती है। महोदय, मैं आपका ध्यान वर्ष 1996 के चुनावों की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें एक ऐतिहासिक परिवर्तन देखने को मिला और वह परिवर्तन था, लोगों द्वारा कांग्रेस को सत्ता से हटाने का ...*(व्यवधान)* लोगों का फैसला लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, उदारवादी और मिलीजुली सरकार के गठन के लिए था।

हमारे नेता श्री एन॰ चन्द्रबाबू नायडू की पहल से संयुक्त मोर्चा बना। संयुक्त मोर्चे ने क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दलों को एकजुट किया और मतभेदों को दूर करके सर्वसम्मति पर पहुंचा। यह भारतीय राजनीति के इतिहास की एक अत्यधिक महत्वपूर्ण घटना थी और कांग्रेस ने पारिस्थितिक मजबूरियों और निःसहायता के कारण संयुक्त मोर्चे का समर्थन करने का निर्णय किया। उस समय कांग्रेस ने संयुक्त मोर्चा सरकार को समर्थन किया था।

संयुक्त मोर्चे की हाल ही की बैठक में सभी सदस्यों को मालूम था कि वह संयुक्त मोर्चे के संयोजक हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वह पढ़ नहीं रहे हैं, उद्धृत कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री के॰ येरननायडू : संयुक्त मोर्चे के संयोजक को जानकारी दिए बिना ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी का समर्थन करने का निर्णय किया है। कांग्रेस पार्टी ने अध्यक्ष का समर्थन किया। वर्तमान परिस्थितियों में, संयुक्त मोर्चे के संयोजक ने संयुक्त मोर्चे को राज्य के हित तथा आंध्र-प्रदेश की जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए छोड़ा है।

हमें, संयुक्त मोर्चे में, यह आशा थी कि यह मात्र एक सरकार ही नहीं बल्कि शासन का एक विकल्प और बेहतर प्रणाली होगी। मैं संकल्प से कुछ पैरा उद्धृत कर रहा हूं। कल भी कुछ वरिष्ठ सदस्यों ने चुनाव घोषणा पत्र से उद्धरण दिये। यह फैक्स से भेजा गया संकल्प है।...*(व्यवधान)*

तेलुगु देशम पार्टी ने संयुक्त मोर्चे के घटक के रूप में एकता, स्थिरता, धर्मनिरपेक्षता, विकास और समान-न्याय पर आधारित शासन-प्रणाली प्रदान करने का प्रयास किया। हालांकि कांग्रेस के विचार कुछ और थे। कांग्रेसी नेताओं के लिए सत्ता से बाहर रहना असंभव था। उन्हें सत्ता की भूख है। वे सदैव सत्ता चाहते हैं। इसीलिए पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष, श्री सीताराम केसरी ने इस राष्ट्र से वायदा किया था कि श्री गुजराल 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय झंडा फहरायेंगे। उस वायदे का क्या हुआ? इसने हमारी चार सरकारों—श्री चरण सिंह, श्री गुजराल, श्री देवेगौड़ा और श्री वी॰पी॰

सिंह—मैं संशोधन करना चाहता हूं—श्री चन्द्रशेखर सरकार के साथ धोखा किया है।

कांग्रेस पार्टी किसी न किसी तरह सत्ता में आना चाहती हैं। कांग्रेस का केवल यही उद्देश्य है। कांग्रेस के लिए जनता, उनकी भावनाएं उनका कल्याण और उनका विकास सभी असंगत और बेकार चीजें हैं। हम ऐसी पार्टी का समर्थन कैसे कर सकते हैं?...आप हमें बतायें ...(*व्यवधान*) कृपया सुनिए। आपको अवसर दिया जायेगा ...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय...(*व्यवधान*) इसमें गलत क्या हैं? मैं आपसे सहयोग करने की अपील कर रहा हूं। आप सभी वरिष्ठ सदस्य हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(*व्यवधान*)

श्री के॰ येरननायडू : अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध यह है कि मैं इस समान्य सभा में दूसरी बार ही निर्वाचित होकर आया हूं। विधान सभा के लिए चार बार निर्वाचित हुआ हूं। मैं पिछली लोक सभा के लिए निर्वाचित हुआ था और कैबिनेट मंत्री बनाया गया था।

सदस्य के रूप में, यह मेरा पहला अनुभव है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप मुझे सहयोग दीजिए। यदि मैं अनेक बार निर्वाचित हुआ होता तो मैं भी आप सभी से कहीं बेहतर होता, समय बतायेगा। कृपया मुझे सहयोग दीजिए...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : श्री किन्जारप्पू येरननायडू, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

श्री के॰ येरननायडू : ऐसे कई कारणों की वजह से, जो मैं आपको बता चुका हूं, हम कांग्रेस सरकार का समर्थन किस प्रकार कर सकते हैं? संयुक्त मोर्चे में हमारे मित्र ऐसी स्वार्थी, आत्मकेन्द्रित, भ्रष्ट जनविरोधी, सत्तालोलुप और पूर्ण तौर पर असैद्धांतिक पार्टी को कैसे समर्थन देने की सोच सकते हैं? मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि हमारे सहयोगी कांग्रेस पार्टी का समर्थन क्यों कर रहे हैं?

संयुक्त मोर्चा ने 1998 का चुनाव स्पष्टतः कांग्रेस-विरोधी रूख अपना कर लड़ा था। इस मोर्चे के घटक दलों ने यह शपथ ली थी कि वे कांग्रेस से कोई सरोकार नहीं रखेंगे। तथापि अपने राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिये संयुक्त मोर्चा के घटकों के कुछ नेताओं ने अपनी पिछली शपथ को पूरी तरह ताक पर रख दिया। यह एक विडम्बना ही है कि वही अब लोग जो कभी कांग्रेस के विरोधी थे और जिन्होंने कांग्रेस के कारण कष्ट उठाये थे। उन्होंने अब कांग्रेस का साथ देने का रास्ता चुना है अब वे अपने मूल सिद्धांतों से हटकर और कांग्रेस के प्रति अपने विरोधी रूख को ताक पर रखकर उस तेलुगु देशम पार्टी की भर्त्सना कर रहे हैं, जो अपने सिद्धान्तों और नैतिक मूल्यों पर आधारित राजनीति को बनाये रखने में अडिग रही है।

जब संयुक्त मोर्चा अथवा उसके वामपंथी दलों ने कांग्रेस को सहयोग देने का निर्णय लिया, तो हमारे दल के पास संयुक्त मोर्चा से पृथक होने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह गया था। इसके अलावा अन्य किसी भी कार्यवाही से न केवल तेलुगु देशम पार्टी का संवर्ग और नेतागण, बल्कि मेरे राज्य, आंध्र प्रदेश की जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचायेगी। हमारी पार्टी द्वारा इस सम्मानजनक सभा के अध्यक्ष पद हेतु कांग्रेस के प्रत्याशी को समर्थन दिये जाने का कोई प्रश्न ही नहीं था। चूंकि ऐसी कार्यवाही मेरी पार्टी, पार्टी के संवर्ग और मेरे राज्य के हितों के लिये हानिप्रद होगी।

महोदय, इस देश के पहले दलित वर्ग से आये अध्यक्ष जो युवाओं और प्रादेशिक दलों का सच्चा प्रतिनिधि हैं, के चुनाव में योगदान देने के कारण स्वयं को गौरान्वित अनुभव कर रहे हैं। हम उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहते हैं, जिन्होंने इस मिशन में बिना मत विभाजन करवाये, कवेल ध्वनि मत से हमें एक प्रादेशिक दल के युवा और उत्साही व्यक्ति को समर्थन दिया। इसके लिये, मैं अपने दल तेलुगु देशम पार्टी की ओर से आप सबका धन्यवाद करता हूं।

जब हमने संयुक्त मोर्चा सरकार की नींव रखी थी, तो हमने देश में शासन की एक ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था प्रदान करने की आशा की थी जो पूर्ण रूप से लोगों के कल्याण और देश के विकास के प्रति समर्पित हो। भला हो, कांग्रेस के दुष्टतापूर्ण इरादों का, जिनके हम अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाये। 1998 के चुनावों के परिणाम संयुक्त मोर्चा के विरूद्ध गये...(*व्यवधान*) माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं जानता वे इस तरह क्यों रो रहे हैं...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : कृपया पहले अपना स्थान गृहण करें। यह अच्छी बात नहीं है।

(*व्यवधान*)

श्री के॰ येरननायडू : श्रीमान अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री बापी राजु और मैं पिछले 16 वर्ष राज्य विधान सभा के सदस्य रहे हैं...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : अब आप विश्वास प्रस्ताव के बारे में कहें, न कि श्री बापी राजू के बारे में।

श्री के॰ येरननायडू : 1998 के चुनाव के परिणाम संयुक्त मोर्चा सरकार के विरूद्ध रहे। हाल के चुनावों में जनता ने संयुक्त मोर्चा सरकार के विरूद्ध स्पष्ट जनादेश दिया। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी और उसने अपने सहयोगी दलों के साथ भारी संख्या में सीटें प्राप्त की और लोक सभा में लगभग बहुमत के निकट पहुंच गई। न केवल जनादेश बल्कि अपितु जनता की भावनायें भी सत्ता पक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी के और प्रधानमंत्री के रूप में श्री अटल बिहारी वाजपेयी के पक्ष में लगती हैं। तेलुगु देशम पार्टी का राह में आने का कोई इरादा नहीं है।

हमारे देश में बहुदलीय सरकारें पावं जमाने लगी हैं और भविष्य में बहुदलीय सरकारें ही बनेंगी। प्रादेशिक दलों के बिना कोई केन्द्रीय सरकार नहीं बन सकती।

[श्री के॰ येरननायडू]

कांग्रेस पार्टी भी प्रादेशिक दलों की आलोचना कर रही है। महोदय, मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी से पूछ रहा हूं। भविष्य में भी, प्रादेशिक दलों के सहयोग के बिना इस देश में कोई केन्द्रीय सरकार नहीं बन पायेगी। मैं दृढ़ विश्वास के साथ ऐसा कह रहा हूं।

हमारे देश में बहुदलीय सरकारें पांव जमाने लगी हैं और भविष्य में केवल बहुदलीय सरकारें ही बनेंगी...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री के॰ येरननायडू : मैं अपनी बात समाप्त करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपनी बात खत्म करें।

(व्यवधान)

श्री के॰ येरननायडू : महोदय, तेलुगु देशम के 12 सदस्य हैं। हमारे दो सदस्यों को बोलने का मौका मिलना चाहिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री के॰ येरननायडू : माननीय अध्यक्षपीठ ने मेरी पार्टी के दो सदस्यों को बोलने की अनुमति दी है। मैं दूसरे सदस्य का समय भी ले रहा हूं। इसमें क्या गलत है?...*(व्यवधान)*

हमने यह रूझान 1996 के चुनावों के पूर्व ही स्पष्ट रूप से पहले ही जान लिया था और गठबंधन सरकार की भविष्यवाणी की थी। 1996 के चुनावों के पूर्व, लोगों द्वारा अपना जनादेश देने के पहले ही, तेलुगु देशम पार्टी ने यह भविष्यवाणी की थी। हमने अपने चुनाव घोषणापत्र में इसका उल्लेख किया था कि 1996 के बाद ग्यारहवीं लोक सभा के चुनावों में, देश में केवल गठबंधन सरकारें ही बनेंगी और यही ग्यारहवीं लोक सभा में हुआ...*(व्यवधान)*। मैं यह बता रहा हूं हालांकि सभी लोग यह जानते हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उन्हें व्यवधान न पहुंचाएं।

श्री के॰ येरननायडू : हर व्यक्ति सब कुछ जानता है। हम यहां किसलिए हैं?

हमें प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय एजेंडा में विवादास्पद मुद्दों जैसे अयोध्या, समान नागरिक संहिता और अनुच्छेद 370 को शामिल नहीं किया है। यह बहुत अच्छी बात है। आन्ध्र प्रदेश के लोग भी यही चाहते हैं। मैं इन तीन बातों के लिए भारतीय जनता पार्टी की प्रशंसा करता हूं।

कोई पार्टी या पार्टियां तब तक अच्छी सरकार नहीं बना सकती जब तक कि वे प्रजातंत्र, धर्मनिर्पेक्षता और संघवाद के सिद्धान्तों का पालन नहीं करती। एक सच्ची सरकार को लोगों के प्रतिनिधित्व वाली, जिम्मेदार सरकार होनी चाहिए और उसे अच्छा शासन देना चाहिए। तेलुगु देशम पार्टी राष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका ईमानदारी, वचनबद्धता और अच्छी सूझबूझ की भावना और जिम्मेदारी से निभाएगी। हमारी पार्टी पूरे देश में गरीब वर्ग के लोगों की दशा को काफी सुधार करने का प्रयास करेगी।

तेलुगु देशम पार्टी के सर्वोच्च नेता, इसके संस्थापक ने भारतीय इतिहास में पहली बार आवसीय स्कूल शुरू किया था। ये बातें राष्ट्रीय एजेंडे में शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले वर्गों, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों को उच्च प्राथमिकता देना चाहती है।

तेलुगु देशम पार्टी धर्मनिरपेक्षता और अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए वचनबद्ध है। मैं धर्मनिरिपक्षता के प्रति तेलुगु देशम पार्टी की वचनबद्धता के सबूत का एक उदाहरण देता हूं। आन्ध प्रदेश में पिछली सरकारों ने अपने बजटों में अल्पसंखकों के लिए केवल चार करोड़ रुपये आवंटित किए थे। श्री चन्द्र बाबू नायडू के आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद, हमने अपने बजट में अल्पसंख्यकों के लिए 50 करोड़ रु॰ निर्धारित किए। मैं बता हूं कि हम धर्मनिरपेक्षता के प्रति वचनबद्ध है।

हम देश के विकास और लोगों के कल्याण में विश्वास रखते हैं। हम संघवाद, विकेन्द्रीकरण जवाबदेही, समानता और सामाजिक न्याय पर आधारित शासन के प्रति समर्पित हैं। हम उन लोगों के सर्वोत्तम हितों के लिए काम करेंगे जिनका हम प्रतिनिधित्व करते हैं।

इस सरकार के गिरने के फलस्वरूप कांग्रेस अनुचित तरीके से सत्ता में आ जाएगी जो हमें किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि देश को स्थायी सरकार की आवश्यकता है। स्थायित्व समय की मांग है। हमारी तेलुगु देशम पार्टी स्थायित्व के प्रति वचनबद्ध है।

अध्यक्ष महोदय : श्री इन्द्रजीत गुप्त।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं अब और समय नहीं दूंगा। मैंने श्री इन्द्रजीत गुप्त का नाम पुकारा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, इसे रिकार्ड में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसे रिकार्ड में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मैंने श्री इन्द्रजीत गुप्त का नाम पुकारा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसे रिकार्ड में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मैं अब श्री इन्द्रजीत गुप्त का नाम पुकारता हूं। वे विद्वान व्यक्ति हैं। कृपया मेरे साथ सहयोग करें।

*(व्यवधान)**

---

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। इसे रिकार्ड में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। मैंने श्री इन्द्रजीत गुप्त का नाम पुकारा है।

(व्यवधान)

श्री ई॰ अहमद (मंजेरी) : महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कुछ नहीं। मैंने श्री गुप्त को बोलने के लिए कहा है। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : मैं 30 वर्षों से इस सभा का सदस्य हूं। मुझे खुशी है कि अध्यक्ष महोदय ने नए दलों और नये सदस्यों को इतना समय दिया है हालांकि उनमें से कुछ एक को शिकायत है कि उन्हें अवसर नहीं मिला। हालांकि इनमें से अनेक दलों और सदस्यों को पर्याप्त अवसर दिया गया है और मुझे कोई शिकायत नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्री ई॰ अहमद : मैंने भी शिकायत नहीं की...*(व्यवधान)*

श्री इन्द्रजीत गुप्त : खैर, मुझे भी कोई शिकायत नहीं, हालांकि मैं 35 वर्षों से इस सभा का सदस्य रहा हूं और मेरा मानना है कि मेरा नाम काफी पहले पुकारा जाना चाहिए था। लेकिन यह ठीक है। यदि आप मुझे निदेश दें तो मैं अपनी बात कहने में दो-तीन मिनट ही लूंगा। हांलाकि मुझे अनेक बाते कहनी है लेकिन मैं इतने कम समय में नहीं कह पाऊंगा।

मुझे तो इस चर्चा का पूरा माहोल ही कुछ अवास्तविक मालूम पड़ता है क्योंकि हमें उस सरकार में अपना विश्वास व्यक्त करने के लिए कहा गया है जिसे स्वयं अपने आप में विश्वास नहीं है। हम ऐसी सरकार में विश्वास कैसे व्यक्त कर सकते हैं जिसे अपने आप में विश्वास नहीं है और इसी कारण से ये सरकार कल से इस सरकार की स्थिरता की कामना से दिल्ली में पूजा और महायक्ष का आयोजन करवा रही है। अनेक मंत्री गण, बी॰जे॰पी॰ के नेता गण और विश्व हिन्दू परिषद के कायकर्ता इस महायज्ञ में भाग ले रहे हैं और मुझे नहीं पता कि इसमें कितनी लकड़ी और घी का प्रयोग किया जा रहा है। यह सब विश्वास का द्योतक नहीं है बल्कि यह उनकी घबराहट का प्रतीक है।

अतः, इतने कम समय में, मैं चार-पांच बिन्दुओं को लूंगा। मैं उन कारणों के बारे में विस्तार से नहीं बोलूंगा जिनकी वजह से इस सरकार को विश्वास व्यक्त करना हमारे लिए सम्भव नहीं है। यहां सभी दल जिस एक सिद्धान्त की बात कर रहे हैं वह है पारदर्शिता। बिना पारदर्शिता के, कोई सरकार कार्य नहीं कर सकती है।

महोदय, हांलाकि व्यक्तिगततौर पर मुझे आपसे कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि जिस ढंग से अध्यक्ष को बनाया गया उसमें पारदर्शिता नहीं बरती गई। यह काम लगभग चोरी-छिपे किया गया जिससे सभी अचंभे में पड़ गये। वास्तव में, यदि मैं गलत नहीं कह रहा हूं और जैसा कि मैंने समाचार-पत्रों में अध्यक्ष द्वारा कहे गये कथन को पढा है कि जब वह हैदराबाद से दिल्ली आने के लिए हवाई जहाज में चढ़ रहे थे तो उस समय तक उनको यह नहीं पता था कि उन्हें वहां क्यों बुलाया जा रहा है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने यह बात स्वीकार की है कि उन्हें स्वयं इसका पता नहीं था कि अध्यक्ष पद के लिए कौन नया व्यक्ति है।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक) : जब देवगौड़ा जी आए थे तो हम भी उनका नाम नहीं जानते थे।

श्री इंद्रजीत गुप्त : तो क्या आप नकल करना चाहते हैं?

श्री विजय गोयल : आप वह बात तो मत कहिये जो आप खुद करते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया, उनके बोलने में व्यवधान न डालें।

श्री इंद्रजीत गुप्त : महोदय, यदि श्री विजय गोयल चाहते हैं तो, उनको व्यवधान डालने का अधिकार है। मैंने यहां एक शब्द भी नहीं बोला है। मैं भी व्यवधान डाल सकता था। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। यह मेरी आदत नहीं है।

मैं जो दूसरी बात कहना चाहता हूं वह यह है कि कल महाराष्ट्र के एक संसद सदस्य ने मुम्बई में बाबरी मस्जिद के तोड़े जाने के बाद हुए सांप्रदायिक दंगों की पृष्ठभूमि पर काफी कुछ कहा और उन्होंने ठीक ही हमारी याद ताजा करा दी कि इन दंगों के दौरान महाराष्ट्र में जो सरकार सत्ता में थी वह कांग्रेस की सरकार थी। मेरे विचार से उनके कहने का अर्थ यह था कि वहां जो कुछ हुआ यदि राज्य सरकार की कुछ जिम्मेदारी थी तो वह कांग्रेस पार्टी की थी क्योंकि वहां सरकार उनकी थी और मुख्य मंत्री उनके थे इसलिए उन्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

लेकिन मैं यह पूछ रहा हूं कि यदि यह सच है तो फिर भी भारतीय जनता पार्टी इस अवधि के दौरान वहां जो कुछ हुआ उसके सम्बन्ध में न्यायमूर्ति श्री कृष्ण आयोग की रिपोर्ट को महाराष्ट्र विधान सभा में रखने के बारे में इतनी क्यों हिचकिचा रही है तथा संकोच कर रही है? इनके बारे में काफी शोर-शराबा हो रहा है। सबसे पहली बात तो यह है कि ऐसा कहा गया था कि विधान सभा के वर्तमान सत्र में श्रीकृष्ण रिपोर्ट को सभा पटल पर रखा जायेगा। बाद में, ऐसा कहा गया कि यह बाद में किया जायेगा। इसके बाद फिर यह कहा गया कि की गई कार्यवाही प्रतिवेदन अभी तक तैयार नहीं है, अतः इसे की गई कार्यवाही प्रतिवेदन के साथ सभा पटल पर नहीं रखा जा सकता। अब की गई कार्यवाही प्रतिवेदन तैयार करना होगा। इस प्रकार से विलंब

[श्री इंद्रजीत गुप्त]

हो रहा है। आखिरकार, हम बात यह कह रहे हैं कि उस वर्ष वहां दंगे किन कारणों से हुए। अतः, मैं जानना चाहता हूं कि जब उस समय कांग्रेस सत्तासीन थी, फिर भारतीय जनता पार्टी को विधान सभा में श्रीकृष्ण आयोग की रिपोर्ट रखने में क्यों इतनी घबराहट और हिचकिचाहट हो रही है? मैं इस प्रश्न पर उत्तर चाहता हूं।

अल्पसंख्यकों के बारे में यहां काफी कुछ कहा गया है। मैं उस सब में नहीं जाना चाहता लेकिन मुझे सिर्फ इस बात का दुःख है कि हाल ही में कुछ इसाई समाज-कैथोलिक और अन्य-की ओर से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को बहुत सी शिकायतें मिली हैं और वे यह शिकायत कर रहे हैं कि देश के विभिन्न भागों में भारतीय जनता पार्टी के कुछ सांप्रदायिक और उग्रवादी तत्त्व ईसाइयों पर हमला कर रहे हैं और पुलिस उन्हें सुरक्षा प्रदान करने लिए कुछ नहीं कर रही है। वे कहते हैं कि ऐसा विशेष रूप से महाराष्ट्र और गुजरात में है। वे अधिकारियों से सुरक्षा की अपील कर रहे हैं...(*व्यवधान*) अतः, उन सभी अच्छी चीजों के मद्देनजर, जो प्रधानमंत्री महोदय ने यहां बताई हैं...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य) : ऐसा एक भी इंसीडेंट नहीं हुआ है। ये हाऊस को मिसलीड कर रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री रावले जी कृपया बैठ जाइए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय बड़ौदा में पेंटेकॉस्र का एक इसाई संगठन और लातूर में एक कैथोलिक संस्था है, जहां इसाई स्वंयसेवी संगठन भूकंप-पीड़ितों के पुनर्स्थापन के लिए कार्य कर रहे हैं, ने शिकायत की है और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में अब गुजरात और महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशकों से यह कहा है कि वे इसकी शीघ्र जांच करें कि इन आक्रमणों के लिए कौन जिम्मेवार है तथा इसके लिए क्या उपयारात्मक उपाय किए जाएं। मैं यह जानना चाहता हूं कि दिल्ली में नई सरकार बनने के बाद भी ये सभी चीजें अभी भी क्यों हो रही हैं।

अखिल भारतीय कैथोलिक संघ ने चेतावनी दी है कि इन घटनाओं से ईसाई समुदाय के लोगों के मन में गम्भीर दुराशंकायें पैदा हो गई हैं और ऐसा लगता है पुलिस कट्टरपंथी भीड़ के समक्ष पंगु नजर आ रही है। यह एक ऐसा मामला है जिसके लिए स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए और यह बताया जाना चाहिए कि केन्द्रीय सरकार को इस बारे में क्यों नहीं बताया जा सका और इस तरह की घटनाओं को क्यों होने दिया जा रहा है।

मैं केवल एक या दो मुद्दों पर बोलूंगा। पहली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने फैजाबाद, जो अयोध्या के बाद पड़ता है, से श्री विनय कटियार को खड़ा किया था, जो चुनाव हार गए। वे लम्बे समय तक इस सभा के सदस्य रहे—उन्होंने एक लम्बा वक्तव्य प्रकाशित किया था जिसमें उन्होंने देश के कई भागों में—जिसमें संभवतः उनका अपना चुनाव क्षेत्र भी शामिल है—भारतीय जनता पार्टी की हार के लिए पार्टी के नेतृत्व को दोषी ठहराया था, और इसका कारण उन्होंने पार्टी नेतृत्व द्वारा इन मुद्दों पर अपना रूख बदला जाना बताया है जिनका यहां उल्लेख किया जा रहा है—अनुच्छेद 370, समान नागरिक संहिता, अयोध्या में मंदिर निर्माण अथवा इसे राष्ट्रीय स्मारक बनाना जैसा कि कुछ लोगों ने सुझाव दिया है—आदि उनके अनुसार, इन बातों के कारण आम हिन्दू जनता के मन में गलतफहमी पैदा हो गई जो अब यह सोचती है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व अपने वायदों से पिछे हट रहा है और अपने वायदों से मुकर रही है। इससे एक भ्रांतिपूर्ण स्थिति पैदा हो गई है जिसके फलस्वरूप पार्टी को हिन्दू समुदाय के वोट नहीं मिले।

इसलिए, मैं उन मुद्दों के बारे में जानना चाहता हूं जिनका यहां उल्लेख किया जा रहा है और जिनके बारे में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कह रहा है कि वे इन मुद्दों पर अब जोर नहीं दे रहे हैं और वे इन्हें फिलहाल हाशिये पर रखने का प्रयास कर रहे हैं। मेरी समझ में यह नहीं आता कि क्या ये मुद्दे भी टोपियों की तरह हैं जिन्हें आप जब चाहें पहन लें और जब जरूरत पड़े उतार फैंकें। मैं आशा करता हूं कि फिर से चुनाव की बाध्यताएं समाप्त होते ही और सरकार के गठन का काम पूरा होते ही वे पुनः इन टोपियों को नहीं पहनेंगे।

लेकिन, मैं समझता हूं कि श्री विनय कटियार बजरंग दल के हैं। वे बजरंग दल के सचिव हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी केवल ये पार्टियां और व्यक्ति ही नहीं हैं जो यहां एकत्रित हैं। अधिक निकट सहयोगी तो संघ परिवार के लोग हैं और संघ परिवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग शामिल हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर किसी न किसी प्रकार प्रभाव व अप्रत्यक्ष नियन्त्रण बनाए हुये हैं। यह सब जो किया जा रहा है, उसे वे पसन्द नहीं करते।

अतः हम किस प्रकार देश से किए गए उनके इस वायदे अथवा आश्वासन पर विश्वास करें कि इन विवादास्पद और जनता को विभाजित करने वाले मुद्दों को भविष्य में नहीं उठाया जाएगा? हम कैसे विश्वास करें कि वे इन मुद्दों को जस तस छोड़ देंगे और लोगों को इन बारे में कोई आंशका नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इसका अभिप्रायः यह है कि विश्व हिन्दू परषिद और राष्ट्रीयस्वयं सेवक संघ आदि शामिल है, सरकार की इस प्रकार की कार्यसाधन युक्तियां अपनाये जाने को प्रति सहमत हैं।

किन्तु मुझे संदेह है कि वे इस पर कभी सहमत होंगे है। सारा माम्मला पुनः उठाया जायेगा और हमें पुनः बहुत सी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।

परमाणु विकल्प के प्रश्न पर भी हम भ्रम में है, हम इस समय ठीक से नहीं जानते कि सरकार का क्या विचार है। अपने दस्तावेजों में उन्होंने परमाणु विकल्प का जिक्र किया है। बाद में उनके कुछ मंत्रियों ने, जिनमें रक्षा मंत्री भी शामिल हैं, यह बताना चाहा है कि फिलहाल हम परमाणु शस्त्रों का निर्माण नहीं करेंगे और इसलिए इस बारे में किसी को आंशकित होने की आवश्यकता नहीं है? मैं यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने अपने दस्तावेज को छपवा दिया है और उन्हें उसमें यह देखना चाहिए कि परमाणु विकल्प अपनाने की नीति के बारे में उन्होंने उसमें क्या लिखा है। क्या वे इस पर दृढ़ रहेंगे या अब उसे कुछ हल्का करने या उसे संशोधित करने का विचार है? वे पड़ौसी देशों को खासतौर से उन छोटे पड़ौसी देशों को जो खुद को भारत से कमजोर समझते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं। बेशक वे भारत से छोटे हैं और कोई परमाणु नीति अपनाने की सोच भी नहीं सकते। खासतौर पर प्रधान मंत्री जी को इस बारे में एक स्पष्ट वक्तव्य देना चाहिए कि इस बारे में सरकार का रूख क्या है। विशेषरूप से प्रधानमंत्री की ओर से परमाणु विकल्प के बारे में उनके दृष्टिकोण और सरकारी दृष्टिकोण के संबंध में स्पष्ट वक्तव्य आना चाहिए ताकि अन्य संभावित मित्र देशों को कोई गलत संदेश न जाए और उन्हें कोई सन्देश तथा आशंका न रहे कि कहीं नई सरकार अपनी नीति को बदलकर आणविक अस्त्रों का निर्माण करने की नीति अपना रही है। इस स्पष्ट करना चाहिए।

इस प्रकार की रिपोर्ट है कि मुम्बई और देश के अन्य हिस्सों में कुछ बड़े व्यापारिक घरानों का भाजपा और इस सरकार के प्रति दोस्ताना ताल्लुकात है। मेरा मानना है कि उन्होंने इन चुनावों में उन्हें जोरदार सहायता और समर्थन दिया हालांकि उनमें से कुछ जो उनके समर्थक हैं इस बार चुनाव नहीं जीत पाए। इसके क्या कारण रहे? मैं नहीं जानता। लेकिन बड़े व्यापारी लोग ऐसे नहीं हैं जो कोई कार्य धर्मार्थ करते हैं, वस्तुतः वे लोग सत्ता में अपने हिस्से की भावना के साथ ऐसा करते हैं। अतः यदि वे लोग श्री अटल बिहारी वाजपेयी और उनकी सरकार को चलाने के लिए समर्थन करने के साथ-साथ अपनी मांगें भी रख रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बड़े व्यापारिक घरानों की बड़ी-बड़ी मांगें हैं।

स्वदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और किस सीमा तक और किस क्षेत्र में विदेशी पूंजी निवेश की अनुमति दी जानी चाहिए, इस सबके ऊपर काफी चर्चा और वादविवाद हुआ है। मैं जानना चाहूंगा कि इन चुनावों में और भविष्य सहायता और समर्थन के बदल बड़े व्यापार घराने इस सरकार के सामने किस प्रकार की मांगें रख रहे हैं ताकि बाद में ये लोग हमारे ऊपर दबाव नहीं डाल सकें जैसाकि विश्व व्यापार संगठन के मामले में हुआ है।

सबसे प्रमुख प्रश्न यह है कि हम अपने देशी उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से किस सीमा तक बचा सकते हैं और यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है चाहे आप इसे स्वदेशी कहकर पुकारें या किसी अन्य नाम से। प्रत्येक भारतीय यही चाहेगा कि हमारे उद्योग जो हमारे देश में विकसित हुए हैं, विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों, जिनके पास सीमित संसाधन हैं, के गैर बराबरी की प्रतिस्पर्धा के कारण कमजोर और नबत नहीं हों। इस संबंध में क्या स्थिति हैं? मैं चाहूंगा कि प्रधानमंत्री इस संबंध में आश्वासन दें।

मैं सदन का और समय नहीं लूंगा क्योंकि आप काफी देर से इंगित कर रहे हैं। अतः ये कुछ बिन्दु हैं कुछ और भी बिन्दु हैं जिनके कारण भ्रम की स्थिति है कि ये सरकार क्या करेगी अथवा क्या करने की स्थिति में है क्योंकि इस सरकार में अनेक अन्तर्विरोध है और गठबंधन के कथित सहयोगी दलों की घोषित नीतियों के साथ खुले मतभेद हैं।

मैं नहीं मानता कि सहयोगी दलों और लोगों ने भा॰ज॰पा॰ में शामिल हो गए हैं या इसकी विचारधार के प्रति सहमति के कारण इस दल का संरक्षण मांगा है। ये सब व्यावहारिक और अवसरवादी कारणों से किया गया हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं है क्योंकि वे सत्ताधारी दल के साथ रहना चाहते हैं ताकि कुछ मंत्री पद एवं अन्य लाभ मिल सकें। मैं इस प्रश्न के नैतिक आधार की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि अनेक लोग इसके ऊपर बोल चुके हैं।

अन्ततः इन परिस्थितियों में इस सरकार के प्रति विश्वास व्यक्त करना बिल्कुल सम्भव नहीं है अतः मैं इस प्रस्ताव के विरूद्ध मतदान करने का प्रस्ताव करता हूं।

श्री टी॰आर॰ बालू (मद्रास दक्षिण) : अध्यक्ष महोदय, मैं, भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव का डी॰एम॰के॰ की ओर से विरोध करता हूं।

महोदय, अपनी बात को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं अपने नेता और दक्षिण चेन्नाई के मतदाताओं, जिन्होंने मुझे इस सम्मानित सभा में चुन कर भेजा है, के प्रति आभार व्यक्त करना अपना परम कर्तव्य मानता हूं।

महोदय, चुनाव अभियान के दौरान माननीय प्रधान मंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी मतदाताओं के समक्ष गये थे और उन्होंने लोगों को अपनी पार्टी की योजनाओं और विचारों के बारे में स्पष्ट रूप से बताया था। चुनाव अभियान के दौरान उन्होंने यह भी बताया कि यदि वे सत्ता में आते हैं तो वे बाबरी मस्जिद के अवशेष के ऊपर राम मंदिर का निर्माण करायेंगे और संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त करेंगे और समान नागरिक संहिता लागू करने के लिये कानून बनायेंगे।

परन्तु चुनावों के बाद क्या हुआ? मतदाताओं और जनता के समक्ष किये गये चुनावी वायदों का क्या हुआ? उन्होंने जनता से किये गये वायदों के प्रति समझौता कर लिया है। सत्ता पक्ष में बैठे मेरे सर्क साथी ने कल यह कहा था कि उन्होंने कुछ समझौते किये हैं। मैं नहीं जानता कि उन्होंने क्या समझौते किए हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री से यह

[श्री टी॰आर॰ बालू]

जानना चाहता हूं कि उन्होंने इस देश की जनता के साथ जो वायदे किये थे, उन्हें अब पूरा किया जायेगा अथवा उन्हें अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर दिया गया है। मैं इस मुद्दे पर माननीय प्रधानमंत्री से स्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

महोदय, माननीय प्रधानमंत्री, जिन्होंने संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त करने की बात की थी, राष्ट्रपति भवन गये थे और उन्होंने अपने समर्थन में 240 संसद सदस्यों की सूची प्रस्तुत की थी। उस समय, उन्हें यह पता था कि जब तक उन्हें 272 अथवा कम से कम 270 संसद सदस्यों का समर्थन प्राप्त नहीं होता, वह सरकार नहीं बना पाएंगे। इसके बावजूद भी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रपति जी से मिले और उन्होंने अपने समर्थकों की सूची दी। वह—गर्व और साहस से परिपूर्ण विशाल व्यक्तित्व—राष्ट्रपति भवन से बाहर आये और प्रेस के लोगों से मिले। बाहर आकर वे प्रेस के लोगों से मिले।

उन्होंने प्रेस के लोगों को जानकारी दी कि उन्होंने भारत के राष्ट्रपति को 240 संसद सदस्यों की सूची दी है और अब उन्हें बुलाना अथवा न बुलाना भारत के राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। परन्तु साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वे किसी दबाव के आग नहीं झुकेंगे।

महोदय, मेरे दल ने उनके साहस की प्रशंसा की है। मेरे दल के नेताओं ने यह कहा कि हमारे बीच राष्ट्र का नेतृत्व करने वाला एक विशाल व्यक्तित्व विद्यमान है। वह भारत का प्रधान मंत्री बनने के लिय उचित व्यक्ति है। हमने इस पर चर्चा की थी। मेरे दल ने इस ढंग से सोचा था। पूरे राष्ट्र ने इस ढंग से सोचा था। पूरे राष्ट्र ने उनसे ऐसा बनने की उम्मीद लगायी थीं। लेकिन अफसोस हुआ। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। एक दूत दिल्ली से चेन्नई भेजा गया। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में वदेना, आघात और सत्रांश का वातावरण व्याप्त रहा। लेकिन इसके साथ-साथ चेन्नई में एक नाटक रचा गया। वह नाटक क्या था? उसका क्या परिणाम निकला? यह हम नहीं जानते। प्रेस तथा समूचे राष्ट्र ने सोचा कि कुछ होने जा रहा है। लेकिन दो-तीन दिन के बाद स्थिति सामने आ गई। उन्हें सरकार बनाने के लिये समर्थन मिल गया। उन्होंने सरकार बना ली। विभागों की घोषणा करते समय चेन्नई में हुए नाटक में क्या हुआ, पूरा राष्ट्र इसके बारे में जानता है। महोदय, मंत्री नियुक्त किये गये हैं। एक मंत्री को नियुक्ति विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय का कार्य देखने के लिये की गयी ताकि मुकद्दमेबाजी से एक व्यक्ति विशिष्ट के हित की रक्षा की जा सके...*(व्यवधान)* एक मंत्री की नियुक्ति सी॰बी॰आई॰ मामलों संबंधी कार्य देखने के लिये की गई...*(व्यवधान)*

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (डा॰ एम॰ तम्बी दुरई) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं इस मंत्रालय का मंत्री हूं। यह कोई तरीका नहीं है। वह मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। वह मुझ पर लांछन लगा रहे हैं...*(व्यवधान)* यदि वह मेरे खिलाफ आरोप लगा रहे हैं तो उन्हें मेरे विरूद्ध लगाये गये आरोपों को सिद्ध करना चाहिये ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यदि कोई आपत्तिजनक बात की गई है तो मैं उसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दूंगा।

(व्यवधान)

श्री टी॰आर॰ बालू : उन्हें अपनी अन्तरात्मा की आवाज सुनकर यह कहना चाहिये...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यदि यह आपत्तिजनक है, तो मैं इसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दूंगा। श्री बालू कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए और आप प्रस्ताव पर भी विचार रखें।

(व्यवधान)

श्री टी॰आर॰ बालू : श्री आडवाणी पर हवाला मामले में आरोप लगाया गया था। हम सब यह जानते थे कि इसका कोई आधार नहीं है, इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। आधार और प्रासंगिकता न होने के बावजूद श्री आडवाणी ने त्याग-पत्र दे दिया। उन्होंने एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया...*(व्यवधान)*

श्री सी॰ श्रीनिवासन (डिंडीगुल) **:** आपके मुख्य मंत्री के बारे में क्या हुआ...*(व्यवधान)*

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर॰के॰ कुमार) : सरकारिया आयोग द्वारा श्री करूणानिधि को भ्रष्टाचार के आरोपों का दोषी पाया गया है। उन्हें भी मुख्य मंत्री नहीं रहना चाहिये...*(व्यवधान)*

श्री टी॰आर॰ बालू : मैंने आपकी बात नहीं सुनी है। ...*(व्यवधान)* मैं आपकी बात नहीं सुन पा रहा हूं।

संचार मंत्री (श्री बूटा सिंह) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है? श्री बालू, कृपया एक मिनट रूकिए।

श्री टी॰आर॰ बालू : मैं नहीं सुन पा रहा हूं। वह मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्री बूटा सिंह : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इनका व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री टी॰आर॰ बालू : उन्हें पहले पुस्तक से नियम उद्धृत करने दीजिए। आपको उन्हें नियम उद्धृत करने के लिये कहना चाहिये। उन्हें वह नियम उदधृत करना है जिसके अधीन वह व्यवस्था के इस प्रश्न को उठाना चाहते हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वह सुन नहीं पा रहे हैं। कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री टी॰आर॰ बालू : उन्हें नियम उद्धृत करने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री बालू, यह अच्छी बात नहीं है। कृपया एक मिनट रूकिए।

श्री टी॰आर॰ बालू : उन्हें नियम उद्धृत करने दीजिए।

श्री बूटा सिंह : मैं नियम 352(2) का हवाला देना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री खड़े हो गये हैं।

श्री बूटा सिंह : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है...*(व्यवधान)*

श्री टी॰आर॰ बालू : उन्हें नियम उद्धृत करना है। वह सभा का समय बर्बाद नहीं कर सकते। सभा का समय बर्बाद किया जा रहा है।

श्री बूटा सिंह : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न नियम 352(2) से उत्पन्न होता है...*(व्यवधान)*

श्री ई॰ अहमद : इस पर अनेक बार चर्चा की जा चुकी है।

श्री बूटा सिंह : यदि आपको कोई समस्या न हो, तो मैं इस पढ़ देता हूं।

श्री ई॰ अहमद : इसे कई बार उद्धृत किया जा चुका है लेकिन यहां पर क्या विनिर्णय दिया गया था। इसे केवल पहली बार ही उद्धृत नहीं किया गया।

श्री बूटा सिंह : इके बारे में अध्यक्षपीठ द्वारा निर्णय लिया जाना है। मैं नियम 352(2) उद्धृत कर रहा हूं जिसका संबंध उन नियमों से है जिनका सभा में बोलते समय पालन किया जाना चाहिये।

श्री टी॰आर॰ बालू : यह किसके बारे में है?

श्री बूटा सिंह : नियम 352(2) के अन्तर्गत कहा गया है :

"बोलते समय कोई सदस्य—

(दो) सभा के किसी अन्य सदस्य पर कोई हेतु का लांछन लगाते हुए अभिकथन नहीं करेगा या उसकी सद्भावना पर आपत्ति करके उसका वैयक्तिक निर्देश नहीं करेगा जब तक ऐसा निर्देश ...... के प्रयोजनों के लिए अनिवार्यतः आवश्यक न हो।"

श्री टी॰आर॰ बालू : जी नहीं, मुझे मंत्री पर आरोप लगाने का पूरा अधिकार है। मैं यहां किसलिये हूं?

श्री बूटा सिंह : माननीय सदस्य का निश्चित रूप से माननीय विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री के विरूद्ध इस सभा में आरोप लगाने का प्रयोजन था। मेरा विनम्र निवेदन यह है कि मानीय सदस्य को या तो अपनी टिप्पणी वापस ले लेनी चाहिए अथवा इसे कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया जाना चाहिए।

श्री टी॰आर॰ बालू : मैं अपनी टिप्पणी वापस नहीं लूंगा।

अध्यक्ष महोदय : यदि यह टिप्पणी आपत्तिजनक है, तो मैं इसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दूंगा। बालू जी, कृपया अपनी बात जारी रखिए।

श्री टी॰आर॰ बालू : हमारे माननीय गृह मंत्री, आदरणीय श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने इस माननीय सभा में एक अच्छा उदाहरण पेश किया है। मैडम शीला कौल, माननीय शिव शंकर और श्री तसलीमुद्दीन से इस्तीफा देने के लिए कहा गया था और उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। जब कुछ आरोप लगाए गए थे...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह अच्छी बात नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री टी॰आर॰ बालू, कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए अन्यथा मुझे अन्य माननीय सदस्यों का नाम पुकारना पड़ेगा। आपने पहले ही दस मिनट का समय ले लिया है।

(व्यवधान)

श्री टी॰आर॰ बालू : मैं आपसे यह मांग करता हूं कि भ्रष्टाचार के संबंध में आपकी क्या नीति है। क्या आप भ्रष्ट लोगों को मंत्री परिषद में शामिल करने जा रहे हैं?...*(व्यवधान)* **थीरूकुराल** नामक एक पुस्तक है और इसमें उल्लिखित एक उक्ति के कोई विरूद्ध नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : अब श्री नवीन पटनायक जी बोलेंगे।

श्री टी॰आर॰ बालू : "सौहार्द की कमी वाले लोगों के साथ इकट्ठे रहना एक झोपड़ी में सांप के साथ रहने जैसा है।"

यह नसीहत प्रधान मंत्री के लिए दी गई है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हम हरेक को बोलने का मौका दे रहे हैं। मैं आपको भी बोलने का अवसर दूंगा। अब श्री नवीन पटनायक बोलेंगे।

इस्पात तथा खान मंत्री (श्री नवीन पटनायक) : अध्यक्ष महोदय, हम सभी के आम चुनाव जीतने के पश्चात् अतः, हमें यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि कोई विजय किसलिए मिली हैं। उड़ीसा के इतिहास में विजय के संबंध में एक महान पौराणिक कथा है। हजारों वर्ष पूर्व एक विजेता कलिंग के युद्धक्षेत्र में आया था और उसने लगभग दस हजार लोगों का वध कर दिया था। युद्ध के बाद सांय के समय एक निर्धन व्यक्ति अपने हाथों में एक शिशु का शव लिए सम्राट के पास आया और कहा, "क्या आप इस मृत बच्चे को जीवन दे सकते हैं? हम सभी जानते हैं कि वह सम्राट अशोक था। और वह

[श्री नवीन पटनायक]

निर्धन व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु था। चुनाव जीतने के बाद हमें इस देश के लिए वही करना चाहिए जो सम्राट अशोक ने किया। उन्होंने जो किया—वह इस बात का सूचक है—हमें बदलना होगा। हमें भी हमारे मतदाताओं, जो कार्यवाही और अनुकंपा करने की मांग कर रहे हैं, करने के लिए डटे रहना चाहिए। हम उड़ीसा के लोग अपनी बहु-संस्कृति और बहु-धर्मी विरासत पर गर्व करते हैं। हम अपने इस अतीत पर गर्व करते हैं कि यह सरकार सभी धर्मों के सप्रंदायों वाली सरकार थी। लेकिन अपनी जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के रूप में, हम जानते हैं कि बेहतर सरकार के लिए हमारा अतीत उत्तरदायी नहीं हैं, बल्कि हम स्वयं उत्तरदायी हैं। उड़ीसा की जनता द्वारा बीजू दल को दिया गया विशाल जनादेश हमारे दल की दिल्ली और उड़ीसा में सत्तासीन उत्तरवर्ती कांग्रेस सरकारों द्वारा उड़ीसा राज्य की उपेक्षा—एक ऐसी उपेक्षा जिसने एक अविच्छिन्न मानव त्रासदी कायम रखी, जिसमें कि हमारी जनता हर वर्ष गरीबी की रेखा के नीचे आती रही और मां को अपने बच्चे को मुट्ठी भर चावलों के लिए बेचने पर मजबूर होना पड़ा तथा हमारे आधे से अधिक सक्षम लोगों को अपना राज्य छोड़ना पड़ा था और कश्मीर से केरल तक हर जगह मजदूरों के रूप में कार्य करना पड़ा था—के मामले में दिशा बदलने की प्रतिज्ञा लेने के फलस्वरूप दिया गया था।

अपराह्न 5.00 बजे

कांग्रेस दल के नेतृत्व वाली राज्य सरकार मानव अधिकार आयोग की रिपोर्ट, जिसमें उड़ीसा में भूखमरी से हुई मौतों का उल्लेख है, को लेकर बैठी रही जब तक मैंने कुछ महीने पूर्व दिए अपने पहले भाषण में इस संबंध में उल्लेख किया था।

भारत खाद्य पदार्थों के निर्यात को देशों में सर्वोपरि है। अतः, हमारी जनता, खाद्यान्न प्रचुर मात्रा में होते हुए भी भूखी क्यों मर रही है?

बीजू जनता दल वर्तमान सरकार में विश्वास मत के लिए कह रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और इसके सहयोगी दलों के राष्ट्रीय एजेंडे में सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित है—यह किसी दूरगामी भविष्य का कार्यक्रम नहीं है बल्कि निकटतम भविष्य के लिए है। इस सरकार ने भी वायदा किया है...*(व्यवधान)*

श्री इन्द्रजीत सिंह राव : महोदय, वह लिखित भाषण पढ़ रहे हैं। जब एक अन्य सदस्य बोल रहे थे, तो उन्हें शोर मचा कर बिठा दिया गया था...*(व्यवधान)*

श्री नवीन पटनायक : मैं राष्ट्रीय एजेंडे में से उद्धृत कर रहा हूं...*(व्यवधान)*

श्री इन्द्रजीत सिंह राव : वह लिखित भाषण पढ़ रहे हैं। मंत्री महोदय को लिखित भाषण पढ़ने की अनुमति दी जा रही है। कम-से-कम, मंत्री महोदय से तो यह अपेक्षा की जाती है कि वह बिना तैयारी के बोल पाएं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वह कुछ कह रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री नवीन पटनायक : राष्ट्रीय एजेंडे में सुस्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि पीने का पानी सभी गांवों को मुहैया कराया जाएगा। जिस राज्य से मैं आया हूं, वहां यह एक गंभीर समस्या है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बोलने के लिए नहीं कहा है। कृपया बैठ जाइये। यह अच्छी बात नहीं है। अपने स्थान पर बैठ जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये। यह उचित नहीं है।

(व्यवधान)

श्री नवीन पटनायक : राष्ट्रीय एजेंडे में कुछ ऐसी बातें हैं, जो हमारे राज्य और निर्धन राज्यों की लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब मैं उद्धृत करता हूं :

> "जिन राज्यों का जनसंख्या का प्रतिशत गरीबी की रेखा से नीचे चला गया है, उनकी ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा।"

बीजू जनता दल उड़ीसा की जनता के पास हमारा लक्ष्य बयान करते हुए वोट मांगने गया था। आज, इस सरकार के राष्ट्रीय एजेंडे में उड़ीसा के मतदाताओं की आकांक्षाओं को अंगीकार किया गया है और आज बीजू जनता दल के लक्ष्य देश के लक्ष्य हैं। हमारी जनता ने इसके लिए काफी लम्बे अरसे तक प्रतीक्षा की है।

उड़ीसा राज्य में हमारी जनता के चार बड़े शत्रु हैं। ये हैं : तूफान, बाढ़, सूखा और उपेक्षा। बीजू जनता दल इन चार शत्रुओं के साथ निपटने हेतु मानवीय तौर पर जो भी सम्भव होगा करने के लिए वचनबद्ध है। वास्तव में उड़ीसा में पांच दशकों से कांग्रेस नेतृत्व वाली राज्य सरकारें होने के कारण यह राज्य उपेक्षित रहा है।

राष्ट्रीय एजेंडे के फलस्वरूप सिंचाई—जो कि उड़ीसा के लिए महत्वपूर्ण है—के संबंध में भी काफी कुछ किया जाएगा।

महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि भारत गांवों का देश है। सही मायने में यह कहा जा सकता है कि उड़ीसा गांवों का राज्य है ...*(व्यवधान)*

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन : क्या आप उड़ीसा के मामलों के मंत्री हैं? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। यह अच्छी बात नहीं है।

(व्यवधान)

श्री नवीन पटनायक : उड़ीसा डेल्टा राज्य है और इसमें खुशहाल राज्य बनने की क्षमता है। जब मैं उड़ीसा की बात करता हूं, तो मैं हमारे देश के अनेक ऐसे भागों की बात करता हूं, जो अति निर्धन हैं। यही वजह है कि मैं उड़ीसा की बात करता हूं। मैं आज यहां एक सहयोगी के रूप में बोल रहा हूं। हम विश्वास मत प्राप्त करने जा रहे हैं। आपको कुछ धैर्य तो रखना ही चाहिए।

हमारे दल अर्थात् बीजू जनता दल के नेता हैं हमेशा महिलाओं के उत्थान के लिए डटे रहे हैं। उन्होंने हमेशा यह कहा है : "यदि महिलाओं का ध्यान रखा जाता तो गांवों में खुशहाली आती है; यदि गांवों में खुशहाली आती है, तो राज्य में खुशहाली आती है; यदि राज्य में खुशहाली आती है, तो देश में खुशहाली आती है।" मुझे उम्मीद है कि यह बात समूचे देश पर लागू होगी। जैसाकि मेरा कहना है कि राष्ट्रीय एजेंडा महिलाओं के लिए संसद और राज्य विधान सभाओं में आरक्षण देने, महिलाओं के लिए एक विकास बैंक की स्थापना और महिलाओं की शिक्षा के प्रति वचनबद्ध है।

हम जानते हैं कि यद्यपि हमारे इरादे नेक हैं, फिर भी उन्हें कठिन परिश्रम से पूरा करना होगा। हम, इस सरकार के सहयोगी इस बात से सहमत हैं कि हम आगे बढ़ेंगे और राष्ट्रीय एजेंडे के सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य करेंगे।

हमने प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बनी गठबंधन सरकार में विश्वास मत मांगा है। हमें कहने में गर्व का अनुभव हो रहा है कि बीजू जनता दल राष्ट्रीय एजेन्डे का ही हिस्सा है जोकि कोई गुप्त एजेण्डा नहीं है। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद (अनन्तनाग) : स्पीकर साहब, दो दिन से जिस प्रस्ताव पर बहस हो रही है, उसमें सबसे पहली बात, जिसका जिक्र हुआ, वह है बी॰जे॰पी॰, पार्टी विद ए डिफरैंस है। यह भी कहा गया, खासतौर से विरोधी पक्ष की ओर से कि किसी तरह से उत्तर प्रदेश में और हिमाचल प्रदेश में बहुमत को मैनीपुलेट किया गया। लोक सभा चुनाव में बी॰जे॰पी॰ ने चुनाव अभियान में जितना भ्रष्टाचार के बारे में कहा, उतना किसी और पार्टी ने नहीं कहा होगा। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो सरकार इन्होंने बनाई, उससे लॉग टर्म क्या गेन होगा, यह हमें पता नहीं। भ्रष्टाचार दूर करने के बारे में इनकी जितनी मोरैलिटी थी, जो यह अपनी ताकत मानते थे, वह ताकत खत्म हो गई। इसी तरह यहां के बारे में भी हमें नहीं मालूम कि क्या सौदेबाजी हुई होगी? किस तरह से 20 दिन इनको बहुमत हासिल करने में लग गए, इसका आगे चलकर क्या असर होगा, हालात ही बताएंगे।

दूसरी बात, जिसकी अभी चर्चा हुई, वह यह है कि बी॰जे॰पी॰ और इसके एलाइज का नेशनल एजेंडा क्या है? इनका इन्तखाबी चुनावी घोषणा-पत्र, इलेक्शन मैनीफैस्टो क्या है? अगर बी॰जे॰पी॰ की लीडरशिप में इतना परिवर्तन आया है, इनकी सोच में इतनी तबदीली आई है कि ये बिल्कुल सैकुलर हो गए हैं तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन बी॰जे॰पी॰ की क्रेडिबिलिटी इतनी नहीं है। इनके इन्तखाबी मनसूर मंसूबे को, जिसे इनके सेंट्रल ऑर्गन्स आर॰एस॰एस॰, वी॰एच॰पी॰ तथा बजरंग दल ने सारे देश में घुमाकर कहा है, कैम्पेन चलाया है, उसके पहले लफ्ज क्या हैं, हैडिंग क्या है :—

[अनुवाद]

महोदय, मैं उनके घोषणा पत्र से कुछ पंक्तियां उद्धृत करता हूं। यह लिखा हुआ है और मैं उद्धृत करता हूं :

हमारी राष्ट्रीय सांस्कृतिक पहचान :

> "भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्र, एक जाति और एक संस्कृति की अवधारणा के लिए प्रतिबद्ध है।"

[हिन्दी]

अटल बिहारी वाजपेयी यूनिटी और डाइवर्सिटी की बात करते थे, लैट हन्ड्रेड फ्लावर्स ब्लूम की बात करते थे लेकिन राम मंदिर के बारे में इनका विचार क्या है, सुनिए :—

[अनुवाद]

उनके चुनाव घोषणा पत्र में राम के बारे में यह लिखा हुआ है, मैं उद्धृत करता हूं :

> "भारतीय जनता पार्टी को विश्वास है कि हिन्दुत्व में पर्याप्त सामर्थ्य है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

आप सुनिए।...*(व्यवधान)* ऐसा नहीं है। आप सुनिए। ...*(व्यवधान)* आप ट्रेजरी बेंचेज पर बैठे हैं। ऐसे नहीं चलेगा।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

> "भारतीय जनता पार्टी को इस बात का विश्वास है कि हिन्दुत्व में राष्ट्र निर्माण के कठिन कार्य को आरम्भ करने के लिए इस राष्ट्र में शक्ति का पुनः संचार करने और इसे मजबूत और अनुशासित करने की पूर्ण क्षमता है। इससे देश भक्ति की उच्च भावना उत्पन्न होगी जो कि देश में कार्य कुशलता और कार्य निष्पादन के संबंध में

[श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद]

> एक उच्च स्तरीय मिशाल कायम कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने इसी एकीकृत भावना से अयोध्या में श्री राम मन्दिर के निर्माण के लिए राम जन्म भूमि आन्दोलन में भाग लिया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के इतिहास में यह सबसे बड़ा जन आन्दोलन भारत में विमुख होती हुई नीतियों को पुनः सही स्थान पर लाया है और इसने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की आधारशिला को मजबूती प्रदान की है।"

[हिन्दी]

जिस मूवमेंट ने, जिस आंदोलन ने हिन्दुसतान में हिन्दू का, मुसलामन का, खून बहाया, भाई को भाई से जुदा किया...*(व्यवधान)* जहां इंसानियत अपना दम तोड़ रही थी, उस आंदोलन को ये लोग तारीखी, हिस्टॉरिकल कहते हैं। इनके कहने पर हम क्या कहें? ...*(व्यवधान)* डा॰ मुरली मनोहर जोशी हिन्दुत्व के बारे में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का रेफरेंस दे रहे थे लेकिन बाबरी मस्जिद की रक्षा के लिए जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे, आपको याद होगा, जिसके बारे में कल्याण सिंह ने एफीडेविट दे दिया था और आपके लीडर्स ने यहां के प्रधान मंत्री को विश्वास दिया था कि किसी भी सूरत में बाबरी मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचेगा। फिर 6 दिसम्बर, 1992 को क्या हुआ?...*(व्यवधान)* इस गांधी और बुद्ध के देश में क्या हुआ?... *(व्यवधान)* क्या ऐसा हो सकता है?...*(व्यवधान)* डा॰ मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी जी उस वक्त उस आंदोलन के नेता थे। वे देख रहे थे कि हिन्दुस्तान में आज किस तरह सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दफन किया जा रहा है।...*(व्यवधान)* हमें यह अहसास था कि बी॰जे॰पी॰ की लीडरशिप इस पर पछताएगी, इस पर अफसोस जाहिर करेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ जिससे पूरे हिन्दुस्तान में, हिन्दू को भी और मुसलमान को भी, सदमा पहुंचा। बी॰जे॰पी॰ ने कल्याण सिंह को हीरो बनाकर सारे देश में घुमाया कि देखिए, इन्होंने क्या काम किया है।...*(व्यवधान)* हम यह कभी सोच नहीं सकते थे कि ऐसा इस मुल्क में किया जाएगा। ...*(व्यवधान)* लेकिन मुल्क में ऐसा हुआ। हम भारत की जनता को, उत्तर प्रदेश के लोगों को, अयोध्या और फैजाबाद के लोगों को, मध्य प्रदेश के लोगों को कहना चाहते हैं और इस बात को कहने में हमें फख है कि हिन्दुस्तान के अवाम में रवादारी का जजबा है कि उन्होंने बीजेपी के नंगे नांच पर बगलें नहीं बजाई। इसके साथ ही यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान तथा हिमाचल प्रदेश में इन लोगों को शिकस्त दी और यूपी में मुलायम सिंह की सरकार बनी, मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी की सरकार बनीं। हिमाचल के लोगों ने इनके नंगे नाच को पसन्द नहीं किया और आपका हिन्दुत्व में ठहराव आ गया।...*(व्यवधान)* कल जार्ज फर्नान्डिस साहब कह रहे थे कि स्टेबिलिटी होनी चाहिए। मैं यह पूछता हूं, कैसे होगा, जहां भाई-भाई का कत्ल करे और राम जन्म भूमि के बाद काशी और मथुरा का सवाल पैदा हो। आपके लोग गांव-गांव में जाकर इस प्रकार का माहौल पैदा करें।...*(व्यवधान)* इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह दोहरी पालिसी नहीं चलेगी। एक कदम पर नेशनल एजेंडा और दूसरे कदम पर अपने दल का चुनाव घोषणा पत्र। आपको साफ करना होगा कि आपका ख्याल क्या है और आप क्या करना चाहते हैं। इस तरह से धारा 370 के बारे में, भाजपा की सरकार बनने से काश्मीर के मुसलमानों में अन्देशा पैदा हो जाएगा कि अब क्या होगा ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अभी तीन और वक्ता शेष हैं। कृपया समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : मैं कुछ और समय तक बोलना चाहता हूं।

धारा 370 के बारे में बीजेपी की पालिसी है। हिन्दुस्तान के साथ शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने नाता जोड़ा जब हमारा देश तकसीम हुआ, उसके बाद शेख मोहम्मद अब्दुल्ला काश्मीर के लीडर थे और मुसलमानों के साथ ऐसा होने पर भी हिन्दुस्तान के साथ नाता जोड़ा और पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई। उसी दौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान में काश्मीर के लिए एक स्पेशल पोजीशन रखी और दिल्ली एग्रीमेंट हुआ। लेकिन उसी वक्त मरहूम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में एक आन्दोलन चला कि काश्मीर को जो स्पेशल पोजीशन मिली है, उसका कारण यह कि काश्मीर के इन्टीग्रेशन के लिए नेहरू जी चाहते थे कि हिन्दुस्तान में उसको शो-विन्डो बनायेंगे। वहां मुस्लिम मैजोरिटी होने के बावजूद भी कैसे आजादी मिली, यह सब को पता है। इन्होंने आन्दोलन चलाया—एक प्रधान, एक विधान और एक निशान। शेख अब्दुल्ला को जब क्राइसिस आफ क्रान्फिडेंस हुआ, तो फिर इनको जेल भेजना पड़ा।...*(व्यवधान)* मैं कहना चाहता हूं कि पिछले दस सालों से काश्मीर टरमॉयल से गुजर रहा है। वहां की स्थिति को काबू करना चाहिए। यह बात मैं प्राइम मिनिस्टर को क्लीयर करना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अकबर अली खांदोकर (सेरमपुर) : महोदय, मेरा नाम अकबोर अली खन्डोकर है और मैं मुसलमान हूं। लेकिन बात यह

है कि यहां की कार्यवाही सारा देश देख रहा है और जनता यहां खड़ी हुई है। सदन में क्या हो रहा है।...(*व्यवधान*) क्यों हिन्दू और मुसलमान की बात हो रही है...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। यह कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं होगा।

(*व्यवधान*)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। कृपया बैठ जाइए।

(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : मेरा कहना है कि पिछले आठ साल से कश्मीर टरमाइल में है। अब जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको मालूम हो जाए कि वहां हालात क्या हैं। वहां बहुत हद तक सिक्यूरिटी फोर्सेस ने मिलिटेंसी को कंटेन किया है...(*व्यवधान*)

इसलिए हमारे जम्मू कश्मीर की इंडियन कांस्टीट्यूशन में खसूसी पोजीशन है, इसमें धारा 370 सबसे ज्यादा अहम है। प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कम से कम एक मैसेज जाए कि धारा 370, जो हिन्दुस्तान के संविधान का एक हिस्सा है इसे हम नहीं बदलेंगे, यही मैं कहना चाहता हूं। इसी तरह से वहां जो हालात हैं, जैसे मिलिटेंसी हैं, हम कहना चाहते हैं कि बंदूक की नोंक पर कश्मीर के लोगों के दिल नहीं जीते जा सकते हैं। वहां के लोगों के साथ डायलॉग होना चाहिए।

[अनुवाद]

संवाद ही प्रजातन्त्र का मूल तत्त्व है।...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

बातचीत लोकतंत्र की जान हैं। जैसा गवर्नमैंट ऑफ इंडिया ने मिजोरम में लाल डेंगा के साथ किया, नागालैंड में फीजो के साथ बातचीत की, उसी तरह से जम्मू-कश्मीर के लोगों के साथ बात करनी चाहिए।...(*व्यवधान*) फारूक अब्दुल्ला जी ने वहां पर सियासी और इक्तसादी तौर पर गुड्स डिलिवर नहीं रक सके। वहां सियासी तौर पर एक वेक्यूम है, वहां गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से मदद जा रही है लेकिन वह लोगों तक नही पहुंची। वहां कोई एकाउंटेबिलिटी नहीं है। यहां से जो पैसा जाता है वह जरूरतमंद लोगों के पास नहीं जाता है।...(*व्यवधान*) इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कश्मीर हिन्दुस्तान का एक अंग है, कश्मीर हिन्दुस्तान का ताज है। कश्मीर के बारे में जो भी फैसला करना हो वह कंसेंसस से करना चाहिए।...(*व्यवधान*)

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्री उमर अब्दुल्ला (श्रीनगर) : क्या आप उन आरोपों को सिद्ध कर सकते हैं? मैं आप से पूछता हूं, क्या आप इस सभा में अपने द्वारा लगाये गये आरोपों को सिद्ध कर सकते हैं। आपने जम्मू और कश्मीर के लोगों का प्रतिनिधित्व कभी भी नहीं किया है। आप हमेशा बाहर से ही जीते हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि आप कश्मीर के बारे में कैसे बोल सकते हैं? आपने कश्मीर के लिए कभी भी नहीं बोला है और कभी नहीं बोलेंगे। आपने केन्द्रीय गृहमंत्री के रूप में क्या किया?

अध्यक्ष महोदय : सभा में व्यवस्था बनाए रखने का कार्य मात्र पीठासीन अधिकारी का ही नहीं है। यह जिम्मेदारी सदस्यों की भी है। अतः, कृपया मेरे साथ सहयोग करें। शाम के 5.30 बज चुके हैं।

(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : श्री ई॰ अहमद, कृपया बीच में मत बोलिए। आपके सदस्य बोल रहे हैं।

(*व्यवधान*)

श्री जी॰एम॰ बनातवाला (पोन्नानी) : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। प्रधानमंत्री ने इस सभा का विश्वास मांगा है। हम प्रधानमंत्री द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव का विरोध करते हैं। जब कोई इस साझा सरकार की ओर देखता है तो वह इस स्पष्ट वास्तविकता से आहत होता है कि इस साझा सरकार के चारों ओर पूर्णतः अनिश्चितता की स्थिति है। यह जो पूर्ण अनिश्चितता की स्थिति है वह इस सरकार की संरचना के संबंध में है।

महोदय, उदाहरण के लिए एक कट्टर धर्मनिरपेक्ष विरोधी पार्टी ने एक ही रात में एक धर्म निरपेक्ष ताकत के रूप में उभरने का प्रयास किया है। क्या अवास्तविकता है। क्या अवास्तविक स्थिति है। मुझे लम्बे इतिहास का सन्दर्भ देने की आवश्यकता नहीं है।...(*व्यवधान*) वे गुरू गोलवालकर थे जिन्होंने कहा था कि :

> "हिन्दुस्तान में रहने वाले गैर हिन्दू लोगों को या तो हिन्दू संस्कृति और भाषा स्वीकार कर लेनी चाहिए अथवा पूर्णतः हिन्दू राष्ट्र के अधीन समाज में चले जाना चाहिए तथा उन्हें किसी चीज पर दावा नहीं करना चाहिए, किसी विशेषाधिकार का पात्र नहीं होना चाहिए, कोई प्राथमिकता भी नहीं मिलनी चाहिए—यहां तक कि एक नागरिक के अधिकारों की मांग भी नहीं करनी चाहिए।"

...(*व्यवधान*) भारतीय जनता पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र 3 फरवरी, 1998 को जारी किया गया था।...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये।

(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : *यह कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं होगा।*

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाए।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं होगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

*(व्यवधान)**

श्री जी॰एम॰ बनातवाला : यदि हम गोलवालकर के समय की बात नहीं करते, तो आइये हम भारतीय जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र के बारे में बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र 3 फरवरी, 1998 को जारी किया गया था।...*(व्यवधान)* फासिस्टवादी धर्म निरपेक्ष विरोधी स्वरूप वाला यह घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी की धर्म निरपेक्ष विरोधी विचारधारा की पुष्टि करता है। अब हमारे पास भारतीय जनता पार्टी का हाल ही में 3 फरवरी, 1998 को जारी किया गया धर्म निरपेक्ष विरोधी घोषणा पत्र है। और उसके बाद हम सरकार के नेशनल एजेण्डा पर आते हैं। ...*(व्यवधान)* उन्होंने रातोंरात एक धर्म निरपेक्ष सरकार बनाने का प्रयास किया। यह कितनी अवास्तविकता की स्थिति है। एक ऐसी पार्टी, जो कानून के शासन में विश्वास नहीं करती, जो जानबूझकर सभी आदेशों का यहां तक कि भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेशों की भी अवज्ञा करती है, जिसने बाबरी मस्जिद की घटना बड़े गर्व से घटित कराई, धर्म निरपेक्षता का स्वांग रचती है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करिए।

श्री जी॰एम॰ बनातवाला : महोदय, मैंने तो अभी शुरू भी नहीं किया है।

अध्यक्ष महोदय : अब समय नहीं है।

(व्यवधान)

श्री जी॰एम॰ बनातवाला : महोदय, ये लोग यह सब क्या कर रहे हैं? कृपया उन्हें शान्त कीजिए जिससे मैं अपनी बात समाप्त कर सकूं।...*(व्यवधान)* महोदय, मुझे आपका संरक्षण चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : निश्चित रूप से। परन्तु आप समाप्त कीजिए।

श्री जी॰एम॰ बनातवाला : मुझे इस सभा में बोलने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब समाप्त करें।

(व्यवधान)

श्री जी॰एम॰ बनातवाला : इस सरकार में सैद्धांतिक और व्यावहारिक सामंजस्य की कमी है। यहां पर ऐसी ही स्थिति है। हमें बताया गया है कि विवादित मुद्दों जैसे बाबरी मस्जिद की जगह राम मन्दिर बनाना, काशी और मथुरा के मुद्दे, धारा 370 को हटाना और समान नागरिक संहिता को जबरदस्ती लागू करना, को छोड़ दिया गया है। फिर भी, भारतीय जनता पार्टी ने उन मुद्दों को नहीं छोड़ा है। भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार की सदस्य है और ये सभी विषय उनकी कार्य सूची में है। संघ परिवार के एक सदस्य के नेतृत्व में चलने वाली यह सरकार किस प्रकार से अपने ही सहयोगियों के साथ प्रभावी रूप से काम कर सकती है जिनके एजेण्डा में ये सभी विषय हैं? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री जी॰एम॰ बनातवाला : यदि मेरे भाषण के समय सभा में शान्ति रहेगी तभी मैं अपना भाषण पूरा कर पाऊंगा। मुझे बोलने की अनुमति मिलनी चाहिए...*(व्यवधान)* जैसा कि मैंने कहा कि सरकार के राष्ट्रीय एजेण्डा में कहा गया है कि यह सरकार अल्पसंख्यकों के आर्थिक और शैक्षणिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है और वह इस संबंध में प्रभावी कदम उठायेगी...*(व्यवधान)* परन्तु इस एजेण्डा में अल्प संख्यक वित्तीय विकास निगम, उर्दू विश्वविद्यालय, अबुल कलाम आजाद शैक्षणिक कोष और पूजा स्थल विशेष उपबंध अधिनियम के लागू करने के संबंध में कुछ नहीं कहा गया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

(व्यवधान)

श्री जी॰एम॰ बनातवाला : लेकिन मैं कैसे समाप्त करूं? मैं तो बोल ही नहीं पा रहा हूं। आपको मेरा संरक्षण करना चाहिए।... *(व्यवधान)* हमें बताया गया है कि वे राज्य स्तर पर शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की वर्तमान प्रतिशतता को कानूनी संरक्षण प्रदान करेंगे। परन्तु नौकरियों के बारे में क्या है? नौकरियों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है?...*(व्यवधान)*

इसमें आगे कहा गया है कि वे दंगा मुक्त व्यवस्था उत्पन्न करने के लिए प्रभावी कदम उठायेंगे। परन्तु साम्प्रदायिक दंगों के धन-जन की हानि के लिए सांविधिक मुआवजे के बारे में क्या कार्य योजना है? 1980 में मुरादाबाद में 1983 में नेल्लाई में, 1987 में हाशीमपुर में, 1989 में भागलपुर में और 1992 में मुम्बई के दंगों जैसे बड़े साम्प्रदायिक दंगों के अभियुक्तों को सजा दिलाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?...*(व्यवधान)*

महोदय, इस सरकार के बारे में पूरी अनिश्चित की स्थिति है। अतः, मैं इस प्रस्ताव का पूरी तरह से विरोध करता हूं। इस देश के

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र के हित में, मैं भारतीय जनता पार्टी के शिव सेना जैसे दलों से भी अपील करता हूं कि वह सरकार के साथ चलने के अपने निर्णय पर पुनर्विचार करे।...*(व्यवधान)*

मुझे बहुत सी बातें कहनी हैं लेकिन सभा में शोर-शराबे और आपके बार-बार के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए मैं प्रधान मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव का जोरदार विरोध करता हूं और अपनी सीट पर बैठता हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : एक घोषणा करनी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : 5.30 बजे हमें नियम 377 के अधीन मामलों पर चर्चा करनी है। यदि सभा सहमत हो तो हम इन मामलों पर चर्चा अभी कर लें अन्यथा बाद में करेंगे।

(व्यवधान)

कई अनेक माननीय सदस्य : सोमवार को करेंगे।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : सभा की अनुमति से हम नियम 377 के अन्तर्गत आने वाले मामलों को छोड़ देते हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसलिए हम इस पर सोमवार को चर्चा करेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपका नाम नहीं पुकारा है।

श्री तथागत सत्पथी : महोदय, मेरा एक व्यवस्था संबंधी प्रश्न है...*(व्यवधान)* मैं कुछ कहना चाहता हूं...*(व्यवधान)* कृपया मेरी बात सुनिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अब, श्री पूर्णो अनितोक संगमा बोलेंगे।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी सीट पर बैठिए।

श्री पूर्णो ए॰ संगमा (तुरा) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले, मैं क्या आपके माध्यम से, सभा से कुछ देर शांत रहने की अपील कर सकता हूं? गत 22 माह के दौरान विश्वास मत का यह पांचवां प्रस्ताव है। मुझे यह नहीं मालूम कि निकट भविष्य में सभा के समक्ष कितने विश्वास मत प्रस्ताव आएंगे। लेकिन मेरे विचार में मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक वर्ष से भी कम समय में कम से कम एक और ऐसा प्रस्ताव आएगा।...*(व्यवधान)*

गत चार लोक सभा चुनावों में अर्थात्, नौवें, दसवें, ग्यारहवें और बारहवें चुनावों में हमने एक पंगु संसद देखी है। किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। कल और आज सभा में इस बात पर बहस में काफी समय व्यय किया गया है कि शासन चलाने के लिए किस व्यक्ति और किस दल को जनादेश मिला है। मेरे विचार में इस प्रकार जनादेश पर बहस करना व्यर्थ है। यह सच है कि पिछले कुछ वर्षों से इस खंडित जनादेश के कारण हम देश में अस्थिरता देख रहे हैं। मेरे विचार से, इस देश के लोगों, संसद, विशेषरूप से राजनीतिक दलों को मिल बैठकर इस बात पर विचार करना चाहिए कि पिछले चार लोक सभा चुनावों में लोग स्पष्ट जनादेश—मैं यह नहीं कहूंगा कि क्यों नहीं दिया—क्यों नहीं दे पाए। क्या यह लोगों की गलती है? क्या यह व्यवस्था की गलती है? क्या यह राजनीतिक दलों की गलती है? क्या यह राजनीतिक नेतृत्व की गलती है?

महोदय, मेरे विचार से, देश को इस बारे में विचार करने की आवश्यकता है। और लोग स्पष्ट जनादेश क्यों नहीं दे पाए, मैंने इन बातों के कारणों का विश्लेषण करने का प्रयास किया है। लेकिन मैं नहीं समझता कि यहां सब विषयों पर चर्चा करने के लिए पर्याप्त समय है।

एक बात हमने देखी है और हमने पाया है कि पिछले कुछ वर्षों में चाहे वह मेरा दल हो, या भारतीय जनता पार्टी हो या चाहे कोई अन्य राजनैतिक दल हो सभी की विचारधारा अपनी पृष्ठभूमि खोती जा रही है। आज राजनीति व्यक्ति का ध्रुवीककरण व्यक्तियों, ताकतवर व्यक्तियों के आस-पास हो रहा है और इससे राजनीतिक दल, विशेषरूप से राष्ट्रीय दल अधिकाधिक खंडित हो रहे हैं। यहां तक कि गत आम चुनावों की पूर्व संध्या पर भी हमने राजनीतिक दलों को टूटते हुए देखा। कांग्रेस में से तृणमूल कांग्रेस का जन्म हुआ; जनता दल में से राष्ट्रीय जनता दल और बीजू जनता दल का जन्म हुआ। हमने श्री हेगड़े की अध्यक्षता वाली लोक शक्ति और श्री वाघेला की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय जनता पार्टी का प्रादुर्भाव भी देखा।...*(व्यवधान)* कृपया मेरी बात सुनिए। मैं बहुत गम्भीरतापूर्वक कह रहा हूं। मुझ वास्तव में नहीं मालूम कि राजनैतिक दलों का टूटना इस देश के लिए एक स्वस्थ परम्परा है। मुझे मालूम है कि इसके उचित कारण हैं। ऐसा उचित कारणों वश ही हुआ है। परन्तु हमें यह सोचना होगा कि क्या यह दीर्घावधि के लिए अच्छी बात है।

अध्यक्ष महोदय, ग्यारहवीं लोक सभा में, इस सभा में 29 राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि थे। इस बारहवीं लोक सभा में 41 राजनैतिक दलों का प्रतिनिधित्व है। यह 42 भी हो सकते हैं। बहुत जल्दी ये 43 या 44 भी हो सकते हैं। यह हम नहीं जानते हैं। मेरा व्यक्तिगत विचार है कि यह देश के लिए अच्छा नहीं है। हमें यह सोचना है कि हम स्वयं को एक कैसे रख सकते हैं।

आज, राष्ट्रीय दल कुल मिलाकर अप्रासंगिक हो रहे हैं। यह बात मैं आज नहीं कह रहा हूं। यही बात श्री वाजपेयी जी ने विपक्षी नेता के रूप में कही थी। उस समय मैं इस सभा का पीठासीन अधिकारी था। यही बात श्री प्रमोद महाजन कह रहे थे। मुझे याद है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता संयुक्त मोर्चा सरकार की 'कैसी सरकार है' कहकर खिल्ली उड़ाते थे। एक 'खिचड़ी' सरकार नहीं होनी चाहिए।

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री पूर्णो ए॰ संगमा]

एक निर्दलीय सदस्य को केबिनेट मंत्री बनाया गया; एक दल के एकमात्र सदस्य को केबिनेट मंत्री बनाया गया। पिछली लोक सभा में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस सभा में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी सरकार से बाहर है; कांग्रेस सरकार से बाहर है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) सरकार से बाहर है—यह एक उचित तर्क था। लेकिन आज क्या हो गया? पिछली बार 13 दलों की सरकार थी और इस बार 18 दलों की सरकार है। क्या सुधार हुआ है! मुझे नहीं मालूम कि देश के लिए यह एक स्वस्थ परम्परा है।

मुझे याद है कि मैंने एक बहुत ही रोचक कहानी पढ़ी थी चुनाव के दौरान दो औरतें पानी लेने गई थीं और राजनीति के बारे में चर्चा कर रही थीं।

[हिन्दी]

इस चुनाव में क्या होगा, कौन जीतेगा, कौन प्रधान मंत्री बनेगा, एक औरत ने कहा क्या फर्क पड़ता है, कौन सरकार बनेगी, कौन प्रधानमंत्री बनेगा?

पहली महिला ने जवाब दिया—जहां तक मेरा सवाल है मुझे मालूम है, मेरा हस्बैंड जरूर मंत्री बनेगा। दूसरी ने पूछा कि कैसे बनेगा? पहली ने जवाब दिया क्योंकि वह इंडिपेंडेंट खड़ा है, वह इंडिपेंडेट चुनाव लड़ रहा है और जीतने वाला है। अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनेगी तो भी मंत्री बनेगा और यदि सीता राम केसरी जी की सरकार बनेगी, तो भी मंत्री बनेगा। इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।

दूसरी महिला ने कहा कि यदि ऐसा है, तो मेरा हस्बैंड भी मंत्री बनेगा। पहली ने पूछा कि वह कैसे, क्या तुम्हारा पति भी इंडिपेंडेंट है, तो दूसरी ने कहा कि नहीं वह इंडिपेंडेंट नहीं है, लेकिन उसने एक नई नैशनल पार्टी बनाई और उसमें वह अकेला कैंडीडेट है।

[अनुवाद]

मैं माननीय प्रधान मंत्री श्री वाजपेयी को चुनाव के तत्काल बाद हुई पीड़ा की कल्पना कर सकता हूं। उन्हें पीड़ा अवश्य हुई होगी। इस सभा में 179 सीटें मिलने के पश्चात् भी श्री वाजपेयी कुछ नहीं कर सकते। मैं श्री वाजपेयी का प्रशंसक हूं। मुझे उस समय बहुत खुशी हुई थी, जब वाजपेयी जी ने कहा था कि जब तक उनके पास अपेक्षित संख्या में सदस्य नहीं होंगें वह सरकार बनाने के लिए दावा पेश नहीं करेंगे। सदस्य कहां से आएंगे? सदस्य छोटे-छोटे दलों से आएंगे। किसी ने प्रेम पत्र, जिसकी श्री वाजपेयी आशा कर रहे थे, उल्लेख कर कहा कि "चिट्ठी आ रही है।" सबसे बड़े राजनैतिक दल के नेता के लिए कितनी भारी पीड़ा थी। छोटे दलों, शायद 12 सदस्यों वाले एक दल ने अधिक दबाव डाला था। यही वे सदस्य हैं जो भारत के भविष्य का निर्धारण कर रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या यह स्वस्थ परम्परा है।

एक माननीय सदस्य : तो क्या हुआ?

श्री पूर्णो ए॰ संगमा : ऐसा केवल उन्हीं के साथ नहीं हुआ है। ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है। मैं देश में उभरती हुई राजनीतिक प्रवृत्ति का विश्लेषण मात्र करने का प्रयास कर रहा हूं और सभी राजनीतिक दलों को यह जांच करनी होगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। लोग एक स्पष्ट जनादेश क्यों नहीं दे पा रहे हैं? मेरे विचार से हमारी विश्वसनीयता घटती जा रही है।

एक बुजुर्ग व्यक्ति मुझसे मिलने आए। उन्होंने मुझे एक रोचक बात बतायी। उन्होंने बताया कि उनके समय राजनीतिज्ञ टिकट प्राप्त करने के लिए पार्टी मुख्यालय जाया करते थे परन्तु आज व्यक्तियों के पार्टी मुख्यालयों में जाने के बजाय राजनीतिक दल अपनी पार्टी का टिकट व्यक्तियों द्वारा स्वीकार किए जाने के लिए उनके पीछे घूम रहे हैं। उन्होंने पूछा, हमारा देश कहां जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनके समय लोग पार्टी हाई कमान के पास जाया करते थे और उनसे कहते थे कि एक निर्वाचित क्षेत्र विशेष से टिकट दें। हाई कमान के यह पूछने पर कि आप उस निर्वाचन क्षेत्र विशेष से टिकट क्यों चाहते हैं वे कहा करते थे कि वे उस निर्वाचन क्षेत्र विशेष के लोगों से परिचित हैं और इसी कारण वहां से मेरे चुनाव जीतने की पूरी सम्भावना है। उन्होंने कहा, आज एक राजनीतिज्ञ पार्टी मुख्यालय जाता है और उनसे कहता है उसे एक निर्वाचन क्षेत्र विशेष को टिकट न दें क्योंकि वहां के लोग उसे जानते हैं। वह पार्टी हाइकमान से एक निर्वाचन क्षेत्र, जहां पर लोगों ने उसे देखा न हो और उसे जानते न हो, से टिकट देने का अनुरोध करता है। मेरे विचार से हमारी विश्वसनीयता घटती जा रही है।

हमने संसद के विशेष सत्र का आयोजन किया था जिसमें हमने इन सारी बातों की चर्चा की थी। हमनें राजनीति के अपराधीकरण, राजनीतिज्ञों और अपराधियों की सांठ गांठ, भ्रष्टाचार, सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा इन सब बातों के विरूद्ध संकल्प किया था। मैं उन सारी बातों का उल्लेख नहीं करना चाहता हूं। मैं आज स्थायित्व की बात कर रहा हूं। परन्तु मैं केवल स्थायित्व से संतुष्ट नहीं हूं। हमारी सरकारें स्थायी हो सकती है, हमारी सरकारें स्थायी रही है। मेरे राज्य मेघालय में स्थायी सरकार है क्योंकि साठ सदस्यों वाली सभा में हमारे 28 मंत्री है, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष है—कुल मिलाकर 30 सदस्य हैं। ऐसी सरकार कैसे गिर सकती है: यह स्थायी सरकार ही होगी।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : उत्तर प्रदेश में 93 मंत्री हैं।

श्री पूर्णो ए॰ संगमा : मेरे पड़ोसी राज्य अरुणाचल की विधान सभा में साठ सदस्य हैं और वहां 35 मंत्री, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष हैं—कुल मिलाकर 37 सदस्य। वहां पर स्थायी सरकार होगी।

यह सरकार स्थायी रहेगी। सोमनाथ जी उत्तर प्रदेश का पहले ही उल्लेख कर चुके हैं। वहां की सरकार स्थायी होगी। परन्तु यदि वह सरकार शासन ही न चला पाए तो क्या हमारे देश के लिए [illegible] स्थायी सरकार का होना ही पर्याप्त है। मेरे विचार से आज की [illegible] मात्र स्थायित्व ही महत्वपूर्ण नहीं है। इस समय आवश्यकता बेहतर शासन की है। मैं श्री वाजपेयी जी की सरकार के स्थायित्व के बारे में चिन्तित नहीं हूं। मैं केवल इस अठारह पार्टियों की सरकार [illegible] के बारे में चिन्तित हूं। वे किस प्रकार शासन कर पाएंगे। वे [illegible] सहयोगियों के चुनाव-पूर्ण घोषणापत्रों, शासन के लिए राष्ट्रीय एजेण्डा, जोकि चुनावों के पश्चात् बना था यथा आपसी समझ पर आधारित चुनाव के बाद के अकथित पैकेजों के सहारे शासन कैसे कर पाएंगें? डॉ॰ जोशी ने इस बात से इंकार किया था कि कोई छिपा हुआ एजेण्डा है। मैं उनके छिपे हुए एजेण्डे की बात कर रहा हूं क्योंकि हम इसे जानते हैं। मैं वास्तव में सभा का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं शीघ्रता से इसका उल्लेख करूंगा।

डा॰ जोशी ने इस बात से इंकार किया है कि कोई छिपा हुआ एजेण्डा है। परन्तु मुझे एक संदेह हैं—मुझे इसके लिए क्षमा करें—कि शायद उनके राष्ट्रीय एजेण्डे में ही कोई छिपा हुआ एजेण्डा है। यदि ऐसी बात नहीं है तो प्रधानमंत्री इंकार कर सकते हैं। मैं केवल अपने व्यक्तिगत संदेह की बात कर रहा हूं।

उनके राष्ट्रीय एजेण्डे के पैरा 29 में, जिसमें वास्तविक धर्मनिरपेक्षता की व्याख्या दी गई है, में वे एक 'न्यायसंगत नागरिक व्यवस्था' की बात करते हैं। मैं नहीं जानता कि इस न्यायसंगत नागरिक व्यवस्था का क्या अर्थ है। मुझे यह समान नागरिक संहिता के समान प्रतीत होता है। उनके राष्ट्रीय एजेण्डे के पैरा 17 में वे 'युवा शक्ति का उपयोग' अध्याय में वे एक 'राष्ट्रीय पुनर्निर्माण कोर' के गठन की बात करते हैं। मैं नहीं जानता कि इस राष्ट्रीय पुनर्निर्माण कोर का अर्थ क्या है। मुझे यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समान प्रतीत होता है जिसे भारत के प्रत्येक विद्यालय में शुरू किया जाएगा। यही कार्यक्रम है यदि मैं गलत कह रहा हूं तो कृपया मुझे क्षमा करें। यदि मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे इससे बड़ी प्रसन्नता होगी।

कुमारी उमा भारती : जी हां, आप गलत हैं।

श्री पूर्णो ए॰ संगमा : मैं 'गाय और इसकी नसल' के सम्बन्ध में 'अर्थव्यवस्था' अध्याय के अन्तर्गत पैरा 4 में दिए गए संदर्भ को भी समझ नहीं पा रहा हूं।

यह सब क्या है? इसका अर्थ क्या है? मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई छिपा हुआ एजेण्डा है। सभा के बाहर, चाहे आप उनके बारे में इंकार करते हैं या नहीं सारा देश इसे जानता है। उनका कुमारी ममता बनर्जी या कुमारी जयललिता के साथ कैसा समझौता हुआ है उसे कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं उस विषय पर नहीं जा रहा हूं।

राष्ट्रीय एजेण्डा—मैं अधिक समय नहीं लूंगा—मैं सभी के लिए भोजन, सभी के लिए पानी, सभी के लिए स्वास्थ्य, सभी के लिए आवास, सभी के लिए शिक्षा और सभी के लिए रोजगार का आश्वासन दिया गया है। परन्तु इसके लिए समय सीमा क्या है? वह पांच वर्ष है। उन्होंने पांच वर्षों के समय में सभी के लिए भोजन सभी के लिए पीने योग्य पानी, सभी के लिए स्वास्थ्य, सभी के लिए आवास, सभी के लिए शिक्षा और सभी के लिए रोजगार का वचन दिया है। हर चीज का वायदा किया गया है सभी के लिए वायदा किया गया है। यह कितना आदर्शवादी दस्तावेज है। प्रधान मंत्री महोदय, मेरा प्रश्न है कि आप इन उद्देश्यों को किस प्रकार से प्राप्त करेंगे? इनके लिए संसाधन कहां है। यदि आपके पास संसाधन नहीं है तो आपकी सरकार सभी के लिए सब कुछ प्राप्त करने के लिए संसाधनों को कहां से जुटाएगी? पांच वर्षों तक शासन चलाने का विश्वास रखने वाली कोई भी सरकार इस प्रकार के वायदे नहीं कर सकती है। केवल ऐसी सरकार, जिसे पांच वर्षों तक सरकार चलाने का विश्वास न हो, ही ऐसे वायदे कर सकती है।

मैं, क्योंकि सभी मुद्दों पर नहीं बोल पाऊंगा इसीलिए मैं एक महत्वपूर्ण विषय अर्थात् शिक्षा पर आता हूं। महोदय, मैं व्यक्तिगत रूप से कई वर्षों से इस बात की वकालत कर रहा हूं कि हमारी कई समस्याओं, चाहे आप जनसंख्या नियंत्रण या किसी अन्य समस्याओं की बात कहें, का समाधन शिक्षा में निहित है।

आप केवल गरीबी उन्मूलन को ही लीजिए। इसलिए मैं सभा में इस बात का पक्ष लेता रहा हूं कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.9 प्रतिशत, जो कि शिक्षा के लिए निर्धारित किया गया है, के बजाय कम से कम दस प्रतिशत निर्धारित किया जाना चाहिए। यह मेरी निजी राय रही है।

श्री पी॰वी॰ नरसिम्हा राव ने एक निर्णय लिया था कि नौंवी योजना के बाद शिक्षा के लिए सकल घरेलू उत्पाद का छह प्रतिशत निर्धारित किया जाएगा। मैं उससे अत्यधिक प्रसन्न हुआ था।

श्री वाजपेयी, मैं नहीं जानता। आपके राष्ट्रीय एजेण्डे में धीरे-धीरे छह प्रतिशत के स्तर को प्राप्त करने का वायदा किया गया है। धीरे-धीरे छह प्रतिशत के स्तर तक पहुंचने का क्या अर्थ है? मैं यह समझता था कि सकल घरेलू उत्पाद का छह प्रतिशत पहले ही नौंवी पंचवर्षीय योजना में निर्धारित कर दिया गया है। मैं ऐसा समझता था। परन्तु अब आपकी सरकार कहती है कि आप धीरे-धीरे छह प्रतिशत के स्तर को प्राप्त करने का यदा करते हैं। मैं एक बार फिर अपील करता हूं कि आप धीरे-धीरे छह प्रतिशत के स्तर को प्राप्त करने की बात मत कीजिए। शिक्षा के लिए नौंवी पंचवर्षीय योजना में सकल घरेलू उत्पाद का छह प्रतिशत निर्धारित कीजिए और इसी से हमारी बहुत सी समस्याएं हल हो पाएगी।

राष्ट्रीय जल नीति के बारे में, यह सही है कि डॉ॰ जोशी ने इससे इंकार किया है परन्तु मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्रीय जल नीति

[श्री पूर्णो ए॰ संगमा]

ए॰आई॰ए॰डी॰एम॰के॰ के कावेरी और पेरियार जल के दावे को सही ठहराने के लिए है।

अपराह्न 6.00 बजे

ऐसा मेरा मानना है। आप इससे इंकार कर सकते हैं। मैं उसमें आपकी सफलता की कामना करता हूं। मेरी शुभेच्छा है कि आप इस समस्या को हल करने में सफल हों। परन्त इस बात को जानते हुए कि दक्षिण भारतीय जल, जो कि गंगा के समान पवित्र और शक्तिदाय है, मेरी चिन्ता केवल यह है कि कावेरी और पेरियार जल मुद्दों में आपकी सरकार बह नह जाएं, सम्भवतः यह डूब जाएगी।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : अध्यक्ष महोदय, छह बज चुके हैं। सभा के समय को बढ़ाना होगा।...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : सभा का समय एक घण्टा बढ़ाया जा सकता है। मेरे विचार से सभा इससे सहमत है।

श्री राम विलास पासवान (गाजीपुर) : महोदय, आप सभा का समय दो घण्टे के लिए बढ़ाइए।

श्री पूर्णो ए॰ संगमा : अध्यक्ष महोदय, मैं सभा का ज्यादा समय नहीं लूंगा।

प्रधानमंत्री जी, मैं आपके राष्ट्रीय एजेण्डा के एक महत्वपूर्ण पहलू का उल्लेख करना चाहता हूं। आपके राष्ट्रीय एजेंडा में आपने सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा की बात कही है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 में निःशुल्क और अनिवार्य बुनियादी शिक्षा की परिकल्पना की गयी है। जिसका तात्पर्य है आठवीं कक्षा तक सभी के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बुनियादी शिक्षा प्रदान करना। आपके एजेंडा में पांचवीं कक्षा तक निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की बात कही गई है। मुझे विश्वास है कि आपने यह गलती की है; यह जानबूझकर नहीं हुआ है। हम संविधान के अनुच्छेद 435 के उपबंधों से मुकर नहीं सकते हैं। इसे बुनियादी शिक्षा होना चाहिए न कि प्राथमिक शिक्षा। कृपया आप इस बात पर गौर करें।

मैं नौ वर्षों की दीर्घ अवधि तक श्रम मंत्री रहा हूं। नौ वर्षों तक इस देश के श्रमिक वर्ग से जुड़ा रहा हूं, मुझे यह देखकर दुःख हुआ कि आपके राष्ट्रीय एजेंडा में श्रमिक वर्ग के बारे में आपने केवल उल्लेख मात्र किया है। उनके बारे में आपने केवल यही कहा है कि संगठित और असंगठित श्रमिक उत्पादन में समान भागीदार होंगे। श्रमिकों के बारे में आपने केवल यही कहा है। श्रमिक वर्ग के लिए आपके पास कोई कार्यक्रम नहीं है। उनके संरक्षण के लिए आपके पास कोई उपाय नहीं है। मैं प्रधानमंत्री से अपील करता हूं कि इस पर गौर करें। वस्तुतः विशेष सत्र के दौरान अध्यक्षपीठ से भाषण देते हुए मैंने दूसरे राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना की वकालत की थी। मैं एक बार पुनः दूसरे राष्ट्रीय श्रम आयोग के गठन स्थापित करने का आग्रह करता हूं।

महोदय, मुझे कई बातें कहनी हैं किन्तु समयाभाव के कारण मैं एक और महत्वपूर्ण बात के बारे में बोलना चाहता हूं। अर्थव्यवस्था, आर्थिक सुधार, सुधारों को जारी रखना के बारे में आपकी नीति। माननीय वित्त मंत्री का यह कहना कि विदेशियों को अपने निवेश के बारे में डरने की आवश्यकता नहीं हैं, आदि जैसी कई बातें हैं : जिनके बारे में बोला जा सकता है किन्तु मैं इन सभी बातों के बारे में बोलना नहीं चाहता हूं। पूर्व वित्त मंत्री श्री पी॰ चिदम्बरम ने उनके बारे में पहले ही कह दिया है इसलिए मैं उन बातों को छोड़ रहा हूं। मैं केवल यह आगाह करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पूर्णतः विज्ञान नहीं है; यह एक राजनीतिक अर्थव्यवस्था है। मैं नहीं समझता कि मुझे उस बारे में बोलना चाहिए।

प्रधान मंत्री जी, मैं आपसे विशेषरूप से एक बात जानना चाहता हूं। माननीय सदस्य और माननीय पूर्व प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर ने इस बात को उठाया है। आपके राष्ट्रीय एजेंडा में जहां तक देश की सुरक्षा का संबंध हैं आपका दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट है। इसमें कहा गया है :

> "भारत की सुरक्षा, प्रादेशिक अखंडता और एकता को सुनिश्चित करने के लिए हम सभी आवश्यक कदम उठाएंगे और सभी उपलब्ध विकल्पों का प्रयोग करेंगे। उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम परमाणु नीति का पुनर्मूल्यांकन करेंगे और परमाणु हथियारों को शामिल करने के विकल्प का प्रयोग करेंगे।"

अब मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आता हूं। वास्तव में राष्ट्रीय एजेंडा और राष्ट्रपति के अभिभाषण दोनों में भाषा, अभिव्यक्ति और सब कुछ समान है। किन्तु उस विशेष पैरा में मैंने एक परिवर्तन देखा है।

उस विशेष पैरा में कहा गया है, "राष्ट्र और इसके नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है। मेरी सरकार इस मामले में कोई समझौता नहीं करेगी। राष्ट्र की सम्प्रभुता और प्रादेशिक अखण्डता की सुरक्षा हर कीमत पर की जाएगी।" यही कहा गया है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में आपने हथियारों को शामिल करने के बारे में नहीं कहा। मैं नहीं जानता कि राष्ट्रीय एजेंडा की घोषणा के दिन से और संसद की दोनों सभाओं के समक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण के दिन तक क्या घटित हुआ है, निश्चिततः समाचार पत्रों से मुझे जानकारी मिली है कि आपकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के साथ टेलीफोन पर बातचीत हुई है। क्या यह कारण है कि राष्ट्रीय एजेंडा का स्वर राष्ट्रपति के अभिभाषण में धीमा पड़ गया है? हम उस बारे में जानना चाहते हैं। आप दोनों के बीच क्या बातचीत हुई? मैं

व्यक्तिगत रूप से जानना चाहता हूं कि क्या प्रधानमंत्री द्वारा इस मामले पर भी बिल क्लिंटन से चर्चा की गई?

अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं एक बात को आपके व्यक्तिगत ध्यान में लाना चाहता हूं। महोदय, मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र का रहने वाला हूं। मैं अनुसूचित जनजाति से संबद्ध हूं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के साथ पूरी सभा की सहानुभूति है, मैं उस मामले में नहीं जाना चाहता हूं। दुर्भाग्यवश यह सोचते हुए मुझे बहुत दुख होता है कि जो पद हमने प्राप्त किया है वह हमें खैरात में मिला है। जी हां, यही आम धारणा है और मैं इसी बात को नहीं चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि कोई हमारे माननीय अध्यक्ष के बारे में यह टिप्पणी करे कि आज लोक सभा का अध्यक्ष एक दलित है। क्या उन्हें यह पद इसलिए मिला कि वे दलित हैं? क्या आपने यह पद खैरात में दिया है? यह उनका अपमान है। हम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लोग केवल यह चाहते हैं कि यदि हम किसी पद को धारण करने के योग्य है तो हमें केवल इस कारण से उस पद से वंचित नहीं किया जाना चाहिए कि हम अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। हम यही चाहते हैं। हम किसी तरह की खैरात नहीं चाहते हैं। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं।

इस दृष्टिकोण को अपनाने के बाद भी मैं कुछ अन्य बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। हो सकता है वह उस बात के प्रतिकूल हो जो मैं कह रहा हूं। दिल्ली सरकार ने निर्णय किया है कि दिल्ली प्रशासन में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सभी रिक्तियों को अब सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों से भरा जाएगा।

मैं दिल्ली प्रशासन के मुख्य सचिव द्वारा गृह सचिव को लिखे गए पत्र को पढ़ता हूं। इसमें कहा गया है;

> "दिल्ली सरकार अनुसूचित जनजातियों के लिए रिक्तियों, जो अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है और जो दिल्ली में अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के अभाव में भरी नहीं जा सकती है; के आरक्षण के उपबंध को समाप्त करने का प्रस्ताव करती है, अब इन रिक्तियों को सामान्य श्रेणी के अभ्यार्थियों द्वारा भरा जाएगा। भविष्य में दिल्ली सरकार, स्थानीय निकायों और दिल्ली सरकार के अधीन उपक्रमों में किसी पद में अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षण नहीं होगा।"

कृपया इस पर दृष्टिपात करें। मैं जानता हूं कि कानूनी दृष्टि से यह सही हो सकता है। इस संबंध में मुझे उच्चतम न्यायालय के निर्णय आदि याद है। कानूनी दृष्टि से यह सही हो सकता है। किन्तु इसे एक राजनीतिक निर्णय मिलना चाहिए।

दिल्ली में बहुत से जनजातीय लड़के-लड़कियां पढ़ने के लिए आते हैं। यहां हजारों जनजातीय छात्र हैं। आप राष्ट्रीय अखंडता की बात करते हैं। आप कहते हैं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों को राष्ट्रीय मुख्यधारा में लाया जाएगा फिर भी क्या आप उनको ऐसे अवसरों से वंचित करेंगे। मेरे दृष्टिकोण से यह सही नीति नहीं होगी। कृपया इस निर्णय की समीक्षा करें।

यद्यपि मुझे बहुत बातें कहनी थी किन्तु मैं यही कहना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी मैं नहीं जानता कि आप कितने समय तक इस पद पर रहेंगे। मैं आपका प्रशंसक हूं। आप महान वक्ता, राजनेता, कवि हैं किन्तु आज मुझे पता चला है कि इन सबसे भी बढ़कर कुछ हैं। इस समय मुझे पता चला कि आप एक महान राजनीतिक इंजीनियर और एक महान राजनीतिक गणितकार हैं।

मैं नहीं जानता हूं कि यह आपकी प्रतिष्ठा के अनुरूप है या नहीं।

प्रधान मंत्री जी 28 मई, 1996 को जब मैं इस सम्मानीय सभा की अध्यक्षता कर रहा था तो मैं कह सकता था कि आपने सभा का विश्वास खो दिया किन्तु आपने जनता का विश्वास जीत लिया है। आज आप सभा का विश्वास प्राप्त कर लेंगे किन्तु मुझे आशंका है कि आपने भारत की जनता का विश्वास खो दिया है।

मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : समय सात बजे तक बढ़ा दिया गया है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं अगली बार आपको मौका दूंगा। माननीय प्रधान मंत्री बोलने के लिए खड़े हुए है। अपना स्थान ग्रहण करें। कृपया अध्यक्षपीठ को सहयोग दें। कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री अमर राय प्रधान : महोदय, कृपया हमें बोलने का मौका दें।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री पी॰सी॰ थामस : महोदय, हम केवल दो-दो मिनट चाहते हैं। हमें अपने दलों के विचार प्रकट करने हैं कि हम प्रस्ताव का विरोध करते हैं या समर्थन देते हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। कृपया अध्यक्षपीठ को सहयोग दें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सुरेन्द्र सिंह (भिवानी) : अध्यक्ष महोदय, आपने प्रधान मंत्री जी को बोलने के लिए बुला लिया है। या तो प्रधान मंत्री जी बोलें या फिर हमें भी बोलने का समय दीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अगर आप उनको समय दे रहे हैं और इस समय छः बजकर 15 मिनट हो रहे हैं, मैं यही कहना चाहता हूं कि हाऊस का समय एक घंटा एक्सटेंड कर दिया जाए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मधुकर सरपोतदार : महोदय यदि आप इन लोगों को मौका दे रहे हैं, तो हमें भी बोलने का मौका दिया जाना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अगर थोड़ा टाइम दे रहे हैं तो इधर भी जो हमारे सहयोगी दल हैं, उनको भी बोलने के लिए समय दे दिया जाए, हाऊस का समय एक घंटा बढ़ा दिया जाए। मेरा इतना ही कहना है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अध्यक्षपीठ को सहयोग दें। कृपया बैठ जाएं।

डा॰ जयन्त रंगपी (स्वशासी जिला-असम) : अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का समय देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इस तरह मत करिए। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, आपका क्या निवेदन हैं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री के कथन के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अपराह्न 6.16 बजे

इस समय डा॰ जयन्त रंगपी, श्री अमर राय प्रधान और श्री आनन्द मोहन आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

*(व्यवधान)**

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : पहले अपने-अपने स्थानों पर वापस जाइए। जब माननीय प्रधान मंत्री बोलने के लिए खड़े हुए हैं, तो आपको अपने-अपने स्थानों पर वापस चले जाना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस तरह मत करिए। अनेक सदस्यों को बोलने का मौका दिया जा चुका है। मैं आपको फिर कभी बोलने का मौका दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको सोमवार या मंगलवार को बोलने का अवसर अवश्य दूंगा। कृपया अपने-अपने स्थान पर वापस जाइए।

अपराह्न 6.18 बजे

इस समय डा॰ जयन्त रंगपी और श्री अमर राय प्रधान अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री आनन्द मोहन जी, कृपया अपने स्थान पर वापस जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको सोमवार या मंगलवार को बोलने का अवसर दूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सत्य पाल जैन : महोदय, कल रात को इनके नाम बोले गए, लेकिन ये यहां मौजूद नहीं थे। आप प्रोसीडिंग्स निकाल कर देख लीजिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : पहले कृपया अपने स्थान पर वापस जाइए। तब मैं निर्णय लूंगा। कृपया अपने स्थान पर वापस जाइए।

अध्यक्ष महोदय : कृपया पहले आप अपने स्थान पर जाइए।

(व्यवधान)

अपराह्न 6.20 बजे

इस समय, श्री आनन्द मोहन अपने स्थान पर वापस चले गए।

श्री मदन लाल खुराना : महोदय यदि आप सभा का समय एक घंटा बढ़ा दें तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है...*(व्यवधान)* हमें कोई आपत्ति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मेरा सभी सदस्यों से अनुरोध है कि प्रत्येक सदस्य केवल दो मिनट का समय लें।

अब श्री अमर राय प्रधान बोलेंगे।

श्री अमर राय प्रधान : महोदय, धन्यवाद। कल, श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने हिन्दुत्व की बात की थी। आज डा॰ मुरली मनोहर जोशी जी ने भी हिन्दुत्व पर विचार व्यक्त किए। हिन्दुत्व के संबंध में आपने उच्चतम न्यायालय का उल्लेख करते हुए अपने मामले में सफाई दी है। आपने बताया कि उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति भरूचा और न्यायमूर्ति अहमदी ने अपना निर्णय दिया है कि हिन्दु धर्म सहिष्णु है। मुझे आशा है कि आप यह सफाई इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप हिन्दुत्व में बहुत अधिक विश्वास रखते हैं। मैं समझता हूं कि आपके 18 सहयोगी दलों में से अधिकांश का हिन्दु धर्म से बहुत गहरा संबंध है। वे वेदों, वेदान्तों और उपनिषधों से भी जुड़े हैं। मेरे पास एक पुस्तक है जिसका शीर्षक है 'एस्से ऑन हिन्दुइज्म' जो कि मनुवेद और हिन्दु धर्म के संबंध में है। मुझे आशा है आप सभी इससे सहमत होंगे। मैं उद्धृत करना चाहूंगा :

'मुण्डक उपनिषद्' (2.2.12) में निम्नलिखिम श्लोक है :

ब्रह्मै वेदममृतं पुरस्ताद्ब्रह्म पश्चाद्ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण।
अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्मैवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम्।।

इसी प्रकार, 'श्वेताश्वतरोपनिषद्' के निम्नलिखित महत्वपूर्ण श्लोक में स्पष्ट है कि यद्यपि हिन्दु परब्रह्म परमेश्वर की अनेक विभूतियों की पूजा करते हैं तथापि इन सबके अन्तर्यामी आत्मा वे ही है :

तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायूस्तत्तु चन्द्रमा।
तदेव शून्यं तद्ब्रह्म तदापस्तत् प्रजापतिः।।

महोदय, इस संबंध में मैं बहुत ही आतुरता से यह जानना चाहूंगा कि क्या आप वास्तव में इसके प्रशंसक हैं। यदि आप वास्तव में इसके प्रशंसक हैं तो वे इस पर प्रकाश डालें कि हिन्दु दर्शन के अनुसार ब्राह्मणों का अविर्भाव ब्रह्मा जी के मस्तक से और शस्त्र धारण करने वाले क्षत्रियों का आविभर्वि उनके वक्ष स्थल से और वेश्यों का ब्रह्मा जी के घुटने से और शुद्रों का ब्रह्मा जी के चरणों से हुआ है।

[अनुवाद]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, आप मेरे अच्छे मित्र हैं। आप काफी लम्बे समय से इस सभा के सदस्य हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या आप डा॰ मुरली मनोहर जोशी की तरह अथवा श्रीमती सुषमा स्वराज की तरह बोलेंगे अथवा आप कहना चाहेंगे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग अन्ततः केवल उसी स्तर पर रहेंगे क्योंकि आप हिन्दुत्व की बात कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

महोदय, हम आपसे यह जानना चाहते हैं। ऐस्सेज ऑन हिन्दुइज्म' शीर्षक से यहां यह एक पुस्तक डा॰ कर्ण सिंह द्वारा लिखित जो विश्व हिन्दू सम्मेलन अथवा विश्व हिन्दू परिषद् के प्रेजीडेंट थे ...*(व्यवधान)*

डा॰ करण सिंह ने हिन्दुत्व पर एक पुस्तक की रचना की है। मैं समझता हूं कि आपके पुस्तकालय में भी यह पुस्तक होगी। प्रधान मंत्री महोदय, आपने उत्तरांचल, वनांचल और छत्तीसगढ़ पृथक राज्य बनाए जाने की घोषणा करके और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा, कहकर भानुमति का पिटारा खोल दिया। महोदय इसके पश्चात् क्या होगा?

कल एक सदस्य ने यहां कहा था कि बोडोलैण्ड को भी राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए और वे इसका समर्थन करते हैं। माननीय मंत्री श्री बूटा सिंह जी यहां उपस्थित हैं। इनकी पदावधि के दौराम, सुभाष घीसिंग के नेतृत्व में गोरखा हिल परिषद गठित की गई थी। अब वह कह रहे हैं कि वह राज्य का दर्जा चाहते हैं। विदर्भ और तेलंगाना का क्या होगा? इस प्रकार की मांगें हर तरफ से उठेंगी। इसलिए कृपया इस प्रकार भानुमति का पिटारा मत खोलिए।

अतः, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर सकता। बल्कि मैं प्रधान मंत्री द्वारा रखे गए प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

डा॰ जयन्त रंगपी : अध्यक्ष महोदय, आखिरकार आपने मुझे बोलने का मौका दे ही दिया। इसलिए मैं आपका बहुत आभारी हूं।

मैं यहां प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्रस्तुत किये गए मन्त्रिपरिषद में विश्वास मत के प्रस्ताव पर अपने दल स्वशासी राज्य मांग समिति की ओर से घोर विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं न केवल कुछ भावप्रवण अथवा हृदयस्पर्शी कारणों से अथवा अपनी कुछ विचारधारा सम्बधी कट्टरता के कारण इसका विरोध कर रहा हूं। बल्कि मैं इसका विरोध देश के लाखों बेरोजगार नवयुवकों ने हित में कर रहा हूं। मैं इस सरकार का विरोध इस देश के उपेक्षित, आदिवासियों, दलितों और पिछड़े हुए लोगों, तथा आम आदमी के हितों में और सबसे महत्वपूर्ण प्रजातन्त्र और राष्ट्रीय अखंडता के हित में करता हूं। मैं अपना कर्तव्य समझता हूं कि मैं इस प्रस्ताव का विरोध करूं।

मैं उनके छुपे हुए एजेण्डा उनके द्वारा नैतिक अधिकार खोने, भ्रष्टाचार के साथ किए गए उनके समझौतो के बारे में और कई अन्य चपलता सहित सभी उन बातों को दोहराना नहीं चाहता। लेकिन किसी ने भी किसी भी नेता ने पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में किसी नीति का उल्लेख नहीं किया है। मैं अपने आपको केवल इसी बात तक सीमित रखूंगा।

अध्यक्ष महोदय : कल सभी पांचों के नाम पुकारे गए थे लेकिन अब उपस्थित नहीं थे। आज, आप बोलने की मांग कर रहे हैं। कृपया अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

डा॰ जयन्त रंगपी : कल प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि साउथ ब्लाक में मन्त्री बदल गए हैं लेकिन नीति नहीं बदली है। वह केवल

[डा॰ जयन्त रंगपी]

साउथ ब्लाक तक ही सीमित नहीं है बल्कि नार्थ ब्लाक में भी ऐसा ही हुआ है।

जहां तक पूर्वोत्तर राज्यों का सम्बन्ध है, नीति नहीं बदली है। पूर्वोत्तर राज्य के एक के बाद एक शासकों ने पूर्वोत्तर के लोगों के लोकतांत्रिक आन्दोलन को दबाने के लिए सेना तैनात की है। दिल्ली की एक के बाद एक सरकारों ने पूर्वोत्तर के प्रजातांत्रिक आन्दोलन को विभक्त करने और दबाने का प्रयास किया है और क्षेत्रीय दलो, जिन्होंने ढुलमुल रवैया अपनाया है, को अपने में मिलाने का प्रयास किया है ताकि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों के मानवाधिकारों का उल्लंघन करने की प्रक्रिया में किसी बार उनका समर्थन प्राप्त कर सके। मैंने देखा है कि यह सरकार भी इस देश की अन्य सरकारों से भिन्न नहीं है।

यदि किसी आत्मनिरीक्षण के बारे में कुछ कहा जाता तो मुझे अत्यन्त प्रसन्नता होती। जब पूर्वोत्तर में पांच दशक पहले सेना तैनात की गई थी तब वहां केवल एक विद्रोही गुट था अब पांच दशकों के पश्चात् पूर्वोत्तर में 20 विद्रोही गुट हैं।

अतः क्या यह आत्मनिरीक्षिण किये जाने का समय नहीं है? लेकिन सरकार की ओर से कोई वादा नहीं किया गया है कि आत्म-निरीक्षण किया जाएगा। मैं नहीं चाहता कि नार्थ ब्लाक से कोई जादू किया जाए लेकिन सरकार तो बनाना चाहिए कि वे पिछले पांच दशकों से उग्रवादी गतिविधियों के परिप्रेक्ष्य में पूर्वोत्तर नीति की समीक्षा करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : डा॰ जयन्त रंगपी, कृपया अब समाप्त कीजिए। मैं अगले वक्ता को बुलाने जा रहा हूं।

डा॰ जयन्त रंगपी : महोदय, एक अन्तिम बात कहकर मैं समाप्त करूंगा।

महोदय मैं इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं करता क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में विशेषकर बिहार में सामन्तवादी तत्वों की मदद ली है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी का विकास स्वरूप विकास नहीं है। उन्होंने सामन्तवादी जमींदारों और सामन्तवादी जमींदारी की सेना अर्थात रणबीर सेना की मदद ली है और इसी कारण वे बिहार में कई सीटें जीत पाए हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब समाप्त कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब मैं बोलने के लिए श्री सुलतान सलाउद्दीन ओवेसी का नाम पुकार रहा हूं।

(व्यवधान)

डा॰ जयन्त रंगपी : महोदय इन्ही शब्दों के साथ मैं मन्त्रि परिषद में विश्वास के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

अपराह्न 6.31 बजे

[हिन्दी]

श्री एस॰एस॰ ओवेसी (हैदराबाद) : जनाब स्पीकर साहब, इस वक्त जो तहरीक पेश की गई, मैं उसकी भरपूर मुखालफत करता हूं। उसकी बुनियाद यह है कि आपने कहा कि हम उन तमाम चीजों को फिलवक्त इल्तवा में रखते हैं। जो भी आपकी पालिसी है, उसके जरिए आप अपनी ताकत हासिल करना चाहते हैं और अपनी पॉलिसी लागू करना चाहते हैं। आपकी पालिसी यकसा सिविल कोड और धारा 370 को समाप्त करने की है। इस वजह से मैं यह समझता हूं कि आपकी नीयत साफ नहीं है। मुझे बड़े अफसोस के साथ यह कहने दीजिए कि कोई जमात, कोई कौम, कोई फर्द सिर्फ अपने किरदार से इज्जत, वकार रखती है। जिसका किरदार खत्म हो जाए, वह खुद खत्म हो जाता है।

मुझे बड़े अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि आज मैं यह देख रहा हूं कि इखतदार के लिए कैसे-कैसे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं? आज मुझे यह कहने का हक मिला है कि अभी आपको इखतदार नहीं मिला है ओर आपका रवैया देखने लायक है। इसके बाद क्या अंजाम होने वाला है, उसको सोच कर बहुत अफसोस होता है।..*(व्यवधान)* मैं दो मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा।

जनाब स्पीकर साहब, आप और मैं एक ही प्रदेश के हैं। आप तो वहां पहुंच गए लेकिन मैं यही हूं। मुझे उम्मीद है कि मैं यहीं रहूंगा। कभी उन कुर्सियों पर नहीं जाऊंगा। मेरी परसों चन्द्र बाबू नायडू से टेलीफोन पर बात हुई थी। उन्होंने उस वक्त यह कहा था कि वह बी॰जे॰पी॰ की गवर्नमैंट का साथ नहीं देंगे लेकिन मुझे इत्तला थी... *(व्यवधान)* अफसोस तो यह है कि आज तेलुगू देशम को जो 12 सीटें मिली हैं, वे हमारी वजह से मिली हैं वरना चार सीटें नहीं मिल सकती थीं। अगर उनमें हिम्मत है तो उठ कर कहें। मैं एक-एक के नाम लेकर बता सकता हूं जो मेरे घर में अपने इखतदार के लिए आए थे। तेलुगू देशम में जो मुसलमान हैं, उन्होंने वाजपेयी जी को लैटर लिखा...*(व्यवधान)* 700 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अपराह्न 6.36 बजे

श्री आनन्द मोहन (शिवहर) : अध्यक्ष जी, मैं सरकार के विश्वास मत के खिलाफ बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। अभी पिछले

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

दिनों वर्तमान हुकूमत की तरफ से, इनकी पार्टियों की तरफ से, एक राष्ट्रीय ऐजेण्डा आया है लेकिन यह राष्ट्रीय ऐजेण्डा नहीं, चूं चूं का मुरब्बा है। हम मिथिलांचल से आते हैं और मिथिला में एक कहावत है—

"कि परसई छि गप, लियह लप के लप।"

यह लप का लप कब परोसा गया है। यह कर देंगे, वह कर देंगे, आसमान में सीढ़ी लगा देंगे, स्वर्ग में सीढ़ी लगा देंगे, ये सारी बातें यहां हो रही हैं। यह सब फकत सत्ता के लिए समझौता है। अटल जी से पहले गुजराल जी की हुकूमत थी तो बीजेपी के लोग कहा करते थे कि द्रौपदी के पांच पति थे और गुजराल जी के 13 पति हैं। अब मैं माननीय अटल जी से पूछना चाहूंगा कि इनके कितने पति हैं—18 और कुछ निर्दलीय जोड़ दीजिए तो 22 बनते हैं। ये कहा करते थे कि कुनबों की सरकार है। अब ये कुनबों के ढेर पर बैठे हुए हैं। राम जाने आगे क्या होगा। मैं कहूंगा कि अटल जी की जो प्रतिष्ठा, गरिमा तथा सम्मान पहले था, हुकूमत में आने के बाद इनके सम्मान में बट्टा लगा है। मैं कहूंगा कि यह अटल जी का सत्तामोह नहीं है, यह अटल जी का सत्ता के लिए आत्मसमर्पण है।

भय, भूख और भ्रष्टाचार के खिलाफ जेहाद चलाने की बात बार-बार राष्ट्रीय ऐजेण्डा में की गई है। कैसे समाज के निचले तबकों को भयमुक्त करेंगे, हमें इस बात में संदेह है। कैसे भूखमुक्त करेंगे हिन्दुस्तान को, इसके लिए कोई पुख्ता आधार नहीं दिया गया है। भ्रष्टाचार की बात करने वाले, बात-बात में लालू जी की बात करने वाले, चारा घोटाले की बात करने वाले, भ्रष्टाचार की बात करने वाले अटल जी का बयान आया कि जयललिता से रिश्ते तोड़ देंगे अगर कोर्ट साबित कर दे। अटल जी को यह भी बताना होगा कि जयललिता जी से उनके रिश्ते कब के हैं और कौन से हैं।... *(व्यवधान)* भ्रष्टाचार के मामले में ये दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे। जिनके घरों से दस हजार जूतियां निकलीं, जिनके घर से बीस हजार साड़ियां निकलीं...*(व्यवधान)* यहां जे॰एम॰एम॰ के लोगों को चोर कहा गया, घूसखोर कहा गया, लेकिन एक पूर्व संसद सदस्य की पत्नी को जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, के अकाउंट्स पर छापे पड़े तो 50 लाख एक अकाउंट में निकले और 15 लाख दूसरे में निकले। ऐसे लोगों को टिकट दिया गया।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें।

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री आनन्द मोहन : अटल जी कहते हैं कि संविधान में संशोधन किया जाएगा।...*(व्यवधान)* अटल जी को बताना होगा कि संविधान में कौन सा संशोधन होगा। क्या अंबेडकर के अनुसार यह देश चलेगा या मनुस्मृति के अनुसार यह देश चलेगा?...*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। केवल प्रो॰ सैफुद्दीन सोज का भाषण ही कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

(व्यवधान)

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : मैं माननीय प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता से अनुरोध करूंगा कि कृपया वे माननीय अध्यक्ष महोदय की प्रभावकारी ढंग से सहायता करें ताकि हम सभा का समय बेकार न करें...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री आनन्द मोहन, कृपया बैठ जाइए।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज : मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री आनन्द मोहन, कृपया आप बैठ जाइए। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। केवल प्रो॰ सैफुद्दीन सोज का भाषण ही कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज : मैं माननीय प्रधानमंत्री और माननीय विपक्ष के नेता से विनम्र निवेदन करता हूं कि उन्हें माननीय अध्यक्ष महोदय की प्रभावशाली ढंग से मदद करनी चाहिए ताकि इस सभा का मूल्यवान समय व्यर्थ न हो। इस चर्चा हेतु दिये गए समय में से आधा समय पहले ही व्यर्थ हो गया है। यदि मेरे पास रखने के लिए विचार भी है तो मैं उन्हें किस प्रकार व्यक्त करूं इसलिए मैं सभा का समय नहीं लूंगा परन्तु इस प्रस्ताव पर कुछ कहने से पहले मैं श्री मुफ्ती

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[प्रो॰ सैफुद्दीन सोज]

मोहम्मद सईद की बात को अस्वीकार करता हूं कि जम्मू और कश्मीर में सारा धन बेकार जा रहा है। यह व्यवधानकारी राजनीति है और मैं इसको अस्वीकार करता हूं...(व्यवधान) इस प्रस्ताव पर आते हुए, महोदय

[हिन्दी]

मुझे उर्दू बोलनी चाहिए क्योंकि हो सकता है कि कश्मीर में कोई मेरी आवाज सुनता हो। उर्दू वहां की सरकारी जुबान है। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे सामने जो मोशन है, मेरी जमात न तो उसकी हिमायत करती है न मुखालफत करती है। लेकिन मैं अपने भाई श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से चंद बातें बड़ी दियानतदारी से कहना चाहता हूं। यह मैं किसी सियासतगिरी की वजह से नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैंने अटल जी को एक बहुत ही प्यारे आदमी के रूप में जाना है और मेरे दिल में इनकी शख्सियत के लिए बड़ा प्यार है...(*व्यवधान*) मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैंने यह चाहा था कि आपको बताऊं...(*व्यवधान*) आप मेरी बात को सुनिये हो सकता है आपके विचार और मुझमें कोई फर्क न हो। मैं आज के दिन यह बताना चाहता हूं कि धारा 370 को आप खत्म नहीं कर सकते हैं। यह कांस्टीट्यूशन में है, लेकिन बता नहीं सकता। बाबरी मस्जिद की बात नहीं बता सकता। नीतीश जी ने क्या तकरीर की थी, सन् 1952 की डिबेट बताना चाहता था, किन्तु नहीं बता सकता हूं। लेकिन सिर्फ दो-चार बातें अटल जी से कहना चाहता हूं। क्योंकि मुझे लगता है जो विचार मेरे हैं वे सवाल भारतीय जनता पार्टी के अंदर उठने चाहिए नहीं तो यह फैसला नहीं होगा। मसलन आप मुसलमानों के वगैर यह मुल्क नहीं चला सकते, वे यहां के वोट का 25 फीसदी हैं। लेकिन जब तक आपकी जेब में पिस्तौल हैं, लेकिन हाथ में नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे अटल जी से यह कहना है कि सबसे जरूरी बात यह है कि आप आर॰एस॰एस॰ का इंसपिरेशन छोड़ दीजिए।

मैंने कहा कि जब श्री मुरली मनोहर जोशी ने कश्मीर पर चढ़ाई की, उस समय अटल बिहारी जी नहीं थे। उस फैसले के साथ अटल बिहारी जी नहीं थे। आज मैं उनको एम्बैरेस नहीं करना चाहता हूं क्योंकि मेरे पास सुबूत है। मुरली मनोहर जोशी जी ने जब कश्मीर पर चढ़ाई की थी तब आप उनके साथ नहीं थे। मेरी आपसे इल्तजा है कि इन सवालों का हल आपको पार्टी के अन्दर ढूंढना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि क्या आप इस देश को बगैर मुसलमानों के चला सकते हैं? मैं समझता हूं कि आप जब तक आर॰एस॰एस॰ की आइडियोलोजी को नहीं छोड़ेंगे, तब तक आप देश को नहीं चला सकेंगे। कुछ दिन चला सकते हैं, लेकिन ज्यादा देर तक आप इस देश को इस आइडियोलौजी के साथ नहीं चला सकते। जब तक अटल जी आर॰एस॰एस॰ की जंजीर को नहीं तोड़ेंगे, इस मुल्क को चला नहीं सकते। यह मैं मुसलमानों की तरफ से नहीं कह रहा हूं। आपने कल्चरल नैशनलिज्म की बात कही है, लेकिन आप आर॰एस॰एस॰ से रिश्ता तोड़े बगैर यह नहीं कर सकते हैं। मैं आमतौर पर, हिन्दू और मुसलमानों के आंकड़े जमा नहीं करता, लेकिन आज जब यहां बात आई है, तो कहना चाहता हूं और जम्मू-कश्मीर के तीन खित्तों की तरफ से कहना चाहता हूं कि जब तक आप आर॰एस॰एस॰ से रिश्ता नहीं तोड़ेंगे तब तक इस मुल्क को वजीरे आजम की हैसियत से चला नहीं पाएंगे। मैं हिमायत नहीं कर रहा हूं, मैं एब्सटेन कर रहा हूं। ...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज : आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए। इस मैनीफेस्टो में आपने कल्चरल नैशनलिज्म के साथ-साथ आर्टीकल 30 को बदलने की बात कही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप आर्टीकल 30 को बदल सकते हैं? आपने कहा है कि आप अक्लीयत कमीशन को ह्यूमन राइट्स कमीशन के साथ करना चाहते हैं, किसी मर्जी से? अकलीयत कमीशन मुसलमानों ने बहुत जद्दोजहद के बाद बनवाया था, उसको आप ऐसे खत्म नहीं कर सकते हैं... (*व्यवधान*) आर॰एस॰एस॰ को यह विचारधारा बदलनी होगी। आप कामन सिविल कोड लाना चाहते हैं, वह कभी नहीं हो सकता। अगर हमसे पूछकर, हमसे गुफ्तगू करके करेंगे, तो हो सकता है। आप ह्यूमन राइट कमीशन के साथ अक्लीयत कमीशन को करना चाहते हैं, यह कैसे हो सकता है। यह सियासी दोगलेपन की मिसाल है।... (*व्यवधान*) अटल जी को यह विचारधारा बदलनी होगी। हिन्दुत्व के चक्कर से इनको निकलना होगा। मेरे पास कहने के लिए तो बहुत बातें हैं, यह लंबी फेहरिस्त है, लेकिन समय नहीं है।

स्पीकर साहब, अटल जी एक कवि हैं। इसलिए मैं एक शेर कहना चाहता हूं :—

> "एक-दो जखम नहीं, सारा बदन है छलनी।
> दर्द बेचारा तड़पता है कहां से उठे"

अब मुझे कश्मीर के संबंध में एक दो बातें कहनी हैं। आपने मैनीफेस्टो में कश्मीरी पंडितों का जिक्र किया है। आपने ठीक बात कही है कि कश्मीरी पंडित अपने घर में शरणार्थी बन गए हैं। आपने कहा कि वहां हिन्दुओं का कत्ले-आम हो गया, पंडुरा की बात आपने कही, ठीक कही, लेकिन आपने मौलवी मसूदी ते बारे में कुछ नहीं कहा जिसने इस हाउस की आबरू रखी, उसके माथे पर गोली लगी, वह मारा गया।

मौलवी फारूख को भी मारा गया था। जो साफ टारगेट वहां मारे गये हैं, उनमें नैशनल कांफ्रेस के वर्करों सहित साढ़े छह हजार लोग मारे गये। उन मारे गये लोगों में 97 फीसदी मुसलमान हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी लाशों को भी हिन्दु और मुसलमान की तरह गिनेगी। आपके मैनिफेस्टो में सिर्फ हमदर्दी है कि हिन्दुओं को मारा जा रहा है,

मैं इसे मानता हूं। कश्मीरी पंडित मेरे जिस्म का हिस्सा हैं। उनकी तेई हमदर्दी है, यह मुबारकबाद है। लेकिन 29 हजार फैमिलीज के बारे में आपने क्या नहीं कहा, जो कश्मीर से बाहर आये।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रो॰ सैफुद्दीन सोज कृपया समाप्त कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज : इन मरे हुए साढ़े छः हजार मारे गये साफ टारगेट लोगों में 97 फीसदी मुसलमान हैं। आप कब तक हिन्दु और मुसलमान का बंटवारा करेंगे। क्या इस पोलिटिक्स को श्री अटल बिहारी वाजपेयी दिल से कबूल करेंगे? उनको इससे वापिस आना है ओर यह जो बीमारी है।...*(व्यवधान)* दहशतगर्दगी में भी आप हिन्दु और मुसलमान...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है। मैंने आपको काफी समय दिया है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय प्रधानमंत्री बोलेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज : मैं आखिरी में एक बात कहूंगा।...*(व्यवधान)* मैं सिर्फ भाजपा को नहीं कहता बल्कि पूरे सदन को एक बात कहता हूं। वह बात यह है कि आपको कश्मीर के साथ इंसाफ करना पड़ेगा। आपका ख्याल है और आप कहते हैं कि आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करेंगे, मैं आपको आईन दिखाता, न तो सदरे जम्हूरिया आर्टिकल 370 को खत्म कर सकता है, न यह पार्लियामैंट और न यह हाउस और न राज्य सभा मिलकर उसे खत्म कर सकते हैं। उसको तब खत्म किया जा सकता है जब जम्मू-कश्मीर के लोग कहें। लेकिन जम्मू कश्मीर के साथ इंसाफ आर्टिकल 370 से नहीं होगा। कश्मीर की आग को नैशनल कांफ्रेस ने बुझाया है। आपको कश्मीर की दाखिली खुद मुख्तारी को बहाल करना होगा, नहीं तो राष्ट्र में चिनगारी रहेगी और आप आतंकवाद को दूसरा रूप दे देंगे। अगर इस जिम्मेदारी के लिए श्री अटल बिहारी जी तैयार हैं तो, आज शाम मुझे नहीं मालूम कि क्या होगा, अगर यह वजीरेआजम बनेंगे तो मैं इतना इत्मीनान दिलाता हूं कि वह सरकार और यह सरकार आपस में हमाहंग रहेंगे, आमनी रहेगा। क्योंकि आप वोट से आये हैं, उस पर मुझे कोई दुख नहीं होगा लेकिन क्या आप कश्मीर की दाखिली खुद मुख्तारी को खुद बहाल करेंगे? अगर अभी आपको इसमें कुछ सोचना है, तो मैं आपको कहता हूं कि आप एक बहुत ही मुश्किल चीज को दावत दे रहे हैं। चूंकि वक्त नहीं है, चूंकि गरीबी है। मैं एक और शेर नजर करके बैठता हूं। वह शेर यह है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय प्रधान मंत्री बोलेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज : अंत में मैं एक शेर कहूंगा :

फसीले आतिशो आहंग बुलंद सही,
बदलते वक्त की रफ्तार को कौन रोकेगा।

[अनुवाद]

श्री पी॰सी॰ थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, कृपया मुझे केवल दो मिनट का समय दें...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं। यह ठीक नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री खड़े हुए हैं। कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें। आप स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री पी॰सी॰ थामस : महोदय, मुझे केवल दो मिनट चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है? माननीय प्रधानमंत्री खड़े हुए हैं।

[अनुवाद]

श्री पी॰सी॰ थामस : महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैंने आपसे बोलने का अवसर न मांगा होता लेकिन सच यह है कि यह एक महत्वपूर्ण चर्चा है और मुझे इस बारे में अपने दल के विचार व्यक्त करने चाहिएं।

मुझे केवल दो बातें कहनी हैं। वास्तव में मैं आपना भाषण केवल दो मुद्दों तक ही सीमित रखूंगा। पहला मैं दो पहलुओं पर इस विश्वास प्रस्ताव का विरोध करता हूं। निश्चय ही, अनेक पहलू हैं। लेकिन मैं इस चर्चा के लिए अपने भाषण को केवल दो मुद्दों तक ही सीमित रख रहा हूं। पहला इस गठजोड़ का सबसे बड़ा दल अपने आपको धर्म-निरपेक्ष नहीं कह सकता है। 6 दिसम्बर को जो कुछ भी हुआ, उसे अभी भूलाया नहीं गया है।

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री पी॰सी॰ थामस]

भा॰ज॰पा॰ पर जो काला धब्बा लगा है, वह मिटा नहीं है। अतः मैं भा॰ज॰पा॰ तथा उसके सहयोगी दलों से केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या भा॰ज॰पा॰ अपने मतदाताओं का साथ छोड़ देगी जिन्होंने इस आधार पर जनादेश प्राप्त किया है कि जहां मस्जिद थी वहां मन्दिर बनाया जाएगा? क्या उनके सहयोगी दल यह कह सकते हैं कि भा॰जा॰पा॰ को जो जनादेश मिला है उन्हें उसका त्याग कर देना चाहिए? 26 प्रतिशत मतदाताओं ने भा॰ज॰पा॰ के पक्ष में मत दिया, मुख्यतः इसलिए कि जहां मस्जिद थी वहां मन्दिर बनाया जाएगा।

मेरा दूसरा मुद्दा यह है कि भा॰ज॰पा॰ सरकार अनेक राज्यों को एक मुश्त सहायता देने के लिए तैयार रहती है। लेकिन केरल के बारे में आप क्या कहेंगें? हमें भी पैकेज की आवश्यकता है। हम आपका साथ देने को तैयार नहीं है। हमें भी पैकेज की आवश्यकता है ...*(व्यवधान)* केरल के किसान, विशेषकर कि केरल के रबड़ उत्पादक उत्साहहीन हैं। राज्य की पूरी अर्थव्यवस्था खराब हो गई है। मैं यह बात सरकार के ध्यान में लाना चाहूंगा कि इस संबंध में कोई कार्यवाही करनी चाहिए। मुझे दुःख है कि मैं इस प्रस्ताव का विरोध करने के लिए बाध्य हूं।

[हिन्दी]

श्री सुरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं बोलना नहीं चाहता क्योंकि प्रधानमंत्री जी को बुला लिया गया है। मेरा एक सबमिशन है। जब आपने प्रधानमंत्री जी से बोलने का आग्रह किया तो उसके बाद, कम से कम 6-7 सदस्य इस हाउस में बोले हैं और यकीन मानिए, उनके साथ ऐसा हुआ जैसे किसी बारात में कोई बिना बुलाए मेहमान चला गया। सभी के साथ धक्का हुआ, किसी ने सुनने की कोशिश नहीं की और कोई खड़ा भी हुआ तो आपने 15 सैकंड के बाद ही घंटी बजा दी।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। जब आपका चुनाव हुआ तो आपके हक में मैंने सबसे ज्यादा शोर किया था।...*(व्यवधान)* मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब आपके चुनाव में बहन मायावती जी, अकबर साहब ने, और सबसे ज्यादा अफसोस तब हुआ जब मुकुल वासनिक जी ने आपके विरोध में शोर किया।...*(व्यवधान)*

श्री आरिफ मोहम्मद खां : भाजपा का विरोध करते हैं, स्पीकर का स्वागत करते हैं।...*(व्यवधान)*

कुमारी मायावती (अकबरपुर) : हमने इन स्पीकर का कभी भी विरोध नहीं किया।...*(व्यवधान)*

श्री सुरेन्द्र सिंह : मैं आपसे केवल एक निवेदन करना चाहता हूं। आप इस हाउस में दूसरी बार आए हैं और भगवान की असीम कृपा ऐसी है कि मैं भी दूसरी बार आया हूं। पिछली बार यहां पर संगमा *साहब अध्यक्ष थे जो हमारे जैसे वीकर सैक्शन के लोगों को जैसे किसी पार्टी के दो सदस्य थे, किसी का एक था, बराबर बुलाते थे और यकीन मानिए जब हम धक्का करते थे और वे गुस्से में आते थे तो हमें यह* एहसास नहीं होता था कि वे खड़े होकर बोल रहे हैं या बैठकर बोल रहे हैं।...*(व्यवधान)* मेरी आपसे गुजारिश है कि जब राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा हो तो हमें पूरी तरह ऐकोमोडेट करने की कोशिश करें। क्योंकि आज आपने प्रधानमंत्री जी को बुला लिया है, इसलिए मैं बीच में नहीं बोलना चाहता।...*(व्यवधान)*

अपराह्न 7.00 बजे

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रस्ताव पेश किया था, उस पर हुई चर्चा अब समाप्त होने जा रही है। जैसा मैंने प्रारम्भ में स्पष्ट किया था, राष्ट्रपति महोदय के निर्देशानुसार मुझे सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना है।

जिन सदस्यों ने प्रस्ताव पर हुई चर्चा में भाग लिया है, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। जिन्होंने चर्चा में भाग नहीं लिया और जो चुप होकर चर्चा सुनते रहे, वे भी हमारे धन्यवाद के अधिकारी हैं।

इससे पहले कि मैं चर्चा के दौरान उठाये गये मुद्दों में से कुछ का उत्तर दूं, मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि सदन को हमें थोड़ी और गम्भीरता से चलाना होगा। कभी-कभी उत्तेजना समझ में आ सकती है, तुर्की-बतुर्की जवाब, यह संसद का एक अभिन्न अंग है। जंग और विरोध के लिए काफी गुंजाइश है, लेकिन सदन को देखने वालों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उनके चुने हुए प्रतिनिधि शिष्ट और शालीन ढंग से बर्ताव नहीं कर रहे। दुनिया इस सदन को देख रही है और इसके लिए सबका सहयोग आवश्यक है। मैं नहीं जानता कि सदन के चलने का, इस सदन में सदस्यों के आचरण का और चुनावों के परिणामों का क्या सम्बन्ध है। लेकिन इतना जरूर है कि 543 के सदन में जो मैम्बर 11वीं लोक सभा के बाद पुनः चुनकर आये हैं, उनकी संख्या केवल 251 हैं, 288 नये सदस्य चुनकर आये हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि यहां हमारे व्यवहार से या हमारी कथनी से मतदाताओं का विश्वास इस सीमा तक पहुंच जाता है कि वे हमें दोबारा इस सदन में भेजने लायक नहीं समझ पाते।

अध्यक्ष महोदय, चर्चा में बहुत से मुद्दे उठाये गये हैं। विरोध पक्ष के नेता ने, और भी अनेक सम्मानित सदस्यों ने यह आरोप लगाया है कि सत्ता पक्ष का कोई हिडन एजेण्डा है—मैं नहीं जानता, उनका क्या अभिप्राय है। हमारा एजेण्डा जगजाहिर है, उजागर है। वह नेशनल एजेण्डा है, हम उससे बंधे हैं, उसके प्रति प्रतिबद्ध हैं, और किसी एजेण्डे से हमारा सम्बन्ध नहीं है।

जब तक यह सरकार रहेगी और जब तक मैं इसका प्रधान मंत्री रहूंगा, मैं आपको आश्वासन देता हूं, इसी नेशनल एजेंडा के हिसाब से सरकार चलेगी। सभी दल और सत्ता पक्ष के गठबंधन में शामिल दल भी अलग-अलग घोषणा पत्रों पर चुनाव लड़े, यह कोई नई बात

नहीं है, कोई अनहोनी बात नहीं है। लेकिन सब मिलकर चुनाव लड़े थे, यह भी सत्य है। मिलकर चुनाव के मैदान में कूदे थे, मिलकर जनता के पास गए थे, मिलकर उनसे समर्थन की आशा की थी, अनुरोध किया था।

जब हमारी संख्या इतनी हो गई कि हम सरकार बनाने की स्थिति में आ रहे हैं. ऐसा हमें लगा, तो फिर हमने एक मिलाजुला कार्यक्रम तैयार किया। क्या संयुक्त मोर्चा के समय में ऐसा नहीं हुआ था? उस समय हमने किसी हिडन एजेंडा की बात नहीं की। 1977 में भी, किसी माननीय सदस्य ने उसका उल्लेख किया था, जब कई राजनैतिक दल साथ आए, क्योंकि इमर्जेंसी के चंगुल से लोकतंत्र की रक्षा करना चाहते थे। सब दलों ने अपने-अपने कार्यक्रम के महत्वपूर्ण अंगों को छोड़ा, अंशों को छोड़ा। मैं अलग-अलग दलों का नाम लेकर कि उन्होंने क्या छोड़ा, इसमें जाना नहीं चाहता।

भारत को अपनी सुरक्षा के लिए एटम बम का निर्माण करना चाहिए, यह बात हम पहले से कहते रहे हैं। लेकिन जब जनता पार्टी का गठन हुआ और देश में एक मिलीजुली सरकार बनी तो फिर एटम बम के मामले में मतभेद था, हमने उसे छोड़ दिया। और भी दलों ने अपने कुछ कार्यक्रमों के पूर्व अंश छोड़े। वह सरकार नहीं चली, तो किसी कार्यक्रम के मुद्दे को लेकर नहीं चली, ऐसा नहीं हुआ। वह सरकार और कारणों से नहीं चली। इस समय भी यह नेशनल एजेंडा तैयार हुआ है, इसकी आलोचना हो, इसके विविध पहलुओं पर टिप्पणियां की जाएं, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, हम इसका स्वागत करेंगे। सचमुच में जो एजेंडा बना है, वह सब दलों की राय से बना है। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है इसलिए हमने अपनी राय को थोपा नहीं है। हम अकेले फैसले नहीं करते, मिलकर फैसले करते हैं। सामूहिक सूझबूझ से निर्णय लिए जाते हैं। इसके बारे में किसी के मन में संदेह नहीं होना चाहिए।

जो मुद्दे छूट गए, विभिन्न दलों ने जिन मुद्दों को छोड़ दिया, उन मुद्दों का सवाल उठाकर, मुझे आश्चर्य है कि उन मुद्दों से आजकल हमारे उधर बैठे हुए मित्रों को बड़ा प्रेम हो गया है। जब हम धारा 370 की बात करते थे, तो हमें कहा जाता था कि आप धारा 370 की बात क्यों कर रहे हैं, और जब आज हम बात नहीं कर रहे तो हमको उलाहना दिया जा रहा है कि आप बात क्यों नहीं कर रहे हैं।

आप जब हम बात नहीं कर रहे हैं तो हमें उलाहना दिया जा रहा है कि हम बात क्यों नहीं कर रहे हैं? "चित भी मेरी, पट भी मेरी और अंटा मेरे बाप का।"...*(व्यवधान)* हमारी नीति दोहरी नीति नहीं है। जैसे भी हो, आलोचना करना, निशाना बनाना, यह नीति दोहरी है।. ..*(व्यवधान)* अब हमारे जोगी जी दिखाई नहीं देते।...*(व्यवधान)* वह गंगा जल की पवित्रता का, तीर्थ स्थानों की महानता का इस तरह से स्मरण कर रहे थे जैसे सचमुच में वह नाम के जोगी नहीं हैं, वास्तव में जोगी हैं।...*(व्यवधान)* इस अविश्वास को आधार बनाकर काम नहीं चलेगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री शरद पवार (बारामती) : मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सचिव ने भा॰ज॰पा॰ की कार्यसूची का हवाला देते हुए एक परिपत्र जारी किया है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : वह अधिकारी भी उसी गलतफहमी के शिकार हैं जिसके आप शिकार हैं।...*(व्यवधान)* वह बात स्पष्ट की जा चुकी है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री ई॰ अहमद : आप देश के प्रधानमंत्री हैं। आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री अहमद, कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : वह सरकुलर हमने देखा है। वह अनावश्यक है, आपत्तिजनक है और हमने जवाबतलब किया है, लेकिन वह जिस विषय से संबंधित है, हमारे नेशनल एजेंडा में उसका उल्लेख है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सरकुलर में नाम नहीं लिया जाना चाहिए। लिया गया है तो वह गलत है और उसको तत्काल परिष्कृत किया गया है, उसको तत्काल ठीक किया गया है।

एक बात और भी कही गई है कि हमें रिमोट कंट्रोल से चलाया जा रहा है।...*(व्यवधान)* इस सदन के लिए मैं नया नहीं हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री पी॰ शिव शंकर : हमने नहीं कहा है, बाबा बाल ठाकरे जी ने कहा है।...*(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जहां आवश्यकता पड़ी है, अपने मित्रों से मतभेद करके भी, मैंने जो ठीक बात समझी है, वही की है। क्या कोई मुझे पीछे से चला सकता है? सच्चाई यह है कि कोई चलाने का प्रयत्न नहीं कर रहा है और न हम रिमोट कंट्रोल से चलने वाले हैं। मगर यह रिमोट कंट्रोल केवल हमारे संबंध में कहा जाता है जबकि और जगह भी रिमोट कंट्रोल चलते हैं।...*(व्यवधान)* मगर उनका रिमोट कंट्रोल अच्छा है, हमारा ठीक नहीं है। फिर वही चित भी मेरी पट भी मेरी।...*(व्यवधान)*

यह सदन सर्वोपरि है। हम लोग जनता के प्रतिनिधि हैं। यह ठीक है कि जिस जनता ने हमें चुनकर भेजा है, हम उनसे सम्पर्क रखते हैं, उनका परामर्श लेते रहते हैं, लेकिन जो भी निर्णय होते हैं, वे हमारे अपने निर्णय होते हैं। निर्णय कोई थोपे नहीं जाते और न किसी का निर्णय थोपा जाना हम पसंद करेंगे, इस बारे में किसी के मन में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए।

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

चर्चा में यह भी कहा गया है कि दोहरी नीतियां हैं। इतना ही नहीं, यह भी कहा गया है कि सत्ता के दो केन्द्र हैं। क्या दो केन्द्र इतने पास-पास होते हैं। आडवाणी जी जब हमारे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जोशी जी ने इसका उल्लेख किया है, तो पार्टी का प्रधान मंत्री पद के लिए उम्मीदवार कौन होना चाहिए, इस बारे में पार्टी में चर्चा होने से पहले, कोई फैसला होने के पहले, आडवाणी जी ने एलान कर दिया मेरे नाम का। यह मुम्बई की घटना है।...*(व्यवधान)* बाद में पार्टी ने उसकी पुष्टि की। अब आप कहेंगे कि...

एक माननीय सदस्य : रिमोट कन्ट्रोल।...*(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप अगर इस खामखयाली का मजा लूटना चाहते हैं, तो मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन इतना आप भी जानते हैं कि कोई मुझे मुखौटा बनाकर मेरा उपयोग करे, यह तो मेरे आज तक के व्यक्तित्व और कर्तृत्व के साथ मेल नहीं खाता है। लेकिन कोई मुझे मुखौटा बनाकर उपयोग करना भी नहीं चाहता है। इस तरह का कोई प्रयास नहीं है। और फिर मेरे और आडवाणी जी के बीच में भेद पैदा करने की कोशिश करना, यह जो प्रयास है, इतना सरल नहीं है। इसमें सफलता नहीं मिलेगी। आप यह विचार अपने मन में से निकाल दें।

हमारे गठबन्धन में छोटे-छोटे दल हैं। संगमा जी सदन में नहीं है। उन्होंने ठीक कहा, एक-एक व्यक्ति का भी...

कुछ माननीय सदस्य : सदन में हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : माफ कीजिए। संगमा जी ने ठीक कहा, बहुत सी बातें उन्होंने अच्छी कहीं है। मेरी उनकी खूब पटरी जमती थी। मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि छोटी-छोटी पार्टियां और इनके कारण लोकतन्त्र के विकास में बाधा हो रही है। हमें राजनीति के इस दौर से गुजरना था। यह राजनीति का स्थायी चित्र नहीं है। यह स्थायी भाव नहीं है। लेकिन इसमें से बिना गुजरे भी मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता था। यह संक्रमण काल है और संक्रमण काल में जहां नए गठबंधन हो रहे हैं, वहां बिखराव भी हो रहे हैं। कुछ समय के बाद राजनीति अपना खोया हुआ संतुलन पा लेगी—ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन शर्त यह है कि हम लोगों ने, जिन पर बड़ी जिम्मेदारी है और जो बड़े दलों से जुड़े हैं और जिन्होंने इस देश का लम्बा कालखण्ड देखा है, वे अगर छोटे दलों का शोषण करने के बजाए उन्हें नए समीकरणों से रास्ते पर ला सकें, तो देश की तस्वीर बदल सकती है। जैसा मैंने प्रारम्भ में कहा था कि एक दल के लगातार रहने वाले वर्चस्व के कारण कई क्षेत्रों में यह भावना पैदा हुई है कि उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। यह बहुधर्मी देश है, बहुभाषी देश है और बहुजातीय देश है। छोटी-छोटी इकाइयां भी अपना अस्तित्व रखना चाहती हैं, जगहों की तलाश हो रही है। अभी मौरिशस के प्रधान मंत्री जी यहां आए थे। वे आजमगढ़ भी गए। अपने पुरखों का गांव ढूंढने के लिए, अपने पुरखों की जन्मस्थली को तलाश करने के लिए जब वे आजमगढ़ पहुंचे तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। मौरिशस के राष्ट्रपति के पूर्वज बरसों पहले वहां गए थे। लेकिन इस धरती को देखने की उनकी आकांक्षा है कि किस वातावरण में उनके पुरखे रहते थे, किस वातावरण में वे जन्मे थे। इस भावना की कद्र होनी चाहिए।..*(व्यवधान)* हम तो चाहते हैं कि यह आना-जाना और बढ़े। 1977 में जब विदेश मंत्री के नाते मुझे अवसर मिला था तो मैंने पासपोर्ट देने के नियम सरल कर दिए थे। विदेश की यात्रा को और भी सरल बना दिया था। अभी खाड़ी देशों में हम एक प्रतिनिधि मंडल के रूप में गए थे। 30 लाख भारतीय खाड़ी देशों में, जो अधिकांश मुस्लिम देश हैं वहां भारतीय काम कर रहे हैं। वे पैसा कमा रहे हैं, वहां की समृद्धि में योगदान दे रहे हैं और कमा कर थोड़ा सा अपने घर भेज रहे हैं, जिससे उनके घर को भी थोड़ा लाभ पहुंच रहा है। हम चाहते हैं कि कि यह आना-जाना बढ़ना चाहिए। जनता के स्तर पर हमारे संबंध और विकसित होने चाहिए। श्री गुजराल इस दिशा में प्रयत्न करते रहे हैं। यद्यपि जिस तरह का उत्तर मिलना चाहिए उस तरह का उत्तर नहीं मिला, फिर भी हम लगातार प्रयास करते रहे।

महोदय, मैंने एक बार पाकिस्तान के एक नेता से कहा था कि हम इतिहास से झगड़ा कर सकते थे मगर भूगोल नहीं बदल सकते। रहेंगे तो हम साथ ही साथ। हां, हम यही कर सकते हैं कि दोस्ती से रहें या दुश्मनी से रहें, फिर हम दोस्ती क्यों न करें, दुश्मनी की क्या जरूरत है। लेकिन उस विषय पर मैं यहां विस्तार से नहीं जा रहा। किसी सदस्य ने श्री जार्ज फर्नान्डीज के भाषण का उल्लेख करते हुए कहा कि क्या चीन और तिब्बत के बारे में भारत सरकार की नीति बदल गई है, कोई नीति नहीं बदली। सरकारें बदलने से राष्ट्रहितों में परिवर्तन नहीं होते हैं। कुछ नीतियां ऐसी हैं जो एक सरकार को दूसरी सरकार से उत्तराधिकार में मिलती हैं। विदेश मंत्री के नाते मैं सबसे पहले चीन से संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में एक कदम उठाने के लिए गया था। उस समय मेरा विरोध हुआ था और हमारे पड़ौसी ने भी गलती की कि वियतनाम से बखेड़ा मोल ले लिया। इसलिए मुझे अपनी यात्रा जल्दी खत्म करके वापस आना पड़ा था। लेकिन उस समय जो समझौता हुआ, कि सीमा के सवाल पर बातचीत चलेगी, मगर बार्डर पर ट्रिनक्वैलिटी मेनटेन की जाएगी, वह अभी तक मेनटेन हो रही है। आज भी चीन से सीमा के बारे में जो प्रश्न हैं उनके बारे में बातचीत हो रही है। बातचीत अच्छे वातावरण में हो रही है और अन्य क्षेत्रों में हमारे संबंधों का विकास हो, इस बात की कोशिश भी हो रही है। हमने तो पाकिस्तान को भी सुझाव दिया था। अभी प्रधान मंत्री के नाते नहीं, प्रतिपक्ष के नेता के नाते दिया था कि आप कश्मीर के मसले को थोड़े दिन के लिए अलग रख दीजिए तथा अन्य क्षेत्रों में, व्यापार में, आर्थिक सहयोग में मिल कर काम करने के लिए दरवाजे खोल दीजिए। कुछ सामान हम पैदा करते हैं, जिसकी पाकिस्तान में जरूरत है ओर कुछ सामान पाकिस्तान में है जो हमारे

लिए आवश्यक हैं। हम एक-दूसरे की आवश्यकताएं पूरी कर सकते हैं—चाहे वह बिजली की आवश्यकता हो, अनाज की आवश्यकता हो। लेकिन अभी वह वातावरण नहीं बना है। वातावरण बनेगा, मुझे ऐसा भरोसा है। मैं पहले भी दोहरा चुका हूं और आज फिर इस बात को दोहराना चाहूंगा।

जहां तक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का सवाल है, उसमें सरकार बदलने से न कोई परिवर्तन हुए हैं, न परिवर्तन होंगे। श्री गुजराल साहब विदेश मंत्री और प्रधान मंत्री के नाते लगातार प्रतिपक्ष से संपर्क रखते रहते थे। आखिर सी॰टी॰बी॰टी॰ के सवाल पर जो सारे देश की एकता प्रकट हुई, उसके मूल में लगातार यही था कि इसी तरह से संपर्क करके, आपस में विचार-विमर्श का रास्ता बनाया गया। इसका दुनिया पर भी असर होता है। यह सवाल पार्टी का सवाल नहीं है, इसलिए मैं सहयोग का आमंत्रण करता हूं। जब मैं आम सहमति की बात करता हूं तो किसी कमजोरी के कारण नहीं करता, किसी मजबूरी के कारण नहीं करता। हमारी संख्या कम है, सरकार कैसे चलेगी, इस कारण नहीं करता। सरकार चलेगी तो चलेगी, नहीं चलेगी तो नहीं चलेगी। चालीस साल हमने बिना सरकार के गुजारे हैं। लेकिन जब हम प्रतिपक्ष में थे तब भी हम आम सहमति पर बड़ा जोर देते थे। आज सत्ता पक्ष में हैं तो आम सहमति की धारणा को हम व्यवहार में लाना चाहते हैं।

अध्यक्ष जी, यह इतना बड़ा देश है, इतना प्राचीन देश है, इतनी बड़ी जनसंख्या और इतनी विविधिताएं हैं तो क्या यह देश बिना आम सहमति के चल सकता है, आगे बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता। मुद्दों पर मतभेद होंगे और मतभेद लेकर हम जनता के बीच में जाते हैं। चुनाव हो गये, अब हम क्या करें? किसको जनादेश मिला, इस पर बहस हो रही है। मैंने परसों भी कहा था कि यदि कोई जनादेश का दावा कर सकता है तो हम कर सकते हैं। मैने कहा था यदि कोई कर सकता है तो, मैंने यह नहीं कहा कि हमें जनादेश मिल गया, आपकी अब जरूरत नहीं है, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता, यदि स्पष्ट बहुमत मिलता तब भी और मैं तो यहां तक जाने के लिए तैयार हूं कि यदि दो-तिहाई बहुमत मिल जाए तब भी इस देश को आम सहमति के आधार पर चलाना पड़ेगा। जिनके हाथ में पहले सत्ता थी वे भी चलाते रहे। वह व्याघात कब पड़ा, उसमें मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन व्याघात पड़ा। वह सिलसिला चलना चाहिए, वह सिलसिला आगे बढ़ना चाहिए और सहयोग के वातावरण में देश की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास होना चाहिए। यह प्रयास मैं लगातार करता रहूंगा—मैं आपको यह आश्वासन देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, एजेंडा के कुछ मुद्दों को लेकर टीका-टिप्पणियां हुई हैं। मेरे मित्र श्री चिदम्बरम ने कहा कि एजेंडा है लेकिन प्रोग्राम नहीं है। मैं दोनों का इतना बारीक अंतर नहीं समझ सकता। मैं कहना चाहता हूं कि एजेंडा में प्रोग्राम का समावेश भी है। कौनसे कानून बनेंगे, इसका उल्लेख है, क्या हमारी प्राथमिकताएं होंगी, इनका निर्देश है। उन्होंने एक उदाहरण दिया—रिवर वाटर्स के बारे में। उन्होंने उद्धृत किया था और मैं भी उसे उद्धृत करता हूं।

[अनुवाद]

"हम एक राष्ट्रीय जल-नीति अपनायेंगे जो कि विवादों तथा उनके समयबद्ध कार्यान्वयन संबंधी मामलों को प्रभावपूर्ण तरीके से तथा शीघ्र निपटायेगी।"

[हिन्दी]

उन्होंने कहा कि यह तो जनरल बात है कि वाटर पॉलिसी बनेगी। लेकिन आप करेंगे क्या, यह तो आपने बताया नहीं। हमने इसमें बताया है कि मैकेनिज्म होना चाहिए, जल्दी कैसे होना चाहिए। अब शायद उनकी मंशा यह थी कि कावेरी का जो विवाद चल रहा है और जिस पर गतिरोध पैदा हो गया है, उसके बारे में हम सत्ता में आते ही ऐलान कर देते। उसका क्या नतीजा होता? बरसों तक क्यों ऐलान नहीं हुआ?

जो पहली सरकारें थी, वे जरूर किसी कठिनाई का अनुभव कर रही थीं, इसलिए ऐसे सवालों पर नीति की बात हो सकती है। जहां तक व्यवहार का सवाल है, वह सबको मिल कर नीति बनानी होगी। इससे कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु प्रभावित है। सबको एक रास्ता निकालना पड़ेगा। अभी एवार्ड हो गया है लेकिन एवार्ड पर अमल नहीं हुआ है। मैं सत्ता सम्भालते ही यह घोषित नहीं कर सकता कि हमारी सरकार एवार्ड को लागू करेगी। पानी में भी आग लगती है। पानी का मामला और टेढ़ा होने वाला है। पानी की समस्या केवल भारत तक सीमित नहीं है। यह एक विश्व की समस्या बन गई है। हो सकता है कि अगला विश्व तनाव पैट्रोल पर न हो, पानी को लेकर हो। जल का प्रदूषण बढ़ रहा है। जल की मात्रा घट रही है। जल का धरातल नीचे जा रहा है। हमें अपने-अपने चुनाव क्षेत्र में इसकी अनुभूति होती है। लोगों की कठिनाइयां देख कर परेशानी होती है। संगमा जी, हमने यह आश्वासन नहीं दिया है कि हम हर बात पांच साल में कर देंगे। केवल पानी के सम्बन्ध में हमारा आश्वासन है कि पांच साल के भीतर हर जगह अच्छा पानी पीने के लिए मिले, यह हमारी प्रतिबद्धता है, लेकिन और भी मामलों में हमने अपनी दिशा का संकेत दिया है।

हमारे नेशनल एजेंडा में एक सुझाव है कि संविधान का रिव्यू करने के लिए एक कमीशन बनाया जाएगा। इस पर कठोर टिप्पणी हुई हैं। प्रतिपक्ष में बैठे हुए हमारे मित्रों ने इसकी कड़ी आलोचना की है। यह सुझाव देने वाले हम पहले नहीं हैं। बरसों से इस सम्बन्ध में मंथन चल रहा है, बुद्धिजीवी विचार कर रहे हैं और अपनी राय का प्रकटीकरण भी कर रहे हैं। वे बुद्धिजीवी किसी राजनीतिक दल से जुड़े हों या प्रेरित हों, ऐसा भी नहीं है। डा॰ कर्ण सिंह, डा॰ एल॰एम॰ सिंघवी, श्री सोली सोराबजी, प्रोफेसर रशीदउद्दीन खां, श्री बी॰के॰ नेहरू, श्री एस॰एल॰ शकधर, प्रोफेसर मधु दंडवते, जस्टिस वी॰आर॰ कृष्णा

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

अय्यर, जस्टिस खन्ना, जनरल के॰वी॰ कृष्णा राव, ये सब इस विचार को व्यक्त कर चुके हैं कि आखिर हमारे संविधान को 50 साल हो गए हैं, इस पर एक बार दूसरी नजर डालने की जरूरत है। नया संविधान लिखने का सवाल नहीं है, लेकिन क्या हम यह मान कर चलें कि संशोधन तो होते रहे हैं। कल कहा गया कि संशोधन अलग है, रिव्यू अलग है। संशोधन तो अमल में लाना पड़ता है। रिव्यू के बाद जो रिपोर्ट आएगी, उस पर हम अमल करें या न करें, यह हमारे लिए खुला हुआ होगा लेकिन कुछ पहलू ऐसे हैं, जिन पर फिर से विचार करने की जरूरत है।

हमने चुनाव की एक विशेष पद्धति अपनायी है। क्या यह ठीक है? अभी सुझाव आ रहा है और संसद के सदस्य इस बात से सहमत होंगे, अगर यह बात मान ली जाए कि एक बार चुनी हुई संसद पांच साल तक रहेगी, सरकार आए या जाए, मगर लोक सभा नहीं जाएगी। ऐसा कई देशों में है।...(*व्यवधान*) आडवाणी जी कह रहे हैं, संगमा जी ने भी शायद कहा था कि अभी जो चुनाव की पद्धति है, उसमें एक विचित्रता है। कभी वोट बढ़ जाते हैं और सीटें घट जाती हैं और वोट घट जाते हैं, मगर गाड़ी चल रही है। यह भी सुझाव आया है कि 50 फीसदी से कम वोट मिलें तो वह जीता हुआ नहीं माना जाएगा। वह जनता का सचमुच में अपने को प्रतिनिधि घोषित नहीं कर सकता। 15 परसैंट वोट मिलें तो आप कहेंगे कि आपको भी कम मिले हैं। अगर परिवर्तन होगा तो वह हम पर भी लागू होगा।

ऐसे भी देश हैं जो कहते हैं कि अगर फर्स्ट बैलट में न हो तो आप दूसरा बैलट करिये। अधिक रिप्रेजेंटेटिव, चुनी हुई संस्था होनी चाहिए। यह खर्चे का सवाल है। और भी कई प्रश्न हैं। मैं उन सबमें विस्तार से नहीं जाना चाहता। अगर विशेषज्ञों की कोई समिति बनती है, निष्पक्ष लागों की समिति बनती है जिसमें पुराने राष्ट्रपति वेंकटरमण जी का भी नाम है, मैंने सारे नाम नहीं लिये हैं, उसमें नानी पालखीवाला हैं, डा॰ फारूख अब्दुल्ला हैं, सबकी सलाह है कि इस तरह का कमीशन बना दिया जाए, वह देख ले कि क्या संशोधन होने चाहिए तो मैं समझता हूं कि हम संविधान को तोड़ने जा रहे हैं या नये संविधान की रचना करने जा रहे हैं, इस तरह का अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, श्री संगमा जी ने शिक्षा के बारे में एक मामला उठाया था। उन्होंने कहा कि जी॰डी॰पी॰ का छः प्रतिशत शिक्षा पर व्यय होना चाहिए—यह निर्णय तो बहुत पहले हो चुका है, आप इसमें ग्रैजुअली क्यों जोड़ रहें हैं। निर्णय बहुत पहले हुआ था मगर उस पर अमल नहीं हुआ। आज जो खर्च हो रहा है, वह तीन परसेंट से ज्यादा नहीं है और हम उसे बढ़ाना चाहते हैं। तीन से एकदम छः की छलांग लगाने में थोड़ी सी कठिमाई है और इसलिए ग्रैजुअली की बात कही है। लेकिन ग्रैजुअली का मतलब उसको लटकाना नहीं है, जल्दी से जल्दी छः परसेंट के लक्ष्य को प्राप्त करना है। उन्होंने ट्राइबल्स का मामला भी उठाया था। वह मामला दिल्ली से संबंधित है। दिल्ली में जब कांग्रेस का शासन था तब भी ट्राइब्ज का कोई शैड्यूल नहीं बना। दिल्ली में ट्राइब्ज होंगे मगर शैड्यूल्ड ट्राइब्ज की सूची तैयार करनी पड़ेगी। वह सूची अभी तक तैयार नहीं हुई है। लेकिन इस दिशा में प्रयत्न करना चाहिए और दिल्ली में जो ट्राइब्ज रहते हैं, या ट्राइब्ज से संबंधित लोग रहते हैं, उन्हें नौकरियों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। मैं इस संबंध में दिल्ली सरकार से बात करूंगा। इसका मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, उत्तर-पूर्व की ओर हमारी सभी सरकारों ने विशेष ध्यान दिया है। उत्तर-पूर्व की स्थिति में कुछ सुधार भी हुआ है लेकिन और सुधार की आवश्यकता है।

अपराह्न 7.38 बजे

(श्री पी॰एम॰ सईद *पीठासीन हुए*)

पैकेज घोषित कर दिये जाते हैं, लेकिन अमल में नहीं आते। कमेटी बनती हैं, लक्ष्मीचंद जैन कमेटी बनी थी, उसके बाद शुक्ला कमेटी बनी मगर किसी की सिफारिशों पर अमल नहीं हुआ। अब जो नौर्थ ईस्ट काउंसिल है उसका अध्यक्ष पहले गवर्नर हुआ करता था, अब प्लानिंग कमीशन का वाईस चेयरमैन उसका अध्यक्ष होगा और मैं उसे यह विशेष जिम्मेदारी सौंप रहा हूं कि इस संबंध में उत्तर पूर्व की सहायता के लिए जितनी घोषणाएं हुई हैं, उन सब घोषणाओं पर जल्दी से जल्दी अमल करने की कोशिश करें। अगर साधनों की कमी है तो वह केन्द्र सरकार के पास आएं। हम अधिकाधिक साधन जुटाने का प्रयास उनके लिए करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, हम इस तात्विक चर्चा में तो बहुत रूचि लेते हैं कि विदेशी सहायता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए तो किन शर्तों पर मिलनी चाहिए। लेकिन जब सहायता मिल जाती है, सस्ता कर्जा मिल जाता है तो हम उसे अमल में लाने में भी विफल रहते हैं।

इस देश की सबसे बड़ी विफलता इम्पलीमेंटेशन की स्टेज पर है। अच्छे-अच्छे विचारों की कमी नहीं है। कागज पर आकर्षक योजनाओं का अभाव नहीं है और शासन तंत्र में आपको ऐसे पुराने अफसर मिल जायेंगे जिनको सुनकर लगेगा कि इनसे अधिक तो ओर कोई इस विषय का ज्ञाता नहीं है और कुछ मात्रा में वे ज्ञाता होते भी हैं। लेकिन व्यवहार! यह देश बदल क्यों नहीं रहा है? परिगणित जातियों, परिगणित जनजातियों, पिछड़े वर्ग के लोग, कम संख्या वाले लोग, अल्पसंख्यकों की स्थिति में ठोस परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है। साधनों की कमी एक कारण हो सकता है। मगर कोई केस मैंने ऐसे देखे हैं और अभी तीन-चार दिन में ज्यादा देखने का मौका नहीं मिला है कि केन्द्र से रुपया दे दिया गया पावर्टी एलीविएशन के लिए रुपया दे दिया गया, करोड़ों रुपया दे दिया गया।

डा॰ मुरली मनोहर जोशी : हजारों करोड़।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हजारों करोड़ रुपया है, जोशी जी कह रहे हैं, वह पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, और परिणाम क्या हुआ? यह स्थिति है, इस स्थिति को बदलना होगा। कार्यान्वयन पर जोर दिया जायेगा। जिम्मेदारी व्यक्तिगत रूप से सौंपी जायेगी, उसकी निगरानी होगी और जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगा उसे रास्ते पर लाने की कोशिश की जायेगी। इस देश की पूंजी के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता। संसद सदस्यों के नाते हमें एक करोड़ रुपया मिलता है...(*व्यवधान*) बड़ी रकम नहीं है। लेकिन मैंने देखा है कि अगर वह रकम ठीक तरह से खर्च की जाए—ठीक तरह से खर्च की जाए, ठेकेदार के हाथ में न जाए, अफसर की जेब में न जाए, कोई देखने वाला हो और इसमें गैर सरकारी संस्थाएं योगदान दे सकती हैं। अगर एक करोड़ रुपये में मैं लखनऊ में इतने काम करा सकता हूं तो फिर हजारों करोड़ रुपये से इस देश की बुनियादी समस्याएं क्यों नहीं हल करा सकता, यह मैं समझने में असमर्थ हूं। एक छोटी सी घटना मेरे ध्यान में लाई गई है। 1994-95 में नेशनल टी॰बी॰ कंट्रोल प्रोजेक्ट यह पायलट प्रोजेक्ट था। 1997 से प्रोजेक्ट काम करने लगा। वर्ल्ड बैंक से इसके लिए 750 करोड़ का कर्जा आना था। प्रोजेक्ट का उद्देश्य टी॰बी॰ का उन्मूलन था। मगर इस प्रोजेक्ट में इतनी देर लगाई गई है, इतनी लम्बी लालफीताशाही चली है कि प्रोजेक्ट पर अमल नहीं हुआ और टी॰बी॰ वापस आ रहा है। टी॰बी॰ के उन्मूलन के लिए जो प्रोजेक्ट बना था, इसके लिए 750 करोड़ रुपया वर्ल्ड बैंक ने देना स्वीकार किया था, हम उस पर भी अमल नहीं कर सके, हम उसे भी व्यवहार में नहीं ला सके। कोई सरकार इस स्थिति को कैसे बर्दाश्त कर सकती है और समाज को भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। धन अगर गांव में जाता है, धन अगर जिला परिषद में जाता है तो वह केवल वहां के अधिकारी या वहां के निर्वाचित प्रतिनिधि तक सीमित नहीं होना चाहिए। उसकी जानकारी सारे गांव को होनी चाहिए, सब लोगों को होनी चाहिए। किस तरह से यह धन खर्च किया जा रहा है, इस पर नजर रखनी चाहिए। देश में लूट का वातावरण पैदा हो गया है। इस वातावरण को बदलना होगा। जब हम ईमानदारी की बात करते हैं तो ऊपर तो ईमानदारी होनी ही चाहिए। लेकिन प्रशासन के हर एक स्तर तक और जनता के जो राहत के काम है, आवास योजना बहुत अच्छी योजना है, रोजगार योजना बहुत अच्छी योजना है, लाखों की तादाद में छोटे-छोटे मकान बनाये जा सकते हैं, धन निकाला जा सकता है। बड़े-बड़े शहरों में जो सरकारी जमीन है उस पर भू-माफिया कब्जा कर रहे हैं, उसे कब्जा करके फ्लैट बनाने के लिए लोगों को बेच रहे हैं, मुनाफा कमा रहे हैं। सरकार अफसर उनके साथ मिले हुए हैं और लोगों को झुग्गी-झोंपड़ियों में सिर छिपाने के अलावा और कोई जगह नहीं है। इसे तो बदलना पड़ेगा और इसलिए आवश्यक होगा तो हम कानून में संशोधन करेंगे, आवश्यक होगा तो नया कानून लायेंगे। लेकिन सरकारी जमीन पर जो सार्वजनिक जमीन है उस पर किसी भू-माफिया को या अनुचित मुनाफा कमाने वालों को कब्जा करने की छूट नहीं दी जायेगी।

यह कैसे रोका जाए, यह कठिन समस्या जरूर है, लेकिन देश जिन समस्याओं में उलझा हुआ है, सबके सहयोग से ये समस्याएं हल की जा सकती हैं, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।

मैं अपने वायदों पर अमल करने के लिए आपसे समर्थन मांगता हूं। आप मेरे प्रस्ताव के समर्थन में मत दें, ऐसी अपील करते हुए मैं समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को अभी तक विभाजन संख्या आबंटित नहीं की गई हैं इसलिए मुझे माननीय सदस्यों को यह सूचित करना है कि ऑटोमेटिक वोट रिकार्डिंग मशीन द्वारा विभाजन करना सम्भव नहीं है। अब विभाजन नियम 367 कक के अन्तर्गत पर्चियों के वितरण द्वारा किया जाएगा।

(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदय, किसी ने डिवीजन मांगा नहीं है। इसलिए मेरा आग्रह है कि आप वायस वोट से करिए।

अध्यक्ष महोदय : पहले अनाउंसमेंट करना जरूरी है। उसके बाद माननीय सदस्य जैसा चाहेंगे वैसा किया जाएगा।

(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

ध्माननीय सदस्यों को अपने वोट देने के लिए 'पक्ष में'/'विपक्ष में' छपी हुई पर्चियां उनके स्थानों पर वितरित की जाएंगी। 'पक्ष में' की पर्चियां अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों भाषाओं में हरे रंग में एक ओर छपी हैं और 'विपक्ष में' की पर्चियां अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों में लाल रंग में उनके पीछे छपी हैं। माननीय सदस्य, अपनी इच्छा से पर्चियों पर अपने हस्ताक्षर कर और साफ-साफ अपना नाम, परिचय पत्र संख्या (माननीय सदस्यों को दिए गए अस्थायी अथवा स्थायी परिचय पत्र) निर्वाचन क्षेत्र तथा राज्य/संघ शासित क्षेत्र तथा पर्ची में जहां दिनांक के लिए स्थान दिया गया है वहां दिनांक देकर अपना वोट दे सकते हैं। जो माननीय सदस्य पक्ष में या विपक्ष में वोट नहीं देना चाहते हैं वे 'न पक्ष में न विपक्ष में' (पीले रंग) की पर्ची मांग सकते हैं। वोट देने के तत्काल बाद प्रत्येक माननीय सदस्य डिवीज़न क्लर्क को अपनी पर्ची दे दें जो कि सभा पटल पर बैठे हुए अधिकारियों को यह पर्चियां देने आपके स्थान पर आएगा। माननीय सदस्यों से अनरोध है कि वे विभाजन के लिए केवल एक पर्ची ही भरें।

माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि जब तक डिवीजन क्लर्क द्वारा पर्चियां एकत्रित नहीं कर ली जाती, वे अपने स्थान से न उठें।

अब मैं विश्वास प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूं।

प्रश्न यह है :

> "कि यह सभा मंत्रि-परिषद् में अपना विश्वास व्यक्त करती है।"

जो पक्ष में है वे 'हां' कहें।

अनेक माननीय सदस्य : 'हां'।

अध्यक्ष महोदय : जो इसके विरोध में हैं वे 'नहीं' कहें।

कुछ माननीय सदस्य : 'नहीं'।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में 'पक्ष में' अधिक मत हैं।

श्री शरद पवार : हम विभाजन चाहते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां कुछ माननीय सदस्य ऐसे हैं जिनको अभी तक पहचान-पत्र नहीं मिले हैं। इसलिए वे...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : एक अन्य घोषणा है।

कुछ माननीय सदस्य जिन्होंने शपथ ले ली है लेकिन अपने पहचान-पत्र नहीं लिए हैं, वे बिना पहचान पत्र संख्या दिए हुए अपना वोट दे सकते हैं। वे अन्य प्रविष्टियां मतदान पर्ची में कर सकते हैं। मतदान वैध माना जाएगा। दीर्घाएं खाली कर दी जाएं—

अध्यक्ष महोदय : अब दीर्घाएं खाली हो गई हैं।

प्रश्न यह है :

> "कि यह सभा मंत्रि-परिषद् में अपना विश्वास व्यक्त करती है।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ :

मत विभाजन संख्या 1] [रात्रि 7.55 बजे

पक्ष में

1. अग्निहोत्री, श्री राजेन्द्र
2. अग्रवाल, श्री धीरेन्द्र
3. अजमीरा, श्री चंदू लाल
4. अनंत कुमार, श्री
5. अयानूर, श्री मंजुनाथ
6. अर्गल, श्री अशोक
7. आचार्य, श्री प्रसन्न
8. आडवाणी, श्री लाल कृष्ण
9. आदित्यनाथ, श्री
10. आपांग, श्री ओमाक
11. आलीवाल, श्री अमरीक सिंह
12. इन्दौरा, डा॰ सुशील
13. उमा भारती, कुमारी
14. उराम, श्री जुआल
15. ऋषिदेव, श्री रामजीदास
16. एम॰ मास्टर मथान, श्री
17. कठेरिया, श्री प्रभूदयाल
18. कथीरिया, डा॰ वल्लभभाई
19. कनोडिया, श्री महेश कुमार
20. कमल रानी, श्रीमती
21. कश्यप, श्री बलीराम
22. कुमार, श्री वी॰ धनंजय
23. कुमारमंगलम, श्री पी॰आर॰ (तिरुचिरापल्ली)
24. कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह
25. कुसमरिया, डा॰ रामकृष्ण
26. कृष्णमराजु, श्री यू॰वी॰
27. कैंथ, श्री सतनाम सिंह
28. कोली, श्री गंगाराम
29. खंडेलवाल, श्री विजय कुमार
30. खन्डूड़ी, मेजर जनरल भुवन चन्द्र, एवीएसएम
31. खन्ना, श्री विनोद
32. खांदोकर, श्री अकबर अली
33. खुराना, श्री मदन लाल
34. गंगवार, श्री सन्तोष कुमार
35. गढ़वी, श्री पी॰एस॰
36. गणेशमूर्ति, श्री ए॰
37. गफूर, श्री अब्दुल
38. गांधी, श्रीमती मेनका

39. गीते, श्री अनंत गंगाराम
40. गेहलोत, श्री थावरचन्द
41. गोपाल, श्री सी॰
42. गोयल, श्री विजय
43. गौतम, श्रीमती शीला
44. चन्दूमाजरा, प्रो॰ प्रेम सिंह
45. चन्देल, श्री सुरेश
46. चपलोत, श्री शान्तिलाल
47. चलामेला, डा॰ सुगुण कुमारी
48. चिखलीया, श्रीमती भावना बेन देवराजभाई
49. चिन्नासामी, श्री वी॰के॰
50. चौधरी, श्री कृष्ण कुमार
51. चौधरी, श्री पंकज
52. चौधरी, श्री मणीभाई रामजीभाई
53. चौधरी, श्री राम टहल
54. चौधरी, श्री शकुनी
55. चौधरी, श्री हरिभाई
56. चौधरी, स्क्वाड्रन लीडर कमल
57. चौबे, श्री लाल मुनी
58. चौहान, श्री चेतन
59. चौहान, श्री जयसिंहजी
60. चौहान, श्री नंदकुमार सिंह
61. चौहान, श्री शिवराज सिंह
62. चौहान, श्री श्रीराम
63. जगमोहन, श्री
64. जटिया, डा॰ सत्यनारायण
65. जनार्दनन, श्री कादम्बूर एम॰आर॰
66. जायसवाल, डा॰ मदन प्रसाद
67. जायसवाल, श्री शंकर प्रसाद
68. जावीया, श्री गोरधनभाई जादवभाई
69. जिगाजिनागी, श्री रमेश सी॰
70. जैन, श्री सत्य पाल
71. जोशी, डा॰ मुरली मनोहर
72. टंडेल, श्री देवजी भाई जे॰
73. ठक्कर, श्रीमती जयाबहन भरतकुमार
74. डिसूजा, डा॰ बीट्रिक्स
75. तम्बी दुराई, डा॰ एम॰
76. तिवारी, श्री प्रभाष चन्द्र
77. तिवारी, श्री लाल बिहारी
78. तोमर, डा॰ रमेश चन्द
79. त्यागराजन, श्री एम॰
80. त्रिपाठी, श्री चन्द्रमणि
81. त्रिपाठी, श्री ब्रज किशोर
82. दत्त, वैद्य विष्णु
83. दत्तात्रेय, श्री बंडारू
84. दलित एजिलमलाई, श्री
85. दवे, श्रीमती भावना बेन कर्दम
86. दामोदरन, श्री एम॰सी॰
87. दाहाल, श्री भीम
88. दिलेर, श्री किशनलाल
89. दुराई, श्री एम॰
90. देलकर, श्री मोहन एम॰
91. देव केशरी, श्री विक्रम (कालाहांडी)
92. देवी, श्रीमती कैलाशो
93. देशमुख, श्री चंदुभाई
94. द्रोण, श्री जगत वीर सिंह
95. द्विवेदी, श्री रमेश चन्द्र
96. धालीवाल, श्रीमती सतविन्दर कौर
97. नकवी, श्री मुख्तार
98. नाईक, श्री राम
99. नायक, श्री उपेन्द्र नाथ
100. नायडू, श्री के॰पी॰

101. नायडु, श्री गिरजला वेंकट स्वामी
102. नीतीश कुमार, श्री
103. पंत, श्रीमती इला
104. पटनायक, श्री नवीन
105. पटेल, डा॰ अशोक कुमार
106. पटेल, डा॰ ए॰के॰
107. पटेल, श्री चन्द्रेश
108. पन्नीरसेल्वम, श्री कांची
109. परमशिवम राजा, श्री
110. परांजपे, श्री प्रकाश विश्वनाथ
111. परांजपे, श्री दादा बाबूराव
112. पलानीस्वामी, श्री के॰
113. पवार, श्री उत्तमसिंह
114. पांजा, डा॰ रणजीत कुमार
115. पांजा, श्री अजित कुमार
116. पाटसाणी, डा॰ प्रसन्न कुमार
117. पाटीदार, श्री रामेश्वर
118. पाटील, श्री अन्नासाहिब एम॰के॰
119. पाटील, श्री जयसिंहराव गायकवाड़
120. पाटील, श्री बाबागौंड़ा
121. पाटील, श्री बालासाहिब विखे
122. पाठक, श्री हरिन
123. पाण्डेय, डा॰ लक्ष्मीनारायण
124. पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार
125. पासी, श्री राजनारायण
126. पुरकायस्थ, श्री कवीन्द्र
127. पोटाई, श्री सोहन
128. प्रधान, श्री अशोक
129. प्रधान, श्री देवेन्द्र
130. प्रभु, श्री सुरेश
131. प्रसाद, श्री हरिकेवल
132. फर्नान्डीज, श्री जार्ज
133. फोली, जनरल नेविले
134. बंद्योपाध्याय, श्री सुदीप
135. 'बचदा', श्री बची सिंह रावत
136. बनर्जी, कुमारी ममता
137. बरनाला, सरदार सुरजीत सिंह
138. बरवाला, श्री सुरेन्द्र सिंह
139. बादल, श्री सुखबीर सिंह
140. बिसेन, श्री गौरी शंकर चतुर्भुज
141. बेहेरा, श्री पद्मा नावा
142. बैंदा, श्री रामचन्द्र
143. बैठा, श्री महेन्द्र
144. बैस, श्री रमेश
145. बैसीमुथियारी, श्री सानछुमा खुंगुर
146. बोस, श्रीमती कृष्णा
147. भार्गव, श्री गिरधारी लाल
148. मंडल, श्री जय कृष्ण
149. मरांडी, श्री बाबू लाल
150. मरांडी, श्री सोम
151. मल्लिकार्जुनय्या, श्री एस॰
152. महतो, श्रीमती आभा
153. महरिया, श्री सुभाष
154. महाजन, श्रीमती सुमित्रा
155. मान, श्री जोरा सिंह
156. मिश्र, श्री इन्द्रजीत
157. मिश्र, श्री जनार्दन प्रसाद
158. मिश्र, श्री रामनगीना
159. मिश्र, श्री श्याम बिहारी
160. मिश्र, श्रीमती सुखदा
161. मुण्डा, श्री कड़िया
162. मुथैया, श्री आर॰

163. मुनिलाल, श्री
164. मुनूसामी, श्री के॰पी॰
165. मुरूगेसन, श्री एस॰
166. मुर्मु, श्री सालखन
167. मेनसिंकाई, श्री बी॰एम॰
168. मेहताब, श्री भर्तृहरि
169. मोहन, श्री के॰पी॰
170. मोहले, श्री पुन्नू लाल
171. मौर्य, श्री आनन्द रत्न
172. यादव, श्री जगदम्बी प्रसाद
173. यादव, श्री सत्यपाल सिंह
174. येरननायडू, श्री के॰
175. राजपूत, श्री गंगा चरण
176. राजरतिनम, श्री पी॰
177. राजू, श्री एस॰ विजय रामा
178. राजे, श्रीमती वसुन्धरा
179. राजैया, श्री एम॰
180. राणा, श्री काशीराम
181. राणा, श्री राजू
182. राधाकृष्णन, श्री सी॰पी॰
183. राम, श्री ब्रजमोहन
184. रामचन्द्रन, श्री गिनगी एन॰
185. राममूर्ति, श्री वाझापडी के॰
186. रामराजन, श्री
187. रामशकल, श्री
188. राय, श्री कल्पनाथ
189. राय, श्री देवेन्द्र बहादुर
190. राव, श्री सी॰एच॰ विद्यासागर
191. रावत, श्री बैजनाथ
192. रावत, श्री भगवान शंकर
193. रावले, श्री मोहन
194. रेड्डी, श्री चाडा सुरेश
195. रेड्डी, श्री जी॰ गंगा
196. रेड्डी, श्री भूमा नागी
197. रेड्डी, श्री एन॰आर॰के॰
198. लालुंगमौना, श्री एच॰
199. वंग्चा, श्री राजकुमार
200. वर्मा, प्रो॰ रीता
201. वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह
202. वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास
203. वर्मा, श्री रीतलाल प्रसाद
204. वर्मा, श्री वीरेन्द्र
205. वर्मा, श्री सुशील चंद्र
206. वाजपेयी, श्री अटल बिहारी
207. विजयशंकर, श्री
208. वीरप्पा, श्री रामचन्द्र
209. वीरेन्द्र कुमार, श्री
210. वेणुगोपाल, श्री के॰
211. वेणुगोपालाचारी, डा॰ एस॰
212. वेदान्ती, डा॰ रामविलास
213. वैको, श्री
214. शर्मा, श्री कृष्ण लाल
215. शांता कुमार, श्री
216. शाक्य, डा॰ महादीपक सिंह
217. शास्त्री, डा॰ विजय सोनकर
218. शाह, श्री मानवेन्द्र
219. शेट्टी, श्री जयराम आई॰एम॰
220. श्रीकांतप्पा, श्री डी॰सी॰
221. श्रीनिवास, श्री एम॰
222. श्रीनिवासन, श्री सी॰
223. षणमुगम, श्री एन॰टी॰
224. संकेश्वर, श्री विजय

225. सघांणी, श्री दिलीप
226. सत्पथी, श्री तथागत
227. सत्यमूर्ति, श्री वी॰
228. समांऊ, श्री चतिन सिंह
229. सरकार, डा॰ विक्रम
230. सरनायक, श्री अजय कुमार एस॰
231. सरपोतदार, श्री मधुकर
232. सरोजा वी॰, डा॰
233. सांगवान, श्री किशन सिंह
234. साक्षी, डा॰ स्वामी सच्चिदानन्द हरि
235. साथी, श्री हरपाल सिंह
236. सामन्तराय, श्री प्रभात कुमार
237. साय, श्री लरंग
238. साहू, श्री चन्द्रशेखर
239. साहू, श्री ताराचंद
240. सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी
241. सिंह, डा॰ राम लखन
242. सिंह, डा॰ संजय
243. सिंह, श्री अमर पाल
244. सिंह, श्री अशोक
245. सिंह, श्री एच॰पी॰
246. सिंह, श्री छत्रपाल
247. सिंह, श्री जगन्नाथ
248. सिंह, श्री ज्ञान
249. सिंह, श्री तेजवीर
250. सिंह श्री था॰ चौबा
251. सिंह, श्री दिग्विजय
252. सिंह, श्री देवी बक्स
253. सिंह, श्री नकली
254. सिंह, श्री प्रभुनाथ
255. सिंह, श्री बूटा
256. सिंह, श्री राघवेन्द्र
257. सिंह, श्री राजवीर
258. सिंह, श्री रामपाल
259. सिंह, श्री रामानन्द
260. सिंह, श्री वशिष्ट नारायण
261. सिंह, श्री वीरेन्द्र
262. सिंह, श्री सरताज
263. सिंह, श्री सुरेन्द्र
264. सिंह, श्री सुशील कुमार
265. सिंह, श्री सोहनवीर
266. सिकदर, श्री तपन
267. सिन्हा, श्री यशवन्त
268. सेठी, श्री अर्जुन
269. सेडाम, श्री बासवराज पाटील
270. सोढी, श्री दया सिंह
271. सोमपाल, श्री
272. स्वराज, श्रीमती सुषमा
273. स्वाइन, श्री खारवेल
274. स्वामी, श्री चिन्मयानंद
275. हेगड़े, श्री अनंत कुमार

विपक्ष में

1. अजय कुमार, श्री एस॰
2. अनवर, श्री तारिक
3. अन्नाय्यागरी, श्री साईं प्रताप
4. अम्बरीश, श्री
5. अम्बेडकर, श्री प्रकाश यशवंत
6. अरूमुगम, श्री एस॰
7. अहमद, डा॰ शकील
8. अहमद, श्री अकबर
9. अहमद, श्री ई॰
10. अहिरे, श्री डी॰एस॰

11. आचार्य, श्री बसुदेव
12. आजना, श्री उदयलाल
13. आठवले, श्री रामदास
14. आवाडे, श्री कल्लाप्पा
15. ईडन, श्री जार्ज
16. उपाध्याय, श्री रामपाल
17. उपेन्द्र, श्री पी॰
18. उस्मानी, श्री ए॰एफ॰ गुलाम
19. ओमप्रकाश, श्री
20. ओला, श्री शीश राम,
21. ओवेसी, श्री एस॰एस॰
22. कमलनाथ, श्री
23. करूणाकरन, श्री के॰
24. कवाडे, श्री जोगेन्द्र
25. कहांडोले, श्री जेड॰एम॰
26. कांबले, श्री अरविंद
27. कामत, श्री गुरूदास
28. कालिता, श्री भुवनेश्वर
29. किन्डिया, श्री पी॰आर॰
30. कुप्पुसामी, श्री सी॰
31. कुमार, श्री शैलेन्द्र
32. कुमार, श्रीमती मीरा
33. कुरियन, प्रो॰ पी॰जे॰
34. कुरूप, श्री सुरेश
35. कृष्णदास, श्री एन॰एन॰
36. कृष्णमूर्ति, श्री के॰
37. कोंडय्या, श्री के॰सी॰
38. खां, श्री आरिफ मोहम्मद
39. खां, श्री अबुल हसनत
40. खां, श्री रिजवान जहीर
41. खां, श्री सुनील
42. गंगटे, कुमारी किम
43. गंगाधर, श्री एस॰
44. गगोई, श्री तरूण
45. गमांग, श्री गिरिधर
46. गवई, श्री आर॰एस॰
47. गहलोत, श्री अशोक
48. गामीत, श्री सी॰डी॰
49. गावीत, श्री माणिकराव होडल्या
50. गिरि, श्री सुधीर
51. गिरियप्पा, श्री सी॰पी॰एम॰
52. गुजराल, श्री इन्द्र कुमार
53. गुप्त, श्री इन्द्रजीत
54. गोविन्दन, श्री टी॰
55. गोस्वामी, श्री नृपेन
56. घाटोवार, श्री पवन सिंह
57. चक्रवर्ती, श्री अजय
58. चटर्जी, श्री सोमनाथ
59. चन्द्रशेखर, श्री
60. चव्हाण, श्री पृथ्वीराज दा॰
61. चाक्को, श्री पी॰सी॰
62. चावड़ा, श्री ईश्वरभाई खोडाभाई
63. चिदम्बरम, श्री पी॰
64. चिन्ता मोहन, श्री
65. चेंगारा सुरेन्द्रन, श्री
66. चौधरी, कर्नल सोनाराम
67. चौधरी, श्री ए॰बी॰ए॰ गनी खां
68. चौधरी, श्री रामरघुनाथ
69. चौधरी, श्री विकास
70. चौधरी, श्री समर
71. चौधरी, श्रीमती निशा आ॰
72. चौधरी, श्रीमती रीना

73. जाखड़, श्री बलराम
74. जाफर शरीफ, श्री सी॰के॰
75. जालप्पा, श्री आर॰एल॰
76. जैन, श्री मीठा लाल
77. जोगी, श्री अजीत
78. जोस, श्री ए॰सी॰
79. जहेदी, श्री महबूब
80. ठाकुर, डा॰ प्रभा
81. ठाकुर, श्री रामशेठ
82. डामोर, श्री सोमजीभाई
83. डेनिस, श्री एन॰
84. डोम, डा॰ रामचन्द्र
85. तनपुरे, श्री प्रसाद बाबूराव
86. तसलीमुद्दीन, श्री
87. तुपे, श्री विठ्ठल
88. तोपदार, श्री तरित वरण
89. थामस, श्री पी॰सी॰
90. थोरात, श्री संदीपान
91. दास, श्री नेपाल चन्द्र
92. देवगौड़ा, श्री एच॰डी॰
93. देवरा, श्री मुरली
94. देवी, श्रीमती ओमवती
95. देवी, श्रीमती मालती
96. देवी, श्रीमती रमा
97. नम, श्री शंकर सखाराम
98. नरह, श्रीमती रानी
99. नागरा, श्री अमन कुमार
100. नायक, श्री ए॰ वेंकटेश
101. नायक, श्री रवि सीताराम
102. नायक, श्री सुधाकरराव, राजूसिंग
103. निषाद, कैप्टन जय नारायण प्रसाद
104. पटनायक, श्रीमती जयन्ती
105. पटेल, श्री जंग बहादुर सिंह
106. पटेल, श्री दिनशा
107. पटेल, श्री प्रफुल्ल
108. पटेल, श्री शान्तिलाल पुरूषोत्तमदास
109. पनबाका, श्रीमती लक्ष्मी
110. पन्नू, इंजीनियर शंकर
111. पलानीमनिक्कम, श्री एस॰एस॰
112. पवार, श्री शरद
113. पाटील, डा॰ उल्हास वासुदेव
114. पाटील, श्री उत्तमराव देवराव
115. पाटील, श्री एम॰बी॰
116. पाटील, श्री भास्कर राव
117. पाटील, श्री मदन
118. पाटील, श्री माधवराव
119. पाटील, श्री रामकृष्ण बाबा
120. पाटील, श्री शिवराज वी॰
121. पाटील, श्रीमती सूर्यकांता
122. पाठक, श्री आनन्द
123. पायलट, श्री राजेश
124. पाल, श्री रूपचन्द
125. पासवान, श्री पीताम्बर
126. पासवान, श्री राम विलास
127. पुगलीया, श्री नरेशकुमार चुन्नालाल
128. प्रधानी, श्री खगपति
129. प्रमाणिक, प्रो॰ आर॰आर॰
130. प्रसाद, श्री लालू (मधेपुरा)
131. प्रेमचन्द्रन, श्री एन॰के॰
132. प्रेमाजम, प्रो॰ ए॰के॰
133. फातमी, श्री मोहम्मद अली अशरफ
134. बखला, श्री जोवाकिम

135. बघेल, प्रो॰ एस॰पी॰ सिंह
136. बनातवाला, श्री जी॰एम॰
137. बर्क, डा॰ शफीकुर्रहमान
138. बर्मन, श्री रनेन
139. बसु, श्री अनिल
140. बापीराजु, श्री के॰
141. बाला, डा॰ असीम
142. बालु, श्री टी॰आर॰
143. बिसवाल, श्री रंजीव
144. बुडानिया, श्री नरेन्द्र
145. बैरवा, श्री द्वारका प्रसाद
146. बौरी, श्रीमती संध्या (विष्णुपुर)
147. भक्त, श्री मनोरंजन
148. भगत, श्री इन्द्र नाथ
149. भजनलाल, श्री
150. भारद्वाज, श्री परस राम
151. भार्गव, श्री राम शंकर
152. भूरिया, श्री कांतिलाल
153. भोंसले, श्री अभयसिंह एस॰
154. भोंसले, श्रीमती राणी चित्रलेखा
155. मंडल, श्री सनत कुमार
156. मंडलिक, श्री सदाशिवराव दादोबा
157. मलिक, श्री राम चन्द्र
158. मल्लु, डा॰ रवि
159. महंत चरण दास, डा॰
160. महतो, श्री बीर सिंह
161. महतो, श्री राजवंशी
162. मायावती, कुमारी
163. मारन, श्री मुरासोली
164. मालविया, श्री महेन्द्रजीत सिंह
165. मीणा, श्री भेरूलाल
166. मीणा, श्री रामनारायण
167. मीणा, श्रीमती उषा
168. मुखर्जी, श्री प्रमथेस
169. मुखर्जी, श्री सुब्रत
170. मुखर्जी, श्रीमती गीता
171. मुखोपाध्याय, श्री अजय
172. मुत्तेमवार, श्री विलास
173. मुनियप्पा, श्री के॰एच॰
174. मुर्मु, श्री रूपचन्द
175. मेघे, श्री दत्ता
176. मेहता, प्रो॰ अजित कुमार
177. मोल्लाह, श्री हन्नान
178. मोहन, श्री आनन्द
179. मोहोल, श्री अशोक नामदेवराव
180. यादव, श्री अनूप लाल
181. यादव, श्री घासी राम (अलवर)
182. यादव, श्री पारसनाथ
183. यादव, श्री प्रदीप कुमार
184. यादव, श्री बलराम सिंह
185. यादव, श्री मित्रसेन
186. यादव, श्री मुलायम सिंह
187. यादव, श्री सीताराम
188. यादव, श्री सुरेन्द्र प्रसाद (जहानाबाद)
189. यादव, श्री सुरेन्द्र प्रसाद (झंझारपुर)
190. रंगपी, डा॰ जयन्त
191. रमैया, श्री सोडे
192. राघवन, श्री वी॰वी॰
193. राजु खेड़ी, श्री गजेन्द्र सिंह
194. राजबंशी, श्री माधव
195. राठवा, श्री एन॰जे॰
196. राधाकृष्णन, श्री वारकला

197. रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली
198. रामुलु, श्री एच•जी•
199. राय प्रधान, श्री अमर
200. राय, श्री हीरा लाल
201. राव, श्री आर• साम्बासिवा
202. राव, श्री इन्द्रजीत सिंह
203. राव, श्री के•एस•
204. राव, श्री गुरूनाथा
205. राव, श्री नादेन्दला भास्कर राव
206. राव, श्री मगन्ती वेंकटेश्वर
207. रियान, श्री बाजू बन
208. रेड्डी, डा• बी•एन•
209. रेड्डी, डा• वाई•एस• राजशेखर
210. रेड्डी, श्री एन• जनार्दन
211. रेड्डी, श्री एम• बागा
212. रेड्डी, श्री एस• जयपाल
213. रेड्डी, श्री एस• सुधाकर
214. रेड्डी, श्री के• विजयभास्कर
215. रेड्डी, श्री मगुन्टा श्रीनिवासुलु
216. रेड्डी, श्री वेंकटरामी अनन्त
217. रेड्डी, डा• टी• सुब्बारामी
218. रोसैया, श्री कोनिजेटी
219. लाहिड़ी, श्री सम्मीक
220. वरपुडकर, श्री सुरेश
221. वर्मा, कुमारी विमला
222. वर्मा, श्री बेनी प्रसाद
223. वर्मा, श्री रवि प्रकाश
224. वर्मा, श्रीमती ऊषा
225. वासनिक, श्री मुकुल
226. विजय, श्री विजय कुमार
227. वेणुगोपाल, श्री डी•
228. वोरा, श्री मोतीलाल
229. शंकरन, श्री पी•
230. शमानुर, श्री शिवशंकरप्पा
231. शहाबुद्दीन, श्री मोहम्मद
232. शिंदे, श्री सुशील कुमार (शोलापुर)
233. शिव शंकर, श्री पी•
234. शेरवानी, श्री सलीम इकबाल
235. संगमा, श्री पूर्णो ए•
236. सईद, श्री पी•एम•
237. सईद, श्री मुफ्ती मोहम्मद
238. सर, श्री निखिलानन्द
239. सरोज, श्री दरोगा प्रसाद
240. सांगतम, श्री के•ए•
241. सारदीना, श्री फ्रांसिस्को
242. सिंधिया, श्री माधवराव
243. सिंह, श्री कीर्ति वर्धन
244. सिंह, श्री के• नटवर
245. सिंह, श्री मोहन
246. सिंह, श्री रघुवंश प्रसाद
247. सिंह, श्री राजो
248. सिंह, श्री लक्ष्मण
249. सिद्दराजु, श्री ए•
250. सुधीरन, श्री वी•एम•
251. सुब्बा, श्री मोनी कुमार
252. सुल्तानपुरी, श्री के•डी•
253. सेठ, श्री लक्ष्मण चन्द्र
254. सेन, श्रीमती मिनाती
255. सेल्वारासु, श्री एम•
256. सोय, श्री विजय सिंह
257. हमीद, श्री अब्दुल
258. हसन, श्री मोइनुल

259. हाण्डिक, श्री विजय कृष्ण

260. हुड्डा, श्री भूपिन्द्र सिंह

अध्यक्ष महोदय : मत विभाजन का परिणाम* इस प्रकार है :

पक्ष में : 275

विपक्ष में : 260

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा सोमवार, 30 मार्च, 1998 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 8.53 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 30 मार्च, 1998/9 चैत्र, 1920(शाक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

* सभा में अध्यक्षपीठ द्वारा घोषित किया गया परिणाम इस प्रकार था :

पक्ष में : 274

विपक्ष में : 261

तथापि पर्चियों की पुनः जांच किए जाने और उस पर अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन मिल जाने के पश्चात अंतिम परिणाम इस प्रकार रहा :

पक्ष में : 275

विपक्ष में : 260

पी. एल. एस.–48/1/6/98 (एन.)

220

© 1998 प्रतिलिप्यधिकार [illegible] सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (आठवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और डाटा प्वांईट कम्प्यूटिंग टैक्नोलोजी (इंडिया) [illegible]लि., जनक पुरी, नई दिल्ली–58 द्वारा मुद्रित।